ई सी जी सी लिमिटेड

ECGC Limited

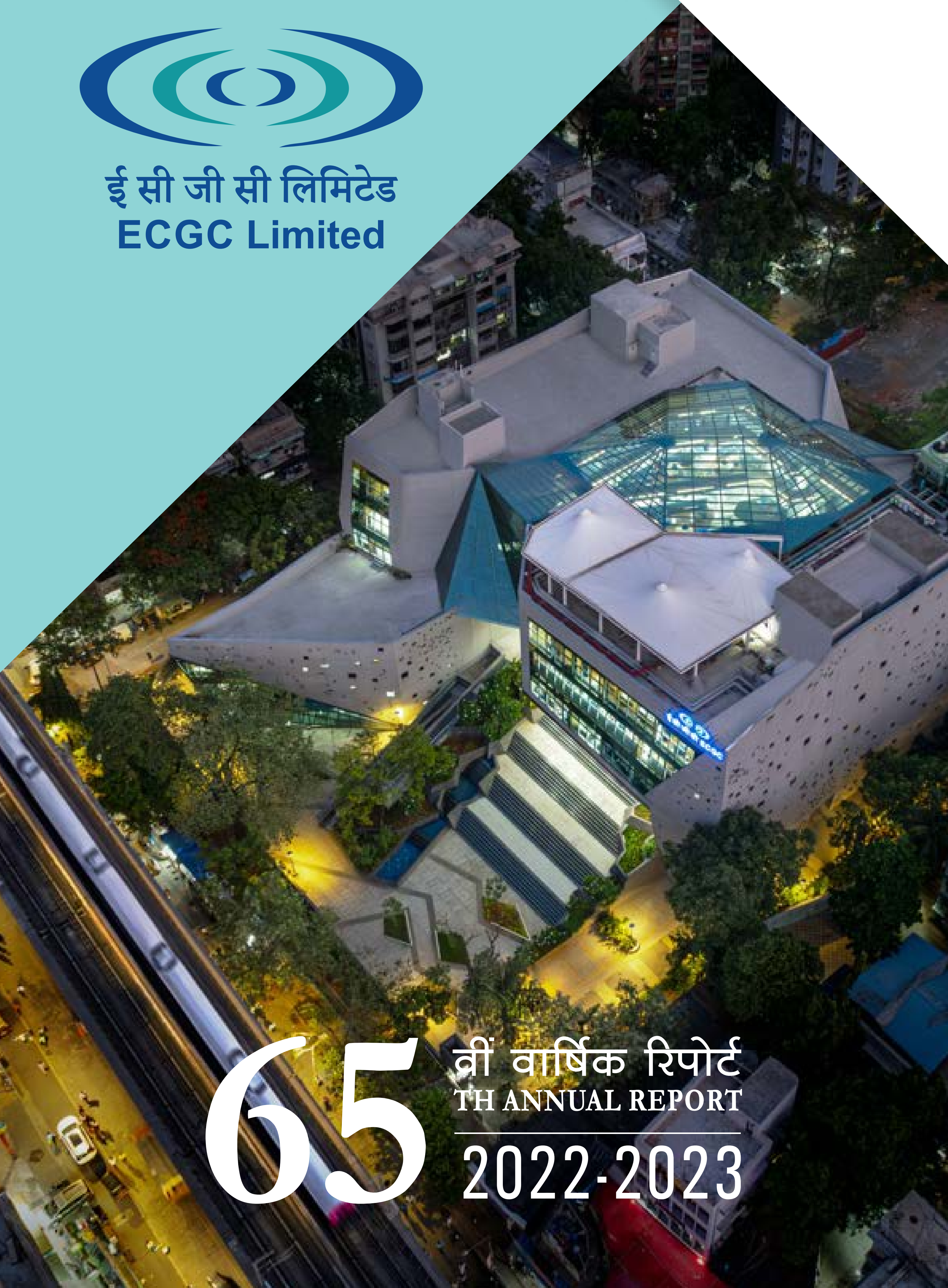

65 वीं वार्षिक रिपोर्ट
65TH ANNUAL REPORT

2022-2023

विज़न

निर्यात ऋण बीमा एवं व्यापार संबंधी बेहतरीन
सेवाएं प्रदान करना ।

VISION

To excel in providing export credit insurance and trade-related services.

मिशन

भारतीय निर्यात बाज़ार की बढती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध स्रोतों का अनुकूल उपयोग करते हुए किफायती बीमा एवं व्यापार संबंधी सेवाएं प्रदान कर भारतीय निर्यात उद्योग की सहायता करना ।

MISSION

To support the Indian export industry by providing cost-effective insurance and trade-related services to meet the growing needs of the Indian export market through the optimal utilization of available resources.

ईसीजीसी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)
आप निर्यात पर ध्यान केंद्रित करें, हम जोखिम से रक्षा प्रदान करेंगे
You focus on exports. We cover the risks.

पंजीकृत कार्यालय

ईसीजीसी भवन, सीटीएस नं. 393, 393/1
से 45, एम. वी. रोड, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई - 400069, महाराष्ट्र, भारत
सी आई एन: U74999MH1957GOI010918
आई आर डी ए आई पंजीकरण सं. 124

REGISTERED OFFICE

ECGC Bhawan, CTS No. 393, 393/1 to 45,
M.V. Road, Andheri (East), Mumbai - 400069,
Maharashtra, India
CIN: U74999MH1957GOI010918
IRDAI Regn. No. 124

कंपनी सचिव
COMPANY SECRETARY

श्रीमती स्मिता वी. पंडित
Smt. Smita V. Pandit

नियुक्त बीमांकिक
APPOINTED ACTUARY

श्रीमती प्रिसिल्ला सिन्हा
Smt. Priscilla Sinha

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक
JOINT STATUTORY AUDITORS

मेसर्स एस एन के एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 109176W

M/s. SNK & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109176W

मेसर्स एल. एस. नलवाया एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 115645W

M/s. L. S. Nalwaya & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 115645W

बैंकर्स
BANKERS

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
(पूर्व में कॉर्पोरेशन बैंक)
आई डी बी आई बैंक

Union Bank Of India
(Erstwhile Corporation Bank)
IDBI Bank

क्र.सं. S. No.	विषय-वस्तु/ CONTENTS	पृष्ठ संख्या Page No.
1.	निदेशक मण्डल Board of Directors	4
2.	वरिष्ठ प्रबंधन Senior Management	7
3.	निष्पादन विशेषताएँ – पिछला दशक Performance Highlights - The Past Decade	8
4.	अध्यक्ष का संबोधन Chairman’s Message	10
5.	निदेशकों की रिपोर्ट Directors’ Report	20
6.	कंपनी शासन Corporate Governance	39
7.	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व Corporate Social Responsibility	62
8.	प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण Management Discussion and Analysis	73
9.	लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण Audited Financial Statements	119
i	राजस्व खाता, लाभ एवं हानि खाता एवं तुलन पत्र Revenue Account, Profit & Loss Account and Balance Sheet	120
ii	वित्तीय विवरणों की अनुसूचियाँ (अनुसूची 1 से 15) Schedules to Financial Statements (Schedule 1 to 15)	127
iii	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (अनुसूची 16) Significant Accounting Policies (Schedule 16)	142
iv	लेखागत टिप्पणियाँ (अनुसूची 17) Notes to Accounts (Schedule 17)	152
v	मुख्य विश्लेषणात्मक अनुपात Key Analytical Ratios	182
vi	अर्जन एवं भुगतान खाता Receipts & Payments Account	187
10.	प्रबंधन रिपोर्ट Management Report	190
11.	नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ Comments of CAG	194
12.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditor’s Report	195
13.	सेवा तंत्र Service Network	215

निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS

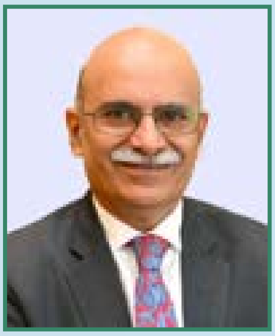

श्री एम. सेंथिलनाथन
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
ईसीजीसी लिमिटेड
कार्यकारी निदेशक - कार्यपालक

Shri M. Senthilnathan
Chairman-cum-Managing Director,
ECGC Limited
Functional Director - Executive

श्री सुनील जोशी
कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले),
ईसीजीसी लिमिटेड
कार्यकारी निदेशक - कार्यपालक

Shri Sunil Joshi
Executive Director (Policy Matters),
ECGC Limited
Functional Director - Executive

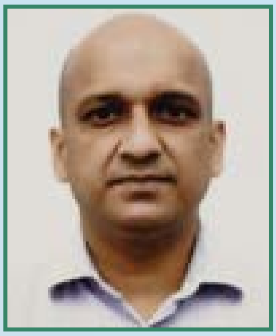

श्री विपुल बंसल, भा प्र से
संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
सरकार द्वारा नामित - निदेशक - गैर-कार्यपालक

Shri Vipul Bansal, IAS
Joint Secretary, Department of Commerce,
Ministry of Commerce & Industry, Government of India
Government Nominee Director - Non-Executive

निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS

श्रीमती अपर्णा भाटिया, भा आ से
आर्थिक सलाहकार, आर्थिक मामले विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक – गैर–कार्यपालक

Smt. Aparna Bhatia, IES
Economic Adviser, Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance, Government of India
Government Nominee Director - Non-Executive

श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू
कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक – गैर–कार्यपालक

Shri Shirish Chandra Murmu
Executive Director, Reserve Bank of India
Non-Official Independent Director - Non-Executive

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात आयात बैंक (भारतीय एक्ज़िम बैंक)
गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक – गैर–कार्यपालक

Ms. Harsha Bangari
Managing Director,
EXIM Bank of India
Non-Official Independent Director - Non-Executive

श्री देवेश श्रीवास्तव
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
जीआईसी री
गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक – गैर–कार्यपालक

Shri Devesh Srivastava
Chairman-cum-Managing Director
GIC Re
Non-Official Independent Director - Non-Executive

निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS

डॉ. ए. शक्तिवेल
अध्यक्ष,
भारतीय निर्यात संघठन संघ
गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक – गैर–कार्यपालक
Dr. A. Sakthivel
President,
Federation of Indian Export Organisations
Non-Official Independent Director - Non-Executive

श्री अमित कुमार अग्रवाल
गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक – गैर–कार्यपालक
Shri Amit Kumar Agarwal
Non-Official Independent Director - Non-Executive

श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा
गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक – गैर–कार्यपालक
Smt. Pratibha Kushwaha
Non-Official Independent Director - Non-Executive

श्री पलनियप्पन मुथु
गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक – गैर–कार्यपालक
Shri Palaniappan Muthu
Non-Official Independent Director - Non-Executive

वरिष्ठ प्रबंधन / SENIOR MANAGEMENT

श्री एम. सेंथिलनाथन / Shri M. Senthilnathan
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक / Chairman-cum-Managing Director
(31.07.2023 को सेवानिवृत्त) / (Superannuation on 31.07.2023)

श्री सुनील जोशी / Shri Sunil Joshi
कार्यपालक निदेशक / Executive Director
(11.08.2023 से अ प्र नि – अतिरिक्त प्रभार) / (CMD - Addl. Charge w.e.f. 11.08.2023)

श्री सी.एन.ए. अन्बरासन / Shri C.N.A. Anbarasan
कार्यपालक निदेशक / Executive Director
(31.08.2023 को सेवानिवृत्त) / (Superannuation on 31.08.2023)

महाप्रबंधक / GENERAL MANAGERS

श्री परमदीप लाल ठाकुर
Shri Paramdeep Lal Thakur

श्री ईशनाथ झा
Shri Ishnath Jha

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
Shri Sristiraj Ambastha
(01.09.2023 से कार्यपालक निदेशक)
(Executive Director w.e.f. 01.09.2023)

श्री सुबीर कुमार दास
Shri Subir Kumar Das

श्रीमती स्मिता वी. पंडित
Smt Smita V. Pandit

श्री आनंद सिंह
Shri Anand Singh

श्री अभिषेक कुमार जैन
Shri Abhishek Kumar Jain
(03.06.2023 से महाप्रबंधक)
(General Manager w.e.f. 03.06.2023)

श्री गौरव अंशुमन
Shri Gaurav Anshuman
(01.09.2023 से महाप्रबंधक)
(General Manager w.e.f. 01.09.2023)

श्रीमती प्रिसिल्ला सिन्हा
Smt Priscilla Sinha

उप महाप्रबंधक / DEPUTY GENERAL MANAGERS

1. श्री बलबीर सिंह मान	Shri Balbir Singh Maan
2. श्री एन. सुब्रमणियन	Shri N. Subramanian
3. श्री आर. के. पांडियन	Shri R. K. Pandian
4. श्री कुमार अंशुमन	Shri Kumar Anshuman
5. श्री यशवंत बी. ब्रीद	Shri Yashwant B. Breed
6. श्रीमती अर्पिता सेन	Smt. Arpita Sen
7. श्री वाई. सुधीर	Shri Y. Sudheer
8. श्री सुभाष चन्द्र चाहर	Shri Subhash Chandra Chahar
9. श्री नीरज गुप्ता	Shri Niraj Gupta
10. श्री आर. महालिंगम	Shri R. Mahalingam
11. श्री राजेश जमनानी	Shri Rajesh Jhamnani
12. श्री राहुल	Shri Rahul
13. श्री रंगराव तु. हांडे (30.06.2023 को सेवानिवृत्त)	Shri Rangarao T. Hande (Superannuation on 30.06.2023)
14. श्री सचिन खन्ना	Shri Sachin Khanna
15. श्री अमित कुमार (03.06.2023 से)	Shri Amit Kumar (w.e.f. 03.06.2023)
16. श्रीमती सिवसंकरी मुरुगन (03.07.2023 से)	Smt. Sivasankari Murugan (w.e.f. 03.07.2023)
17. श्रीमती रचना बाबेरवाल (01.09.2023 से)	Smt. Rachna Baberwal (w.e.f. 01.09.2023)

निष्पादन विशेषताएँ-पिछला दशक / PERFORMANCE HIGHLIGHTS - PAST DECADE

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

वर्ष / YEAR	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
संरक्षित कारोबार मूल्य / VALUE OF BUSINESS COVERED										
अल्पावधि पॉलिसियाँ */** Short Term Policies */**	321767.00	269272.00	241934.17	215021.77	198872.00	177349.00	172788.00	135871.97	133983.00	131344.00
अल्पावधि ई सी आई बी ***/**** Short Term ECIB ***/****	338984.00	345676.00	354200.12	341826.72	455267.00	456684.00	448604.00	127534.80	138555.00	138150.00
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	2851.00	3896.97	6667.25	4757.37	5787.00	7415.57	6027.26	5979.06	7652.00	9762.80
कुल / Total	**663602.00**	**618844.97**	**602801.54**	**561605.86**	**659926.00**	**641448.57**	**627419.26**	**269385.83**	**280190.00**	**279256.00**
प्रीमियम आय / PREMIUM INCOME										
अल्पावधि पॉलिसियां Short Term Policies	540.22	485.45	429.99	405.17	412.26	367.95	359.99	382.99	383.87	388.57
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	632.50	600.84	603.78	644.78	806.83	843.21	881.07	910.64	942.29	869.68
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	24.81	20.33	28.51	25.52	28.45	29.25	26.56	27.10	36.24	45.48
कुल / Total	**1197.53**	**1106.62**	**1062.28**	**1075.47**	**1247.54**	**1240.41**	**1267.62**	**1320.73**	**1362.40**	**1303.73**
प्रदत्त दावे / CLAIMS PAID										
अल्पावधि पॉलिसियां Short Term Policies	190.42	237.91	284.87	146.77	168.13	136.70	206.85	127.32	126.98	109.29
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	415.70	443.42	761.87	261.64	813.39	1131.47	655.50	995.52	462.85	639.55
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	156.93	5.87	-	-	31.79	14.99	22.99	-	-	148.65
कुल / Total	**763.05**	**687.20**	**1046.74**	**408.41**	**1013.31**	**1283.16**	**885.34**	**1122.84**	**589.83**	**897.49**
की गई वसूलिया / RECOVERIES MADE										
अल्पावधि पॉलिसियां Short Term Policies	10.55	16.53	9.77	10.21	21.47	18.55	9.77	7.80	9.61	5.76
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	136.85	93.44	107.53	156.17	129.36	166.39	109.76	106.06	142.52	144.53
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	22.11	-	0.17	0.06	-	0.67	19.14	0.18	8.02	8.02
कुल / Total	**169.51**	**109.97**	**117.47**	**166.44**	**150.83**	**185.61**	**138.67**	**114.04**	**160.15**	**158.31**

नोट:
Note:

* इसमें घोषणा आधारित पॉलिसियाँ तथा जोखिम आधारित पॉलिसियाँ शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा उसके पश्चात जोखिम आधारित पॉलिसियों के अधीन संक्षारित कारोबार का मूल्य, वित्तीय वर्ष 2010–11 तक प्रत्येक पॉलिसी के लिए निर्धारित औसत हानी सीमा, अनुमानित निर्यात पण्यावर्त के आधार पर मूल्य अनुमानित हैं।

* Comprises exposure under declaration based policies & exposure based policies. Value of business covered under exposure based policies for FY 2011-12 and onwards is the value estimated based on Aggregate Loss Limit fixed for each policy and that for years till FY 2010-11 the estimate of export turnovers.

** ग्राहक निर्धारित एम बी ई पी पॉलिसियों के अधीन जोखिम मूल्य (जो मू) की गणना औसत हानि सीमा (ए एल एल) के बीस गुना के आधार पर की जाती है क्यों कि ग्राहक निर्धारित पॉलिसियों के अधीन ए एल एल व निर्यात पण्यावर्त का अनुपात सामान्य एम बी ई पी के अधीन 10% अथवा उससे अधिक की तुलना में 5% है। जो मू की गणना की संशोधित प्रक्रिया दिनांक 01.04.2017 से लागू की गयी है। विवरण को तुलनात्मक बनाने हेतु 01.04.2016 से 31.03.2017 तक के आंकडों की पुनर्गणना की गयी है।

** The RV for customised MBE Policies has been taken as 20 times of the Aggregate Loss Limit (ALL) the reason being under customized policies the ALL to Export Turnover (ETO) ratio is upto 5% unlike normal MBEPs where the ratio is 10% or more. The revised procedure of calculating the RV has been implemented with retrospective effect from 1.4.2017. To make the comparison equitable the figure w.e.f 1.4.2016 to 31.03.2017 has also been reworked.

*** वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं उसके बाद बैंकों द्वारा मंजूर सीमाएं जो कंपनी द्वारा रक्षित हैं तथा वित्त वर्ष 2010–11 तक मंजूर सीमा के अंतर्गत औसत बकाया को दर्शाता हैं।

*** Represents average outstanding under the limits sanctioned by banks which are covered by the Company for the financial years 2011-12 and onwards and the limits sanctioned till FY 2010-11.

**** ये अनुमान, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में किए गए हैं। ये अनुमान भा रि बैं से प्राप्त आकड़ों एवं अल्पावधि निर्यात के अंतर्गत व्यापार चक्र 90 दिन के आधार पर हैं। तदनुसार जोखिम मूल्य की गणना के लिए कंपनी द्वारा रक्षित बकाया निर्यात ऋण एवं चार के कारक से गुणन के आधार पर किया गया हैं।

**** The estimation has been done in compliance of the instruction of the Department of Economic Affairs Ministry of Finance. The estimates are based on data sourced from RBI and considering the fact that business cycle under short term exports is around 90 days. Accordingly, the outstanding export credit covered by the Company is multiplied by a factor of four to arrive at the Risk Value.

निष्पादन विशेषताएँ / PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2022-2023

उत्पाद समूह वितरण
Product Group Distribution

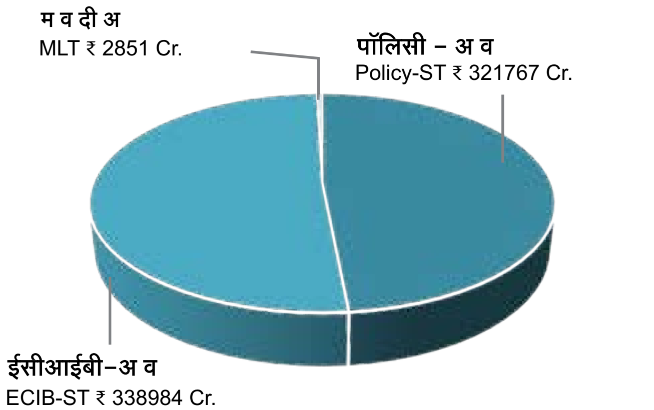

दिनांक 31.03.2023 तक कुल संरक्षित कारोबार ₹ 663602.00 करोड़
Value of Business Covered (RV) ₹ 663602.00 Cr. as on 31.03.2023

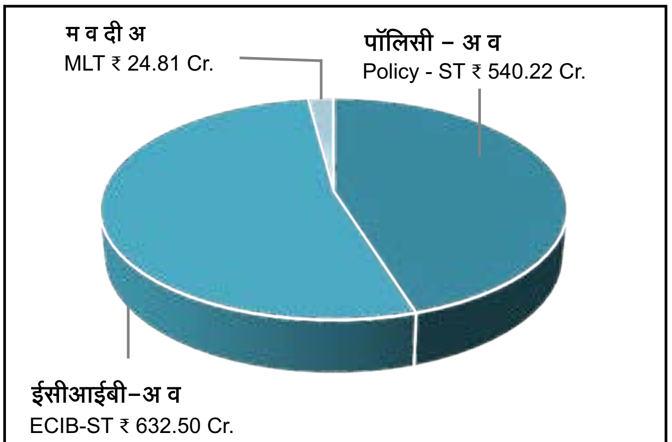

दिनांक 31.03.2023 तक कुल प्रीमियम आय ₹ 1197.53 करोड़
Total Premium Income ₹ 1197.53 Cr. as on 31.03.2023

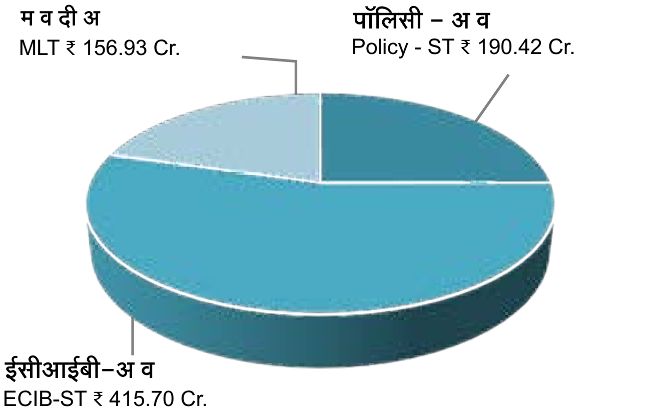

दिनांक 31.03.2023 तक कुल प्रदत्त दावे ₹ 763.05 करोड़
Total Claims Paid ₹ 763.05 Cr. as on 31.03.2023

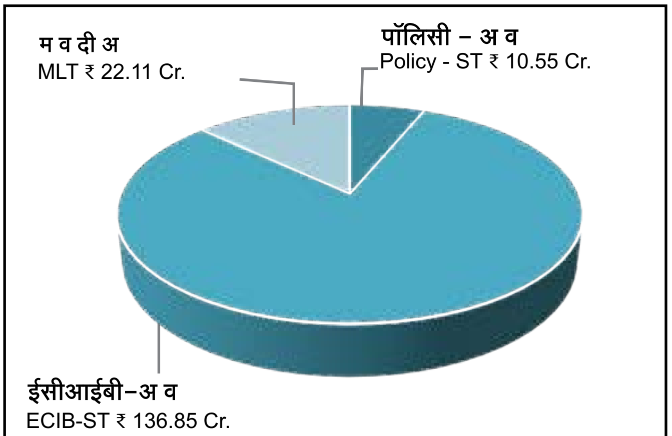

दिनांक 31.03.2023 तक की गयी कुल वसूलियाँ ₹ 169.51 करोड़
Total Recoveries Made ₹ 169.51 Cr. as on 31.03.2023

- ईसीआईबी–अल्पावधि बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा – अल्पावधि / ECIB-ST: Export Credit Insurance for Banks-Short Term
- पॉलिसी–अल्पावधि / Policy-ST: Policy-Short Term
- एम. एल. टी.: मध्यम एवं दीर्घावधि / MLT: Medium and Long Term

अध्यक्षीय संबोधन - 2022-23
CHAIRMAN'S MESSAGE - 2022-23

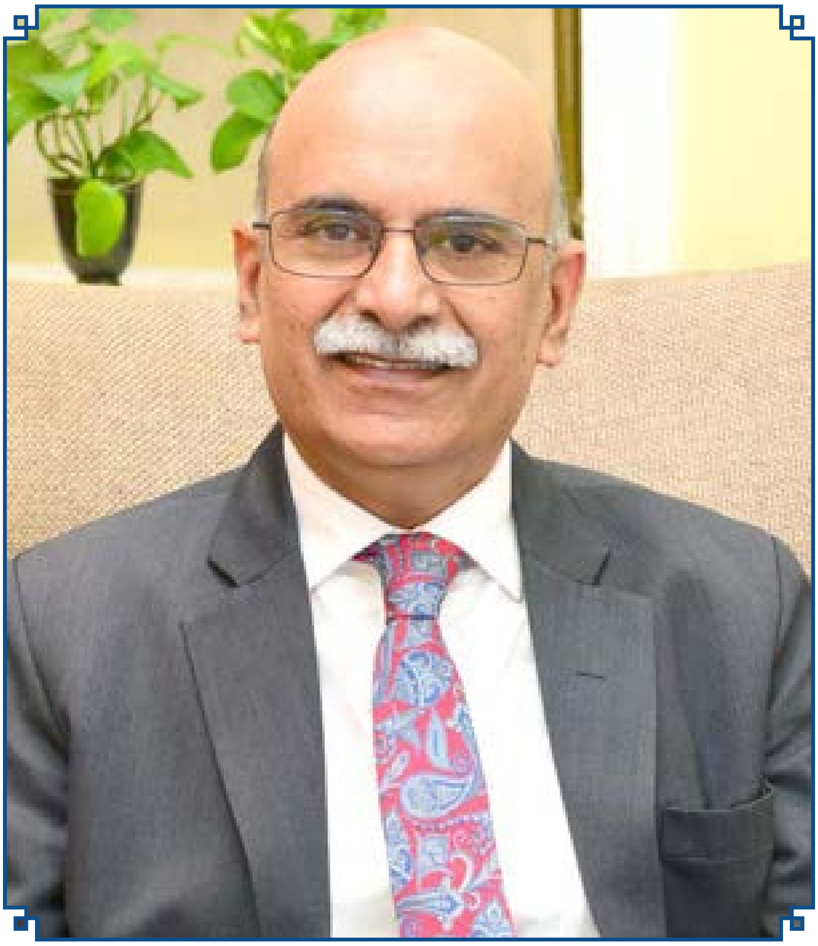

श्री एम. सेंथिलनाथन
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

Shri M. Senthilnathan
Chairman-cum-Managing Director

वैश्विक अर्थव्यवस्था

विगत तीन वर्ष विश्व अर्थव्यवस्था के लिए काफी संघर्षमय साबित हुए। क्रमबद्ध जोखिम यथा कोविड-19 महामारी, भू-राजनीतिक एवं आर्थिक संघर्षों ने कई देशों के आधार को हिलाकर रख दिया। सीमापार निवेश एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तनावपूर्ण रहे। तथापि पुनः निर्मित राजकोषीय एवं मुद्रागत नीतियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति अनुमान के अपेक्षा धीमी रहेगी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) के वर्ड इकनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2023 के पूर्वानुमान के अनुसार, वर्ष 2024 के दौरान 3% की वृद्धि के अर्जन के पूर्व वर्ष 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022 के दौरान 3.4% वृद्धि की तुलना में 2.8% तक की गिरावट का अनुमान है। वर्ष 2023 के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं एवं उभरते हुए बाज़ारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में क्रमशः 1.2 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2023 के दौरान भारत द्वारा 6 प्रतिशत की विकास दर दर्ज करते हुए एशिया की सबसे अधिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का अनुमान है।

Global Economy

The last three years have been testing times for the world economy. Systemic risks such as COVID-19, geo-political and economic conflicts have shaken the financial foundations of many a country. Cross-border Investments and international cooperation appear strained. However, going by the evolving fiscal and monetary policies, it looks as if the world economy is headed for a softer landing than anticipated.

As per the latest forecast by the International Monetary Fund's (IMF) World Economic Outlook April 2023, the growth of global economy is projected to fall from 3.4 percent in 2022 to 2.8 percent in 2023 before settling down at 3 percent in 2024. Advanced Economies and Emerging Market and Developing Economies are envisioned to grow at 1.2 percent and 4 percent respectively in 2023. India is forecast to grow at 6 percent in 2023 and should feature among the most robust economies in Asia.

वर्ष 2023 के दौरान अनुमानित मुद्रास्फीति वर्ष 2022 के दौरान 8.7 प्रतिशत की तुलना में घटकर 7 प्रतिशत रह गयी। इस वर्ष 76 प्रतिशत अर्थव्यवस्थाओं का न्यून मुद्रास्फीति दर्ज करते हुए विस्फीति का सामना करने की संभावना है। यह विश्व भर के केन्द्रीय बैंकों द्वारा राजकोषीय एवं मुद्रा नीतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को कठोर से परिवर्तित कर नरम करने में भी प्रतिबिम्बित हो रहा है। यह अनुमानित मुद्रास्फीति ईंधन एवं गैर ईंधन वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट एवं वैश्विक वित्तीय प्रणाली की आघात अवशोषण क्षमता को दर्शाती है।

विश्व व्यापार

वर्ष 2022 के दौरान, अंतिम तिमाही में आर्थिक गिरावट के कारण आरंभ में किए गए अनुमान की अपेक्षा 2.7 प्रतिशत की न्यून व्यापार मात्रा वृद्धि दर्ज की गयी जो कि वर्ष के आरंभ में बुरे से बुरे परिप्रेक्ष्य हेतु किए गए अनुमान की तुलना में बेहतर रही। वर्ष 2022 के दौरान विश्व विविध वस्तु व्यापार में 25.3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक के 12 प्रतिशत वृद्धि (उच्चतर वस्तु मूल्य के कारण मूल्य स्फीत) दर्ज की गयी। इसी प्रकार विश्व सेवा व्यापार में 6.8 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के साथ वर्ष 2022 में 15% की वृद्धि दर्ज की गयी। इनमें से डिजिटल माध्यम से किए गए सेवा निर्यात 3.82 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के साथ कुल सेवा निर्यातों के 50% रहे।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का अनुमान है कि, विश्व विविध वस्तु व्यापार की मात्रा में वर्ष 2024 में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने के पूर्व वर्ष 2023 में 1.7 % वृद्धि संभावित है। तथापि बढ़ते हुए भू–राजनीतिक संघर्षों, खाद्यान अनिश्चितता एवं कड़ी मुद्रागत नीतियों तथा बढ़ते हुए ऋण स्तरों के कारण इन आंकड़ों में और अधिक गिरावट संभव है।

विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए कई पूर्वानुमानों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में इसमें कुछ सुधार संभव हैं। इस अवस्था में वैश्विक गतिशीलता अपना प्रभाव दिखा सकती है। वित्तीय प्रणालियाँ एवं सरकारें, निर्यातक एवं आयातकों द्वारा अपनी आवश्यकताओं को एकीकृत करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार किए जाने के उपाय किए जाने आवश्यक हैं। इस प्रकार के उपाए आगामी दशक के लिए नवीन कारोबार चक्र को आरंभ करने में सहायक साबित होंगे जिससे अर्थव्यवस्थाएँ और अधिक मजबूत हो कर उभरेंगी।

विश्व भर की निर्यात ऋण एजेंसियों का निष्पादन

सार्वजनिक ई सी ए एवं निजी बीमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली ऋण एवं निवेश बीमाकर्ताओं का अंतर्राष्ट्रीय संघ (बर्न यूनियन – बी यू) के अनुसार निर्यात ऋण बीमा उद्योग द्वारा निर्यातकों को समर्थन देने हेतु

The projected inflation is expected to decline from 8.7 percent in 2022 to 7 percent in 2023. 76 percent of the economies are expected to undergo disinflation by recording lower inflation this year. This is also evident from the change in fiscal and monetary stance from hawkish to more dovish across most central banks around the world. The projected inflation is reflective of the declining fuel and non-fuel commodity prices and the shock-absorbing ability of the global financial system.

Global Trade

The Trade volume growth in 2022 was lower than what was initially anticipated at 2.7 percent following the economic slump in the fourth quarter of last year but ended up being still better than the worst-case scenarios envisaged at the start of the year. The world merchandise trade (inflated due to the higher commodity prices) rose by 12 percent to US$ 25.3 trillion in 2022. Similarly, the world services trade increased by 15% in 2022 to US$ 6.8 trillion. Out of these, digitally delivered services exports were recorded at US$ 3.82 trillion coming in at almost 50% of the total services trade.

The World Trade Organization (WTO) estimates that the world merchandise trade volume is projected to grow by 1.7 percent in 2023 before picking up to 3.2 percent in 2024. However, some downside risks to the above forecast exist in the form of geopolitical tensions, food insecurity and further tightening of monetary policies and rising debt levels.

Judging by the numbers forecast by the various organizations, it looks like there may be some delay before we see the light at the end of this tunnel. This is where the qualitative nature of global dynamics comes into play. Financial systems and Governments, exporters, and importers need to pool their resources and devise ways to revitalize the global economy. This could help us usher in a new business cycle for the coming decade helping us emerge stronger than we were before.

Performance of Export Credit Agencies around the world

The information gathered by the International Association of Credit and Investment Insurers (Berne Union – BU) representing both the public ECAs and private insurers depicts that in 2022, the industry supported USD 2.83 trillion of cross-border

वर्ष 2022 के दौरान सीमापारीय वैश्विक व्यापार एवं निवेश में अतिरिक्त 68.6 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश के साथ 2.83 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर (पिछले वर्ष की तुलना में 5%+) की नयी बीमा रक्षा प्रदान की गयी। महामारी के कारण व्यापार गतिविधियों में कमी के पश्चात मध्यम व दीर्घावधिक (एम एल टी) कारोबार में विशेष कर वर्ष 2022 के उत्तरार्ध में मजबूती दर्ज की गयी एवं वे बढ़ कर 130 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गए जो कि वर्ष 2019 के स्तरों से मात्र 5.9% कम रहे। परिवहन एवं विनिर्माण क्षेत्र में परियोजनाओं में विशेष संव्यवहारों के साथ वृद्धि दर में गति आई। इसके अतिरिक्त उद्योगों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में उनके समर्थन के कारण संबन्धित क्षेत्र के संव्यवहारों में भी वृद्धि दर्ज की गयी जो कि वर्ष 2019 के स्तरों की तुलना में दोगुनी है। नए कारोबार में भी वृद्धि दर्ज की गयी मुख्य रूप से यूरोप, पूर्वी एशिया पेसिफिक एवं उत्तरी अमरीका में, जिनकी कुल नए कारोबार में 63% हिस्सेदारी है।

संप्रभु संबंधी एवं कॉर्पोरेट जोखिम में सामान्य वृद्धि वाले कठिन वर्ष के बावजूद वर्ष 2021 के दौरान प्रदत्त 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के दावों की तुलना में घटकर वर्ष 2022 के दौरान 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रदत्त दावे रहे जबकि वसूलियों में 3.2 बिलियन डॉलर की 46% की वृद्धि दर्ज की गयी। महामारी की प्रथम अवस्था में उत्पन्न व्यापक एम एल टी परिवहन दावों की तुलना में इस वर्ष संबन्धित क्षेत्र के दावों में व्यापक गिरावट (-33%) दर्ज की गयी। इस बीच एम ई एन ए एवं उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में क्षतिपूर्ति के वर्धित मामलों के साथ एम एल टी मूलभूत संरचना दावे उच्च स्तर पर ही रहे। अल्पावधि कारोबार में सी आई एस क्षेत्र एवं दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के अलावा दावों में गिरावट दर्ज की गयी जबकि यूक्रेन में पी आर आई दावों में वृद्धि दर्ज की गयी।

भारत : अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.1 % की वृद्धि दर्ज की गयी जब विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट दर्ज की गयी। वार्षिक राजकोषीय वृद्धि दर 7.2% रही जो कि आंतरिक एवं बाहरी मांग एवं आपूर्ति के समन्वय के जरिये अपनी आर्थिक प्रणाली को बनाए रखने में देश की क्षमता को दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था में 6% की वृद्धि अपेक्षित है। वृद्धि, निवेश के परिणाम स्वरूप उत्पन्न रोजगार अवसरों, मांग एवं आपूर्ति में वृद्धि के अनुकूल चक्र पर आधारित होगी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत के विविध वस्तु निर्यातों में लगातार दूसरे वर्ष वृद्धि दर्ज की गयी जो कि 400 बिलियन अमेरिकी

trade and investment (+5% over the previous year) with an additional USD 68.6 billion in non-cross-border support for exporters. Following subdued activity in the wake of the pandemic, MLT business returned to strength, particularly in the second half of 2022, reaching over USD 130 billion for the year – just 5.9% below 2019 levels. Growth has been supported by the return of significant transactions in the Transportation sector and Manufacturing sector projects. Additionally, Renewable Energy transactions continue to increase and are close to doubling 2019 levels in this key sector. Meanwhile, as the industry supports growth new commitments for Natural Resources continue to decline now at just 33% of their 2019 levels. Growth in new business was seen especially in Europe, East Asia Pacific and North America which together accounted for 63% of total new business.

Despite another difficult year in terms of a general rise in sovereign and corporate risk, overall claims paid fell to USD 7.6 billion in 2022 from USD 9 billion in 2021 while recoveries increased by 46% to USD 3.2 billion. This follows a notable drop in MLT transportation claims (-33%) which had spiked in the first stages of the pandemic. MLT infrastructure claims, meanwhile remain at a heightened level, with increased indemnifications in the MENA and Sub-Saharan Africa regions. The short-term business saw a further decline in claims in all regions except for the CIS region and South Asia, while PRI claims saw an uptick in Ukraine.

India: Economy & International Trade

The Indian economy grew by 6.1% in the fourth quarter of the FY 2022-23 at a time when the world economies saw a slump in their numbers. The annual fiscal growth rate came in at 7.2% highlighting the country's ability to sustain its economic system through a mix of internal and external demand and supply.

The economy is expected to grow by about 6% in FY 2023-24. Growth is likely to piggyback on investments kickstarting the positive cycle of the creation of job opportunities, spurring demand and supply.

During FY 2022-23, India's merchandise exports soared to a record high of US$ 450.95 billion crossing US$400 billion for the second consecutive

डॉलर को पार करते हुए 450 अमेरिकी डॉलर पर पहुंचे। यह वैश्विक कारोबार परिदृश्य में भारतीय निर्यातों की उपयोगिता एवं विश्वसनीयता को दर्शाता है। सेवा निर्यात 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रतिबंध को पार करते हुए 322.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंचे। भारत की निर्यात वृद्धि विभिन्न हितधारकों की आधारभूत उत्पादकता एवं प्रभावशीलता को दर्शाती है। सरकार द्वारा विस्तार के उद्देश्य से आगामी वर्षों के लिए बनाई गयी नीतियाँ मुख्य रूप से मूलभूत संरचना वाले क्षेत्रों के लिए, निर्यातों के लिए स्थापित नए मानदंडों को जारी रखने में सहायक साबित होंगी।

कंपनी का निष्पादन

देश का प्रमुख ईसीए होने के कारण, ईसीजीसी देश से किए जाने वाले विदेश व्यापार के संवर्धक की अपनी भूमिका में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी द्वारा कई पहलुओं में उत्कृष्ट परिणाम दर्ज किए गए है। पिछले वर्ष 1106.62 करोड़ रु की सकल प्रीमियम आय (जी पी आई) तुलना में इस वर्ष 8% की वृद्धि दर्ज करते हुए 1197.53 करोड़ रु पर पहुंची।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कंपनी द्वारा समर्थित निर्यातों का मूल्य पिछले वर्ष 6.19 लाख करोड़ रु की तुलना में बढ़ कर 6.64 लाख करोड़ रु हुआ। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समग्र रूप से भारत के विविध वस्तु व्यापार के 18% व्यापार कंपनी द्वारा समर्थित रहे एवं निर्यातकों को जारी रक्षाओं के अधीन समर्थित कारोबार पिछले वर्ष के 2.70 लाख करोड़ रु की तुलना में 19% बढ़ कर 3.21 लाख करोड़ रु हुआ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी द्वारा कुल 763.05 करोड़ रु के दावों की अदायगी की गयी। अल्पावधि रक्षाओं के अधीन निर्यातकों को कुल 192.42 करोड़ रु के दावों की अदायगी की गयी जबकि बैंकों को कुल 415.70 करोड़ रु के दावों की अदायगी की गयी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मध्यम व दीर्घावधिक रक्षाओं के अधीन कुल 156.93 करोड़ रु के दावों की अदायगी की गयी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के निष्पादन में सुधार हुआ एवं इसके द्वारा निर्यातकों से प्राप्त कुल 524 दावों में से 334 दावों की अदायगी की गयी जो कि निर्यातकों से प्राप्त दावों की कुल संख्या के 64% दावों की अदायगी को दर्शाता है।

दिनांक 31 मार्च 2023 तक कंपनी का दावा प्रावधान 5929 करोड़ रु रहा। कंपनी द्वारा पिछले वर्ष अर्जित 1161 करोड़ रु के कर पूर्व लाभ की तुलना में इस वर्ष कुल 2761 करोड़ रु का लाभ अर्जित किया गया। वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ पिछले वर्ष 875 करोड़ रु की तुलना में 147% की वृद्धि को को दर्शाते हुए , 2761 करोड़ रु रहा। दिनांक 31 मार्च 2023

year. This shows the utility and reliability of Indian exports as perceived by the global business landscape. Services exports clocked in at US$322.72 billion breaking the barrier of US$ 300 billion. India's export growth is a reflection of the hard work done by various stakeholders to increase its baseline productivity and efficiency. The Government's policies are also aimed at capacity expansion in the coming years, especially in the infrastructure sector and it could help us sustain the new benchmarks achieved in exports.

Company's Performance

As the premier Export Credit Agency (ECA) of the nation, ECGC is committed to excel in its role of promoting outbound trade from the country. The Company recorded excellent results in many aspects. The achievement in terms of Gross Premium Income (GPI) at Rs.1197.53 crore compared to Rs. 1106.62 crore in the previous year reflects a growth of 8% in GPI.

In the FY 2022-23, the value of exports supported by the Company increased to Rs.6.64 lakh crore from Rs. 6.19 lakh crore. Overall, the Company supported around 18% of India's merchandise exports during FY 2022-23. The business supported under covers issued to exporters, increased by more than 19% to Rs. 3.21 lakh crore compared to Rs. 2.70 lakh crore supported during the previous year.

The total claims paid by the Company during the FY 2022-23 amounted to Rs.763.05 crore. Under the short term covers claims amounting to Rs.190.42 crore were paid to exporters, while claims amounting to Rs. 415.70 crore were paid to banks. Claims amounting to Rs.156.93 were paid under Medium- & Long-Term Covers. During FY 2022-23 the Company paid 334 claims out of the 524 claims received from the exporters, indicating a 64% pay out in terms of the number of claims received from exporters.

The Company's claim provision as of 31st March 2023 was Rs.5,929 crore. The Company has achieved a profit before tax of Rs.2761 crore compared to Rs.1161 crore in the previous year. The net profit for the year stood at Rs.2164 crore reflecting an increase of 147% from the previous year level of Rs.875 crore. The Net worth (NW) of the Company as of 31st March, 2023 was Rs.10,117

तक कंपनी की शुद्ध मालियत (शु मा) , दिनांक 31 मार्च 2022 तक कुल 7,841 करोड़ रु की तुलना में 10,117 करोड़ रु रही।

राजभाषा

कंपनी को अपनी सभी शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय में राजभाषा नीति के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए लगातार सम्मानित किया जाता रहा है। वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी को गृहमंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा कीर्ति के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रदान किया गया।

कंपनी की दक्षिण क्षेत्र में स्थित शाखाओं का राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय उपलब्धियां रही हैं। एक ओर गृहमंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण) द्वारा कंपनी सेलम शाखा कार्यालय को द्वितीय एवं विशाखापट्टनम शाखा को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रधान कार्यालय सहित बैंगलूरु , हैदराबाद पानीपत, नोएडा, आगरा एवं फरीदाबाद शाखाओं को संबन्धित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु सम्मानित किया गया है।

अन्य उपलब्धियां

कंपनी द्वारा वर्ष के उत्तरार्ध में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन बैठकों के जरिये ग्राहक जागरूकता पहलों को जारी रखा गया। सितंबर 2022 के दौरान कंपनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आई सी) योजना के घटक (सी बी एफ टी ई) के अधीन पहली बार एम एस ई निर्यातकों की क्षमता निर्माण योजना के अधीन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अपने उत्पादों के प्रचार के लिए सूक्ष्म व लघु उपक्रम (एम एस ई) को समर्थ बनाने हेतु एम एस एम ई मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (स ज्ञा) पर हस्ताक्षर किए गए। कंपनी को योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया। इस योजना के अधीन एम एस एम ई मंत्रालय द्वारा एम एस ई निर्यातकों को योजना के अनुपालन के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान वापसी योग्य 10,000/– (दस हज़ार रु) के अधिकतम प्रीमियम निर्धारित किया गया। सी बी एफ टी ई योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र के एम एस ई निर्यातकों को प्रोत्साहित करना है।

मार्च 2023 में सरकार द्वारा कंपनी को मुंबई में जी 20 व्यापार वित्तीय सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने हेतु मुख्य एजेंसी के रूप में नामित किया गया जिसमें जी 20 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

crore as against Rs. 7,841 crore as of 31st March, 2022.

Official Language

The Company continues to receive accolade for effective implementation of the Official Language Policy by all the Branch offices, Regional offices and the Head office. For the year 2021-22 the Company was awarded the Rajbhasha Kirti (First Prize) by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India. The award was presented by the Hon'ble Minister of Home Affairs, Shri Amit Shah.

The Company's branches located in Southern Region, have made remarkable progress in the implementation of official language policy. Regional Implementation Office (Southern Region) has awarded second prize to the Company's Salem Branch and consolation prize to Vishakhapatnam Branch.

Bengaluru, Hyderabad, Panipat, Noida, Agra and Faridabad branches and Head Office have also been awarded by the respective Town Official Language Implementation Committees for the excellent implementation of official language policy.

Other Achievements

The Company continued its customer awareness initiatives through online and offline meetings during the year. During September 2022, the Company signed an MOU with the Ministry of MSME to enable the Micro and Small Enterprises (MSE) to promote their products in the international markets under the 'Capacity Building of First Time MSE Exporters' (CBFTE) Component of the International Cooperation (IC) Scheme. The Company has been appointed as the implementing agency for the scheme. Under this scheme, maximum premium amount of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand Only) is reimbursable to the MSE exporters by the Ministry of MSME in a financial year, subject to compliances of the scheme. The CBFTE scheme intends to give boost to the MSE exporters engaged in the manufacturing sector.

In March 2023, the Company was also appointed by the Govt of India as one of the anchoring agencies for conducting the 'International Conference on G20 Trade Finance Cooperation' in Mumbai, which was attended by delegates from the G20 countries.

कंपनी द्वारा सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा प्रतिपादित स्वास्थ्य एवं आहार की वार्षिक थीम के आधार पर कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर) संबंधी गतिविधियां आयोजित की गयी। तदनुसार देश भर के कई क्षेत्रों में इस थीम के आधार पर सी एस आर प्रस्ताव समर्थित किए गए।

कंपनी सर्वोत्तम कंपनी शासन प्रथाओं का पालन करती है एवं उसे कंपनी शासन पर सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी पी ई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उत्कृष्ट की श्रेणी में रखा गया है। प्रभावपूर्ण सेवाएँ प्रदान करने की प्रथा को जारी रखते हुए कंपनी अपने परिचालनों में निष्पक्षता,पारदर्शिता एवं जवाबदेहीता हेतु निरंतर तत्पर है।

एफ आई ई ओ द्वारा ऋण बीमा के जरिये निर्यातों को प्रोत्साहित करने में ईसीजीसी की सहभागिता के लिए उसे ''निर्यात बंधु गोल्ड अवार्ड'' से सम्मानित किया गया। कंपनी का उसकी उत्कृष्ट कारोबार प्रथाओं (सी एफ बी पी) के लिए परिषद द्वारा मूल्यांकन किया गया एवं उसे सेवा उपक्रम - बड़े श्रेणी के अधीन वर्ष 2022-23 के लिए जमनालाल बजाज उचित व्यवहार पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अभिस्वीकृतियाँ

कंपनी बोर्ड में शामिल सभी निदेशकों के योगदान के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान श्री पलणियप्पन मुथु, स्वतंत्र निदेशक के रूप में निदेशक मण्डल में शामिल किए गए। मैं कर्मियों के उत्कृष्ट योगदान के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता हूं जो कि कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के मुख्य कारणों में एक है। मुझे विश्वास है कि कर्मियों की प्रतिबद्धता एवं शानदार टीम वर्क के माध्यम से कंपनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा जारी रखेगी।

जय हिन्द।

एम. सेंथिलनाथन
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

The Company has aligned its 'Corporate Social Responsibility' activities with the annual theme of 'Health and Nutrition' propounded by Department of Public Enterprise. Accordingly, the CSR proposals are supported on this theme in many regions across the country.

The Company adheres to the best Corporate Governance practices and has been rated as 'Excellent' as per the DPE guideline on Corporate Governance. The Company has put in place systems to keep a check and comply with relevant statutory and regulatory norms as required.

FIEO conferred the 'Niryat Bandhu Gold Award' to ECGC for its contribution towards facilitation of exports through credit insurance. The Company was also assessed by the Council for Fair Business Practices (CFBP) and conferred the CFBP Jamnalal Bajaj Uchit Vyavahar Puraskar for 2022-23 under category 'Service Enterprise – Large'.

Acknowledgements

The Company places on record its appreciation for the contribution of all the Directors on the Board. Shri Palaniappan Muthu joined as an Independent Director on the Board of the Company during the current financial year. I place on record my appreciation for the excellent contribution from the employees which is one of the strong reasons for the robust performance of the Company. I am sure the commitment of the employees and stellar team work will enable the Company to continued excellence in customer service.

Jai Hind.

M. Senthilnathan
Chairman-cum-Managing Director

दिनांक 5 मार्च 2023 को माननीय श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री; और कपड़ा मंत्री द्वारा ईसीजीसी भवन का उद्घाटन किया गया

Inauguration of ECGC Bhawan by Shri Piyush Goyal, Hon'ble Union Minister of Commerce and Industry; Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution; and Minister of Textiles on March 5, 2023

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 433.80 करोड़ रुपये का लाभांश चेक श्री एम. सेंथिलनाथन, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और श्री सुनील जोशी, कार्यपालक निदेशक द्वारा माननीय श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री; और कपड़ा मंत्री को प्रदान किया गया

Dividend cheque of Rs. 433.80 crore for FY 2022-23 was handed over to Shri Piyush Goyal, Hon'ble Union Minister of Commerce and Industry; Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution; and Minister of Textiles by Shri M. Senthilnathan, Chairman-cum-Managing Director and Shri Sunil Joshi, Executive Director

ईसीजीसी प्रतिनिधिमंडल ने 8–12 मई, 2022 के दौरान इस्तांबुल में बर्न यूनियन (बीयू) स्प्रिंग मीटिंग में भाग लिया
ECGC delegation participated in the Berne Union (BU) Spring Meeting in Istanbul during May 8-12, 2022

दिनांक 13 जुलाई 2022 को ईसीजीसी एवं एतिहाद क्रेडिट इंश्योरेंस (ईसीआई) के मध्य द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न
Bilateral meeting between ECGC and Etihad Credit Insurance (ECI) held on July 13, 2022

दिनांक 26 सितंबर 2022 को ईसीजीसी और एक्सपोर्ट फाइनेंस ऑस्ट्रेलिया (ईएफए) के बीच द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न
Bilateral meeting between ECGC and Export Finance Australia (EFA) held on September 26, 2022

दिनांक 16 जनवरी 2023 को ईसीजीसी और नेक्सी, जापान के बीच द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न
Bilateral Meeting between ECGC and NEXI, Japan held on January 16, 2023

ईसीजीसी को दिनांक 28 मार्च 2023 को मुंबई में 'G20 व्यापार वित्त सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' आयोजित करने के लिए एंकरिंग एजेंसियों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया

ECGC was appointed as one of the anchoring agencies for conducting the 'International Conference on G20 Trade Finance Cooperation' in Mumbai held on March 28, 2023

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ईसीजीसी को इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम के कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फ़र्स्ट टाइम एमएसई एक्स्पोर्टर्स (सीबीएफटीई) कम्पोनेंट के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप मे नियुक्त किया गया, एमएसएमई मंत्रालय एवं ईसीजीसी के बीच समझौता ज्ञापन पर 20.09.2022 को हस्ताक्षर किए गए

ECGC appointed as the Nodal Agency by the Ministry of MSME for implementing Capacity Building of First Time MSE Exporters (CBFTE) component of the International Cooperation (IC) Scheme, MoU signed between Ministry of MSME & ECGC on 20.09.2022

निदेशकों की रेपोर्ट

DIRECTORS' REPORT

प्रिय सदस्यों,

ईसीजीसी लिमिटेड (ईसीजीसी) के निदेशक सहर्ष, 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ, कंपनी की 65वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय विशेषताएँ

समीक्षाधीन अवधि के लिए आपकी कंपनी की वित्तीय विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
पण्यावर्त (सकल प्रीमियम)	1197.53	1106.62
वित्तीय शुल्क, कर, मूल्यह्रास / परिशोधन से पूर्व लाभ(पीबीआईटीडीए)	2770.49	1167.56
घटाएं : वित्तीय शुल्क	-	-
मूल्यह्रास / परिशोधन से पूर्व लाभ (पीबीटीडीए)	2770.49	1167.56
घटाएं : मूल्यह्रास	9.32	6.70
कराधान से पूर्व निवल लाभ (पीबीटी)	2761.17	1160.86
कराधान हेतु प्रावधान	596.92	285.70
कराधान के पश्चात लाभ/(हानि) (पीएटी)	2164.25	875.16

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष के ₹687.20 करोड़ की तुलना में कम्पनी द्वारा कुल 763.05 करोड़ के दावों की अदायगी की गई। पुनर्बीमा के अंश, वसूलियाँ एवं प्रावधानों के समायोजन के उपरांत वहन किए गए दावों में, पिछले वर्ष के दौरान ₹546.19 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में घटकर (-) ₹702.92 करोड़ हो गए। निवेश एवं अन्य आय, पिछले वित्तीय वर्ष के ₹1090.80 करोड़ की तुलना में बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 3.95% की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए ₹1133.85 करोड़ रहे।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी द्वारा पिछले वर्ष के दौरान ₹1106.62 करोड़ की तुलना में कंपनी ने 8.22 % की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹1197.53 करोड़ का सकल प्रीमियम का अर्जन किया गया। पुनर्बीमा अर्पण तथा असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों के समायोजन के उपरांत वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) के आंकड़े गत वर्ष के ₹882.16 करोड़ की तुलना में 6.66% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹940.95 करोड़ रहे ।

Dear Members,

The Directors of ECGC Limited (ECGC) are pleased to present the 65[th] Annual Report of the Company, together with the audited financial statements, for the Financial Year (FY) ended on March 31, 2023.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Your Company's financial highlights for the period under review are given below:

(₹ In crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Turnover (Gross Premium)	1197.53	1106.62
Profit Before Finance Charges, Tax, Depreciation/ Amortization (PBITDA)	2770.49	1167.56
Less : Finance Charges	-	-
Profit before Depreciation/ Amortization (PBTDA)	2770.49	1167.56
Less : Depreciation	9.32	6.70
Net Profit Before Taxation (PBT)	2761.17	1160.86
Provision for Taxation	596.92	285.70
Profit/(Loss) After Taxation (PAT)	2164.25	875.16

During the FY 2022-23, the total amount of claims paid by the Company was ₹763.05 crore against ₹687.20 crore in the previous FY. After adjusting for reinsurers share, recoveries and provisions, the incurred claim decreased for the FY 2022-23 to (-) ₹702.92 crore against ₹546.19 crore for the previous FY. Investment and other income have increased to ₹1133.85 crore in FY 2022-23 from ₹1090.80 crore in the previous FY reflecting a growth of 3.95%.

The Gross Premium earned by the Company during the FY 2022-23 was ₹1197.53 crore against ₹1106.62 crore during the previous FY registering a growth of 8.22%. Post adjustment of Reinsurance Cession and Reserve for un-expired risks, the premium earned (Net) for the FY 2022-23, increased to ₹940.95 crore, against ₹882.16 crore for the previous FY registering a growth of 6.66%.

लाभ तथा विनियोजन

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान परिचालनों से कुल आय पिछले वित्तीय वर्ष के ₹1484.98 करोड़ की तुलना में कुल ₹1509.93 करोड़ रही । वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी द्वारा पिछले वर्ष के ₹684.88 करोड़ की तुलना में, ₹2207.40 करोड़ का लाभ दर्ज किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पिछले वर्ष के ₹1160.86 करोड़ के कर पूर्व लाभ की तुलना में ₹2761.17 करोड़ का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) रहा । वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 596.92 करोड़ रु के आय कर तथा पूर्व अवधि समायोजन के प्रावधान करने के उपरांत विनियोजन के लिए उपलब्ध करोत्तर लाभ (पीएटी) पिछले वित्तीय वर्ष के ₹875.16 करोड़ की तुलना में ₹2164.25 करोड़ रु रहा।

लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा सहर्ष प्रत्येक ₹100 के 43,38,00,000 इक्विटी शेयरों पर ₹10 प्रति इक्विटी शेयर के पूर्ण एवं अंतिम लाभांश के रूप में ₹433.80 करोड़ की राशि की सिफारिश की जाती है। ₹433.80 करोड़ रु की कुल लाभांश राशि ₹2164.25 करोड़ के पीएटी के 20.04% के चुकता अनुपात को दर्शाती है।

प्रारक्षित निधियाँ

दिनांक 4 मई 2023 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की 442 वीं बैठक में ₹1730.45 करोड़ रु की राशि को सामान्य प्रारक्षित निधि में स्थानांतरित करना प्रस्तावित किया गया

अदावी लाभांश को निवेशक शिक्षण व संरक्षण निधि में अंतिरित करना

चूंकि पिछले वर्ष कोई अदत्त/अदावी लाभांश घोषित व अदा नहीं किया गया, अतः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

खंडवार सकल प्रीमियम प्राप्ति (₹ करोड़ में)
Segment-wise Gross Premium Received (₹ in Crore)

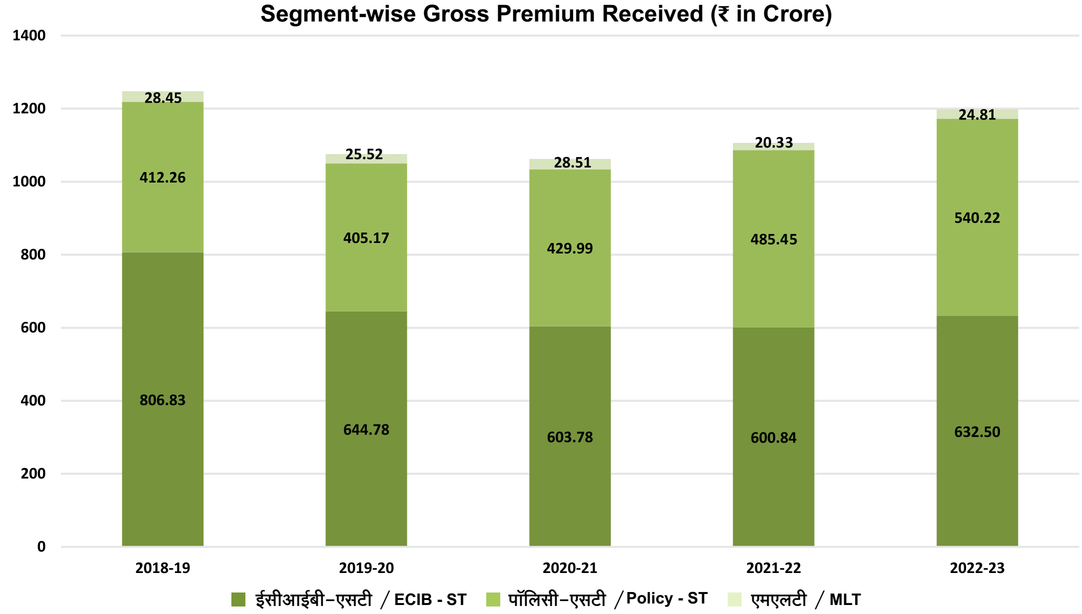

ईसीआईबी: बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा; एमएलटी: मध्यम एवं अल्पावधि; एसटी: अल्पावधि
ECIB: Export Credit Insurance for banks; MLT: Medium and Long Term; ST: Short Term

PROFITS AND APPROPRIATIONS

During the FY 2022-23, total income from operations was ₹1509.93 crore against ₹1484.98 crore the previous FY. During the FY 2022-23, the Company posted an Operating Profit of ₹2207.40 crore against ₹684.88 crore in the previous FY. During the FY 2022-23, Profit Before Tax (PBT) was ₹2761.17 crore, against ₹1160.86 crore in the previous FY. After providing ₹596.92 crore towards income tax and prior period adjustments, Profit After Tax (PAT) available for appropriation in the FY 2022-23 was ₹2164.25 crore, against ₹875.16 crore in the previous FY.

DIVIDEND

The Board of Directors are pleased to recommend a full and final dividend of ₹10 per Equity Share on the 43,38,00,000 Equity Shares of ₹100 each, amounting to ₹433.80 crore. The total dividend amounts to ₹433.80 crore representing a pay-out ratio of 20.04% of the PAT of ₹2164.25 crore.

RESERVES

The Board, at its 442nd Meeting, held on May 4, 2023, proposed to transfer ₹1730.45 crore to General Reserve.

TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Since there was no unpaid/unclaimed Dividend declared and paid last year, the provisions of Section 125 of the Companies Act, 2013 do not apply.

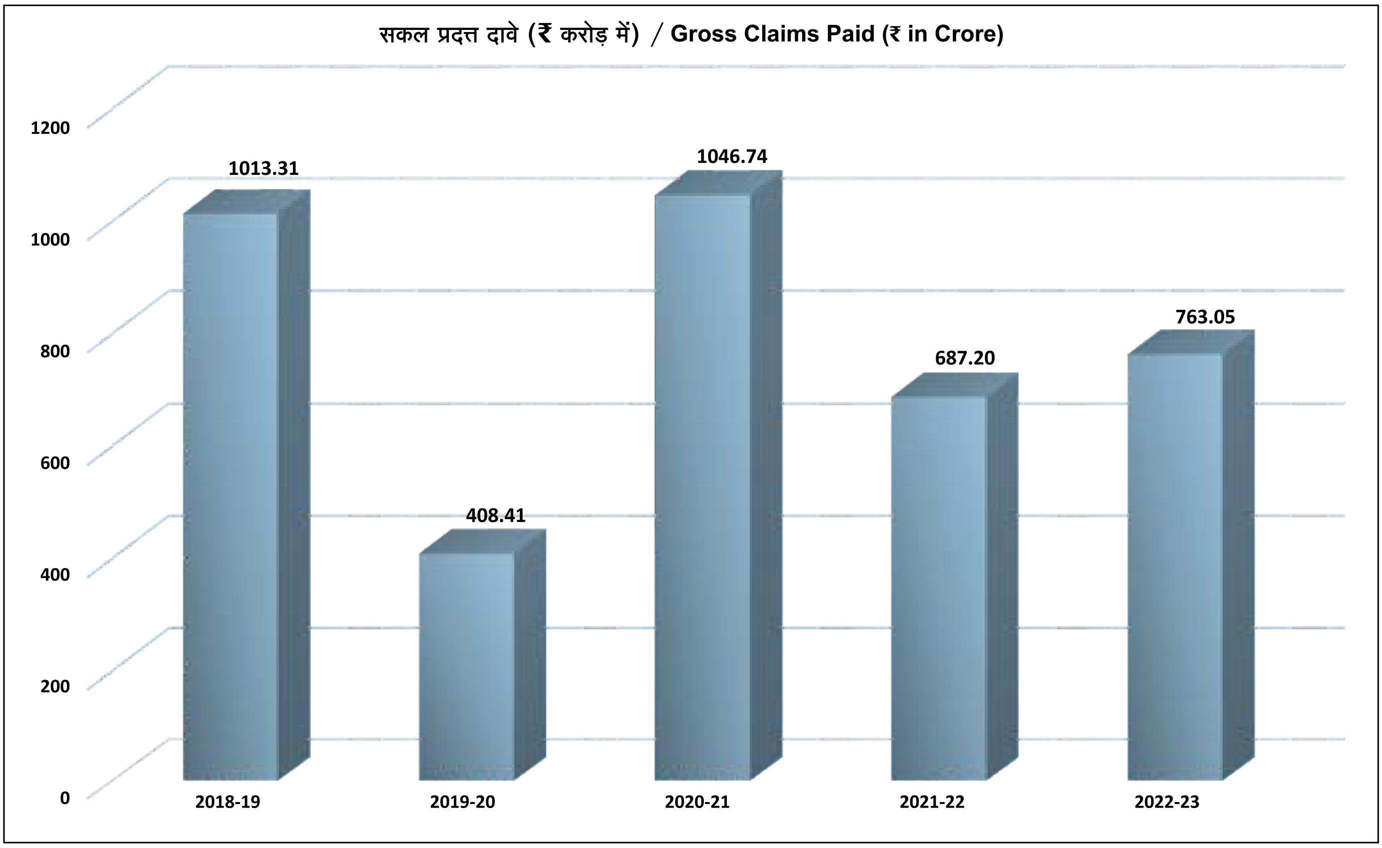

शेयर पूंजी

31 मार्च 2023 तक कंपनी का निवल मालियत ₹10116.64 करोड़ (31 मार्च 2022 को ₹7840.88 करोड़) रही, जिसमें 4338 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजी में नवीनतम वृद्धि द्वारा केंद्र सरकार से प्राप्त ₹388 करोड़ की राशि सहित) की चुकता पूंजी व ₹5778.64 करोड़ की प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष शामिल हैं।

प्रतिभूतियों की पुनः खरीद

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपनी किसी भी प्रतिभूति की पुनः खरीद नहीं की गयी है।

उद्यम इक्विटी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी प्रकार की स्वेट इक्विटी शेयर जारी नहीं किए गए।

बोनस शेयर

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए गए।

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना

कंपनी द्वारा कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प योजना प्रदान नहीं की गयी है।

SHARE CAPITAL

As of March 31, 2023, the Company's Net Worth was ₹10116.64 crore (₹7840.88 crore as on March 31, 2022), comprising Paid-up Share Capital of ₹4338 crore (including ₹388 crore received from the Central Government by way of fresh infusion of capital during FY 2022-23) and Reserves and Surplus of ₹5778.64 crore.

BUY BACK OF SECURITIES

The Company has not bought back any of its securities during the year under review.

SWEAT EQUITY

The Company has not issued any Sweat Equity Shares during the year under review.

BONUS SHARES

No Bonus Shares were issued during the year under review.

EMPLOYEES STOCK OPTION PLAN

The Company has not provided any Stock Option Scheme to the employees.

कंपनी के बहिर्नियम

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी की अधिकृत पूंजी को ₹5,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ करने के साथ कंपनी के बहिर्नियम को संशोधित किया गया।

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

During the Financial Year 2022-23, Memorandum of Association of the Company was altered with the increased Authorised Capital of the Company from ₹5,000 crore to ₹10,000 crore.

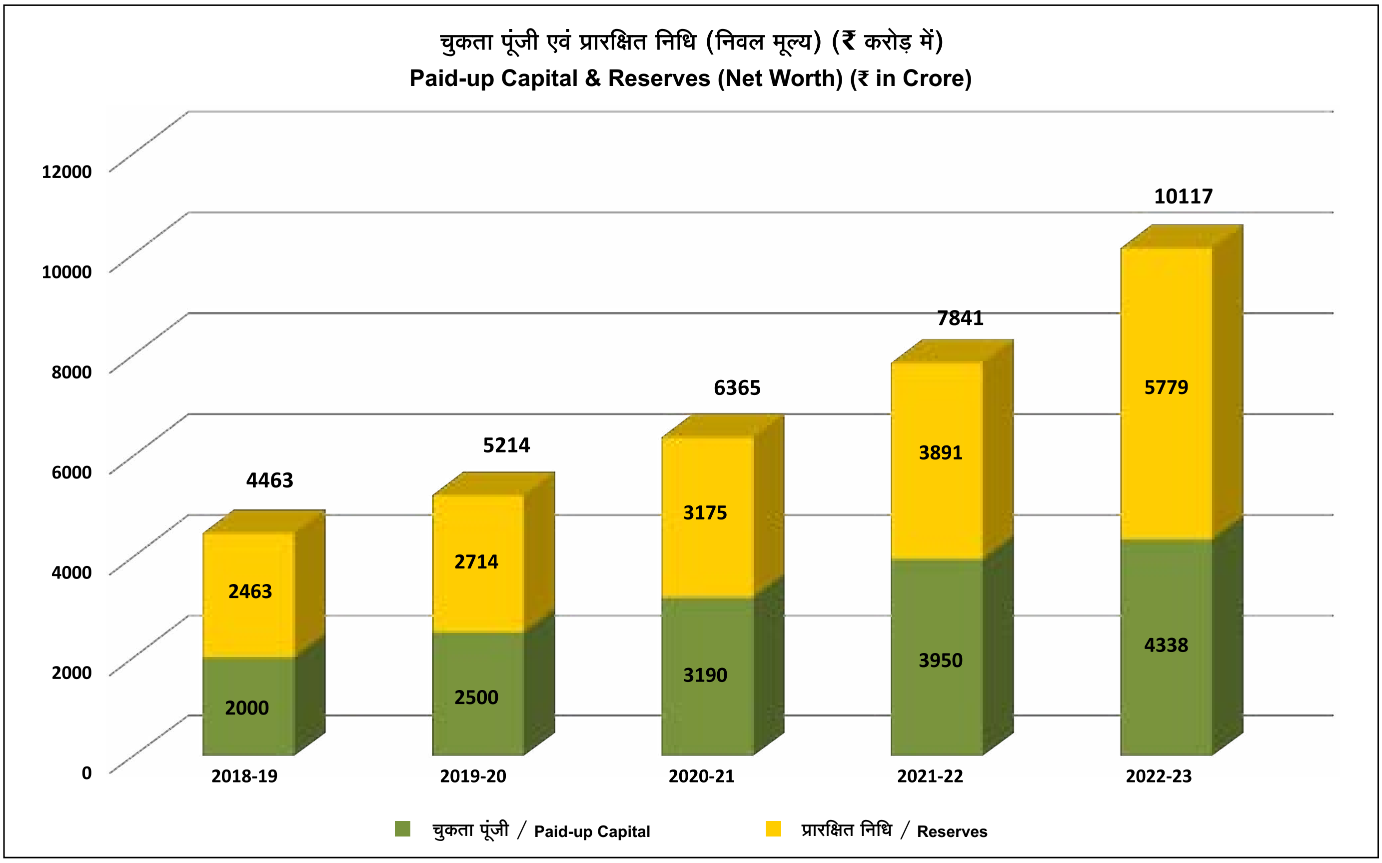

शोधनक्षमता मार्जिन

31 मार्च, 2023 को शोधक्षमता अनुपात, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्रधिकरण (आईआरडीएआई) के 1.5 गुना के मानदंड की तुलना में 47.93 गुना रहा जिसका विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	2022-23	2021-22
विनियमन के अंतर्गत अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन (आर.एस.एम.) (करोड़ में)	195.98	238.91
उपलब्ध शोधक्षमता मार्जिन (ए.एस.एम.) (करोड़ में)	9394.14	7178.75
शोधक्षमता अनुपात(कुल ए.एस.एम. / आर.एस.एम.) (गुना)	47.93	30.05

SOLVENCY MARGIN

The Solvency Ratio as on March 31, 2023, is 47.93 against the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) norm of 1.5. The details are as under:

Particulars	2022-23	2021-22
Required Solvency Margin (RSM) under Regulations (₹ in crore)	195.98	238.91
Available Solvency Margin (ASM) (₹ in crore)	9394.14	7178.75
Solvency Ratio (Total ASM / RSM)	47.93	30.05

अधिकतम देयता

कंपनी की अधिकतम देयता (अ.दे.) वह देयता होती है जिसके अंतर्गत किसी कम्पनी द्वारा , भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अनुसार किसी भी समय कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 72(ख) के अंतर्गत , बीमांकन किया जा सकता है , को भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं के–11015/2/2021–ई एंड एमडीए–डीओसी दिनांक 9 मार्च, 2022 के जरिये 31 मार्च 2023 तक कम्पनी की अधिकतम देयता को ₹1,00,000 करोड़ से बढ़ा कर ₹1,50,000 कर दिया गया है। दिनांक 31 मार्च 2023 को अधिकतम देयता ₹1,14,777.12 करोड़ रही।

नये उत्पाद का प्रारम्भ

वित्त वर्ष 2022–23 में, कम्पनी द्वारा किसी भी प्रकार का नया उत्पाद लागू नहीं किया गया ।

निवेश

कंपनी के निवेश आईआरडीएआई के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं ।

प्रबंधन व्यय

प्रासंगिक नियमों के साथ पढे जाने वाले बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी के प्रावधानों के अनुसार,वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सकल प्रीमियम आय के प्रतिशत के रूप में कंपनी द्वारा किए गए प्रबंधन व्यय आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित 29.07% के मानदंड की तुलना में 28.75% (पिछले वित्त वर्ष 27.74%) रहा।

(₹ करोड़ में)

विविध समूह / कॉर्पोरेट			
भारत में बीमांकित किए जाने वाले सकल प्रीमियम का अंश	प्रीमियम	प्रीमियम का %	स्वीकृत व्यय
प्रथम	200.00	35.00%	70.00
अगला	150.00	30.00%	45.00
शेष	847.53	27.50%	233.07
भारत में कुल बीमांकित प्रीमियम	1197.53		348.07
स्वीकृत व्यय का %			29.07

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एनईआईए)

भारत सरकार (भा स) द्वारा राष्ट्रीय हित को दृष्टि में रख कर मध्यम एवं दीर्घावधि (एमएल टी) व उच्च मूल्य की परियोजनाओं के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एन ई आई ए ट्रस्ट की स्थापना की गई है। 31.03.2023 तक ट्रस्ट द्वारा प्राप्त कुल सहायता अनुदान ₹4,741 करोड़ रहा। ट्रस्ट द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान एनईआईए ट्रस्ट

MAXIMUM LIABILITY

The Maximum Liability (ML) that the Company can underwrite at any point of time, as approved by the Government of India under Article 72(b) of the Articles of Association of the Company, has been enhanced from ₹1,00,000 crore to ₹1,50,000 crore by the Government of India vide OM No. K-11015/2/2021-E&MDA-DoC dated 09th March, 2022. The ML as of March 31, 2023 was ₹1,14,777.12 crore.

INTRODUCTION OF NEW PRODUCTS

In the FY 2022-23, no new product was introduced by the Company.

INVESTMENT

The investments of the Company are in conformity with the guidelines of the IRDAI.

MANAGEMENT EXPENSES

As per the Provisions under Section 40C of the Insurance Act, 1938, read with the relevant Rules, the management expenses incurred by the Company, as a percentage of the Gross Premium Income during the FY 2022-23 stood at 28.75% (previous FY 27.74%) against the IRDAI norm of 29.07%.

(₹ In crore)

Miscellaneous Group / Corporate			
Part of the total Gross Premium of the insurer written in India	Premium	Percentage of Premium	Allowable Expenses
First	200.00	35.00%	70.00
Next	150.00	30.00%	45.00
The Balance	847.53	27.50%	233.07
Total Written Premium in India	1197.53		348.07
% of Allowable Expenses			29.07

NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT TRUST (NEIA)

The NEIA Trust has been established by the Government of India (GOI) with the objective of ensuring availability of credit risk cover for Medium and Long-Term exports (MLT) / project exports which are desirable from the point of view of national interest. The total grant-in-aid received by the Trust as of 31.03.2023 stands at ₹4,741 crore. The Trust

(बीसी–एनईआईए) की खरीदार ऋण योजना के अधीन ईरान, श्रीलंका, सूरीनाम तथा जाम्बिया को प्रदत्त सुविधाओं के अधीन भारतीय एक्ज़िम बैंक के ₹4,462.74 करोड़ रुपये के आठ दावों का निपटान किया गया।ट्रस्ट की बीमांकन क्षमता ₹80,000 करोड़ है, जिसकी 25% राशि यथा ₹20,000 कंपनी द्वारा जारी मध्यम व दीर्घावधि रक्षाओं (एम एल टी) के समर्थन के लिए निर्धारित की गयी है। 52 देशों में ₹43,571 करोड़ के कुल मूल्य की 213 परियोजनाओं को समर्थन देने वाले 331 रक्षाओं के संबंध में ₹14,153.77 करोड़ के जोखिम को एनईआईए ट्रस्ट के साथ साझा किया गया है। ₹80,000 करोड़ में से शेष 75% राशि यथा ₹60,000 करोड़ खरीदार ऋण व्यवस्था (बीसी) – एनईआईए के लिए निर्धारित की गई है। 31 मार्च, 2023 तक, ट्रस्ट द्वारा कैमरून, कोटे डी आइवर, घाना, ईरान, मालदीव, मॉरिटानिया, मोज़ाम्बिक, सेनेगल, श्रीलंका, सूरीनाम, तंजानिया, युगांडा, ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे देशों में ₹18,006 करोड़ मूल्य की 28 परियोजनाओं के लिए ₹25,091 करोड़ की कुल अधिकतम देयता के साथ 28 खरीदार ऋण रक्षाएं जारी की गयी हैं। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान स्वीकार किए गए दावों एवं ट्रस्ट द्वारा जारी/समर्थित रक्षाओं के अधीन रिपोर्ट की गई चूकों के लिए किए गए प्रावधानों को देखते हुए, 31 मार्च, 2023 तक बीमांकन के लिए उपलब्ध कॉर्पस शून्य है। भारत सरकार ट्रस्ट का एकमात्र निपटानकर्ता है एवं ईसीजीसी प्रबंधन एजेंसी है।

निदेशक मण्डल

ईसीजीसी भारत सरकार की 100% स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी के संचालन, प्रबंधन व निदेशन जैसे सामान्य अधिकार से सम्बंधित सभी अधिकार अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक मण्डल के हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) के अतिरिक्त निदेशक मण्डल के सभी निदेशक गैर–कार्यपालक निदेशक होते हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) सहित निदेशक मण्डल के सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, निदेशक मंडल में अंशकालिक निदेशकों के तेरह पदों में से पांच पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया भारत सरकार के साथ चल रही है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी निदेशक को पुनर्निर्वाचित/पुनः नियुक्त नहीं किया गया।

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक भुगतान तथा उनके दायित्वों के निर्वाह से संबन्धित कंपनी की नीति

कंपनी के सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति/हटाने, निदेशकों

has settled eight claims of ₹4,462.74 crore under the Buyer's Credit scheme of the NEIA Trust (BC-NEIA) during FY 2022-23 to India Exim Bank under the facilities extended to Iran, Sri Lanka, Suriname and Zambia. The underwriting capacity of the Trust is ₹80,000 crore of which 25% amounting to ₹20,000 crore has been earmarked for supporting MLT covers issued by the Company. Risk to the extent of ₹14,153.77 crore, in respect of 331 covers supporting 213 projects with a total value of ₹43,571 crore in 52 countries, has been shared with the NEIA Trust. The balance 75% of ₹80,000 crore amounting to ₹60,000 crore is earmarked for the BC-NEIA. As of March 31, 2023, the Trust has issued 28 Buyer's Credit covers with an aggregate Maximum Liability of ₹25,091 crore for 28 projects of value ₹18,006 crore in the countries Cameroon, Cote D'Ivoire, Ghana, Iran, Maldives, Mauritania, Mozambique, Senegal, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe. In view of the claims admitted during the FY 2022-23 and provision for defaults reported under the cover issued / supported by the Trust, the corpus available for underwriting is NIL as of March, 31, 2023. The GOI is the sole settlor of the Trust and ECGC is the managing agency.

BOARD OF DIRECTORS

ECGC is a 100% Government of India (GOI)-owned Company. The general powers of superintendence, direction and management of the affairs and business of the Company are vested in the Board of Directors, presided over by the Chairman-cum-Managing Director. All the Directors on the Board other than the Chairman-cum-Managing Director and Executive Director (Policy Matters) are Non-Executive Directors. All Members of the Board including the Chairman-cum-Managing Director (CMD) and Executive Director (Policy Matters), are appointed by the President of India.

As of date of this report, five of the thirteen positions of Part-Time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies is being pursued with the Government of India.

There was no Director who got re-elected/re-appointed during the year under review.

COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS' APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES

The provisions of Section 178(2), (3) and (4) of the

की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं तथा स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करना तथा नीति की सिफारिश करना, कंपनी के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों एवं अन्य अधिकारियों का पारिश्रमिक तथा पारिश्रमिक के लिए नीति तैयार करना आदि से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2), (3) और (4) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(3) के अधीन निदेशकों की नियुक्ति, प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान, निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक गुण, निदेशकों की स्वतंत्रता तथा अन्य संबंधित के लिए कंपनी द्वारा किसी प्रकार की नीति का निर्धारण नहीं किया गया है। कंपनी के निदेशक मंडल के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक अथवा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (जहां कार्यालय कार्यालय प्रमुख एवं अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एक ही व्यक्ति होता है।), एवं जहां इस प्रकार नियुक्त कार्यपालक निदेशक / कार्यपालक निदेशक (नीति मामले) / कार्यपालक निदेशक (संचालन) / उच्च वरिष्ठतम कार्यपालक निदेशक द्वारा ऐसे वेतन तथा / अथवा भत्ते प्राप्त किए जाएँगे जो समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

वार्षिक प्रतिफल

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक प्रतिफल के उद्धरण कंपनी के वेबसाइट (**www.ecgc.in**) कंपनी शासन अनुभाग के अधीन उपलब्ध हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की एवं महिला निदेशक की घोषणाएँ

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पब्लिक लिमिटेड कंपनी लागू स्वतंत्र निदेशक (कों) एवं महिला निदेशक (कों) की नियुक्ति से संबन्धित, धारा 149 के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन किया गया है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के मण्डल की छह बैठकों का आयोजन किया गया।

लेखापरीक्षा समिति के विन्यास का प्रकटन तथा सतर्कता तंत्र का प्रावधान

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :-

Companies Act, 2013 related to the appointment/ removal of Directors, formulating the criteria for determining the qualifications, positive attributes and independence of Directors and recommending the policy on remuneration of the Directors, Key Managerial Personnel and other officers of the Company and other considerations in formulating the policy for remuneration are not applicable to the Company being a Government Company and hence the Company has not devised any policy related to the appointment of Directors, payment of Managerial remuneration, Directors qualifications, positive attributes, independence of Directors and other related matters as provided under Section 178(3) of the Companies Act, 2013. All the Directors on the Board of the Company are appointed by the President of India. The Chairman, Managing Director or Chairman-cum-Managing Director (where the office is held by one and the same person), and Executive Director/ Executive Director (Policy Matters)/ Executive Director (Operations)/ Senior-most Executive Director so appointed shall receive such salary and/or allowances as the President may determine from time to time.

ANNUAL RETURN

The draft of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 of the Companies Act, 2013 is available under the Corporate Governance section of the website of the Company (**www.ecgc.in**).

DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS AND WOMAN DIRECTOR

The provisions of Section 149 pertaining to the appointment of Independent Directors and Woman Director(s) applicable to Public Limited Company are fully complied during the FY 2022-23.

NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The Company had conducted Six Board Meetings during the financial year under review.

DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM

The Audit Committee consists of the following Members:

क्र सं .	निदेशकों के नाम
1.	श्री देवेश श्रीवास्तव (21/01/2020 से सदस्य के रूप में और 15/07/2021 से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त)
2.	श्री विपुल बंसल (16/11/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
3.	श्रीमती अपर्णा भाटिया (16/11/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
4.	श्री शिरीष चंद्र मुर्मू (10/01/2020 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
5.	सुश्री हर्षा बंगारी (23/09/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
6.	डॉ. ए. शक्तिवेल (09/08/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त)

स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली लेखापरीक्षा समिति की उक्त संरचना में स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं जैसे श्री देवेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष, श्री शिरीष चंद्र मुर्मू, सुश्री हर्षा बंगारी एवं डॉ. ए. शक्तिवेल, जो बहुमत में शामिल हैं।

कंपनी द्वारा एक सतर्कता तंत्र स्थापित किया गया है तथा लेखापरीक्षा समिति के माध्यम से कर्मियों एवं अन्य निदेशकों द्वारा व्यक्त की गई वास्तविक शंकाओं का निवारण किया जाता है। कंपनी द्वारा, शंका व्यक्त करने वाले कर्मियों एवं निदेशकों को उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी उपलब्ध करवाए गए हैं। कंपनी द्वारा कर्मियों एवं कंपनी के हितों से संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट करने हेतु कर्मियों को, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष का संपर्क विवरण भी उपलब्ध करवाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सतर्कता मामलों के विवरण

दिनांक 01.04.2022 तक आरंभिक शेष	दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2023 की अवधि के दौरान प्राप्त सतर्कता मामले	निपटान किए गए मामले	शेष
कुछ नहीं	06	06	कुछ नहीं

सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी कंपनियां

कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने न तो कोई जमा स्वीकार किया तथा न ही उसका नवीनीकरण किया है।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के अधीन आरंभ की गई कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के अधीन

S. No.	Name of the Director
1.	Shri Devesh Srivastava (appointed as a Member since 21/01/2020 and as the Chairman since 15/07/2021)
2.	Shri Vipul Bansal (appointed as a Member since 16/11/2021)
3.	Smt. Aparna Bhatia (appointed as a Member since 16/11/2021)
4.	Shri Shirish Chandra Murmu (appointed as a Member since 10/01/2020)
5.	Ms. Harsha Bangari (appointed as a Member since 23/09/2021)
6.	Dr. A. Sakthivel (appointed as a Member since 09/08/2021)

The above composition of the Audit Committee headed by an Independent Director consists of Independent Directors viz. Shri Devesh Srivastava Chairman, Shri Shirish Chandra Murmu, Ms. Harsha Bangari and Dr. A. Sakthivel, who form the majority.

The Company has established a vigilance mechanism and oversees, through the Audit Committee, the genuine concerns expressed by the employees and other Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The Company has also provided contact details of the Chairman of the Audit Committee to employees for reporting issues concerning the interests of employees and the Company.

Details of the vigilance cases for the FY 2022-23:

Opening balance as on 01.04.2022	Vigilance cases received during 01.04.2022 to 31.03.2023	Disposed off	Balance
NIL	06	06	NIL

SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint Venture or Associate Company.

DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposit during the year under review.

CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS INITIATED UNDER THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016 (IBC)

During the year under review, neither any application was

कंपनी के खिलाफ न तो कोई आवेदन किया गया है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि तथा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के मध्य अंतर का कारण सहित विवरण

लागू नहीं।

भारत सरकार (भा स) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। विभिन्न वित्तीय तथा गैर–वित्तीय मानदंडों के आकलन के आधार पर, कंपनी के निष्पादन को वित्तीय वर्ष 2018–19, वित्तीय वर्ष 2019–20 में अच्छा, वित्तीय वर्ष 2020–21 में बहुत अच्छा तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में उत्कृष्ट का रेटिंग प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के प्रदर्शन को उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त होने की अपेक्षा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए समझौता ज्ञापन मानदंडों का विवरण एवं इन मापदंडों के अधीन कंपनी द्वारा लक्ष्यों की संभावित उपलब्धि निम्नानुसार प्रस्तुत है:

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अनुमानों के आधार पर समझौता ज्ञापन के अधीन निष्पादन				
क्र सं	मानदंड का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1	परिचालनों से प्राप्त राजस्व (राजस्व खाते से प्राप्त कुल आय)	करोड़ रु में	1536	1509.93
2	शामिल नए खरीदारों की संख्या	संख्या	18169	19923
3	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए (पीबीटी + मूल्यहास) / (राजस्व खाते से कुल आय + लाभ और हानि खाते से आय) *100	%	60.40	132.66
4	शुद्ध मालियत पर अर्जन (पी ए टी / औसत शुद्ध आय * 100)	%	12.32	24.10

made nor any proceedings is pending against the Company under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

DETAILS OF DIFFERENCE BETWEEN AMOUNT OF THE VALUATION DONE AT THE TIME OF ONE TIME SETTLEMENT AND THE VALUATION DONE WHILE TAKING LOAN FROM THE BANKS OR FINANCIAL INSTITUTIONS ALONG WITH THE REASONS THEREOF

Not applicable.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) WITH THE GOVERNMENT OF INDIA (GOI)

As per the guidelines issued by the Department of Public Enterprises, every year a Memorandum of Understanding (MOU) is signed with the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Based on the assessment of various financial and non-financial parameters, the Company's performance has been rated as "Good" in FY 2018-19, FY 2019-20, "Very Good" in FY 2020-21 and "Excellent" in FY 2021-22. The performance of the Company is expected to be rated as "Excellent" for the FY 2022-23. The details of MOU parameters for the FY 2022-23, along with the target and estimated achievement by the Company under these parameters is submitted as under:

Performance under the MoU based on estimates for FY 2022-23				
S. No	Name of Parameter	Unit	Target	Achievement
1	Revenue from Operations (Total Income from Revenue Account)	₹ in crore	1536	1509.93
2	No. of New Buyers Added	Number	18169	19923
3	EBITDA as a percentage of Revenue (PBT+Depreciation)/(Total Income from Revenue Account + Income from Profit and Loss Account) *100	%	60.40	132.66
4	Return on Net worth (PAT/Avg. Net Worth *100)	%	12.32	24.10

5	आस्ति पण्यावर्त अनुपात (राजस्व खाते से कुल आय + लाभ व हानि खाते से आय)/ कुल संपत्ति *100	%	13.59	11.68
6	ट्रेड्स (TReDS) पोर्टल के माध्यम से माल एवं सेवाओं के चालान की स्वीकृति/अस्वीकृति	%	100	100
7	कुल खरीद के % के रूप में जेम (GeM) से खरीद	%	25	25.76
8	पिछले वर्ष की तुलना में प्रति शेयर आय में वृद्धि (पीएटी/भारित औसत शेयरों की संख्या)	%	10	111.29

साथ ही कंपनी द्वारा सात अनुपालन मानदंडों का भी अनुपालन किया गया है।

संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अधीन आवश्यकताओं के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ईसीजीसी लिमिटेड, मुंबई की वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित खातों एवं उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ, क्रमशः 21 दिसंबर, 2022 तथा 16 दिसंबर, 2022 को लोकसभा एवं राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

कर्मी विवरण

पूर्णकालिक निदेशक द्वारा आहरित पारिश्रमिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र सं	विवरण	कर्मी का नाम
1.	नाम कर्मी का पदनाम	श्रीमती प्रिसिल्ला सिन्हा नियुक्त बीमांकिक (महाप्रबंधक की श्रेणी के समकक्ष)
2.	प्राप्त प्रारिश्रमिक	वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹94,99,018/-
3.	रोजगार की प्रकृति, संविदात्मक अथवा अन्यथा	नियुक्ति एक निश्चित अवधि के आधार पर संविदात्मक है।

5	Assets Turnover Ratio (Total Income from Revenue Account + Income from Profit and Loss Account)/ Total Assets *100	%	13.59	11.68
6	Acceptance/ Rejection of Invoices of Goods & Services through TReDS Portal	%	100	100
7	Procurement from GeM as % of total procurement	%	25	25.76
8	Increase in Earning per share over previous year (PAT/Weighted Avg. Number of Shares)	%	10	111.29

Further, the Company has also complied with the seven 'Compliance parameters.'

PLACING OF ANNUAL REPORT BEFORE THE PARLIAMENT

Annual Report of the ECGC Ltd., Mumbai, for the FY 2021-22, along with Audited Accounts and Comments of the Comptroller and Auditor General thereon, was placed before the Lok Sabha and Rajya Sabha on December 21, 2022 and December 16, 2022 respectively, in compliance with the requirements under Section 394 of the Companies Act, 2013.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

Particulars of the employees who were in receipt of remuneration in excess of remuneration drawn by the Whole-Time Director are provided below:

S. No.	Details	Name of the Employee
1.	Name Designation of the employee	Smt. Priscilla Sinha Appointed Actuary (at par with rank of GM)
2.	Remuneration received	₹94,99,018/-in FY 2022-23
3.	Nature of employment, whether contractual or otherwise	Appointment is contractual on a fixed term basis.

4.	कर्मी की योग्यता एवं अनुभव	बी.एस.सी. सांख्यिकी एवं एम.एस.सी. सांख्यिकी में। फेलो, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया सिस्टम प्रबंधन में डिप्लोमा, एनआईआईटी बीमांकिक तकनीक में डिप्लोमा, बीमांकिक संस्थान, यूके
5.	रोजगार के आरंभ की तारीख	दिनांक 18.04.2019 को संविदा के आधार पर रोजगार का प्रारंभ
6.	कर्मी की आयु	56
7.	कंपनी में शामिल होने से पहले ऐसे कर्मी का अंतिम रोजगार	जी आई सी (सा बी नि)
8.	उपरोक्त उप-नियम (2) के खंड (iii) के अर्थ के भीतर कंपनी में कर्मी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का प्रतिशत	शून्य
9.	क्या इस प्रकार का कोई कर्मी कंपनी के किसी निदेशक अथवा प्रबंधक का संबंधी है और यदि ऐसा है तो ऐसे निदेशक अथवा प्रबंधक का नाम:	नहीं

4.	Qualifications and experience of the employee	B.Sc. in Statistics and M.Sc. in Statistics Fellow, Institute of Actuaries of India Diploma in System Management, NIIT Diploma in Actuarial Techniques, Institute of Actuaries, UK
5.	Date of commencement of employment	Commencement of employment on contractual basis on 18.04.2019
6.	The age of such employee	56
7.	The last employ-ment held by such employee before joining the Company	GIC
8.	The percentage of equity shares held by the employee in the Company within the meaning of clause (iii) of sub-rule (2) above	NIL
9.	Whether any such employee is a relative of any director or manager of the Company and if so, name of such director or manager:	No

नई दिल्ली शाखा द्वारा मेसर्स-गोडफ्रे फिलिप्स को दावे का भुगतान किया गया

Claim paid to M/s Godfrey Phillips by New Delhi Branch

ग्राहक सेवा तंत्र

कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों की शिकायतों के निवारण हेतु मुंबई में स्थित प्रधान कार्यालय में एक ग्राहक सेवा विभाग की स्थापना की गयी है एवं इसके प्रमुख एक महाप्रबंधक हैं। कंपनी की ग्राहक शिकायत निवारण नीति कंपनी के वेबसाइट पर दर्शाई गयी है। नीति के अनुसार, यदि पूर्व निर्णय को दोहराया जाना है तो किसी अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय की उच्च प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 से तीन बार विभिन्न अधिकारियों/समितियों द्वारा मामलों का निपटान किया जा रहा है तत्पश्चात मामलों को स्वतंत्र समीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। शिकायतों के निवारण के लिए लगने वाले समय को कम करने हेतु, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अपनी ग्राहक शिकायत निवारण नीति तंत्र को पूर्व के पाँच चरणीय से चार-चरणीय बनाने हेतु संशोधित किया गया।

प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों वाली शीर्ष ग्राहक शिकायत समिति (एसीजीसी), कंपनी के विरुद्ध किसी भी ग्राहक शिकायत के लिए सर्वोच्च इन-हाउस अपीलीय प्राधिकरण है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समिति द्वारा अठारह बैठकें की गयी एवं 60 मामलों का निपटान किया किया गया। कंपनी की चार सदस्यीय स्वतंत्र समीक्षा समिति (IRC) है, जिसमें न्यायपालिका, बैंकिंग, विदेश व्यापार एवं ऋण बीमा तथा सिविल सेवा के क्षेत्र के बाहरी विशेषज्ञ शामिल हैं, जिसकी वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान छह बैठकें हुई एवं एसीजीसी द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में निर्यातक ग्राहकों की शिकायतों से संबन्धित 16 मामलों का निपटान किया गया। कंपनी आईआरडीएआई के बीमा भरोसा पोर्टल से जुड़ी हुई है, जहां ग्राहक सीधे लॉग ऑन कर सकते हैं एवं अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। पॉलिसीधारकों के पास अब बीमा भरोसा पोर्टल अथवा कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से अपनी संबंधित शिकायतों को दर्ज करने का विकल्प है। इसके अतिरिक्त कंपनी कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण व निगरानी प्रणाली (CPGR-MS) द्वारा संचालित शिकायत निवारण प्रणाली से भी जुड़ी हुई है।

वाराणसी शाखा द्वारा मेसर्स-आइवरी कार्पेट्स को दावे का भुगतान किया गया

Claim paid to M/s Ivory Carpets by Varanasi Branch

CUSTOMER CARE MECHANISM

The Company has set up a Customer Care Department, situated at the Head Office in Mumbai and is headed by a General Manager, for redressing grievances of its customers. The Customer Grievance Redressal Policy of the Company is placed on the Company's website. As per the policy, the decision taken by an official would be reviewed by a higher authority in case the earlier decision is to be reiterated. Since, the FY 2021-22 the cases are being dealt with three times by different officials/ committees after which the cases are placed before the Independent Review Committee. In order to reduce the turnaround time to redress the grievances, the Board of the Company had revised its Customer Grievance Redressal policy to make the mechanism a four- stage one from the earlier five-stage one. An Apex Customer Grievance Committee (ACGC), consisting of senior executives at Head Office, is the highest in-house Appellate Authority for any customer complaint against the Company. The Committee met eighteen times and disposed of 60 cases during the FY 2022-23. The Company has a four-member Independent Review Committee (IRC) consisting of external experts from the fields of Judiciary, Banking, Foreign Trade, Credit Insurance and Civil Services, which met six times during the FY 2022-23 and disposed off 16 cases pertaining to grievances of the exporter customers in respect of decision taken by the ACGC. The Company is linked to the Bima Bharosa portal of the IRDAI, where customers can directly log on and lodge their complaints. Policyholders now have the option of registering their respective complaints either at the Bima Bharosa portal or through the Company's website. In addition, the Company is also linked to the grievance redressal system operated by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Administrative Reforms, Government of India at Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS).

ऊर्जा संरक्षण, तकनीक समावेशन का विवरण

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अनुसार कंपनी के कारोबार की प्रकृति को देखते हुए इस पर कंपनी द्वारा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है ।

विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी की विदेशी मुद्रा आय ₹30.83 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष में ₹56.03 करोड़) रही, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विदेशी मुद्रा का व्यय ₹2.19 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष में ₹2.30 करोड़) रही ।

नियुक्त बीमांकिक

18.04.2019 से प्रभावी भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अनुमोदन से कंपनी द्वारा अनुबंध के आधार पर एक पूर्णकालिक बीमांकिक की नियुक्ति की गयी।

वित्त वर्ष 2012-13 में एक अलग 'बीमांकिक विभाग' स्थापित किया गया, जो बीमांकिक कार्यों में नियुक्त बीमांकिक (एए) की सहायता करता है जैसे उपगत परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) / उपगत परंतु पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनईआर) दावा अनुमान, संपत्ति देयता प्रबंधन रिपोर्ट, अपेक्षित दावा लागत अनुमान, वित्तीय स्थिति आकलन रिपोर्ट, आर्थिक पूंजी गणना, उत्पाद मूल्य निर्धारण और समीक्षा आदि।एए की रिपोर्टें एवं अवलोकन कंपनी की समग्र जोखिम प्रबंधन कूटनीतियों में सहायक होती हैं। नियुक्त बीमांकक द्वारा आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकिक) विनियम, 2017 के अनुकरण में कार्य किया जाता है।

वैधानिक लेखा परीक्षक

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं शाखा लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) द्वारा उनके दिनांक 29 अगस्त, 2022 के पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष (वि व) 2022-23 के लिए कंपनी के खातों के लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, जिसे 10 नवंबर, 2022 को हुई बैठक में निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया तथा भारत के महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) द्वारा नियुक्त प्रत्येक लेखा परीक्षक के लिए लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित अनुसार लेखा परीक्षा शुल्क को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

शेयरधारकों द्वारा 5 सितंबर, 2022 को आयोजित 64वें वार्षिक साधारण बैठक में पारित प्रस्ताव के माध्यम से निदेशक मंडल को अधिकृत किया गया जिसके अनुसार वे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण एवं अनुमोदन के लिए अधिकृत किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए

PARTICULARS OF CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION

Information pursuant to Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013, read with the Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is not required to be given by the Company in view of the nature of the business of the Company.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO

The Foreign exchange earnings of the Company during the Financial Year 2022-23 is ₹30.83 crore (₹56.03 crore in the previous Financial Year) while Foreign Exchange outgo during the Financial Year 2022-23 is ₹2.19 crore (₹2.30 crore in the previous Financial Year).

APPOINTED ACTUARY

A full-time Actuary was appointed on a contract basis by the Company with approval of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) effective from 18.04.2019.

A separate 'Actuarial Department' was set up in the FY 2012-13, which provides support to the Appointed Actuary (AA) in the Actuarial functions such as preparation of Incurred But Not Reported (IBNR) / Incurred But Not Enough Reported (IBNER) claims estimation, Asset Liability Management Report, Expected Claim Costs Estimation, Financial Condition Assessment Report, Economic Capital Computation, Product pricing and review etc. The reports and observations of the AA contribute towards the overall risk management strategies of the Company. The Appointed Actuary functions in accordance with the "IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2017".

STATUTORY AUDITORS

The Joint Statutory Auditors and the Branch Auditors were appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for Audit of Accounts of the Company for the Financial Year (FY) 2022-23 vide their letter dated August 29, 2022, the same was taken on record by the Board at its meeting held on November 10, 2022 and the audit fees for each of the appointed auditors by C&AG were approved by the Board as was recommended by the Audit Committee. The Board was authorized by the Shareholders vide its resolution passed at the 64th AGM held on September 5, 2022 to fix and approve the remuneration of the Joint Statutory Auditors to be appointed by the Comptroller & Auditor General of India under Section 139(5) of the Companies Act, 2013, for the Head Office, Regional Offices and Branch Offices of the Company for the FY

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 के अधीन आवश्यक संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त भी कर लिया गया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी द्वारा उसके कारोबार एवं परिचालनों के आकार के आधार पर समवर्ती लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा तथा निवेश संव्यवहार एवं संबंधित प्रणालियों की लेखापरीक्षा हेतु प्रक्रियातंत्र का निर्धारण किया गया है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में प्रधान कार्यालय तथा कंपनी की विभिन्न शाखाओं में प्रक्रियाओं के साथ-साथ समव्यवहारों की रिपोर्ट को भी शामिल किया जाता है। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की समीक्षा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय के खातों और समेकित खातों की लेखा परीक्षा के लिए मेसर्स एस एन के एंड कंपनी सनदी लेखाकार, मुंबई, फर्म पंजीकरण संख्या 109176 डब्ल्यू मेसर्स एल एस नलवाया एंड कंपनी सनदी लेखाकार, मुंबई, फर्म पंजीकरण संख्या 115645W, की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में की गयी हैं। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ शेयरधारकों हेतु संलग्न है।

कंपनी के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा जारी प्रमाणपत्र की एक प्रति निदेशक मंडल की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। यह परिशिष्ट के रूप में निदेशकों की रिपोर्ट का भाग होगा।

कंपनी शासन

कंपनी का कंपनी शासन दर्शन समय पर सभी प्रासंगिक वैधानिक और विनियामक मानदंडों का अनुपालन करना है, साथ ही साथ कंपनी शासन प्रथाओं को निर्मित कर उनका पालन करना है। कंपनी शासन पर रागिनी चोकशी एंड कंपनी, व्यावसायिक कंपनी सचिव (एफसीएस 2390, सीओपी 1436) के प्रमाणपत्र के साथ एक विस्तृत कंपनी शासन रिपोर्ट संलग्न है तथा जो निदेशकों की रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है **(अनुलग्नक I)**

सचिवीय लेखा परीक्षा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रागिनी चोकशी एंड कंपनी, सचिवीय लेखा परीक्षक एफसीएस 2390, सीओपी 1436) से प्राप्त कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (फॉर्म नंबर एम आर - 3) अनुलग्नक II में संलग्न है। सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।

इस वित्तीय विवरण से संबंधित एवं रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले वित्तीय वर्ष के अंत के बीच हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धता, यदि कोई हो

2022-23 and necessary certificate from the Joint Statutory Auditors for FY 2022-23 has been obtained as required under Section 141 of the Companies Act, 2013.

AUDITORS' REPORT

The Company has in place an audit mechanism comprising Concurrent Audit, Internal Audit and Audit of Investment transactions and related Systems, which is in line with the nature of its business and the size of its operations. The Auditors Report covers the processes as well as transactions at the Head Office and across various branches of the Company. The audit comments are periodically reviewed by the Audit Committee of the Board of Directors. M/s. SNK & Co. Chartered Accountants, Mumbai, Firm Registration No. 109176W and M/s. L.S. Nalwaya & Co. Chartered Accountants, Mumbai, Firm Registration No. 115645W, are the Joint Statutory Auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India, to audit the Head Office Accounts and the consolidated accounts of the Company for the FY 2022-23. The Report of the Auditors to Shareholders is appended to the Audited Financial Statements.

COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA (C&AG) ON THE ACCOUNTS OF THE COMPANY

Comments of the C&AG shall be forming part of the Directors' Report as an addendum to the same.

CORPORATE GOVERNANCE

The Corporate Governance philosophy of the Company is to comply with all the relevant statutory and regulatory prescriptions on time, as also to formulate and adhere to sound Corporate Governance Practices. A detailed Corporate Governance Report along with Certificate from Ragini Chokshi & Co., Practising Company Secretary (FCS 2390, COP 1436), on Corporate Governance is annexed to and forms an integral part of this Directors' Report **(Annexure I)**.

SECRETARIAL AUDIT

The Secretarial Audit Report of the Company (Form No. MR-3) for the Financial Year 2022-23 received from Ragini Chokshi & Co., Secretarial Auditor (FCS 2390, COP 1436) is placed at **Annexure II**. There are no qualifications made by the Secretarial Auditor.

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR TO WHICH THIS FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT

I. उद्यम जोखिम प्रबंधन

रिपोर्टों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही से कोविड-19 मामलों में वृद्धि हुई है। वर्तमान में चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी प्रभावित किया है। वैश्विक कारोबारी माहौल में बढ़ी हुई जोखिम पृष्ठभूमि में कंपनी द्वारा देश से किए जाने वाले निर्यात का समर्थन हेतु जोखिम बीमांकन किया जा रहा है। कंपनी व्यापार के दौरान विकसित होने वाली संभावित प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रबंधन एवं उसका सामना करने एवं देश से किए जाने वाले निर्यातों का अप्रभावित रहने के प्रति आश्वस्त है।

II. अंधेरी संपत्ति संबंधी अद्यतन

<u>कार्यालय परिसर</u>

1. निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 15.07.2015 को आयोजित अपनी 398वीं बैठक में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा उनके दिनांक 26.05.2015 के पत्र के माध्यम से दिए गए अनुमान के अनुसार ₹111,24,12,901/- के प्रारंभिक अनुमान पर कार्यालय भवन के निर्माण को मंजूरी दी गयी। अंधेरी भूखंड पर कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 06.06.2016 को ईसीजीसी और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के मध्य समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
2. सैम (इंडिया) बिल्टवेल प्राइवेट लिमिटेड को अनुमानित लागत से 9.70% कम कुल ₹71,07,59,808/- की लागत पर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य सौंपा गया। कार्यालय भवन निर्माण का कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण कर लिया गया था।
3. 26 अगस्त, 2022 को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) प्राप्त हुआ। निदेशक मंडल के अनुमोदन के उपरांत परिपत्र संकल्प संख्या ईसीजीसी/निदेशक मंडल/सीआर-2022-23/01 दिनांक 18 अक्टूबर, 2022, कंपनी के प्रधान कार्यालय द्वारा अंधेरी (पूर्व) स्थित स्वामित्व वाले पंजीकृत कार्यालय (प्रधान कार्यालय) परिसर 'ईसीजीसी भवन' से दिनांक 10.11.2022 से कार्य आरंभ कर दिया गया।
4. कार्यालय भवन के स्थानांतरण के उपरांत, भारत सरकार के माननीय वाणिज्य व उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण एवं कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2023 को 'ईसीजीसी भवन' परिसर का उद्घाटन किया गया।

<u>आवासीय परिसर</u>

5. परियोजना वास्तुकार द्वारा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को उनके प्रारंभिक अनुमान (पीई) हेतु प्रस्तुत 153 फ्लैटों के पांच भवनों के निर्माण के लिए आवासीय भवनों के लेआउट प्लान के आधार पर, केंद्रीय

I. Enterprise Risk Management

As per reports there has been an increase in COVID-19 cases from the last quarter of the FY 2022-23. The ongoing Russia-Ukraine conflict has also affected global supply chains. The Company is underwriting risk in the backdrop of increased risk perception in the global business environment to support exports from the country. The Company is confident of managing and overcoming adverse situations, that may develop during the course of business and ensure that its support to growth of country's exports remains unaffected.

II. Update on Andheri Property

<u>Office premises</u>

1. The Board of Directors had at its 398th meeting held on 15.07.2015 approved construction of the office building at a preliminary estimate of ₹111,24,12,901/- as per the estimation given by CPWD vide their letter dated 26.05.2015. The Memorandum of Understanding (MoU) for the same had been signed between ECGC and Central Public Works Department (CPWD) on 06.06.2016 for construction of office building at Andheri plot.
2. Sam (India) Builtwell Private Limited had been awarded the job of construction of office building through tender process, at a total cost of ₹71,07,59,808/- which is 9.70% below the estimated cost. The work for construction of office building was completed by the contractor.
3. Occupancy Certificate (OC) was received from the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) on August 26, 2022. Post-approval of the Board of Directors vide circular resolution No. ECGC/BOARD/CR-2022-23/01 dated October 18, 2022, the Company's Head Office started functioning from Andheri (East) based owned Registered Office (Head Office) premises 'ECGC Bhawan' w.e.f. 10.11.2022.
4. Post-shifting of the office building, the 'ECGC Bhawan' premises was inaugurated by Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food & Public Distribution and Textiles, Government of India on March 5, 2023.

<u>Residential premises</u>

5. Based on the layout plan of residential buildings for construction of five buildings of 153 flats submitted by the Project Architect to the CPWD for their preliminary

लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) से प्राप्त ₹125.28 करोड़ के पीई को निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2022 को आयोजित अपनी 437वीं बैठक में मंजूरी दी गयी। परियोजना वास्तुकार द्वारा बी एम सी को लेआउट अनुमोदन हेतु भवन योजना प्रस्तुत की गयी है।

दिनांक 11 नवंबर, 2022 को आयोजित अपनी 439वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार कंपनी द्वारा नगर आयुक्त, बीएमसी को 505 वर्ग मीटर की खुली जगह जिसे आम जनता के उपयोग के लिए बीएमसी द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं हेतु निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है, को छोड़ने हेतु आवेदन किया गया।

6. आवासीय भवनों के निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के साथ हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार, कंपनी द्वारा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को ₹125.28 करोड़ की परियोजना के कुल लागत का 10% प्रारंभिक जमा के रूप में ₹12,52,80,000.00 की अदायगी की जा चुकी है। संशोधित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, समझौता ज्ञापन (एमओयू) में संशोधन (दिसंबर, 2022) अथवा परियोजना वास्तुकार द्वारा निविदा दस्तावेज जमा करने की तारीख से 36 महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, के भीतर काम पूरा होने की अपेक्षा है।

7. परियोजना वास्तुकार द्वारा बीएमसी के बिल्डिंग प्रस्ताव विभाग के समक्ष अनुमोदन हेतु लेआउट प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुमोदन हेतु लगातार अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है

<u>यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड</u>

- अंधेरी संपत्ति (भूमि) में कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण के अनुबंध को कंपनी द्वारा समाप्त किए जाने के उपरांत यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा आरंभ की गई एक मध्यस्थता कार्यवाही में कंपनी शामिल रही है। जहाँ यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड, परियोजना ठेकेदार द्वारा 30.06.2015 को कंपनी पर ₹23,02,81,857/- का दावा प्रस्तुत किया गया है वहीं कंपनी द्वारा ₹31,63,42,930/- की क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया गया है।
- यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स द्वारा जून 2017 में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष स्वयं को दिवाला घोषित करने का दावा दायर किया गया तथा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा 'अधिस्थगन' का आदेश पारित किया गया। यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स एवं कंपनी के मध्य मध्यस्थता की सुनवाई दिनांक 20.12.2017 को अंतिम बार न्यायमूर्ति वी.सी. डागा के समक्ष सम्पन्न हुई। यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर लगाए गए अधिस्थगन को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई एवं यह रोक अब भी जारी है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश के पश्चात मध्यस्थता कार्यवाही में आदेश पारित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा यूनिटी इंफ्रा के विरुद्ध एक आदेश पारित किया गया तथा आदेश दिया गया कि यूनिटी

estimate (PE), the PE of ₹125.28 crore received from CPWD was approved by the Board at its 437th meeting held on August 5, 2022. The Project Architect has submitted the building plans to the BMC for layout approval. As advised by the Board at its 439th meeting held on November 11, 2022 the Company has written to the Municipal Commissioner, BMC for waiver of approx. 505 sq.mtrs. open space which is proposed to be earmarked for various amenities to be provided by the BMC for use by general public.

6. As per the MOU signed with CPWD for the construction of residential buildings, the Company has made a payment of ₹12,52,80,000.00 as initial deposit, being 10% of the project cost of ₹125.28 crore to CPWD. As per the amended MOU, the work is expected to be completed within 36 months from the date of amendment of the MOU (December, 2022) or the submission of tender documents by the Project Architect, whichever is later.

7. The Project Architect has submitted a layout for approval to the Building Proposal Department of the BMC, which is being continuously followed up for approval.

<u>Unity Infraprojects Ltd.</u>

- The Company has been involved in an arbitration proceeding initiated by Unity Infraprojects Limited after the contract for construction of office and residential buildings in Andheri property was terminated by the Company. While Unity Infraprojects Limited, Project Contractor submitted a claim on the Company to the tune of ₹23,02,81,857/- on 30.06.2015, the Company has claimed a compensation of ₹31,63,42,930/-.
- Unity Infraprojects had filed for insolvency before the National Company Law Tribunal (NCLT) in June 2017 and the NCLT had passed an Order of 'Moratorium'. The last hearing in the arbitration before Justice V.C. Daga between Unity Infraprojects and the Company was held on 20.12.2017. In view of the moratorium imposed on Unity Infraprojects Limited, the arbitration proceeding was stayed and the stay is still continuing. The Order in arbitration proceedings shall be passed after the order of the NCLT.
- NCLT has passed an order against Unity infra and ordered that "Unity Infraprojects Limited, shall be liquidated in the manner as laid down in Chapter-III of the IBC. There is no further progress in the arbitration proceeding initiated by the Company against Unity Infraprojects Ltd.

इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड का परिसमापन आईबीसी के अध्याय–III में निर्धारित पद्धति से किया जाएगा। यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के विरूद्ध कंपनी द्वारा आरंभ की गई मध्यस्थता की कार्यवाही में आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति को विकसित करने एवं उसके कार्यान्वयन के संबंध में विवरण

कंपनी निर्यात ऋण जोखिम बीमा कारोबार से जुड़ी हुई है एवं यह आईआरडीएआई में एक गैर–जीवन बीमा कंपनी के रूप में पंजीकृत है। निर्यात ऋण जोखिम इसके कारोबार की प्रकृति में निहित हैं। कंपनी द्वारा अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन संरचना के माध्यम से एक उद्यम–व्यापी सूचना प्रणाली स्थापित करने एवं कंपनी के जोखिम प्रोफ़ाइल को विनियमित करने के लिए अपनी जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की गयी है। कंपनी, जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में, अपने कारोबार में विवेकपूर्ण सीमाओं के लिए जोखिम मानदंडों को लागू करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) द्वारा कंपनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल को प्रभावित करने वाली विवेकपूर्ण सीमाओं हेतु जोखिम मानदंडों का कार्यान्वयन एवं उसके प्रभावों की निगरानी की जाती है। कंपनी का एक निवेश पोर्टफोलियो है जिसमें शेयरधारकों एवं पॉलिसीधारकों के फंड शामिल हैं। उद्योगों एवं प्रतिभूतियों में निवेश कर निवेश जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है ताकि निवेश पर अधिकतम अर्जन के साथ चल निधि संबंधी जोखिम की न्यूनता को सुनिश्चित किया जा सके एवं इसकी निगरानी निदेशक मंडल की निवेश समिति द्वारा की जाती है। कंपनी द्वारा, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आस्ति - देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति का भी अनुपालन किया जाता है। निदेशक मंडल के जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) को तिमाही आधार पर कंपनी की आस्ति - देयता प्रबंधन (एएलएम) स्थिति की सूचना दी जाती है।

कंपनी द्वारा बाहरी सलाहकारों की सहायता से इसे और अधिक गतिशील बनाने के लिए अपने जोखिम प्रबंधन कार्यों में सुधार के लिए आगे की कार्रवाई आरंभ की गयी है। सलाहकारों द्वारा विकसित उपकरणों को कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों में सुधार हेतु चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।

नरीमन पॉइंट शाखा द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को दावे का भुगतान किया गया

Claim paid to Central Bank of India by Nariman Point Branch

STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The Company is in the export credit risk insurance business and registered as a non-life insurance company with IRDAI. Aggregation of export credit risks is inherent in the nature of its business. The Company has reviewed its Risk Management Policy to establish an enterprise-wide information system and regulate the risk profile of the Company, through its internal risk management framework. As part of risk management, the Company endeavours to implement exposure norms for prudential limits in its business. The Risk Management Committee of the Board (RMC) monitors the implementation of exposure norms for prudential limits and developments that affect the risk profile of the business of the Company. The Company manages an investment portfolio that comprises of Shareholders' and Policyholders' funds. The investment risks are managed by investing across industries and securities, to ensure that liquidity risks are minimized with optimum return on the investment and are monitored by the Investment Committee of the Board. The Company also follows the Board approved Asset-Liability Management (ALM) Policy. The ALM position of the Company is being reported to the RMC of the Board on a quarterly basis.

The Company has initiated further action to improve its risk management functions to make it more dynamic with the help of external consultants. The tools developed by the consultants are being implemented in the Company in a phased manner to improve the risk management systems.

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

कृपया **अनुलग्नक III** का संदर्भ लें।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अधीन लिए गए ऋणों, प्रदत्त गारंटियों अथवा किए गए निवेशों के विवरण

शून्य

संबन्धित पार्टियों के साथ की गयी संविदाओं अथवा समझौतों के विवरण

दैनंदिन कारोबार में स्वतंत्र संव्यवहार के सिद्धान्त के आधार पर अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा समव्यवहारों का विवरण:

एनईआईए ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा गठित एक सार्वजनिक ट्रस्ट है। ईसीजीसी द्वारा ट्रस्ट का संचालन किया जाता है। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अप्रनि) ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं तथा कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) प्रबंध ट्रस्टी हैं। प्रशासनिक व्ययों के वहन हेतु ईसीजीसी प्रीमियम आय के 5% अंश का हकदार है । ईसीजीसी द्वारा 2006 से ट्रस्ट की प्रबंधन व्यवस्था की जा रही है।

ईसीजीसी में स्वतंत्र निदेशक श्री अमित कुमार अग्रवाल, ईसीजीसी की पॉलिसीधारक कंपनी मेसर्स कुमार इंटरनेशनल में भी साझेदार हैं।

निदेशकों का दायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसरण में, निदेशक एवं निदेशकों के दायित्व विवरण को स्वीकार करते हैं एवं उसकी पुष्टि करते हैं कि –

(क) कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण निकासी से संबन्धित उचित स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो तो, के साथ वार्षिक लेखों की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;

(ख) निदेशकों द्वारा उचित एवं विवेकपूर्ण लेखांकन नीतियों का चयन किया गया एवं उन्हें नियमित रूप से लागू किया गया तथा निर्णय लिए गए एवं अनुमान लगाए ताकि 31 मार्च, 2023 तक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के मामलों की स्थिति एवं कंपनी के लाभ के विषय में सही एवं निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके;

(ग) निदेशकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा हेतु एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा गया है;

(घ) निदेशकों द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'लाभकारी कारोबार वाली संस्थान' (गोईंग कंसर्न) के आधार पर लेखा विवरण तैयार किए गए;

(ङ) निदेशकों द्वारा कंपनी द्वारा अनुपालन योग्य आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं एवं यह की इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त एवं प्रभावी हैं तथा;

ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Please refer to **Annexure III**.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Nil

PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES

Details of contracts or arrangements or transactions at arm's length basis in the ordinary course of business:

The NEIA Trust is a Public Trust formed by Government of India. ECGC is administering the Trust. CMD is the Chairman of the Trust and Executive Director (Policy Matters) is the Managing Trustee. ECGC is entitled to 5% of premium income to meet administrative expenditure. ECGC has been managing the Trust since 2006.

Mr. Amit Kumar Agarwal, Independent Director in ECGC is also partner in M/s Kumar International, which is a policy holder of ECGC.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Section 134(5) of the Companies Act, 2013, the Directors subscribe to the Directors' Responsibility Statement and confirm that –

(a) the Company had, in the preparation of the annual accounts, followed the applicable accounting standards, along with the proper explanations relating to material departures, if any;

(b) the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2023 and of the profit of the Company for the FY ended March 31, 2023;

(c) the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the Company and preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) the Directors had prepared the accounts for the FY ended March 31, 2023, on a 'going concern' basis;

(e) the Directors, had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and

(च) निदेशकों द्वारा सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणाली तैयार की गयी है तथा इस प्रकार की प्रणालियां पर्याप्त एवं प्रभावी हैं।

आभार प्रदर्शन

निदेशक मंडल द्वारा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय; आर्थिक मामला विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय; विदेश मंत्रालय, भारत सरकार; भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई); भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग एवं विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों तथा उच्चायोगों के कार्यालयों को कंपनी के लिए उनके निरंतर समर्थन एवं मार्गदर्शन तथा कंपनी के मामलों एवं विकास में प्रदर्शित गहरी रुचि के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। निदेशक, निर्यातकों, बैंकों और पुनर्बीमाकर्ताओं के कंपनी में उनके निरंतर विश्वास के लिए आभारी हैं। निदेशक मण्डल द्वारा रेटिंग एजेंसियों तथा ऋण वसूलीकर्ता एजेंटों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है जिन्होंने क्रमशः कंपनी के बीमांकन एवं वसूली के प्रयासों में योगदान दिया है। निदेशक मण्डल द्वारा भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, औद्योगिक संगठनों, वाणिज्य मंडलों, व्यापार संगठनों एवं बीमा मध्यस्थों से प्राप्त प्रतिक्रिया एवं समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। निदेशक मण्डल द्वारा लेखा परीक्षकों को समय-समय पर प्राप्त उनके मूल्यवान सलाह एवं सुझावों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। निदेशक मण्डल द्वारा कंपनी के सभी कर्मियों की सराहना की जाती है जो लगातार उत्कृष्ट समर्पण एवं प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके कारण स्वरूप कंपनी अपने कारोबार संचालन में बाजार नेतृत्व को बनाए रखने में सफल रही है।

निदेशक मण्डल एवं उनकी ओर से

कृते
एम. सेंथिलनाथन
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डी आई एन 07376766

स्थान: मुंबई
दिनांक: मई 04, 2023

(f) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors places on record its gratitude to the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry; Department of Economic Affairs, Department of Expenditure, Department of Financial Services and Department of Public Enterprises, Ministry of Finance; Ministry of External Affairs, Government of India; Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI); The Comptroller & Auditor General of India; Reserve Bank of India, National Institution for Transforming India (NITI) Aayog and offices of the Indian Embassies and High Commissions in various countries, for their continued support and guidance to the Company and the keen interest exhibited in the affairs and growth of the Company. The Directors are grateful to Exporters, Banks and Reinsurers for their continued trust reposed in the Company. The Directors thank the Rating Agencies and Debt Collection Agents who have contributed to the Company's underwriting and recovery efforts respectively. The Directors thank and place on record, the feedback and support received from the Federation of Indian Export Organisations, various Export Promotion Councils, Industrial Organisations, Chambers of Commerce, Trade Organisations and Insurance intermediaries. The Directors place on record, their thanks to the Auditors for the valuable advice and support received from time to time. The Directors express their deep sense of appreciation to all officers and staff who continue to display outstanding dedication and commitment, enabling the Company to retain market leadership in its business operations.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
M. Senthilnathan
Chairman-cum-Managing Director
DIN 07376766

Place : Mumbai
Date: May 04, 2023

कंपनी शासन

अनुलग्रक I

CORPORATE GOVERNANCE

Annexure I

कम्पनी शासन पर ईसीजीसी का दर्शन

कंपनी सम्प्रेषण में पारदर्शिता एवं ईमानदारी तथा सभी हितधारकों के लिए पूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए संगत तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं कंपनी शासन की श्रेष्ठ पद्धतियों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी प्रयासरत एवं प्रतिबद्ध है।

कंपनी स्वयं को अपने हितधारकों का ट्रस्टी मानती है तथा हितधारकों की संपत्ति के सृजन, उसकी सुरक्षा तथा हितों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम कंपनी नीतियों, विशिष्ट कारोबार योजनाओं, हामीदारी पॉलिसी/ प्रक्रियाओं, विवेकशील जोखिम प्रबंधन पॉलिसियों/ प्रथाओं तथा लेखा पॉलिसियों को बनाते एवं कार्यान्वित करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रही है। सभी पॉलिसियाँ/ प्रक्रियाएं वैधानिक तथा नीतिगत दायित्वों का पालन करते हुए बनाई गयी हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) द्वारा कंपनी को वित्त वर्ष 2021-22 में डी पी ई कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु उत्कृष्ट ग्रेड प्रदान की गई है, यह कंपनी शासन के उच्चतम मानकों एवं उत्तम प्रथाओ को दर्शाती है।

निदेशक मण्डल

निदेशक मण्डल रणनीतियां एवं नीतियां का निर्माण करता है तथा सावधिक रूप से कम्पनी के निष्पादन की समीक्षा करता है। कंपनी के निदेशक मण्डल का गठन कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 63 के साथ पढ़े जाने वाले अनुछेद 57 द्वारा नियंत्रित होता है। अनुच्छेद 57 एवं 63 यह प्रावधान करता है कि निदेशक मण्डल में एक अध्यक्ष एवं एक प्रबंध निदेशक अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (जहां अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक का पद एक ही व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता हो एवं वहाँ वही व्यक्ति हो), एक कार्यपालक निदेशक / कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) / कार्यपालक निदेशक (परिचालन) / वरिष्ठतम कार्यपालक निदेशक तथा कम से कम तीन एवं अधिकतम 13 अन्य निदेशक हों जिसमें भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, भारतीय साधारण बीमा निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, निर्यात संवर्धन परिषद तथा निर्यात से जुड़े व्यक्ति शामिल होते हैं। सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान तिथि तक, निदेशक मंडल में तेरह में से पांच अंशकालिक निदेशकों के पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है।

ECGC'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company ensures transparency and integrity in communication and makes complete, accurate and precise information available to all its stakeholders. The Company is committed to and is continuously striving to ensure compliance with international standards and best practices of Corporate Governance, as relevant to the Government of India-owned entities.

The Company considers itself as a Trustee of its stakeholders and acknowledges its responsibility towards them for creation and safeguarding the stakeholders' wealth and interests. During the financial year under review, the Company continued its pursuit of achieving its objectives through formulation and execution of corporate strategies, specific business plans, underwriting policies/procedures, prudent risk management policies/practices and accounting policies. All policies/procedures are framed conforming to legal and ethical responsibilities.

In the Financial Year 2022-23, the Department of Public Enterprises (DPE) has graded the Company 'Excellent' for compliance with the DPE corporate governance guidelines during the Financial Year 2021-22, reflecting the highest standards of corporate governance and best practices.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors formulates strategies, policies and reviews the performance of the Company periodically. The composition of the Board of Directors of the Company is governed by Article 57 read with Article 63 of the Articles of Association (AOA) of the Company. Articles 57 and 63 of the AOA provide that the Board of Directors shall consist of a Chairman, a Managing Director or a Chairman-cum-Managing Director (where the office is held by one and the same person), an Executive Director/ Executive Director (Policy Matters)/ Executive Director (Operations)/ Senior-most Executive Director and not less than three and not more than thirteen other directors representing the Government of India, Reserve Bank of India, Export Import Bank of India, General Insurance Corporation of India, Public Sector Banks, Federation of Indian Export Organizations, Export Promotion Councils and Individuals connected with exports. The Company being a Government Company, the appointment of Directors is being done by the Government of India. As of date, five of

निदेशक मण्डल में कार्यपालक/कार्यकारी निदेशकों तथा गैर–कार्यपालक निदेशकों का ईष्टतम संयोजन है। स्वतंत्र निदेशक (गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक यथा सा क्षे उ (डी पी ई) दिशानिर्देशों के अनुसार) ने निदेशक मंडल को यह दर्शाते हुए अपने प्रकटनों को प्रस्तुत किया है कि उन्होने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता को वे पूरा करते हैं।

निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कम्पनी की सम्बंधित पक्ष अंतरण (आर पी टी) नीति यह सुनिश्चित करती है कि सामान्य तथा साधारण व्यापार सम्बंधी सभी सम्बन्धित पक्ष अंतरण लेखा परीक्षा समिति एवं / अथवा निदेशक मंडल के ध्यानार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं। निदेशक मंडल के सदस्यों तथा मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों (के एम पी) द्वारा किसी भी संविदा में, जिससे वह सम्बंधित हैं, अपने हित का प्रकटन आवश्यक है।

निदेशक मण्डल जोखिम प्रबंधन योजना की सावधिक पुनरीक्षा करता है तथा इसके कार्यान्वयन हेतु उपचारात्मक कार्यवाही करता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक मण्डल में शामिल निदेशकों की योग्यता सहित नाम, नियुक्ति की तारीख तथा श्रेणीयाँ जिनके आधार पर उन्हे नियुक्त किया किया गया है, का विवरण सारणी 1 के अंतर्गत निम्नलिखित है :

the thirteen positions of the Part-Time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies has already been initiated.

The Board of Directors has an optimum combination of Executive/ Functional Directors and Non-Executive Directors. The Independent Directors (Non-Executive Part-Time Non-Government Directors i.e. Non-Official Directors as per DPE Guidelines) have submitted their disclosure to the Board that they fulfil all the requirements so as to consider them as Independent Directors under the provisions of the Companies Act, 2013.

The Board-approved Related Party Transactions (RPT) Policy of the Company ensures that all related party transactions in the normal and ordinary course of business are brought to the notice/approval of the Audit Committee and/or Board. The Board Members as well as Key Managerial Personnel (KMP) are required to declare their interest in all the contracts in which they are interested.

The Board periodically reviews and takes remedial action to implement the risk management plan.

The name of Directors on the Board during the Financial Year 2022-23 along with their qualification, dates of appointment and categories under which they were appointed, are furnished in Table 1 below:

तालिका 1 / Table 1:

क्र.सं. S. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	योग्यता Qualification	निदेशक मण्डल में नियुक्ति की तिथि (दि/मा/व) Date of Appointment on Board (DD/MM/YYYY)	श्रेणी Category
1.	श्री एम. सेंथिलनाथन, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड Shri M. Senthilnathan Chairman-cum-Managing Director, ECGC Ltd.	बी एससी, एम बी ए B.Sc., MBA	30/12/2015 29/04/2020 से प्रभावी अप्रनि 30/12/2015 CMD w.e.f. 29/04/2020	कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) Functional Director (Whole-Time Director)
2.	श्री विपुल बंसल, भा.प्र.से. Shri Vipul Bansal, IAS	बी.कॉम, सी ए B.Com., CA	16/11/2021	गैर–कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Commerce & Industry, GOI)
3.	श्रीमती अपर्णा भाटिया, भा.आ.से. Smt. Aparna Bhatia, IES	अर्थशास्त्र में नातकोत्तर, एम. फिल Post Graduate in Economics, M. Phil.	16/11/2021	गैर–कार्यकारी अंशकालिक सरकारी निदेशक (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Finance, GOI)

क्र.सं. S. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	योग्यता Qualification	निदेशक मण्डल में नियुक्ति की तिथि (दि/मा/व) Date of Appointment on Board (DD/MM/YYYY)	श्रेणी Category
*4.	श्री शिरीष चंद्र मुर्मू, कार्यपालक निदेशक, भा.रि.बैं. Shri Shirish Chandra Murmu, Executive Director, RBI	एम एस सी, सी ए आई आई बी M.Sc., CAIIB	10/01/2020	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director
*5.	सुश्री हर्षा बंगारी, प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक Ms. Harsha Bangari, MD, Exim Bank	बीकॉम, सी ए B.Com., CA	23/09/2021	पदेन गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive Part-Time Non-Government Director
*6.	श्री देवेश श्रीवास्तव, अ.प्र.नि., जीआईसी रे Shri Devesh Srivastava, CMD, GIC Re	एम एस सी (भौतिकी), पी जी डी बी एम M.Sc. (Physics) PGDBM	21/01/2020	पदेन गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive Part-Time Non-Government Director
*7.	डॉ. ए. शक्तिवेल, अध्यक्ष, फियो Dr. A. Sakthivel, President, FIEO	ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा Diploma in Automobile Engineering	09/08/2021	पदेन गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive Part-Time Non-Government Director
*8.	श्री अमित कुमार अग्रवाल Shri Amit Kumar Agarwal	वाणिज्य में स्नातकोत्तर Post Graduate in Commerce	03/11/2021	गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director
*9.	श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा, Smt. Pratibha Kushwaha	मानविकी में स्नातकोत्तर Post Graduate in Humanities	11/11/2021	गैर-कार्यपालक गैर सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director
10.	श्री सुनील जोशी, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले), ईसीजीसी लिमिटेड Shri Sunil Joshi, Executive Director (Policy Matters), ECGC Ltd.	एम एस सी (भौतिकी) M.Sc. (Physics)	09/07/2020	कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) Functional Director (Whole-Time Director)

* गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक
* Non-Official (Independent) Directors

निदेशकों हेतु परिचायक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

नए निदेशक के आगमन पर, नए निदेशक को स्वागत पत्र के साथ कंपनी अधिनियम 2013 तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम व भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास (आई आर डी ए आई) प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों सहित अन्य लागू नियम / विनियमों के अधीन निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए जाने वाले अनुपालनों की सूची के तथा उनके द्वारा निर्वाह किए जाने वाले कर्तव्यों तथा दायित्वों के विवरण सौंपे जाते हैं। निदेशक से सभी संगत प्रकटन प्राप्त किए

DETAILS OF FAMILIARISATION & TRAINING PROGRAMMES FOR DIRECTORS

At the time of induction of a new Director, a welcome letter is addressed to the new Director along with details of duties and responsibilities required to be performed as a Director in addition to the compliances required from him/her under the Companies Act, 2013 and other applicable statutes/rules/regulations including the Department of Public Enterprises (DPE) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)

जाते हैं। कंपनी के प्रबंधन वर्ग द्वारा , नए निदेशक को कंपनी के संबंध में उनकी भूमिका तथा दायित्वों, कंपनी शासन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं तथा अन्य संगत जानकारी के साथ साथ कंपनी के परिचालनों, आवश्यक नीतियों तथा कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों /विभागों की जानकारी दी जाती है। निदेशकों को विभिन्न प्रचलित संस्थानों/भारत सरकार, जैसे राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए), भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण (आईआरडीएआई), स्टेंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज़ (स्कोप), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफैयर (आईआईसीए), सार्वजनिक उद्यम विभाग आदि द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न निदेशक मंडल संबंधी प्रथाओं संबंधी कार्यक्रमों तथा उन्मुखीकरण कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए नामित तथा प्रायोजित किया जाता है।

सभी निदेशकों को नियमित रूप से कॉर्पोरेट शासन तथा कम्पनी पर लागू अन्य नियमों तथा प्रावधानों आदि से कम्पनी की आंतरिक प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत निदेशक मंडल/ समिति की बैठकों के दौरान अवगत कराया जाता है।

समय-समय पर विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण की तिथियों पर निदेशकों के पूर्व-व्यवसाय/व्यस्त कार्यक्रम के कारण, कंपनी वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों को छोड़कर किसी भी निदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सकी है :

क्र.सं.	प्रशिक्षण का विवरण	शामिल निदेशक
1.	राष्ट्रीय बीमा संस्थान द्वारा दिनांक 22-24 फरवरी, 2023 को साधारण और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के स्वतंत्र निदेशकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम।	(क) सुश्री हर्षा बंगारी (ख) श्री अमित कुमार (ग) श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा
	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (आई आई सी ए) द्वारा दिनांक 07-09 अप्रैल को गोवा में बेहतर निदेशक मंडल तैयार करने पर मास्टर क्लास	(क) श्री अमित कुमार अग्रवाल (ख) श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा
	उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, ईसीजीसी लिमिटेड में दिनांक 22 जून 2022 को आंतरिक पूर्व आरंभिक प्रशिक्षण	(क) श्री अमित कुमार अग्रवाल (ख) श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा
	सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 11-12 जुलाई को नई दिल्ली में अभिविन्यास कार्यक्रम।	(क) श्री अमित कुमार अग्रवाल (ख) श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा

applicable guidelines. Relevant Disclosures are taken from the Director. The Management of the Company familiarises the new Director with the Company, its operations, important policies and processes followed by various sectors/departments of the Company, including their roles and responsibilities, the governance and internal control processes and other relevant important information concerning the Company. The Directors are also regularly encouraged and sponsored for attending important training programmes relating to Board-related practices and orientation programmes etc. conducted by various Institutes of repute like National Insurance Academy (NIA), Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Department of Public Enterprises (DPE) etc.

All Directors are regularly updated on the various provisions related to corporate governance and other applicable rules and regulations of the Company during the Board/Committee meetings as per the internal training policy for the Directors of the Company.

Due to pre-occupation/busy schedule of the Directors on the dates of training organised by various Institutions from time-to-time, the Company could not impart training to all the Directors till date except to the following Directors during FY 2022-23 as follows:

S. No.	Details of Training Program	Directors attended
1.	Orientation Program for Independent Directors of General & Standalone Health Insurance Companies by the National Insurance Academy, Pune from 22–24 February, 2023	(a) Ms. Harsha Bangari (b) Shri Amit Kumar Agarwal (c) Smt. Pratibha Kushwaha
	Master Class on 'Building Better Boards' by the Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) from 07 – 09 April, 2022 at Goa.	(a) Shri Amit Kumar Agarwal (b) Smt. Pratibha Kushwaha
	An In-house Pre-induction training program at Northern Regional Office, ECGC Limited on June 22, 2022.	(a) Shri Amit Kumar Agarwal (b) Smt. Pratibha Kushwaha
	Orientation Program by the Department of Public Enterprises from 11 – 12 July, 2022 at New Delhi	(a) Shri Amit Kumar Agarwal (b) Smt. Pratibha Kushwaha

वित्तियीय वर्ष 2022-23 के लिए निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल को प्रत्येक वर्ष कम से कम चार बार बैठकें इस तरह से करने की आवश्यकता होती है जहाँ निदेशक मंडल की लगातार दो बैठकों के मध्य 120 दिनों अथवा ऐसी विस्तारित अवधि से अधिक का न अंतर हो।

कंपनी सभी निदेशकों को नोटिस, एजेंडा तथा एजेंडे पर नोट्स भेजती है, जो निदेशक मण्डल की बैठक हेतु भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के अनुपालन में विस्तृत प्रकृति के होते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 174 के अनुसार, कंपनी के निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-दृश्य साधन (ओएवीएम) सुविधा प्रदान करती है, यदि वे चाहें तो, ताकि वे निदेशक मंडल/समिति की बैठकों में भाग ले सकें।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान छह बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण नीचे **तालिका 2** में दिया गया है:

DETAILS OF THE MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR FY 2022-23

The Board of Directors is required to meet at least four times every year in such a manner that not more than 120 days or such extended period shall intervene between two consecutive meetings of the Board, pursuant to the provisions of Section 173 of the Companies Act, 2013. The Company sends to all Directors notices, agenda and notes to agenda which are exhaustive in nature in compliance with Secretarial Standards on Board Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India. Pursuant to Section 174 of the Companies Act, 2013, the Company provides video conferencing/ Other Audio-Visual Means (OAVM) facility to the Directors to enable them to participate in the Board/ Committee meetings, if they so desire. Six meetings were held during the FY 2022-23. Details of the meetings of the Board of Directors held during the FY 2022-23 are furnished below in **Table 2**:

तालिका 2 / Table 2:

क्र.सं. S. No.	बैठक संख्या Meeting Number	बैठक की तारीख (दि/मा/व) Date of the Meeting (DD/MM/YYYY)	बोर्ड संख्या Board Strength	उपस्थित निदेशकों की संख्या No. of Directors present
1.	436	25/05/2022	10	8
2.	437	05/08/2022	10	9
3.	438	05/09/2022	10	7
4.	439	11/11/2022	10	7
5.	440	10/02/2023	10	5
6.	441	17/03/2023	10	5

बोर्ड की बैठकों एवं वार्षिक साधारण बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण क्रमश: **सारणी 3** एवं **सारणी 4** में दिया गया है।

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings and Annual General Meeting are furnished below in **Table 3** and **Table 4**, respectively.

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

DETAILS OF ATTENDANCE OF THE DIRECTORS AT THE BOARD MEETINGS

तालिका 3 / Table 3:

निदेशकों के नाम Name of the Director	निदेशन की प्रकृति Nature of Director-ship	मण्डल में पद Designation in the Board	बैठक तिथि Meeting dated 25/05/2022	बैठक तिथि Meeting dated 05/08/2022	बैठक तिथि Meeting dated 05/09/2022	बैठक तिथि Meeting dated 11/11/2022	बैठक तिथि Meeting dated 10/02/2023	बैठक तिथि Meeting dated 17/03/2023
श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	कार्यपालक निदेशक Executive Director	अध्यक्ष (पूर्णकालिक) Chairman (Whole-Time)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
श्रीमती अपर्णा भाटिया Smt. Aparna Bhatia	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present

निदेशकों के नाम Name of the Director	निदेशन की प्रकृति Nature of Director-ship	मण्डल में पद Designation in the Board	बैठक तिथि Meeting dated 25/05/2022	बैठक तिथि Meeting dated 05/08/2022	बैठक तिथि Meeting dated 05/09/2022	बैठक तिथि Meeting dated 11/11/2022	बैठक तिथि Meeting dated 10/02/2023	बैठक तिथि Meeting dated 17/03/2023
श्री एस सी मुर्मु Shri S.C. Murmu	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
डॉ ए शक्तिवेल Dr. A. Sakthivel	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present
श्री अमित कुमार अग्रवाल Shri Amit Kumar Agarwal	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा Smt. Pratibha Kushwaha	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	पूर्णकालिक निदेशक Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present

वार्षिक साधारण बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

DETAILS OF ATTENDANCE OF THE DIRECTORS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING

तालिका 4 / Table 4:

निदेशक के नाम Name of the Director	निदेशक पद का प्रकार Nature of Directorship	निदेशक मण्डल में पद Designation in the Board	दिनांक 05 सितंबर 2022 को 64वीं वार्षिक साधारण बैठक 64th Annual General Meeting held on September 05, 2022
श्री एम सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	कार्यपालक निदेशक Executive Director	अध्यक्ष (पूर्णकालिक) Chairman (Whole-Time)	उपस्थित Present
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Govt. Director	अनुपस्थित Absent
श्रीमती अपर्णा भाटिया Smt. Aparna Bhatia	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Govt. Director	उपस्थित Present
श्री एस सी मुर्मु Shri S.C. Murmu	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent
श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent
डॉ ए. शक्तिवेल Dr. A. Sakthivel	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present

निदेशक के नाम Name of the Director	निदेशक पद का प्रकार Nature of Directorship	निदेशक मण्डल में पद Designation in the Board	दिनांक 05 सितंबर 2022 को 64वीं वार्षिक साधारण बैठक 64th Annual General Meeting held on September 05, 2022
श्री अमित कुमार अग्रवाल Shri Amit Kumar Agarwal	गैर–कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent
श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा Smt. Pratibha Kushwaha	गैर–कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present
श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	पूर्णकालिक निदेशक Whole-Time Director	अनुपस्थित Absent

दिनांक 31,मार्च 2023 तक निदेशकों द्वारा धारित अन्य निदेशक पद का विवरण निम्न तालिका 5 में प्रस्तुत किया गया है।

DETAILS OF OTHER DIRECTORSHIPS HELD BY THE DIRECTORS AS OF MARCH 31, 2023 ARE FURNISHED BELOW IN TABLE 5.

तालिका 5 / Table 5:

निदेशकों के नाम Name of the Directors	अन्य धारित निदेशक पद* No. of other Directorships held *
श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	0
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	4
श्रीमती अपर्णा भाटिया Smt. Aparna Bhatia	0
श्री एस सी मुर्मु Shri S.C. Murmu	0
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	0
श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	5
डॉ ए शक्तिवेल Dr. A. Sakthivel	6
श्री अमित कुमार अग्रवाल Shri Amit Kumar Agarwal	0
श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा Smt. Pratibha Kushwaha	0
श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	0

* निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन कंपनियों में निदेशन को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन पंजीकृत कंपनियों में निदेशन।

*Directorship in companies registered under the Companies Act, 2013, excluding directorships in private companies, foreign companies and companies under Section 8 of the Companies Act, 2013.

लेखा-परीक्षा समिति- संगठन एवं उपस्थिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए किया गया है। दिनांक 31-03-2023 को, कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में छह गैर कार्यपालक निदेशक शामिल थे। दिनांक 15 जुलाई 2021 से श्री देवेश श्रीवास्तव समिति के अध्यक्ष हैं। श्रीमती स्मिता वी पंडित, कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति की सचिव हैं।

लेखा परीक्षा समिति का उद्देश्य कंपनी के समग्र लेखा परीक्षा कार्यों, जैसे कंपनी के भीतर आंतरिक लेखा परीक्षा का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण तथा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक/ बाहरी लेखा परीक्षकों तथा भारत के सीएंडएजी द्वारा उठाए गए मदों पर की गयी अनुवर्ती कार्यवाही आदि की देखरेख करना है।

निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, भारत में बीमाकर्ताओं के लिए कॉर्पोरेट शासन के लिए आई आर डी ए आई के दिशानिर्देश तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कंपनी शासन के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश के अधीन निर्दिष्ट सभी मामलों को शामिल करती हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की छह बार बैठक हुई। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की तारीख सहित इनमें सदस्यों की उपस्थिती के विवरण निम्नानुसार **तालिका 6** में दर्शाये गए हैं :-

AUDIT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The constitution of the Audit Committee meets with the requirements of Section 177 of the Companies Act, 2013. As of 31/03/2023, the Audit Committee of the Company comprises of six Non-Executive Directors. Shri Devesh Srivastava is the Chairman of the Audit Committee w.e.f. July 15, 2021. Smt. Smita V. Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary of the Audit Committee.

The objective of the Audit Committee is to oversee and provide direction to the total audit functions of the Company i.e. supervision of internal audit and inspection within the Company and follow up action taken on points raised by the statutory/ external auditors of the Company and C&AG of India. The Board approved Terms of Reference of the Audit Committee covers all matters specified under Section 177 of the Companies Act, 2013, IRDAI Guidelines for Corporate Governance for insurers in India and the Department of Public Enterprises Guidelines for Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises.

The Audit Committee met six times during the FY 2022-23. The details of the attendance of the Members at the Audit Committee meetings along with the date of meetings of the Committee are furnished below in **Table 6**:

तालिका 6 / Table 6:

निदेशकों के नाम Name of the Director	निदेशन की प्रकृति Nature of Director-ship	समिति में पद Designation in the Committee	बैठक तिथि Meeting dated 24/05/2022	बैठक तिथि Meeting dated 05/08/2022	बैठक तिथि Meeting dated 05/09/2022	बैठक तिथि Meeting dated 10/11/2022	बैठक तिथि Meeting dated 08/02/2023	बैठक तिथि Meeting dated 17/03/2023
श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Chairman	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
श्रीमती अपर्णा भाटिया Smt. Aparna Bhatia	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री एस सी मुर्मु Shri S.C. Murmu	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
डॉ ए शक्तिवेल Dr. A. Sakthivel	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present

निवेश समिति – संगठन एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों का परिवर्तन होने के कारण कंपनी की निवेश समिति का पुनर्गठन दिनांक 31–08–2022 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निवेश समिति की पाँच बार बैठक आयोजित की गयी। निवेश समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिती एवं बैठक की तारीख के विवरण निम्नलिखित **तालिका 7** में दर्शाया गया है :

INVESTMENT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

During the FY 2022-23, the Investment Committee of the Company was re-constituted on 31/08/2022 due to change in KMPs. The Investment Committee met five times during the FY 2022-23. The details of the attendance of the Members of the Investment Committee Meetings along with the date of the meetings are furnished below in **Table 7**:

तालिका 7 / Table 7:

निदेशकों के नाम Name of the Director/ KMP	निदेशन की प्रकृति Nature of Director-ship/ Position of KMP	समिति में पद Designation in the Committee	बैठक तिथि Meeting dated 24/05/2022	बैठक तिथि Meeting dated 04/08/2022	बैठक तिथि Meeting dated 10/11/2022	बैठक तिथि Meeting dated 08/02/2023	बैठक तिथि Meeting dated 17/03/2023
श्री एम सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	कार्यपालक निदेशक Executive Director	अध्यक्ष Chairman	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर–कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
श्रीमती अपर्णा भाटिया Smt. Aparna Bhatia	गैर–कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री एस सी मुर्मु Shri S.C. Murmu	गैर–कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर–कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	गैर–कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	पूर्णकालिक निदेशक Whole-Time Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्रीमती प्रिसिल्ला सिन्हा Smt. Priscilla Sinha	नियुक्त बीमांकिक Appointed Actuary	सदस्य Member	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री यशवंत ब्रीद Shri Yashwant Breed	सी आई ओ CIO	सदस्य Member	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री ईशनाथ झा Shri Ish Nath Jha	सी एफ ओ CFO	सदस्य (31/08/2022 से) Member (from 31/08/2022)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री आनंद सिंह Shri Anand Singh	सी आर ओ CRO	सदस्य (31/08/2022 से) Member (from 31/08/2022)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री निर्दोष चोपड़ा Shri Nirdosh Chopra	सी एफ ओ एवं सी आर ओ CFO & CRO	सदस्य (31/08/2022 तक) Member (up to 31/08/2022)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

सी आर ओ – मुख्य जोखिम अधिकारी, सी एफ ओ – मुख्य वित्तीय अधिकारी, सी आई ओ – मुख्य निवेश अधिकारी, के एम पी – मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति

CRO – Chief Risk Officer, CFO – Chief Financial Officer, CIO – Chief Investment Officer, KMP – Key Managerial Person

पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति – संरचना एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी की पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति की पांच बैठकें सम्पन्न हुई। पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति के सदस्यों की बैठकों की तारीख एवं उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नलिखित **तालिका 8** में दर्शाया गया है :

POLICYHOLDERS' INTERESTS PROTECTION COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Policyholders' Interests Protection Committee of the Company met five times during the FY 2022-23. The details of the attendance of the Members at the Policyholders' Interests Protection Committee Meetings along with the date of the meetings are furnished below in **Table 8:**

तालिका 8 / Table 8:

निदेशकों के नाम Name of the Director	निदेशन की प्रकृति Nature of Director-ship	समिति में पद Designation in the Committee	बैठक तिथि Meeting dated 24/05/2022	बैठक तिथि Meeting dated 05/08/2022	बैठक तिथि Meeting dated 10/11/2022	बैठक तिथि Meeting dated 08/02/2023	बैठक तिथि Meeting dated 17/03/2023
श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	गैर–कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	अध्यक्ष Chairman	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	कार्यपालक निदेशक Executive Director	अध्यक्ष Member	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर–कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
श्री एस. सी. मुर्मु Shri S.C. Murmu	गैर–कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर–कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
डॉ ए शक्तिवेल Dr. A. Sakthivel	गैर–कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	पूर्णकालिक निदेशक Whole-Time Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present

जोखिम प्रबंधन समिति– संरचना एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2022–23 में जोखिम प्रबंधन समिति की पाँच बैठकें हुईं। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की तारीख एवं इनमें सदस्यों की उपस्थिति संबंधी विवरण **तालिका 9** में दर्शाया गया है:

RISK MANAGEMENT COMMITTEE – COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Risk Management Committee of the Company met five times during the FY 2022-23. The details of the attendance of the Members at Risk Management Committee Meetings along with the date of the meetings are furnished below in **Table 9**:

तालिका 9 / Table 9:

निदेशकों के नाम Name of the Director	निदेशन की प्रकृति Nature of Director-ship	समिति में पद Designation in the Committee	बैठक तिथि Meeting dated 24/05/2022	बैठक तिथि Meeting dated 04/08/2022	बैठक तिथि Meeting dated 10/11/2022	बैठक तिथि Meeting dated 08/02/2023	बैठक तिथि Meeting dated 17/03/2023
श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	कार्यपालक निदेशक Executive Director	अध्यक्ष Chairman	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present

निदेशकों के नाम Name of the Director	निदेशन की प्रकृति Nature of Director-ship	समिति में पद Designation in the Committee	बैठक तिथि Meeting dated 24/05/2022	बैठक तिथि Meeting dated 04/08/2022	बैठक तिथि Meeting dated 10/11/2022	बैठक तिथि Meeting dated 08/02/2023	बैठक तिथि Meeting dated 17/03/2023
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
श्रीमती अपर्णा भाटिया Smt. Aparna Bhatia	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री एस. सी. मुर्मु Shri S.C. Murmu	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	पूर्णकालिक निदेशक Whole-Time Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :

ईसीजीसी लिमिटेड एक सरकारी कंपनी होने के कारण, पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति तथा नियुक्ति के नियम एवं शर्तें (पारिश्रमिक सहित) भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं। हालांकि, निदेशक मण्डल द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एन आर सी की कोई बैठक नहीं हुई। एन आर सी के सदस्यों का विवरण नीचे **तालिका 10** में दिया गया है।

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE:

ECGC Ltd. being a Government Company, the appointment and the terms and conditions of appointment (including remuneration), of the Whole-time Directors are decided by the Government of India. However, the Board has constituted a Nomination and Remuneration Committee. No meeting of the NRC was held during the FY 2022-23. The details of the Members of the NRC are furnished below in **Table 10**.

तालिका 10 / Table 10:

निदेशकों के नाम Name of the Director	निदेशन की प्रकृति Nature of Directorship	समिति में पद Designation in the Committee	सदस्य के रूप में पदस्थ होने की दिनांक (दिन/माह/वर्ष) Date of appointment as Member (DD/MM/YYYY)
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	अध्यक्ष Chairman	23/09/2021
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	16/11/2021
श्री शिरीष चंद्र मुर्मु Shri Shirish Chandra Murmu	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	10/01/2020
श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	21/01/2020
डॉ ए. शक्तिवेल Dr. A. Sakthivel	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	09/08/2021
श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	पूर्णकालिक निदेशक Whole-Time Director	09/07/2020

ईसीजीसी 100% भारत सरकार (भा स) के स्वामित्व वाली कंपनी है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय , वाणिज्य विभाग की सिफ़ारिशों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अ प्र नि सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। निदेशक मंडल द्वारा इस प्रकार की सभी नियुक्तियों को रिकॉर्ड किया जाता है तथा आई आर डी ए आई को सूचित किए जाने सहित कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक फॉर्म भरे जाते हैं। पूर्णकालिक निदेशक की परिलब्धियों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा सरकार द्वारा नामित निदेशकों की नियुक्ति (गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में) की जाती है तथा वे किसी प्रकार की परिलब्धियों / उपस्थिती शुल्क के पात्र नहीं होते हैं। गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति (स्वतंत्र निदेशक) भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा वे (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (ii) अध्यक्ष, एक्ज़िम बैंक (iii) भारत सरकार द्वारा नामित राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा भारतीय साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक की श्रेणी को छोड़कर) भारत सरकार के निर्देशों / सांविधिक नियमों तथा विनियमों के अनुपालन में निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित निदेशक मंडल / समितियों की बैठकों में उपस्थिती के लिए उपस्थिती शुल्क के पात्र होते हैं। कंपनी ने अपने निदेशकों को किसी प्रकार के कमीशन की अदायगी नहीं की है। कंपनी ने अपने निदेशकों को किसी प्रकार का स्टॉक विकल्प प्रदान नहीं किया है। ईसीजीसी लि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनमानों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मण्डल/समिति की बैठक में भाग लेने हेतु पात्र स्वतंत्र निदेशकों को उपस्थिति शुल्क के भुगतान का विवरण नीचे **तालिका 11** में दिया गया है:

तालिका 11:

क्रसं	निदेशक का नाम	उपस्थिति शुल्क का भुगतान (रु में)
1.	डॉ ए. शक्तिवेल	2,10,000
2.	श्री अमित कुमार अग्रवाल	80,000
3.	श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा	1,20,000

ECGC is a 100% Government of India (GOI)-owned Company. Appointment of all Directors including the Chairman-cum-Managing Director is done by the President of India as per the recommendation of the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry in compliance with the guidelines of the Department of Public Enterprises. The Board takes on record all such appointments and necessary forms are filed with the Registrar of Companies including informing IRDAI. Remuneration of the Whole Time Directors is fixed by the Government of India.

The Government Nominee Directors are appointed (as Non-Executive Part-Time Government Directors) by the Ministry of Commerce & Industry and they are not entitled to any remuneration/ sitting fees. The Non-Executive Part-Time Non-Government Directors (Independent Directors) are appointed by the GOI and they (excluding Directors appointed under the category of (i) Reserve Bank of India; (ii) Chairman/ Managing Director of EXIM Bank; (iii) Chairman/Managing Director of Nationalised banks to be nominated by the Government; and (iv) Chairman/ Managing Director of General Insurance Corporation of India) are entitled to sitting fees for attending the Board/ Committee Meetings as prescribed by the Board in adherence with the Government directives/ statutory rules and regulations.

The Company has not paid any commission to its Directors. The Company has not issued any stock options to its Directors. The Pay Scales and allowances of Officers and Staff of ECGC Ltd. are approved by the GOI. The details of Sitting Fee amount paid to the eligible Independent Directors for attending the Board/ Committees Meetings during the FY 2022-23 are furnished below in **Table 11**.

Table 11:

S. No.	Name of Director	Sitting Fee Paid (in ₹)
1.	Dr. A. Sakthivel	2,10,000
2.	Shri Amit Kumar Agarwal	80,000
3.	Smt. Pratibha Kushwaha	1,20,000

निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों को परिलब्धियां

Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel

क्र सं S. No.	परिलब्धियों का विवरण Particulars of Remuneration	प्रनि/पूकानि/प्रबन्धक का नाम Name of MD/WTD/Manager	कुल राशि (रु में) Total Amount (in ₹)
		श्री एम सेंथिलनाथन, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक Shri. M. Senthilnathan Chairman-cum-Managing Director	श्री सुनील जोशी, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) Shri. Sunil Joshi Executive Director (Policy Matters)
1.	सकल वेतन (₹) / Gross salary (₹)		
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	4,105,728.00	4,161,163.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961	1,221,400.00	1,458,132.00
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961	0	0
2.	स्टॉक विकल्प / Stock Option		
3.	उद्यम इक्विटी / Sweat Equity		
4.	कमीशन / Commission - लाभ के % रूप में / as % of profit - अन्य, निर्दिष्ट / others, specify		
5.	अन्य , कृपया निर्दिष्ट करें / Others, Please specify		
	कुल (क) / Total (A)	5,327,128.00	5,619,295.00
	अधिनियम के अनुसार सीमा / Ceiling as per the Act		

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में ईसीजीसी के अधिकारियों ने भाग लिया

ECGC Officials participated in International Day of Yoga 2022

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर) एवं धारणीय विकास (एस डी) समिति:

कंपनी द्वारा सी एस आर एवं एस डी परियोजनाओं /गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए सीएसआर एवं एसडी हेतु एक समिति का गठन किया गया। श्री एम. सेंथिलनाथान दिनांक 29-04-2020 से सीएसआर एवं एसडी पर समिति के अध्यक्ष हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सी एस आर व एस समिति की पांच बार बैठकें आयोजित की गयी। सी एस आर व एस डी समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिती एवं बैठक की तारीख संबंधी विवरण **तालिका 12** में दर्शाए गए हैं:

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD) COMMITTEE:

CSR & SD Committee of the Company has been constituted for monitoring the Company's CSR & SD Projects/Activities. Shri M. Senthilnathan, CMD is the Chairman of the Committee w.e.f. 29/04/2020.

CSR & SD Committee of the Company met five times during the FY 2022-23. The details of the attendance of the Members at the Meetings of the CSR & SD Committee along with the date of the meetings are furnished below in **Table 12.**

तालिका 12 / Table 12:

निदेशकों के नाम Name of the Director	निदेशन की प्रकृति Nature of Director-ship	समिति में पद Designation in the Committee	बैठक तिथि Meeting dated 24/05/2022	बैठक तिथि Meeting dated 04/08/2022	बैठक तिथि Meeting dated 10/11/2022	बैठक तिथि Meeting dated 08/02/2023	बैठक तिथि Meeting dated 17/03/2023
श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	कार्यपालक निदेशक Executive Director	अध्यक्ष Chairman	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
श्री एस. सी. मुर्मु Shri S.C. Murmu	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present
डॉ ए. शक्तिवेल Dr. A. Sakthivel	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	पूर्णकालिक निदेशक Whole-Time Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	पस्थित Present

निदेशक मण्डल, निदेशकों तथा तथा स्वतंत्र निदेशकों की बैठक का निष्पादन मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) के अधीन निदेशक मण्डल के

PERFORMANCE EVALUATION OF THE DIRECTORS, THE BOARD AND MEETING OF THE INDEPENDENT DIRECTORS

The requirement relating to performance evaluation of

सदस्यों के प्रदर्शन मूल्यांकन से संबंधित आवश्यकता को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06 जून, 2015 के माध्यम से सरकारी कंपनियों के लिए छूट दी गई है।

अधिनियम की धारा 134(3)(पी) के प्रावधानों में निदेशक मंडल रिपोर्ट में निदेशक मंडल, समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के औपचारिक मूल्यांकन की पद्धति का उल्लेख करने की आवश्यकता है, को यदि निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है तो सरकारी कंपनियों के लिए भी छूट दी गई है। कंपनी का मूल्यांकन सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के साथ वित्तीय एवं गैर-वित्तीय लक्ष्यों के लिए अंक/भार के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से किया जाता है। कंपनी की उत्पादकता आधारित एकमुश्त प्रोत्साहन (पी एल एल आई) संबंधित मंत्रालय द्वारा ऐसे मूल्यांकन में प्राप्त अंकों/ग्रेड पर आधारित है।

डीपीई द्वारा का ज्ञा दिनांक 20/06/2013 के तहत स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक के दायरे से सभी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के निष्पादन की समीक्षा को वापस ले लिया गया है। एम सी ए द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2017 के परिपत्र के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खत में निर्दिष्ट गैर-स्वतंत्र निदेशकों और सरकारी कंपनियों के अध्यक्ष के मूल्यांकन तंत्र को भी छूट दी थी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान डी पी के दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार (दिनांक 20.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन) दिनांक 11 नवंबर 2022 को स्वतंत्र निदेशकों की बैठक हुई जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कंपनी प्रबंधन तथा निदेशक मंडल के बीच आदान प्रदान की जाने वाली जानकारी की गुणवत्ता , मात्रा तथा लिए जाने वाले समय का भी मूल्यांकन किया गया जो कि निदेशक मंडल द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए आवश्यक है।

साधारण बैठकें

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित साधारण बैठकों के विवरण निम्न **तालिका 13** में उल्लिखित है :-

Board Members under Section 178(2) of the Companies Act, 2013 is exempted for Government Companies vide circular dated June 06, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA). The provisions of Section 134(3)(p) of the Act which requires mentioning the manner of formal evaluation of the Board, Committees and individual Directors, in the Board Report is also exempted for the Government Companies, if Directors are evaluated by the Administrative Ministry. The Company's evaluation is done through annual Memorandum of Understanding (MOU) with the Department of Public Enterprises (DPE) with marks/ weight for financial and non-financial targets. The Company's Productivity-Linked Lumpsum Incentive (PLLI) is based on marks/ grade obtained in such evaluation by the respective Ministry.

The DPE vide OM dated 20/06/2013 has withdrawn review of the performance of the Chairperson of the Company after taking into account the views of all the Directors, from the purview of separate meeting of Independent Directors. The MCA had, vide circular dated July 05, 2017 also exempted evaluation mechanism of Non-Independent Directors and Chairperson of Government Companies as specified in Schedule IV to the Companies Act, 2013.

During the FY 2022-23, the Independent Directors met on November 11, 2022 as per the requirement of DPE guidelines (Office Memorandum dated 20/06/2013), inter alia, to assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the Company Management and the Board that is necessary for the Board to effectively and reasonably perform its duties.

GENERAL MEETINGS

The details of the General Meetings held during the last three years are furnished below in **Table 13**:

तालिका 13 / Table 13:

क्र सं. S. No.	वित्तीय वर्ष Financial Year	वार्षिक सामान्य बैठकों की संख्या No. of AGM	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	पारित विशेष संकल्पों की संख्या, यदि कोई हो No. of Special Resolutions passed, if any
1	2019-20	62	24, नवंबर 2020 1500 बजे November 24, 2020 1500 Hrs.	एक्सप्रेस टॉवर्स, 10वीं मंजिल, मुंबई Express Towers, 10th Floor, Mumbai	शून्य NIL
2	2020-21	63	18, नवंबर 2021 1600 बजे November 18, 2021 1600 Hrs.	उद्योग भवन, नई दिल्ली Udyog Bhawan, New Delhi	शून्य NIL
3	2021-22	64	05, सितंबर 2022 1800 बजे September 05, 2022 1800 Hrs.	वाणिज्य भवन, नई दिल्ली Vanijya Bhawan, New Delhi	04

कारोबार नैतिकता एवं आचार संहिता

निदेशक मण्डल द्वारा निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कारोबार नैतिकता एवं आचार संहिता बनाई गई है जो कंपनी की वेबसाइट (**www.ecgc.in**) पर उपलब्ध है

प्रकटन

स्वतंत्र व्यवहार के सिद्धान्त के आधार पर सामान्य कारोबारी लेनदेन के अतरिक्त कंपनी द्वारा किसी निदेशक या प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों या निजी फर्म, कंपनियों अथवा संस्थाओ में सीधे तौर पर या रिश्तेदारों के जरिए निदेशक एवं/अथवा भागीदार के रूप में उनका हित सन्निहित हो, के साथ किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण वित्तीय अथवा वाणिज्यिक व्यवहार नहीं किया गया है ।

दिनांक 17 मार्च, 2023 को निदेशक मण्डल द्वारा संबंधित पार्टी लेनदेन पर संशोधित नीति को 'संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति' नाम से अपनाया गया है। कंपनी ने भारतीय लेखा मानक – 24 की प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन के विवरण का प्रकटीकरण किया गया है और सरकारी कंपनियों को दी गई छूट पर प्रकटीकरण किया गया है।

स्वतंत्र व्यवहार के सिद्धान्त के आधार पर सामान्य कारोबारी लेनदेन के अतरिक्त कंपनी द्वारा ऐसी फर्म, कंपनियों अथवा संस्थाओ को जिनमें निदेशकों का हित सन्निहित हो को कोई भी भुगतान नहीं किया गया है ।

कंपनी ने जोखिम के मूल्यांकन और उसे कम करने के बारे में निदेशक मंडल के सदस्यों को सूचित करने के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण किया है, जिनका निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समय–समय पर मूल्यांकन किया जाता है ताकि प्रबंधन द्वारा प्रभावी जोखिम नियन्त्रण सुनिश्चित किया जा सके।

लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल समय–समय पर कंपनी पर लागू होने वाले सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं और साथ ही गैर–अनुपालन, यदि कोई हो, को सुधारने के लिए कंपनी द्वारा किए गए पहलों की समीक्षा करते हैं।

कंपनी द्वारा व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी को अंगीकृत किया गया है जिससे कंपनी के किसी कर्मचारी के संज्ञान में किसी भी स्तर पर अस्वीकार्य / अनैतिक /अथवा कदाचार का कोई कार्य आए तो वह कर्मचारी बिना किसी परिणामी भय के उस विषय मे सूचना देते हुए सुरक्षित महसूस करें।

पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सांविधिक अथवा नियामक प्राधिकरण द्वारा देश की विभिन्न संविधि से संबंधित किसी मामले में, निम्न को छोड़कर कोई दंड आरोपित नहीं किया गया है, केवल :

1. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958: स्टाम्प कार्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य द्वारा अपने पत्र दिनांक 06/01/2015 के जरिए दिनांक

CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS

The Board of Directors has laid down a Code of Business Conduct and Ethics for all the Board Members and Senior Management Personnel of the Company, which has been posted on the website of the Company (**www.ecgc.in**).

DISCLOSURE

The Company has not entered into any material financial or commercial transactions with the Directors or the Management or their relatives or the companies and firms, etc., in which they are either directly or through their relatives interested as Directors and/ or Partners except transactions carried out in the ordinary course of business at arms' length basis. On March 17, 2023 the Board adopted the revised policy on Related Party Transactions under the nomenclature 'Policy on Related Party Transactions'. The Company has disclosed details of transactions with related parties as per the disclosure requirements of Indian Accounting Standard – 24 on Related Party disclosures and the exemption granted to the Government Companies.

There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested, except transactions carried out in the ordinary course of business at arms' length basis:

The Company has laid down procedures to report to the Board of Directors about the risk assessment and its minimization, which is periodically reviewed by the Risk Management Committee of the Board, to ensure that effective risk control is exercised by the Management.

The Audit Committee and the Board periodically reviews compliance report of all laws applicable to the Company as well as steps taken by the Company to rectify instances of non-compliances, if any.

The Company has adopted a Whistle Blower Policy enabling each employee to feel safe in raising concerns about any unacceptable/ unethical practice and/or any event of misconduct, at any level, that comes to his/her notice, without fear of consequences thereof.

No penalty was imposed on the Company, by any statutory or regulatory authority, on any matter related to various statutes of the land, during the last three years, except the following:

1. The Maharashtra Stamp Act, 1958: Stamp Office, Mumbai, Maharashtra State has, vide its letter dated 06/01/2015, imposed a penalty of ₹4,46,710/- (Rupees four lakhs forty-six thousand seven hundred ten only),

07/04/2012 को प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर, यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ किए गए निर्माण अनुबंध समझौते पर देय रु. 7,20,500/ – के स्टाम्प शुल्क का भुगतान न करने पर रु. 4,46,710/– (रुपये चार लाख छियालीस हजार सात सौ दस मात्र) का जुर्माना लगाया गया।

हालांकि, कंपनी ने 22 जनवरी, 2015 को पंजीकरण के उप महानिरीक्षक को दंड से छूट के लिए अपना मामला प्रस्तुत किया है और इस मामले को संबंधित प्राधिकारी के साथ शीघ्र निर्णय के लिए लगातार अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है। चूंकि अपील मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण और पंजीकरण महानिरीक्षक (अपीलीय प्राधिकरण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे के पास आदेशों के लिए लंबित है, आज की तारीख तक इस मामले में आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 – ईसीजीसी द्वारा दिनांक 09.08.2016 को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी आदेश एवं उसके पश्चात क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सी एंड आर), मुंबई द्वारा दिनांक 18.11.2016 को जारी अदेशानुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ़ओ) में सितंबर 2010 से जुलाई 2017 की अवधि के लिए (अगस्त 2017 से शुरू हुए दैनिक वेतन अर्जकों के संबंध में ईपीएफओ के साथ नियमित पीएफ अंशदान के साथ) ईसीजीसी के दैनिक वेतन अर्जकों के पीएफ़ अंशदान को ईसीजीसी कर्मचारी भविष्य निधी ट्रस्ट से कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन को हस्तांतरित कर दिया गया एवं पीएफ अंशदान के दोनों हिस्सों अर्थात नियोक्ता और दैनिक वेतन अर्जकों की ओर से सदस्य के योगदान को उनकी संबंधित स्थान पर अगस्त, 2010 को प्रेषित किया गया।

सहायक पीएफ आयुक्त द्वारा ईपीएफओ यू/एस.7क्यू के अधीन ईपीएफ तथा एमपी अधिनियम के अधीन पीएफ अंशदान पर ब्याज के भुगतान के लिए ₹24,27,917/– और ₹43,18,042/– पर दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक अवधि के लिए नुकसान के कारण धारा 14बी के अधीन हर्जाने के भुगतान हेतु कंपनी को दिनांक 10.04.2017 का एक समन जारी किया गया था। एपीएफसी, ईपीएफओ के समक्ष पिछली सुनवाई 07 जून, 2019 को आयोजित की गई थी जिसमें एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई 07 जून, 2019 को संपन्न हुई तथा आदेश सुरक्षित हैं।

3. कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना 1976 – एपीएफसी, ईपीएफओ ने अधिनियम की धारा 14बी (और धारा 7क्यू के अधीन ब्याज के भुगतान का आदेश) के अंतर्गत कंपनी को निम्नलिखित अवधि के दौरान विलम्बित प्रेषणों के लिए तीन नोटिस दिनांक 12.03.2019 (जिसमें 10.04.2017 के समन के लिए ब्याज और जुर्माना भी शामिल है) को जारी किए :

(i) जुलाई 1989 से फरवरी 1996 तक – उक्त अवधि के लिए कुल राशि (हानि एवं ब्याज सहित) रु 1,94,395/– रही।

for non-payment of stamp duty of ₹7,20,500/- payable on the construction contract agreement entered with Project Contractor, Unity Infraprojects Limited on April 07, 2012.

However, the Company has represented its case on January 22, 2015 to the Deputy Inspector General of Registration for waiver of penalty and the matter is being continuously followed up with the respective authority for early decision. As the appeal is pending for orders with the Chief Controlling Revenue Authority and Inspector General of Registration (Appellate Authority), Maharashtra State, Pune, as on date there is no further progress in the matter.

2. The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 - ECGC while executing the order dated 09.08.2016 issued by the Regional Provident Fund Commissioner-I and further order dated 18.11.2016 issued by the Regional PF Commissioner (C&R), Mumbai, Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) had transferred the PF Contribution in respect of Casual workers from ECGC Employees' Provident Fund Trust to EPFO for the period from September 2010 to July 2017 (with regular PF Contribution with EPFO in respect of casual workers started from August 2017 onwards) and remitted both the shares of PF Contribution i.e. Employer and Member contribution on behalf of casual workers from the date of their respective engagements to August, 2010.

A Summons dated 10.04.2017 was issued to the Company by the Asst. PF Commissioner, EPFO u/s.7Q of EPF & MP Act for payment of interest on PF Contribution for ₹24,27,917/- and ₹43,18,042/- being damages u/s.14B for damages for the period from 01.04.2016 to 31.03.2017. The last hearing before APFC, EPFO was conducted on June 07, 2019 in which a detailed submission was made.

3. Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976 - APFC, EPFO has issued three notices to the Company dated 12.03.2019 (which also includes the interest and Penalty towards Summons dated 10.04.2017) Under Section 14B of the Act (and order of payment of Interest under Section 7Q) for belated remittances made during the following period:

(i) July 1989 to February 1996 - Total Amount (including damages and interest) for the period is ₹1,94,395/-

(ii) March 1996 to August 2010 - Total Amount (including damages and interest) for the period is ₹1,32,20,020/-

(ii) मार्च 1996 से अगस्त 2010 तक – उक्त अवधि के लिए कुल राशि (हानि एवं ब्याज सहित) रु 1,32,20,020/– रही।

(iii) सितंबर 2010 अगस्त 2016 तक – उक्त अवधि के लिए कुल राशि (हानी एवं ब्याज सहित) रु 81,69,947/– रही।

नोटिस की कुल राशि (हानि व ब्याज सहित) ₹2,15,84,362/– रही।

अंतिम सुनवाई सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ए पी एफ सी), ई पी एफ ओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष हुई। दिनांक जुलाई 31, 2021 के ए पी एफ सी, ई पी एफ ओ के आदेशानुसार कंपनी द्वारा ए पी एफ सी, ई पी एफ ओ को देय हानि (₹59,67,524/–) एवं ब्याज (₹1,03,19,685/–) हेतु कुल ₹1,62,87,209/– का समेकित भुगतान कर दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए पीएफ योगदान के लिए विलंबित प्रेषण के कारण गैर–अनुपालन को ठीक किया गया है और एपीएफसी, ईपीएफओ के अंतिम आदेश का कंपनी द्वारा अनुपालन किया गया है।

लेखा परीक्षित खातों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना

चूंकि 100% इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति और भारत सरकार की ओर से नामांकित सात अन्य व्यक्तियों के पास हैं कंपनी के वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लेखापरीक्षित खातों को वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा के समक्ष क्रमशः दिनांक 21 दिसंबर, 2022 एवं 16 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत किया गया।

शेयरधारकों की जानकारी

(a) **वार्षिक साधारण बैठक:** 65 वीं वार्षिक सामान्य बैठक 28 जुलाई 2023 को 11:00 बजे नई दिल्ली में आयोजित किया जाना निश्चित किया गया है।

(b) **दिनांक 31 मार्च, 2023 को शेयर धारण पद्धति:** कंपनी पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी द्वारा जारी 43,38,00,000 शेयर रु 100 प्रत्येक भारत सरकार की ओर से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित आठ सदस्यों सहित भारत के राष्ट्रपति के स्वामित्व में हैं।

(c) **पत्राचार के लिए पता:** श्रीमती स्मिता वी पंडित, कंपनी सचिव, ई सी जी सी लिमिटेड, ईसीजीसी भवन, सी टी एस नं 393,393/1 से 45, एम वी रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई– 400069. Email: csecgc.in

(iii) September 2010 to August 2016 - Total Amount (including damages and interest) for the period is ₹81,69,947/-

Total amount (including damages and interest) of the notices received is ₹2,15,84,362/-.

The last hearing before Assistant Provident Fund Commissioner (APFC), EPFO, Ministry of Labour & Employment, Government of India concluded on July 02, 2021. As per the order of APFC, EPFO dated July 31, 2021, the Company has made a consolidated payment of ₹1,62,87,209/- comprising of damages (₹59,67,524/-) and interest (₹1,03,19,685/-) payable to the office of APFC, EPFO. Non-Compliance due to delayed remittance towards PF contribution reported under Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 has been rectified and final order from APFC, EPFO has been complied with by the Company.

PLACING OF AUDITED ACCOUNTS BEFORE THE PARLIAMENT

The audited accounts for FY 2021-22 of the Company were tabled before the Lok Sabha and Rajya Sabha on December 21, 2022 and December 16, 2022 respectively, in compliance with the statutory requirements in that regard, as 100% Equity Shares are held by the President of India and seven other nominees, on behalf of the Government of India.

SHAREHOLDERS' INFORMATION

(a) **Annual General Meeting:** The 65th Annual General Meeting is scheduled to be held at 1100 Hrs. on July 28, 2023 in New Delhi.

(b) **Shareholding Pattern as of March 31, 2023:** The Company is fully owned by the Government of India. The President of India holds the entire lot of 43,38,00,000 Equity Shares of ₹100 each fully paid up, issued by the Company including eight of those shares which are held by the nominees of the President of India, on behalf of the Government of India.

(c) **Address for Correspondence:** Smt. Smita V. Pandit, Company Secretary, ECGC Limited, ECGC Bhawan, CTS No. 393, 393/1 to 45, M.V. Road, Andheri East, Mumbai - 400069. Email: cs@ecgc.in

संचार के माध्यम

- **वेबसाइट:** कंपनी की वेबसाइट **www.ecgc.in** में हमारे विषय में अनुभाग के अधीन वित्तीय परिणामों पर एक अलग अनुभाग शामिल है। उपयोगकर्ता अनुकूल एवं डाउनलोड अनुकूल पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट भी उपलब्ध है

MEANS OF COMMUNICATION

- **Website:** The Company's website viz., **www.ecgc.in** contains a separate dedicated section on financial results under Section "About Us". The full Annual Report is also available on the website in user friendly and downloadable form.

- **वित्तीय परिणाम:** कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट www.ecgc.in पर वार्षिक, अर्ध–वार्षिक एवं तिमाही परिणाम नियमित रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं।
- **वार्षिक रिपोर्ट:** वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है, को सदस्यों और इसके हकदार अन्य लोगों को परिचालित किया जाता है। अनुलग्नक IV में दी गई प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण (एमडी एंड ए) रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

कृते निदेशक मण्डल एवं उनकी ओर से

एम. सेंथिलनाथन
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डी आई एन 07376766

स्थान: मुंबई
दिनांक: मई 04, 2023

घोषणा

निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मण्डल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की जाती हैं।

एम. सेंथिलनाथन
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डी आई एन 07376766

स्थान: मुंबई
दिनांक: मई 04, 2023

कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

मैं, स्मिता वी. पंडित एतद्वारा प्रमाणित करती हूं कि कंपनी द्वारा समय–समय पर संशोधित बीमा कंपनी के लिए कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देशों का पालन किया गया है तथा कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

स्मिता वी. पंडित
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक: मई 04, 2023

- **Financial Results:** The annual, half-yearly and quarterly results are regularly posted by the Company on its website www.ecgc.in.
- **Annual Report:** The Annual Report, containing, inter alia, Audited Annual Accounts, Directors' Report, Auditors' Report, and other important information, is circulated to the Members and others entitled thereto. The Management's Discussion and Analysis (MD&A) Report placed at Annexure IV forms part of the Directors' Report.

For and on behalf of the Board of Directors

M. Senthilnathan
Chairman-cum-Managing Director
DIN 07376766

Place : Mumbai
Date: May 04, 2023

Declaration

The Members of the Board and Senior Management Personnel have affirmed compliance of the Code of Conduct for Board Members and Senior Management Personnel for the Financial Year ended on March 31, 2023.

M. Senthilnathan
Chairman-cum-Managing Director
DIN 07376766

Place : Mumbai
Date: May 04, 2023

CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF THE CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

I, Smita V. Pandit hereby certify that the Company has generally complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Company as amended from time-to-time and nothing has been concealed or suppressed.

Smita V. Pandit
Company Secretary

Place : Mumbai
Date: May 04, 2023

FORMING PART OF CORPORATE GOVERNANCE

Ragini Chokshi & Co.
Company Secretaries
34, Kamer Building, 5th Floor, 38 Cawasji Patel Street, Fort, Mumbai - 400 001.
E-mail : ragini.c@rediffmail.com / mail@csraginichokshi.com
web: csraginichokshi.com
Tel. : 022-2283 1120
022-2283 1134

Date : 21 · 04 · 2023

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE FOR F.Y.2022-23

To,
The Members
ECGC Limited,
ECGC Bhawan, CTS No.393,393/1 to 45,
M.V Road, Andheri East,
Mumbai – 400069.

We have examined the compliance conditions of Corporate Governance by **ECGC Limited** (the "Company") **CIN: U74999MH1957GOI010918** in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with Guidelines issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Undertakings on May 14, 2010 for the Financial Year 2022-23. The Company is a Government of India Enterprise with full equity participation from the Government of India.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementations thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the Company.

Based on our examination of the relevant records and to the best of our information and according to the explanations furnished to us, we certify that the Company has maintained proper records and complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the DPE Guidelines, 2010 on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises for the Financial Year Ended 31st March, 2023.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Ragini Chokshi & Co.
(Company Secretaries)

Place: Mumbai
Date: 21.04.2023

Ragini Chokshi
(Partner)
M. No: 2390
C. P. No: 1436
UDIN: F002390E000161626

Annexure II

CS

Ragini Chokshi & Co.
Company Secretaries

Tel. : 022-2283 1120
022-2283 1134

34, Kamer Building, 5th Floor, 38 Cawasji Patel Street, Fort, Mumbai - 400 001.
E-mail : ragini.c@rediffmail.com / mail@csraginichokshi.com
web: csraginichokshi.com

Date : 21 · 04 · 2023

FORM NO MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]
For the period 01-04-2022 TO 31-03-2023

To,
The Members,
ECGC Limited,
ECGC Bhawan, CTS No. 393, 393/1 to 45,
M.V Road, Andheri East,
Mumbai – 400069.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **ECGC Limited** (CIN: U74999MH1957GOI010918) (hereinafter called "**the Company**"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering 1st April, 2022 to 31st March, 2023 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the audit period 1st April, 2022 to 31st March, 2023 according to the provisions of:

i. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;
ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder **(not applicable as the Company is unlisted)**;
iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws Framed thereunder **(not applicable as the Company is unlisted)**;
iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial borrowing;
v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India

RAGINI CHOKSHI & CO. Company Secretaries C.P. 1436 MUMBAI

Act, 1992 ('SEBI Act'):-

a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 **(not applicable as the Company is unlisted);**

b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 **(not applicable as the Company is unlisted);**

c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 **(not applicable as the Company is unlisted);**

d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 **(not applicable as the Company is unlisted);**

e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 **(not applicable as the Company is unlisted);**

f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client **(not applicable as the Company is unlisted);**

g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 **(not applicable as the Company is unlisted); and**

h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 **(not applicable as the Company is unlisted).**

We have relied on the representation made by the Company and its Officers for systems and mechanism formed by the Company for compliances under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Company.

We are of the opinion that the management has complied with the following laws specifically applicable to the Company:

1. Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines, 2010;
2. Insurance Regulatory Development Authority Act, 1999 and the rules made thereunder;
3. Insurance Act, 1938 and Insurance (Amendment) Act, 2015;
4. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules made there under.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

a) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

b) The Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Listing Agreements entered into by the Company with Stock Exchanges **(not applicable as the Company is unlisted);**

During the period under review the Company has complied with the provisions of the applicable Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc.

We further report that,

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in

RAGINI CHOKSHI & CO.
Company Secretaries
C.P. 1436
MUMBAI

compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, the Company had following specific events or actions which might have a bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.:

1. Cessation of Shri Nirdosh Chopra, General Manager from the position of Chief Financial Officer of the Company with effect from 31st August, 2022.
2. Appointment of Shri Ish Nath Jha, General Manager as the Chief Financial Officer of the Company with effect from 31st August, 2022.
3. Appointment of Shri Anand Singh, General Manager as the Chief Risk Officer of the Company with effect from 31st August, 2022.
4. Increase in the Authorised Share Capital of the Company from ₹5000 Crore to ₹10000 Crore with effect from 05th September, 2022 and incorporation of clause 4(1) in the Articles of Association.
5. Change in address of Registered Office of the Company within the same city/town/village with effect from 10th November, 2022.
6. Issuance and allotment of 3,88,00,000 (Three crore eighty-eight lakh) fully paid-up Equity Shares of ₹100 each for cash at par in favour of the President of India on 10th February, 2023.

Place: Mumbai
Date: 21.04.2023

For Ragini Chokshi & Co.
(Company Secretaries)

RAGINI CHOKSHI & CO. Company Secretaries C.P. 1436 MUMBAI

R. K. Chokshi

Ragini Chokshi
(Partner)
C.P. No: 1436
FCS No: 2390
UDIN: F002390E000161681

अनुलग्नक III

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें पूर्ण की गई परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति और परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के लिए वेब–लिंक का संदर्भ शामिल है।

कंपनी ने 2014 में सीएसआर पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों को अपनाया है तथा निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर नीति को अनुमोदित किया गया है। कंपनी की सीएसआर पहल की निगरानी के लिए निदेशक मंडल की एक सीएसआर समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर कुल ₹13.80 करोड़ की धनराशि खर्च की गई । इसके अतरिक्त, पूर्व में प्रारम्भ की गई परियोजनाओं के लिए यूसीएसआर खाते में ₹1.51 करोड़ का आवंटन किया गया है एवं वित्तिय वर्ष 2022–23 के लिए स्वच्छ भारत कोष (एसबीके) को ₹0.0368 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है।

कंपनी ने आकांक्षी जिला, राजगढ़, मध्य प्रदेश के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ₹480 लाख की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है तथा मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित 140 सरकारी विद्यालयों में सौर ऊर्जा बैकअप के साथ स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है। कंपनी

Annexure III

ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

A BRIEF OUTLINE OF THE COMPANY'S CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) POLICY, INCLUDING OVERVIEW OF PROJECTS OR PROGRAMS UNDERTAKEN AND A REFERENCE TO THE WEB-LINK TO THE CSR POLICY AND PROJECTS OR PROGRAMS.

The Company has adopted the revised guidelines issued by the Department of Public Enterprise (DPE) on CSR in 2014 and has a Board approved CSR policy. A CSR Committee of the Board has been constituted to monitor the CSR initiatives of the Company. An aggregate amount of ₹13.80 crore was spent on CSR Activities of the Company during FY 2022-23. Further, allocation of ₹1.51 crore has been made in the UCSR account for the projects already initiated and an amount of ₹0.0368 crore has been paid to the Swachha Bharat Kosh (SBK) for the FY 2022-23.

The Company made a commitment of ₹480 lakh for FY 2022-23 for the Aspirational District, Rajgarh, Madhya Pradesh and approved the proposal of setting up smart classroom with solar power backup in 140 Government

ईसीजीसी ने सीएसआर पहल के अंतर्गत – सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान दिया

ECGC contributing to Armed Forces Flag Day Fund under CSR initiative

को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) के माध्यम से ट्रांसफॉर्मिंग एम-वार्ड परियोजना के परिवर्तन यानी मुंबई में एम-पावर लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर, एम-वार्ड को अपना समर्थन जारी रखा है। एम-पॉवर अपने छात्रों को सभी स्ट्रीम (कला, विज्ञान, वाणिज्य) की पाठ्य पुस्तकों के साथ एक पुस्तकालय प्रदान करता है। इसमें एमपीएससी, यूपीएससी, एनईईटी आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक किताबें भी हैं। पुस्तकालय न केवल छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि इसमें पत्रिका और जर्नल सदस्यता, कई भाषाओं में समाचार पत्र और पढ़ने और सीखने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए कथा संग्रह भी शामिल है।

इन कार्यक्रमों के अधीन, टी आई एस एस द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं, कंप्यूटर शिक्षा, संवादात्मक अंग्रेजी, कैरियर मार्गदर्शन, जीवन कौशल शिक्षा आदि के लिए कोचिंग के माध्यम से मार्गदर्शन जारी है। सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रमुख कार्यान्वयन भागीदारों में जिलाधिकारी कार्यालय, राजगढ़, मध्य प्रदेश (आकांक्षी जिला), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस), विवेकानंद केंद्र, स्नेहालय, एसओएस चिल्ड्रन्स विलेज ऑफ इंडिया, वॉयस ऑफ वर्ल्ड, डेवलपमेंट एजुकेशन एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज्ड इन सोसाइटी (डीड्स), कंसर्न इंडिया फाउंडेशन, सीकेएस फाउंडेशन, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, होप कोलकाता फाउंडेशन, भारत सेवाश्रम संघ, रोटरी तिरुपुर प्राइम ट्रस्ट, एलिम्को – भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, विद्यांजलि योजना (शिक्षा मंत्रालय), केंद्रीय सैनिक बोर्ड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और विवेकानंद चिकित्सा मेडिकल मिशन शामिल हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, कौशल विकास, विकलांगों को सहायता, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष, सीआरपीएफ कल्याण कोष और स्वच्छ भारत कोष में अंशदान कर, योगदान के क्षेत्र में कई पहल की गई हैं।

कंपनी ने कौशल विकास, आतिथ्य और खुदरा व्यापार में दिव्यांग युवाओं के प्रशिक्षण पर केंद्रित परियोजनाओं हेतु समर्थन करना जारी रखा है जिसे मुंबई में डेवलपमेंट एजुकेशन एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज्ड इन सोसाइटी

ईसीजीसी अधिकारियों द्वारा सीएसआर पहल के अंतर्गत एम-पावर लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर फॉर मारजिनलाइज्ड सेक्सन के एम-वार्ड, देवनार का दौरा किया गया

ECGC officials visiting M-Power Library and Study Centre for Marginalized Section at M-Ward, Deonar supported under Company's CSR initiative

schools of Rajgarh District, Madhya Pradesh. The Company has continued its support to Transforming M-Ward Project i.e. M-Power Library and Study Centre in Mumbai, M-Ward through the Tata Institute of Social Sciences (TISS). The M-Power offers its students a library stocked with textbooks of all stream (Arts, Science, Commerce). It has books to aid preparation for competitive examinations like MPSC, UPSC, NEET, etc. The library not only caters to the academic needs of the students but also includes magazine and journal subscription, newspapers in multiple languages and collection of fiction to foster general reading and learning habits. Under these programs, the TISS continues with the coaching for competitive exams, computer education, conversational English, career guidance, life skill education, etc. The major implementation partners for CSR activities are the Office of the District Collector, Rajgarh, Madhya Pradesh (Aspirational District), the TATA Institute of Social Sciences (TISS), Vivekananda Kendra, Snehalaya, SOS Children's Village of India, Voice of world, Development Education Empowerment of Disadvantaged in Society (DEEDS), Concern India Foundation, CKS foundation, Christian Medical College, HOPE Kolkata Foundation, Bharat Sevashram Sangha, Rotary Tirupur Prime Trust, ALIMCO – Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Vidyanjali Scheme (Ministry of Education), Kendriya Sainik Board, Central Reserve Police Force (CRPF) and Vivekananda Medical Mission. A number of initiatives have been undertaken in the field of education, health care, nutrition, skill development, support to differently-abled, contribution to the Armed Forces Flag Day Fund, CRPF Welfare Fund and to Swachh Bharat Kosh.

The Company continued to support projects on skill development, training of deaf youth in hospitality and retail

(डीईईडीएस) द्वारा कार्यान्वित किया गया। कंपनी ने वर्ष के दौरान विवेकानंद केंद्र के माध्यम से विस्तारित परियोजनाओं, ओडिशा में मोबाइल मेडिकेयर यूनिट और उत्तर पूर्व में चिकित्सा गतिविधियों को समर्थन प्रदान किया है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर - तमिलनाडु ने चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए समर्थन देने का अनुरोध किया है। कंपनी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और सीएमसी वेल्लोर को समर्थन प्रदान किया है। कंपनी ने शिक्षा सहायता कार्यक्रम - अम्चा घर, उत्तान, भायंदर, ठाणे जिले को भी समर्थन प्रदान किया है।

साथ ही, केंद्रीय सैनिक निदेशक मंडल के माध्यम से भारतीय रक्षा सेवाओं के पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) में ₹50.00 लाख का योगदान दिया गया गया है। सीआरपीएफ कल्याण कोष में ₹37.55 लाख का अंशदान किया गया है।

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

i. संगठन में अपने हितधारकों के हितों को पहचानते समय सभी स्तरों पर प्रतिबद्धताओं की वृद्धि की सुनिश्चित करना, व्यापार को आर्थिक, सामाजिक पर्यावरणीय तरीके से संचालित करना।

ii. प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्यक्रमों को संचालित करना जो अपने विभिन्न कार्यालयों में और आसपास के समुदायों को लाभान्वित करते हैं जो स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण को बढ़ाते हैं।

iii. समाज के कमजोर, वंचित एवं हाशिए के वर्गों को सशक्त बनाने वाली गतिविधियों को लागू करना।

iv. अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच कंपनी के लिए सद्भावना और गौरव उत्पन्न करना और एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में कंपनी की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को सुदृढ़ करने में मदद करना।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

trade, implemented by Development Education Empowerment of Disadvantaged in Society (DEEDS) in Mumbai. The Company supported the extended projects, Mobile Medicare Unit in Odisha and Medical activities in North East through Vivekananda Kendra during the year. Christian Medical College, Vellore - Tamil Nadu has requested to extend support towards purchase of medical equipment. The Company has approved the proposal and extended support to CMC Vellore. The Company also supported Education support programme – Amcha Ghar, Uttan, Bhayander, Dist. Thane.

Further, a contribution of ₹50.00 lakh was made to the Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF) towards Welfare of Ex-Servicemen of the Indian Defence Services through the Kendriya Sainik Board. A contribution of ₹37.55 lakh has been made to the 'CRPF Welfare Fund.

1. Brief outline on CSR Policy of the Company:

i. To ensure an increased commitment at all levels, in the organization, to operate its business in an economically, socially and environmentally sustainable manner, while recognizing the interests of all its stakeholders.

ii. To directly/indirectly take up programs that benefit the communities in and around its various offices that enhance quality of life and well-being of the locals.

iii. To implement activities that empower weaker, less privileged and marginalized sections of the society.

iv. To generate, through its CSR initiatives, goodwill and pride for the Company among stakeholders and help reinforce a positive and socially responsible image of the Company as a corporate entity.

2. Composition of CSR Committee:

क्र.सं. S. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	पदनाम Designation	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तिथि (तिथि/माह/वर्ष) Date of appointment as a Member (DD/MM/YYYY)	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/ उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure
1.	श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड Chairman-cum-Managing Director, ECGC Limited	29/04/2020	5/5
2.	श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार Joint Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India	16/11/2021	2/5

3.	श्री एस. सी. मुर्मु Shri S.C. Murmu	कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक Executive Director, Reserve Bank of India	10/01/2020	1/5
4.	सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात–आयात बैंक Managing Director, Export-Import Bank of India	23/09/2021	3/5
5.	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, भारतीय सामान्य बीमा निगम Chairman-cum-Managing Director, General Insurance Corporation of India	21/01/2020	3/5
6.	डॉ. ए. शक्तिवेल Dr. A. Sakthivel	अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठनों का संघ President, Federation of Indian Export Organizations	09/08/2021	4/5
7.	श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले), ईसीजीसी लिमिटेड Executive Director (Policy Matters), ECGC Limited	09/07/2020	4/5

3. कंपनी की वेबसाइट: **www.ecgc.in** पर वेब–लिंक पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटीकरण किया गया।

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें): **प्रभाव आकलन रिपोर्ट संलग्न है**

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में उपलब्ध राशि के समायोजन का विवरण एवं वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (₹ में)
		कुछ नहीं	कुछ नहीं

6. कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: ₹716.04 करोड़

7. (क) कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: ₹14.32 करोड़, सीएसआर के लिए आवंटित बजट ₹14.40 करोड़

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: **कुछ नहीं**

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि: यदि कोई हो: **कुछ नहीं**

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख+7ग): ₹14.40 करोड़

8. क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अथवा व्यय ना की गई सीएसआर राशि:

3. The web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the Board are disclosed on the website of the Company: **www.ecgc.in**

4. The details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report): **Impact assessment report enclosed.**

5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any:

S. No.	Financial year	Amount available for set-off from preceding financial year (in ₹)	Amount required to be set-off for the financial year, if any (in ₹)
		NIL	NIL

6. Average net profit of the Company: ₹716.04 crore

7. (a) Two percent of average net profit of the company: ₹14.32 crore, Budget allotted for CSR ₹14.40 crore

(b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years: **NIL**

(c) Amount required to be set off for the financial year, if any: **NIL**

(d) Total CSR Obligation for the financial year (7a+7b+7c): ₹14.40 crore

8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ में) Total amount spent for the Financial Year (in ₹)	व्यय ना की गई राशि (₹ में) Amount unspent (in ₹)				
	व्यय ना की गई सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि Total Amount transferred to Unspent CSR Account		अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि Amount Transferred to any fund specified under Schedule VII		
	राशि Amount	हस्तांतरण की तिथि Date of transfer	राशि Name of the fund	राशि Amount	राशि Date of transfer
13.80 करोड़ / crore	1.51 करोड़ / crore	21.04.2023	स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट SWACHH BHARAT KOSH TRUST	0.0368 करोड़ / crore	21.04.2023

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के प्रति व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण: ₹11.05 करोड़ (**परिशिष्ट देखें**)

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान के चल रही परियोजनाओं के अतरिक्त अन्य मद पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: ₹1.69 करोड़ (**परिशिष्ट देखें**)

(घ) प्रशासनिक मदों में खर्च की गई राशि **₹5.7 लाख**

(च) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: **₹4.3 लाख**

(छ) वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित और वितरित की गई कुल राशि **₹14.40 करोड़**

(ज) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि **₹13.80 करोड़**

(झ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो – **कुछ नहीं**

क्र.सं.	विवरण	राशि ₹ में
(i)	कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	₹14.32 करोड़ (सीएसआर हेतु आवंटित बजट ₹14.40 करोड़)
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	₹13.80 करोड़
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि	कुछ नहीं
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	कुछ नहीं
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि ((iii)–(iv))	कुछ नहीं

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए व्यय ना की गई सीएसआर राशि का विवरण:

- वर्तमान में चल रही परियोजनाओं से (यूसीएसआर खाते में स्थानांतरित) संबंधित ₹1,51,22,500/– एवं

b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year: ₹11.05 crore (**Refer Appendix**)

(c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year: ₹1.69 crore (**Refer Appendix**)

(d) Amount spent in Administrative overheads **₹5.7 lakh**

(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable: **₹4.3 lakh**

(f) Total amount allocated and disbursed for the Financial Year **₹14.40 core**

(g) Total amount spent for the Financial Year **₹13.80 crore**

(h) Excess amount for set off, if any - **NIL**

S. No.	Particular	Amount in ₹
(i)	Two percent of average net profit of the Company	₹14.32 crore (budget allotted for CSR ₹14.40 crore)
(ii)	Total amount spent for the financial year	₹13.80 crore
(iii)	Excess amount spent for the financial year	NIL
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	NIL
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years ((iii)-(iv))	NIL

9. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

- ₹1,51,22,500/- pertains to Ongoing projects (Transferred to UCSR A/c) and

- स्वच्छता कार्य योजना गतिविधियों (स्वच्छ भारत कोष में स्थानांतरित) के लिए आवंटित बजट के अंतर्गत कम व्यय के कारण ₹3,68,662.44/– शेष राशि से संबंधित है।

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष(र्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

- ₹3,68,662.44/- pertains to balance amount due to lower expenses under budget allocated for Swachata Action Plan Activities. (Transferred to Swachh Bharat Kosh)

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year (s):

क्रम संख्या S. No.	परियोजना आईडी Project ID	परियोजना का नाम Name of the Project	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना प्रारम्भ हुई Financial Year in which the project was commenced	परियोजना अवधि Project Duration	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि Total Amount Allocated for the project	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि Amount spent on the project in the reporting Financial year	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि Cumulative amount spent at the end of the reporting Financial year	शेष प्रतिबद्धता Balance commitment	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/सक्रिय) Status of the Project (completed/ On-going)
1	स्वास्थ्य Health	विवेकानंद केंद्र– उत्तर पूर्व – एक्सरे मशीन तथा आकस्मिक जनरेटर की खरीद (स्वास्थ्य) Vivekanand Kendra - North East - Purchase of X ray machine and emergency generator (health) by Board	2021-22	एक वर्ष One year	1600000	1600000	1600000	0	पूर्ण Completed
2	शिक्षा Education	सीकेएस फाउंडेशन उत्तराखंड – प्रबंधक मंडल द्वारा अनुमोदित (शिक्षा)** CKS Foundation, Uttarakhand - approved by Board (education)**	2021-22	एक वर्ष One year	3610000	902500	3610000	0	पूर्ण Completed
3	स्वास्थ्य Health	स्नेहालय अहमदनगर– आईएसईएस द्वारा अनुमोदित (स्वास्थ्य) Snehalaya, Ahmednagar - approved by ISEC (health)	2021-22	एक वर्ष One year	1683000	841500	1683000	0	पूर्ण Completed
4	शिक्षा Education	एसओएस चिल्ड्रेन विलेज ऑफ इंडिया– गुवाहाटी में स्थित एक गांव SOS Children's village of India - village at Guwahati location	2021-22	एक वर्ष One year	1512000	512000	1512000	0	पूर्ण Completed
		कुल / TOTAL			**8405000**	**3856000**	**8405000**	**0**	

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें: **लागू नहीं**

11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135 (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है: **9 (क) का संदर्भ लें**

(ईशनाथ झा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(एम. सेंथिलनाथन)
अप्रनि एवं सीएसआर समिति के अध्यक्ष
डीआईएन 07376766

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year: **Not applicable**

11. Specify the reason(s), if the Company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135 (5): **Refer 9 (a)**

(Ishnath Jha)
Chief Financial Officer

(M. Senthilnathan)
CMD & Chairman of the CSR Committee
DIN 07376766

सी एस आर दायित्व विवरण

कंपनी द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सी एस आर नीति को अपनाया गया है एवं उसकी अपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सी एस आर नीति है। कंपनी की सी एस आर गतिविधियां स्वास्थ्य, पोषण, प्राथमिक शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका सुनिश्चित करने, पर्यावरण, सतत् विकास, महिला सशक्तिकरण, दिव्यांगो के लिए सेवाओं को सशक्त करने और अनुसूचित जनजाति समुदाय के समर्थन से संबंधित हैं। सी एस आर गतिविधियों का कार्यान्वयन एवं निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुकरण में है।

(एम. सेंथिलनाथन)
सीएसआर समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष
डीआईएन 07376766

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 04 मई, 2023

CSR RESPONSIBILITY STATEMENT

The Company has adopted the CSR Policy as per the guidelines issued by the Department of Public Enterprises and has a Board approved CSR Policy. The Company's CSR activities relate to health, nutrition, primary education, skill development, ensuring livelihood, environment, sustainable development, women empowerment, strengthening services for the differently-abled and support to Scheduled Tribe community. The implementation and monitoring of the CSR activities is in compliance with the CSR objectives and Policy of the Company.

(M. Senthilnathan)
CEO & Chairman of the CSR Committee
DIN 07376766

Place: Mumbai
Date: May 04, 2023

अनुलग्नक III का परिशिष्ट
Appendix to Annexure III

वित्तीय वर्ष के दौरान जारी परियोजनाओं पर किए गए सी एस आर राशि के व्यय का विवरण:
Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

क्र सं S. No	परियोजना अथवा गतिविधी का नाम Name of the Project or Activity	अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची Item from the list of Activities in Schedule VII	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं) Local Area (Yes/No)	परियोजना का स्थान– राज्य Location of the Project-State	जिला District	परियोजना की अवधि (माह में) Project Duration (In Months)	परियोजना के लिए आबंटित राशि Amount allocated for the project	चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि (रु.में) Amount spent in the FY (In Rs.)	धारा 135 (6) के अनुकरण में परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित व्यय ना की गई राशि Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per section 135(6)	कार्यान्वयन की पद्धति – प्रत्यक्ष (हाँ /नहीं) Mode of Implementation-Direct (Yes/No)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन की पद्धति– सीएसआर पंजी. सं Mode of Implementation Through Implementing Agency - CSR Regn No.	नाम Name
1	होप कोलकाता फाउंडेशन HOPE Kolkata Foundation	पोषण Nutrition	नहीं No	पश्चिम बंगाल West Bengal	कोलकाता Kolkata	एक वर्ष One year	1186000	1186000	0	नहीं No	सीएसआर CSR00 000338	होप कोलकाता फाउंडेशन HOPE Kolkata Foundation
2	तारा संस्थान, उदयपुर Tara Sansthan, Udaipur	स्वास्थ्य Health	नहीं No	यूपी UP	गाज़ियाबाद Ghaziabad	एक वर्ष One year	1748000	1748000	0	नहीं No	सीएसआर CSR00 003030	तारा संस्थान Tara Sansthan,
3	सी के एस फाउंडेशन, नई दिल्ली CKS Foundation, New Delhi	शिक्षा Education	नहीं No	उत्तराखंड Uttara khand	देहरादून Dehradun	एक वर्ष One year	4350000	3262500	1087500	नहीं No	सीएसआर CSR00 009044	सी के एस फाउंडेशन CKS Foundation
4	टिस (टाटा इन्सट्यूट ऑफ सोशल साइंस) TISS (Tata Institute of Social Science)	शिक्षा Education	हाँ Yes	महाराष्ट्र Maha rashtra	मुंबई Mumbai	एक वर्ष One year	7000000	7000000	0	नहीं No	सीएसआर CSR00 003475	टिस (टाटा इन्सट्यूट ऑफ सोशल साइंस) TISS (Tata Institute of Social Science)
5	विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी Vivekananda Kendra, Kanyakumari	शिक्षा Education	नहीं No	अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	ईटानगर Itanagar	एक वर्ष One year	20000000	12000000	8000000	नहीं No	सीएसआर CSR00 005526	विवेकानंद केंद्र Vivekananda Kendra

क्र सं S. No	परियोजना अथवा गतिविधी का नाम Name of the Project or Activity	अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची Item from the list of Activities in Schedule VII	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं) Local Area (Yes/ No)	परियोजना का स्थान–राज्य Location of the Project-State	जिला District	परियोजना की अवधि (माह में) Project Duration (In Months)	परियोजना के लिए आबंटित राशि Amount allocated for the project	चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि (रु.में) Amount spent in the FY (In Rs.)	धारा 135 (6) के अनुकरण में परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित व्यय ना की गई राशि Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per section 135(6)	कार्यान्वयन की पद्धति – प्रत्यक्ष (हाँ /नहीं) Mode of Impleme-ntation-Direct (Yes/No)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन की पद्धति– सीएसआर पंजी. सं Mode of Impleme-ntation Through Impleme-nting Agency - CSR Regn No.	नाम Name
6	रोटरी तिरुपुर प्राइम ट्रस्ट Rotary Tirupur Prime Trust	स्वास्थ्य Health	नहीं No	तमिलनाडु Tamil Nadu	तिरुपुर Tirupur	एक वर्ष One year	20000000	20000000	0	नहीं No	सीएसआर CSR00 010527	रोटरी तिरुपुर प्राइम ट्रस्ट Rotary Tirupur Prime Trust
7	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन Swami Vivekananda Medical Mission	शिक्षा एवं स्वच्छता Education and Sanitation	नहीं No	केरल Kerala	इडुक्की जिला तथा नेल्लीपठी, पल्लक्कड Idukki Dist. & Nellipathi, Palakkad	एक वर्ष One year	7000000	2000000	5000000	नहीं No	सीएसआर CSR00 002488	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन Swami Vivekananda Medical Mission
8	आमचाघर Amchaghar	शिक्षा Education	हाँ Yes	महाराष्ट्र Maha-rashtra	उत्तान, पालघर Uttan, Palghar	एक वर्ष One year	1500000	1500000	0	नहीं No	सीएसआर CSR00 000102	आमचाघर Amchaghar
9	अलिम्को – भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ALIMCO – Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India	स्वास्थ्य Health	नहीं No	केरल Kerala	कोल्लम Kollam	एक वर्ष One year	2000000	1800000	200000	नहीं No	सीएसआर CSR00 000532	अलिमको–भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ALIMCO – Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India
10	डीड्स–डेवलपमेंट,एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज़ड इन सोसाइटी DEEDS - Development Education Empowerment of the Disadvantaged in Society	कौशल विकास Skill Development	हाँ Yes	महाराष्ट्र Maha-rashtra	मुम्बई Mumbai	एक वर्ष One year	2440000	2440000	0	नहीं No	सीएसआर CSR00 000703	डीड्स–डेवलपमेंट, एजुकेशनएंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज़ड इन सोसाइटी DEEDS - Development Education Empowerment of the Disadvantaged in Society

क्र सं S. No	परियोजना अथवा गतिविधी का नाम Name of the Project or Activity	अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची Item from the list of Activities in Schedule VII	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं) Local Area (Yes/ No)	परियोजना का स्थान– राज्य Location of the Project- State	जिला District	परियोजना की अवधि (माह में) Project Duration (In Months)	परियोजना के लिए आबंटित राशि Amount allocated for the project	चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि (रु.में) Amount spent in the FY (In Rs.)	धारा 135 (6) के अनुकरण में परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित व्यय ना की गई राशि Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per section 135(6)	कार्यान्वयन की पद्धति – प्रत्यक्ष (हाँ / नहीं) Mode of Impleme-ntation-Direct (Yes/No)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन की पद्धति– सीएसआर पंजी. सं Mode of Impleme-ntation Through Impleme-nting Agency - CSR Regn No.	नाम Name
11	कंसर्न इंडिया फाउंडेशन मुम्बई Concern India Foundation, Mumbai	स्वास्थ्य Health	नहीं No	तेलंगाना Telangana	रंगा रेड्डी Ranga Reddy	एक वर्ष One year	2085000	1250000	835000	नहीं No	सीएसआर CSR00 000898	कंसर्न इंडिया फाउंडेशन Concern India Foundation
12	स्टेम लर्निंग/सेवा सहयोग, मुम्बई STEM Learning /Seva Sahyog, Mumbai	पोषण Nutrition	नहीं No	पश्चिम बंगाल West Bengal	कोलकाता Kolkata	एक वर्ष One year	559965	559965	0	नहीं No	सीएसआर CSR00 000756	स्टेम लर्निंग/ सेवा सहयोग STEM Learning / Seva Sahyog, Mumbai
13	सीएमसी वेल्लोर CMC Vellore	स्वास्थ्य Heath	नहीं No	तमिलनाडु Tamil Nadu	वेल्लोर Vellore	एक वर्ष One year	5000000	5000000	0	नहीं No	सीएसआर CSR00 001924	सीएमसी वेल्लोर CMC Vellore
14	दुर्गाबाई देशमुख आंध्र महिला सभा, चेन्नई Durgabai Deshmukh/ Andhra Mahila Sabha, Chennai	स्वास्थ्य Health	नहीं No	तमिलनाडु Tamil Nadu	चेन्नई Chennai	एक वर्ष One year	1400000	1400000	0	नहीं No	सीएसआर CSR00 016213	दुर्गाबाई देशमुख आंध्र महिला सभा Durgabai Deshmukh/ Andhra Mahila Sabha
15	वॉइस ऑफ वर्ल्ड, कोलकाता Voice of World, Kolkata	शिक्षा एवं स्वच्छता Education and Health	नहीं No	पश्चिम बंगाल West Bengal	कोलकाता Kolkata	एक वर्ष One year	1398000	1398000	0	नहीं No	सीएसआर CSR00 003390	वॉइस ऑफ वर्ल्ड Voice of World
16	आकांक्षी जिला – राजगढ़ Aspirational Dist - Rajgarh	आकांक्षी जिले राजगढ में विकास गतिविधियां Development activities in aspirational Dist. Rajgarh	नहीं No	मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	राजगढ Rajgarh	एक वर्ष One year	48000000	48000000	0	नहीं No	– -	आकांक्षी जिला Aspirational Dist
	कुल / TOTAL						**125666965**	**110544465**	**15122500**			

वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यक्रम पर किए गए सी एस आर राशि के व्यय का विवरण:
Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year:

क्र सं S. No	अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची में से की जाने वाले गतिविधि Item from the list of Activities in Schedule VII	परियोजना अथवा गतिविधियों का नाम Name of the Project or Activity	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं) Local Area (Yes/No)	परियोजना का स्थान- राज्य Location of the Project-State	जिला District	चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि Amount spent in the FY (In Rs.)	कार्यान्वयन की पद्धति - प्रत्यक्ष (हाँ / नहीं) Mode of Implementation-Direct (Yes/No)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन की पद्धति- सीएसआर पंजी. संख्या Mode of Implementation Through Implementing Agency - CSR Regn No.	नाम Name
1.	स्वास्थ्य Health	योग दिवस Yoga Day	हाँ Yes	महाराष्ट्र Maharashtra	मुम्बई Mumbai	4037686.00	नहीं No	- -	लक्ष्य एवं बीएमसी Lakshya and BMC
2.	स्वास्थ्य Health	सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन Sanitary Pad Vending Machine	नहीं No	बिहार तथा यूपी Bihar & UP	पटना एवं मेरठ Patna & Meerut	1995000.00	नहीं No	सीएसआर CSR00000812	भारत सेवाश्रम संगठन Bharat Sevashram Sangha
3.	शिक्षा आई एस ई सी Education ISEC	विध्यांजलि योजना,शिक्षा मंत्रालय, Vidyanjali Scheme, Min. of Education	नहीं No	गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश Gujarat And Himachal Pradesh	सूरत एवं कुल्लू Surat & Kullu	545470.00	नहीं No	- -	विद्यांजलि योजना, शिक्षा मंत्रालय, Vidyanjali Scheme, Min. of Education, GOI
4.	शिक्षा तथा स्वास्थ्य आई एस ई सी Education and Health ISEC	केन्द्रीय सैनिक निदेशक मंडल Kendriya Sainik Board	नहीं No	नई दिल्ली New Delhi	नई दिल्ली New Delhi	5000000.00	नहीं No	सीएसआर CSR00005526	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड Kendriya Sainik Board
5.	स्वास्थ्य तथा पोषण Health and Nutrition	सीआरपीएफ CRPF	नहीं No	नई दिल्ली New Delhi	नई दिल्ली New Delhi	3755000.00	नहीं No	- -	सीआरपीएफ CRPF
6.	स्वास्थ्य तथा पोषण Health and Nutrition	स्वच्छता एक्शन प्लान Swachata Action Plan	नहीं No	सम्पूर्ण भारत Pan India	सम्पूर्ण भारत Pan India	1631337.56	हाँ Yes	- -	स्वच्छता एक्शन प्लान Swachata Action Plan
				कुल / Total		**16964493.56**			

(एम. सेंथिलनाथन)
सीएसआर समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष
डीआईएन 07376766

(M. Senthilnathan)
CEO & Chairman of the CSR Committee
DIN 07376766

स्थान : मुंबई
दिनांक: 04 मई, 2023

Place: Mumbai
Date: May 04, 2023

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण

अनुलग्नक IV

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

Annexure IV

वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

विश्व की सरकारों, नीति निर्माताओं और व्यवसायों ने पिछले एक वर्ष में वैश्विक मंदी की स्थिति में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और विकास को गति देने के लिए अनिवार्य रूप से जवाबी उपाय किए हैं। उदाहरण हेतु, मुद्रास्फीति में वर्तमान वृद्धि ने दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक सख्ती करने के लिए विवश किया है। यद्यपि इससे वित्तीय बाजारों में कुछ चुनौतियों में वृद्धि हुई है तथापि यह लोगों की क्रय शक्ति की रक्षा करने और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए एक आवश्यक उपाय है जो अंततः सकल मांग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। हालांकि संयुक्त राज्य, यूरोप और चीन वर्तमान में समष्टि अर्थशास्त्रीय(मैक्रोइकॉनॉमिक) कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, यह आशा की जा रही है कि जब व्यापार चक्र तेजी के चरण में प्रवेश करेगा तो वे जल्द ही वापसी करेंगे। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में जारी रूस-यूक्रेन संघर्ष का, विशेष रूप से ऊर्जा और कमोडिटी बाजारों में, कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, परंतु फिर भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि बातचीत और सहयोग के माध्यम से दोनों देश एक आम सहमति पर पहुंचेंगे।

डब्ल्यूटीओ की नवीन रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में व्यापार की मात्रा में वृद्धि, चौथी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) की मंदी के बाद अपेक्षाकृत 2.7% कम थी, लेकिन यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत में अपेक्षित सर्वथा विषम स्थिति से तुलना में अभी भी मजबूत है। साथ ही, वर्ष 2022 में वैश्विक वस्तु व्यापार का मूल्य 12% से बढ़कर 25.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो आंशिक रूप से माल की उच्च वैश्विक कीमतों के कारण बढ़ा है। वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के व्यापार का मूल्य 2022 में 15% बढ़कर 6.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। उसी वर्ष डिजिटल रूप से वितरित की जाने वाली सेवाओं का निर्यात 3.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहा । रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि 2024 में 3.2% तक पहुंचने से पूर्व 2023 में विश्व व्यापारिक व्यापार की मात्रा 1.7% बढ़ने का अनुमान है।

साथ ही, भौगोलिक दृष्टिकोण से, रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में यूरोप के निर्यात में 1.8% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो पूर्व के 0.8% के अनुमान से अधिक है। इस वर्ष यूरोप के आयात में 0.6% की गिरावट आने की उम्मीद है, जो पूर्व के (-) 0.7% के अनुमान से कम है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच उत्तरी अमेरिका द्वारा सबसे मजबूत व्यापारिक निर्यात वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है। 2022 में वस्तुओं से संबंधित सेवाओं के व्यापार में मंदी ने, अन्य देशों में अनुबंध पर निर्माण गतिविधियों में कमी की ओर इशारा किया है। माल ढुलाई की दरें अब काफी हद तक पूर्व-महामारी के स्तर पर लौट आई हैं तथा 2023 की पहली छमाही में और घटने की उम्मीद है।

GLOBAL ECONOMY AND TRADE

Governments, policymakers, and businesses around the world have necessarily employed counter-measures to control inflation and spur growth in the face of a global slowdown in the past year. For example, the recent rise in inflation has forced central banks around the world to undertake monetary tightening. While this has led to some challenges in the financial markets, it is an essential measure to protect the purchasing power of the people and maintain price stability which will eventually propel aggregate demand and economic growth. Although the United States, Europe, and China are currently facing macroeconomic difficulties, it is expected that they will rebound soon when the business cycle enters the upswing phase. Additionally, the ongoing Russia-Ukraine conflict has had some negative effects, especially in energy and commodity markets but then also we must remain hopeful that through dialogue and cooperation, the two countries will reach a common ground.

As per a recent WTO report, the growth in the trade volume in 2022 was lower than expected at 2.7% following a fourth-quarter (October-December) slump, but still stronger than the worst-case scenarios considered at the start of the war in Ukraine. Also, the value of world merchandise trade rose by 12% to US$ 25.3 trillion in 2022, inflated in part by high global commodity prices. The value of world commercial services trade increased by 15% in 2022 to US$ 6.8 trillion. Digitally delivered services exports were worth US$ 3.82 trillion in the same year. The report emphasizes that the world merchandise trade volume is projected to grow 1.7% in 2023 before picking up to 3.2% in 2024.

Additionally, from a geographical perspective, the report highlights that Europe's exports are expected to grow by 1.8% in 2023, up from the previous estimate of 0.8%. Europe's imports are expected to decline by 0.6% this year, less than the previous estimate of (-)0.7%. North America is expected to record the strongest merchandise export growth amongst the WTO members. The slowdown in goods-related services trade in 2022 pointed to decreased contract manufacturing activities in other countries. Freight transport rates have now largely returned to pre-pandemic levels and are expected to fall further in the first half of 2023.

बढ़ते हुए जोखिम की परिस्थिति में, व्यापार लेनदेन में वाणिज्यिक और भू–राजनीतिक जोखिमों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन और अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसीलिए निर्यात ऋण एजेंसियां और व्यापार ऋण बीमाकर्ता, अपने विशेष ज्ञान और अपनी अर्थव्यवस्थाओं के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, कंपनियों को इन जोखिमों से निपटने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बर्न यूनियन के सदस्य सामूहिक रूप से सालाना लगभग 2.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर यूरो 2.1 ट्रिलियन व्यापार के लिए भुगतान जोखिम से रक्षा प्रदान करते हैं, जो वैश्विक सीमा–पार व्यापार के कुल मूल्य का लगभग 12% है। पर्यावरणीय–राजनैतिक जोखिमों में संभावित वृद्धि के साथ, यह मूल्य निकट भविष्य में बढ़ने की संभावना है।

श्रम लागत में वृद्धि के साथ–साथ वैश्विक स्तर पर बढ़ते राजनैतिक जोखिमों एवं छोटी आपूर्ति श्रृंखला को स्वचालन एवं डिजिटलीकरण के माध्यम से पुनर्गठित किया गया है। सामग्री की आपूर्ति और निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, सरकारों और उद्योग के नेताओं ने नियर–शोरिंग और फ्रेंड–शोरिंग की ओर रुख किया है। नियर–शोरिंग में व्यावसायिक संचालन को स्थानांतरित करना या किसी पड़ोसी देश या क्षेत्र से माल और सेवाओं को प्राप्त करना शामिल है, जबकि फ्रेंड–शोरिंग में उन देशों से निर्माण और प्राप्ति शामिल है जो भू–राजनीतिक सहयोगी हैं और समान मूल्य साझा करते हैं।

In the light of the evolving risk environment, it is becoming more crucial to efficiently handle commercial and geopolitical risks in trade transactions. To this end, export credit agencies and trade credit insurers, with their specialized knowledge and commitment to their economies, are playing a vital role in helping companies navigate these risks. The Berne Union Members collectively offer payment risk protection to approximately USD 2.6 trillion [EUR 2.1 trillion] trade annually, representing roughly 12% of the total value of global cross-border trade. With the potential increase in eco-political risks, this value is expected to increase in the near future.

As a result of the growing political risks across the globe and the need for shorter supply chain lead times, along with increasing labor costs, global supply chains have been restructured through automation and digitization. To achieve self-reliance in material supply and manufacturing, governments and industry leaders have turned to near-shoring and friend-shoring. Near-shoring involves relocating business operations or sourcing goods and services from a neighboring country or region, while friend-shoring involves manufacturing and sourcing from countries that are geopolitical allies and share similar values.

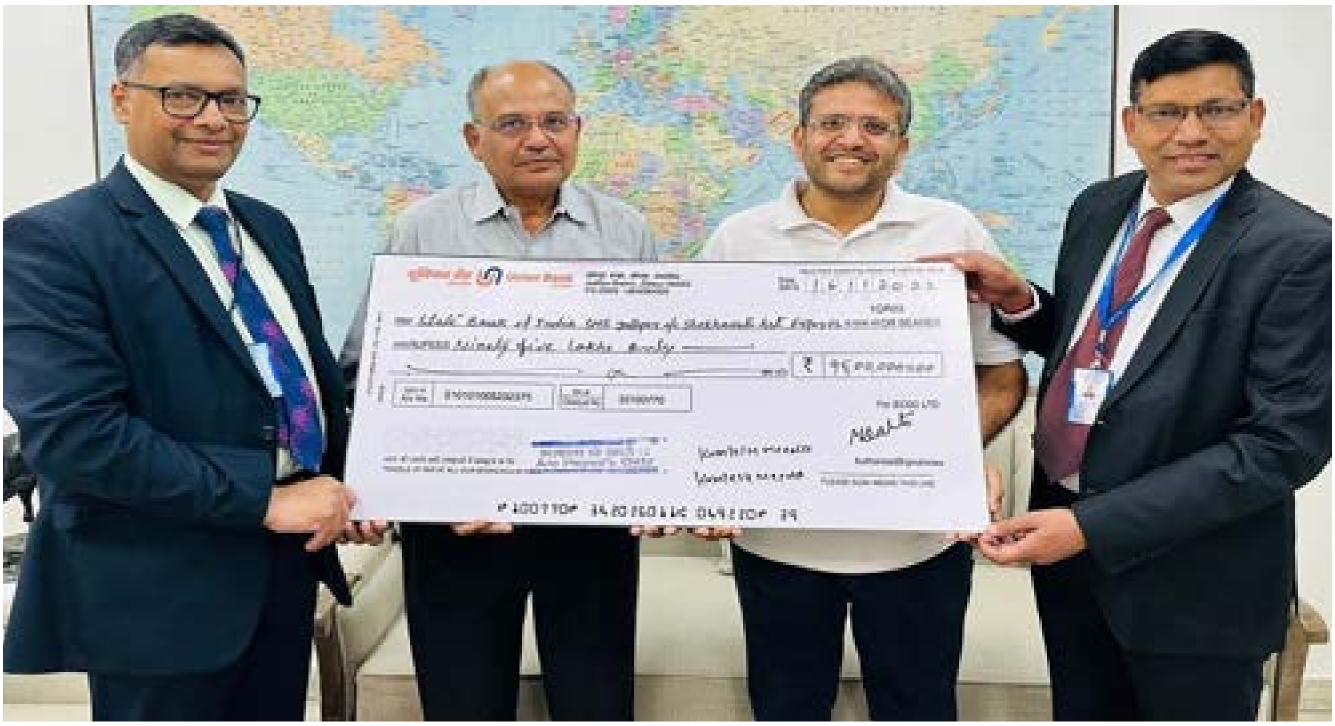

जोधपुर शाखा द्वारा मेसर्स शेखावती आर्ट एक्स्पोर्ट्स को दावे का भुगतान किया गया

Claim paid to M/s Shekhawati Art Exports by Jodhpur Branch

धीमी वृद्धि, भारी ऋणग्रस्तता और कठिन वित्तीय स्थितियों के संयोग के कारण निवेश कमजोर होने एवं कॉर्पोरेट ऋण अदायगी के चूक की संभावना है। साथ ही वैश्विक मंदी उच्च मुद्रास्फीति, सख्त मौद्रिक नीति, वित्तीय तनाव, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अधिक कमजोरी और बढ़े हुए भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक मंदी आ सकती है। अतः यह अनिवार्य है कि उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मंदी और ऋण संकट के जोखिमों को कम करने के लिए तत्काल उपाय किए जाएं।

इस प्रकार, राष्ट्रीय नीति निर्माताओं को कमजोर समूहों हेतु लक्षित वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ताकि मुद्रास्फीति अच्छी तरह से प्रबंधित हों और वित्तीय प्रणालियां लचीली हों। उभरते और बढ़ते बाजारों में निवेश में बड़ी वृद्धि का समर्थन करने वाली नीतियां भी आवश्यक हैं, जो लंबी अवधि के दौरान विकास में मंदी को दूर करने में सहयोगी हो सकती हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था – परिदृश्य

वर्ष 2022 में वैश्विक वृद्धि के 3.4% से 2023 में 2.9% के गिरावट का अनुमान है, जो कि 2024 में 3.1% हो जाएगा। मुद्रास्फीति के खिलाफ वैश्विक लड़ाई जैसे गतिशील कारकों की परस्पर क्रिया, रूस-यूक्रेन संघर्ष, और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 की पुनरावृत्ति ने इन अनुमानों को प्रभावित किया है। कठोर मौद्रिक स्थितियों और धीमी विकास की संभावनाओं के सामने वित्तीय और ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ऋण पुनर्गठन और मैक्रो विवेकपूर्ण उपकरणों का प्रयोग आवश्यक है।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के मामले में, 2024 में 1.4% तक बढ़ने से पूर्व 2022 में विकास दर 2.7% से 2023 में 1.2% तक तेजी से घटने का अनुमान है। लगभग 90% उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 2023 में विकास दर में गिरावट देखे जाने की संभावना है। बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, 2022 में 3.9% से 2023 में 4.0% और 2024 में 4.2% के साथ वृद्धि के मामूली अवरोहण की उम्मीद है ।

ईसीजीसी, इंदौर शाखा द्वारा आयोजित ग्राहक बैठक में विभिन्न निर्यातकों को दावों का भुगतान किया गया
Claim paid to different exporters in the customer meet organised by ECGC, Indore branch

Investment is likely to weaken and corporate defaults may be triggered due to the combination of slow growth, heavy indebtedness, and tightening financial conditions. Furthermore, a global recession may be induced by factors such as higher inflation, tighter monetary policy, financial stress, greater weakness in major economies, and heightened geopolitical tensions. Therefore, it is imperative that immediate global measures are taken to alleviate the risks of recession and debt distress in emerging and developing economies.

Thus, national policymakers are required to ensure targeted fiscal support to the vulnerable groups, that inflation expectations are well managed and financial systems are resilient. Policies to support a major increase in investment in emerging and growing markets are also needed, which can help reverse the slowdown in long-term growth.

GLOBAL ECONOMY - OUTLOOK

As per the International Monetary Fund (IMF), the global growth is projected to fall from an estimated 3.4% in 2022 to 2.9% in 2023, then rise to 3.1% in 2024. The interplay of dynamic factors like the global fight against inflation, Russia-Ukraine conflict and a recurrence of COVID-19 in different parts of the world have influenced these projections. Effective debt restructuring and the deployment of macro prudential tools are necessary to ensure financial and debt stability in the face of tighter monetary conditions and lower growth prospects.

In the case of advanced economies, growth is projected to decline sharply from 2.7% in 2022 to 1.2% in 2023 before rising to 1.4% in 2024. Around 90% of advanced economies are likely to see a decline in growth in 2023. For emerging markets and developing economies, growth is expected to rise modestly, from 3.9% in 2022 to 4.0% in 2023 and 4.2% in 2024.

ईसीजीसी लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सेवा उद्यमों में उचित व्यवसाय व्यवहार - बड़ी श्रेणी के लिए 35वें सीएफबीपी जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया

ECGC Limited awarded 35th CFBP Jamnalal Bajaj Award for Fair Business Practices in Services Enterprises - Large Category for FY 2022-23

श्री पीयूष गोयल, माननीय केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री; तथा कपड़ा मंत्री के हाथों श्री एम. सेंथिलनाथन, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड को निर्यात बंधु गोल्ड पुरस्कार प्रदान किया गया

Shri Piyush Goyal, Hon'ble Union Minister of Commerce and Industry; Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution; and Minister of Textiles presenting Niryat Bandhu Gold Award to Shri M. Senthilnathan, CMD, ECGC

भारत में, विकास दर 2024 में 6.8% हो जाने से पूर्व 2022 में 6.8% से घटकर 2023 में 6.1% तक पहुंचना संभावित है, जो बाहरी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लचीली घरेलू मांग से प्रेरित हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, यह उम्मीद की जाती है कि 2022 में विकास दर 2.0% से गिरकर 2023 में 1.4% और 2024 में 1.0% हो जाएगी। अनुमान है कि मध्य पूर्व और मध्य एशिया में विकास 2022 में 5.3% से घटकर 2023 में 3.2% हो जाएगा।

वैश्विक मुद्रास्फीति द्वारा प्राप्त संकेत के अनुसार यह चरम पर है और अब इसमें गिरावट का अनुमान है। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार, वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 में 8.8% से गिरकर 2023 में 6.6% और 2024 में 4.3% होने का अनुमान है। कमजोर वैश्विक मांग के कारण अंतर्राष्ट्रीय ईंधन और गैर-ईंधन वस्तुओं की कीमतों में गिरावट मुद्रास्फीति में गिरावट के अनुमानों को दर्शाती है। वैश्विक स्तर पर, कोर मुद्रास्फीति 2022 की चौथी तिमाही (साल दर साल) में 6.9% से घटकर 2023 की चौथी तिमाही तक 4.5% होने की उम्मीद है, जो कड़ी मौद्रिक नीति ढील देने के शीतलन प्रभाव के कारण है। फिर भी, मुद्रास्फीति में अनुमानित गिरावट में समय लगेगा, 2024 तक अनुमानित वार्षिक औसत हेडलाइन और मूल मुद्रास्फीति क्रमशः 82% और 86% अर्थव्यवस्थाओं में पूर्व-महामारी के स्तर से ऊपर होगी।

अर्थव्यवस्था पर वैश्विक दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कई अवरोही और आरोही जोखिम हैं। जबकि प्रतिकूल जोखिम पिछले वर्ष से कम हो गए हैं, फिर भी जोखिमों का संतुलन नीचे की ओर झुका हुआ है। संभाव्य अनुकूल कारकों में दबी हुई मांग और तेजी से अवस्फीति द्वारा किया गया समर्थन शामिल है। और नकारात्मक पक्ष के जोखिमों में यूक्रेन में संघर्ष का बढ़ना, ऋण संकट आदि शामिल हैं।

भारत का विदेश व्यापार

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत का कुल निर्यात (व्यापार और सेवाएं) 770 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹61,91,585 करोड़) अनुमानित है जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान डॉलर के संदर्भ में लगभग 13.84% और रुपये के संदर्भ में 20.56% की वृद्धि को दर्शाता है। इस अवधि के दौरान सकल आयात 892 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹71,72,360 करोड़) होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में डॉलर के संदर्भ में 17.38% और रुपये के संदर्भ में 24.31% की वृद्धि को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत का पण्य निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि के 422 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹33,92,517 करोड़) की तुलना में 447 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹35,97,194 करोड़) रहा, जिसमें डॉलर के संदर्भ में 6.03% तथा रुपये के संदर्भ में 12.3% की वृद्धि दर्ज की गई।

In India, growth is set to decline from 6.8% in 2022 to 6.1% in 2023 before picking up to 6.8% in 2024 which could be propelled by resilient domestic demand despite external headwinds. In the United States, it is expected that growth will fall from 2.0% in 2022 to 1.4% in 2023 and 1.0% in 2024. It is projected that growth in the Middle East and Central Asia will decline from 5.3% in 2022 to 3.2% in 2023.

Global inflation has shown signs that it has peaked and now it is projected to decline. As per IMF estimates, global inflation is expected to fall from 8.8% in 2022 to 6.6% in 2023 and 4.3% in 2024. The declining international fuel and non-fuel commodity prices due to weaker global demand reflect the projections of declining inflation. Globally, the core inflation is expected to decline from 6.9% in the fourth quarter of 2022 (year over year) to 4.5% by the fourth quarter of 2023 influenced by the cooling effects of monetary policy tightening. Yet, the projected decline in inflation will take time, by 2024, projected annual average headline and core inflation will, respectively, still be above pre-pandemic levels in 82% and 86% of economies.

There are several downsides as well as upside risks influencing the global outlook on the economy. While the adverse risks have moderated since last year, still the balance of the risks is tilted to the downside. Plausible upside factors include a boost made by pent-up demand and faster disinflation. And the downside risks include escalation of the conflict in Ukraine, debt distress etc.

INDIA'S FOREIGN TRADE

During the financial year 2022-23, India's overall exports (Merchandise and Services) are estimated at US$ 770 billion (₹61,91,585 crore), exhibiting a growth of around 13.84% in dollar terms and 20.56% in rupee terms over the same period last year. Overall imports during this period are estimated at US$ 892 billion (₹71,72,360 crore), reflecting a growth of 17.38% in dollar terms and 24.31% in rupee terms over the same period last year.

India's merchandise exports for the financial year 2022-23 stood at US$ 447 billion (₹35,97,194 crore) as against US$ 422 billion (₹33,92,517 crore) over the same period last year, registering a growth of 6.03% in dollar terms and 12.3% in rupee terms.

The total value of merchandise imports for the period April-March 2022-23 was US$ 714 billion (₹57,41,875 crore), as against US$ 613 billion (₹46,53,681 crore) during the same period the previous year registering a growth of 16.51% and 23.38% in the dollar and rupee terms, respectively.

अप्रैल–मार्च 2022–23 की अवधि के लिए पण्य आयात का कुल मूल्य 714 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹57,41,875 करोड़) था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 613 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹46,53,681 करोड़) था जो डॉलर तथा रुपये के संदर्भ में क्रमशः 16.51% एवं 23.38% की वृद्धि प्रदर्शित करता है।

माल और सेवाओं को समग्र लेने पर, अप्रैल–मार्च 2022–23 की अवधि के लिए कुल व्यापार घाटा 84 बिलियन अमेरिकी डॉलर (6,34,079 करोड़) की तुलना में पिछले साल इसी अवधि हेतु यह 122 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹9,80,775 करोड़ रुपये) था।

(स्रोत – वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वेबसाइट)

कंपनी के संचालन का अवलोकन

अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियाँ

निर्यात प्राप्तियों (अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियाँ–एसटी–पॉलिसी) के लिए कंपनी की रक्षा का लाभ उठाने वाले विशिष्ट निर्यातकों की संख्या 31 मार्च, 2022 को 6,711 की तुलना में 31 मार्च, 2023 तक 7,039 थी। वित्तीय वर्ष के दौरान 2022–23, पिछले वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान जारी किए गए 10,940 की तुलना में जारी और नवीनीकृत अल्पावधि (एसटी) निर्यात ऋण बीमा पॉलिसी की कुल संख्या 11,610 थी। 31 मार्च, 2023 तक लागू एसटी–पॉलिसियों की संख्या

सकल प्रदत्त दावों में प्रवृत्ति – अल्पावधि पॉलिसी (₹ करोड़ में)
Trends in Gross Claims Paid - Policy Short Term (₹ in Crore)

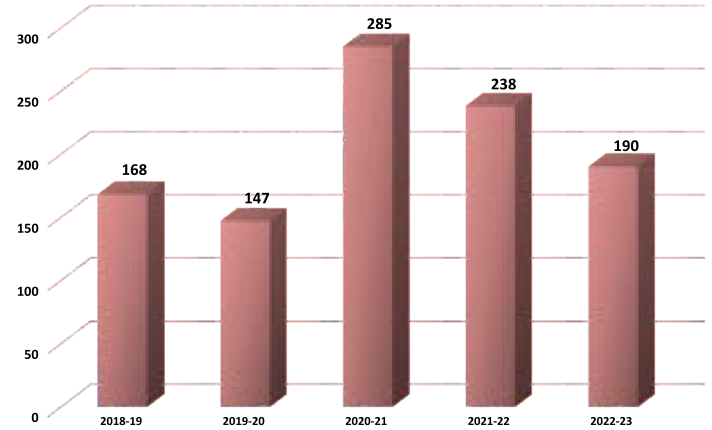

Taking merchandise and services together, the overall trade deficit for the period April - March 2022-23 was US$ 122 billion (₹9,80,775 crore) as compared to the deficit of US$ 84 billion (₹6,34,079 crore) in the same period last year.

(Source – MoC&I website)

OVERVIEW OF COMPANY'S OPERATIONS

SHORT-TERM EXPORT CREDIT INSURANCE POLICIES

The number of distinct exporters availing themselves of the Company's cover for export receivables (Short-Terms Export Credit Insurance Policies – ST-Policy) was 7,039 as of 31st March, 2023 as against 6,711 as of 31st March, 2022. During the Financial Year (FY) 2022-23, the total number of Short-Term (ST) Export Credit Insurance Policies issued and renewed was 11,610 compared to 10,940 issued during the previous FY 2021-22. The number of ST-Policies in force as of 31st March, 2023 was 11,036 with a total Maximum Liability (ML) of ₹56,278.02 crore as against 10,292 policies in force with a total ML of ₹47,465.60 crore as of 31st March, 2022, indicating a growth of 7% in the number of policies in force and growth of 19% in the total ML in force. The total number of fresh policies issued during the year was 4,410 out of which 1,503 were Whole Turnover (WT) policies.

अहमदाबाद शाखा द्वारा मेसर्स सौजन्या एक्स्पोर्ट्स को दावे का भुगतान किया गया
Claim paid to M/s Saujanya Exports by Ahmedabad Branch

11,036 थी, जिनकी कुल अधिकतम देयता (एमएल) ₹56,278.02 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च, 2022 को ₹47,465.60 करोड़ की कुल एमएल के साथ 10,292 पॉलिसियाँ लागू थीं, जो जारी पॉलिसियाँ की संख्या में 7% की वृद्धि और कुल एमएल में 19% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष के दौरान जारी की गई नई पॉलिसियों की कुल संख्या 4,410 थी, जिनमें से 1,503 सम्पूर्ण पण्यावर्त (डब्ल्यूटी) पॉलिसियां थीं।

'छोटे निर्यातक' से संबंधित विशिष्ट निर्यातकों (अर्थात पॉलिसी रक्षा के साथ निर्यातक, जिन्हें 40 करोड़ से कम अथवा उसके बराबर एम एल के साथ रक्षा प्राप्त है) का हिस्सा, कंपनी के पॉलिसी उत्पादों को अलग-अलग निर्यातक ग्राहकों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31 मार्च 2023 को 97.00% था जैसा कि 31 मार्च 2022 को भी था।

घोषणा-आधारित पॉलिसियां जैसे कि पोतलदान (व्यापक जोखिम) पॉलिसियां (एससीआर), निर्यात पण्यावर्त पॉलिसियां (ईटीपी), सेवा पॉलिसियां, लघु निर्यातक पॉलिसियां (एसईपी), खरीदार-वार पॉलिसियां, परेषण (कंसाइनमेंट) पॉलिसियां आदि 51% के साथ वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक लागू पॉलिसियों का एक बड़ा हिस्सा बनाए हुए है। 31 मार्च, 2023 तक घोषणा-आधारित पॉलिसियों की कुल संख्या, 32,631.22 करोड़ के कुल एमएल के साथ, 5,637 थी, जबकि 31 मार्च, 2022 को ₹29,399.93 करोड़ के कुल एमएल के साथ यह संख्या 5,390 थी, जबकि वर्तमान में चल रही घोषणा-आधारित पॉलिसियों की संख्या में 5% की वृद्धि हुई, वहीं कुल एमएल में 11% की वृद्धि दर्ज की गई। 60 दिनों की औसत ऋण अवधि के साथ घोषित पोतलदानों की संख्या 3,89,098 थी। जोखिम-आधारित पॉलिसियों जैसे बहु खरीदर जोखिम पॉलिसी, एकल खरीदर जोखिम पॉलिसी, आईटी-सक्षम सेवा पॉलिसी (बहु-ग्राहक), आईटी-सक्षम सेवा पॉलिसी (विशिष्ट ग्राहक) आदि, वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक वर्तमान में चल रही पॉलिसियों का 49% हिस्सा थीं। 31 मार्च, 2023 को एमबीईपी, एसबीईपी, एम आई टी ई एस, एस आई टी ई एस आदि के रूप में लागू जोखिम-आधारित पोतलदान पॉलिसियों की कुल संख्या ₹23,646.80 करोड़ के कुल एमएल के साथ 5,399 थी, जबकि 31 मार्च 2022 तक 4,902 की कुल संख्या के साथ कुल एमएल ₹18,065.67 करोड़ थी जो कि संख्या में 10% और कुल एमएल में 31% की वृद्धि को दर्शाता है।

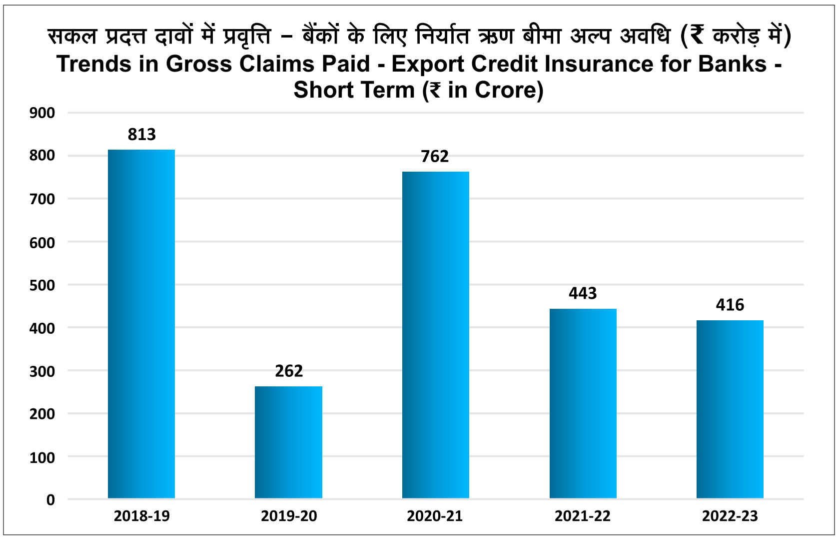

The share of distinct exporters belonging to the 'Small Exporter' (i.e. exporter with policy covers with ML less than or equal to ₹40 crore) category, holding the Company's policy products in the total number of distinct exporter clients is 97% as of 31st March, 2023 as it was as of 31st March, 2022.

Declaration-based policies viz. Shipments Comprehensive Risks Policies (SCR), Export Turnover Policies (ETP), Services Policies, Small Exporter's Policies (SEP), Buyer Wise Policies, Consignment Policies etc. continued to maintain a larger share at 51% of the policies in force as at the end of FY 2022-23. The total number of declaration-based policies in force as of 31st March, 2023 was 5,637 with an aggregate ML of ₹32,631.22 crore as against 5,390 with an aggregate ML of ₹29,399.93 crore as of 31st March, 2022 while the declaration-based policies in force increased by 5% in number, the aggregate ML increased by 11%. The number of shipments declared was 3,89,098 with an average credit period of 60 days. Exposure-based policies like Multi Buyer Exposure Policy, Single Buyer Exposure Policy, IT-Enabled Services Policy (Multi-Customer), IT-Enabled Services Policy (Specific Customer) etc. had a share of 49% of the policies in force as at the end of FY 2022-23. The total number of exposure-based shipment policies in force as of 31st March, 2023 viz. MBEP, SBEP, MITES, SITES etc. was 5,399 with an aggregate ML of ₹23,646.80 crore as against 4,902 with an aggregate ML of ₹18,065.67 crore as of 31st March 2022, reflecting a growth of 10% in number and 31% in aggregate ML.

Total business covered under the ST-Policies during the FY 2022-23 was ₹3,21,767.12 crore, as against ₹2,69,272.90 crore during the previous year, thereby registering a growth of 19%. The premium income under ST-Policies was ₹539.70 crore during the FY 2022-23 as against ₹485.63 crore in the previous FY, registering a growth of 11%. The total number of claims paid under ST-Policies during FY 2022-23 was 421 amounting to ₹191.31 crore as against 537 claims amounting to ₹237.91 crore

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान एसटी–पॉलिसियों के अंतर्गत रक्षित कुल व्यापार पिछले वर्ष के दौरान ₹2,69,272.90 करोड़ की तुलना में ₹3,21,767.12 करोड़ था, जिसमें 19% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान एसटी–पॉलिसियों के अंतर्गत प्रीमियम आय पिछले वित्तीय वर्ष के ₹485.63 करोड़ की तुलना में 11% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹539.70 करोड़ रही। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान एसटी–पॉलिसियों के अंतर्गत भुगतान किए गए दावों की कुल संख्या ₹191.31 करोड़ की राशि के साथ 421 थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ₹237.91 करोड़ की राशि के 537 दावे का भुगतान किया गया था।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान एसटी–पॉलिसी के अंतर्गत वसूल की गई राशि पिछले वर्ष के दौरान ₹16.54 करोड़ की तुलना में ₹10.55 करोड़ थी, जिसमें 36% की कमी देखी गई।

ग्राहक–विशिष्ट रक्षा

कंपनी ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) के अनुमोदन से, ग्राहक विशिष्ट रक्षाएं (सीएससी) पेश की थीं जो पॉलिसी धारकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं जहां मौजूदा मानक उत्पादों में से कोई भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। सीएससी पॉलिसियां आई आर डी ए आई द्वारा अनुमोदित दो या दो से अधिक मानक उत्पादों की कुछ विशेषताओं को मिलाकर संरचित की जाती हैं जिसमें एक उत्पाद की प्रमुख विशेषताएं होती हैं जिन्हें आधार पॉलिसी माना जाता है।

पिछले वर्ष के दौरान कुल ₹10,072.60 करोड़ की अधिकतम देयता/कुल हानि सीमा एमएल/एएलएल) के साथ जारी की गई 367 अनुकूलित (कस्टमाइज्ड) पॉलिसियों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल ₹13,658.41

during the previous FY 2021-22.

Amount recovered under ST-Policy was ₹10.55 crore during the FY 2022-23 as against ₹16.54 crore during the previous year showing a decrease of 36%.

CUSTOMER-SPECIFIC COVERS

The company had, with the approval of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), introduced Customer Specific Covers (CSC) which are tailor-made to suit specific requirements of policy holders where none of the existing standard products are found suitable. The CSC Policies are structured by combining certain features of two or more standard products approved by the IRDAI, while having the predominant features of one product which is considered as the base policy.

2022–23 के दौरान रक्षित जोखिम मूल्य
Value of Risk Covered during 2022-23

During the FY 2022-23, 462 customized policies were issued/renewed with a total Maximum Liability/ Aggregate Loss Limit (ML/ALL) of ₹13,658.41 crore as against 367 customized policies issued with a total Maximum Liability/ Aggregate Loss Limit (ML/ALL) of ₹10,072.60 crore during the previous year. As of March 31st, 2023, 442 CSC policies were in force with a total ML/ALL of ₹13,205.56 crore. Annual premium income under CSC policies was ₹167.86 crore during the FY 2022-23 as against ₹124.30 crore during the previous year. During the FY 2022-23, claims paid under customized policies decreased to ₹28.50 crore from ₹48.11 crore during the previous year.

अल्पावधि (अ.व.) रक्षा के अधीन खंडवार जोखिम मूल्य (₹ करोड़ में)
Segment Wise Risk Value under Short Term (ST) Cover (₹ in Crore)

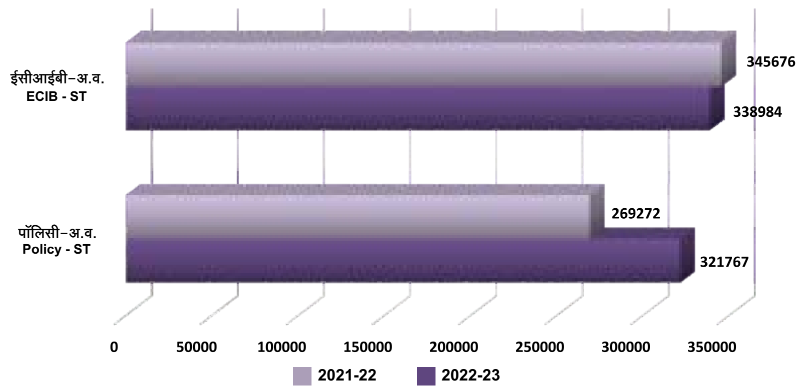

ईसीआईबी: बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा; एसटी: लघु अवधि
ECIB: Export Credit Insurance for Banks; ST: Short Term

करोड़ की अधिकतम देयता/कुल हानि सीमा (एमएल/एएलएल) के साथ 462 अनुकूलित पॉलिसी जारी/नवीनीकृत की गईं । 31 मार्च, 2023 तक, कुल ₹13,205.56 करोड़ एमएल/एएलएल के साथ 442 सीएससी पॉलिसियां लागू थीं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सीएससी पॉलिसियों के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम आय पिछले वर्ष के दौरान ₹124.30 करोड़ की तुलना में ₹167.86 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, अनुकूलित पॉलिसियों के अंतर्गत भुगतान किए गए दावे पिछले वर्ष के दौरान ₹48.11 करोड़ से घटकर ₹28.50 करोड़ हो गए।

बैंकों हेतु अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) रक्षा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैकों हेतु अल्पावधि - निर्यात ऋण बीमा (एसटी-ईसीआईबी) के अंतर्गत अर्जित प्रीमियम वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹600.84 करोड़ की तुलना में ₹632.54 करोड़ रहा, जिसमें 5.28% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निर्यात में तेजी से सुधार और बैंकों से उच्च ऋण निकासी के कारण विकास संभव हो सका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के कुल प्रीमियम में एसटी-ईसीआईबी प्रीमियम का हिस्सा 53% था। भुगतान किए गए दावों का मूल्य और संख्या वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹443.41 करोड़ व 143 दावों के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए क्रमशः ₹415.70 करोड़ और 123 थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दावा निपटान के लिए औसत दिनों की संख्या 57.08 दिन थी जो पिछले वर्ष 73.99 दिन थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹93.44 करोड़ की तुलना में चालू वर्ष के दौरान की गई वसूली 136.84 करोड़ थी। जारी की गई विभिन्न ईसीआईबी रक्षाओं के अंतर्गत कंपनी द्वारा रक्षित किया गया कुल बकाया, बैंकों द्वारा ईसीजीसी को रिपोर्ट किये गए सम्पूर्ण पण्यावर्त (डब्ल्यूटी) रक्षा के अंतर्गत रक्षित सभी खातों के कुल औसत दैनिक उत्पादों (एडीपी) और एकल रक्षा के अधीन उच्चतम बकाया राशि (एचएओ) से निकाला गया है जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 86,419 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल मिलाकर 84,746 करोड़ रहा, जो 1.94% की मामूली कमी को प्रदर्शित करता है। 31 मार्च, 2023 तक पॉलिसियों के अन्तर्गत रक्षित खातों की संख्या 31 मार्च, 2022 के 13,568 की तुलना में 13,091 थी। कुल 9,004 (पिछले वर्ष 9,051) विशिष्ट निर्यातक जिनमें से 85% से अधिक छोटे निर्यातक (यानी, निर्यातक की स्वीकृत ऋण सीमा 80 करोड़ रु. से कम या इसके समान) वाले खातों को रक्षा के माध्यम से समर्थन प्रदान किया गया है। यह

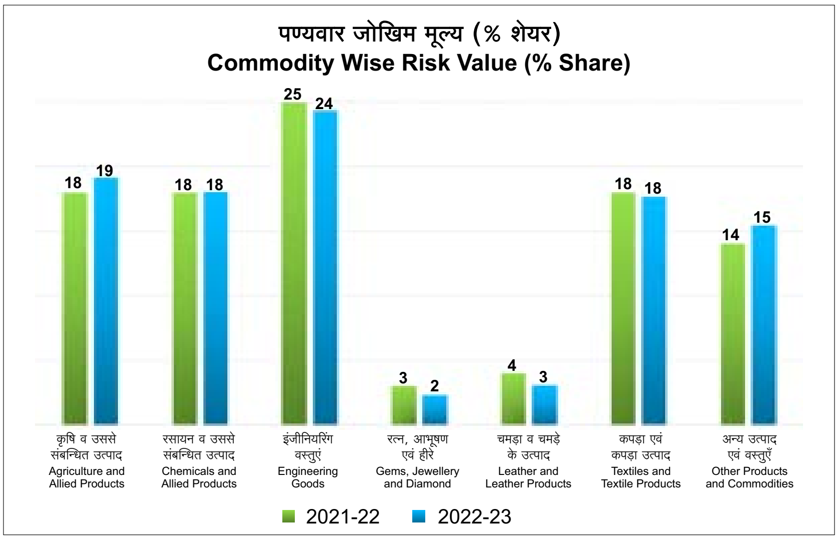

SHORT-TERM EXPORT CREDIT INSURANCE FOR BANKS (ECIB) COVERS

The premium earned under Short Term - Export Credit Insurance for Banks (ST-ECIB) for the FY 2022-23 was ₹632.54 crore vis-à-vis ₹600.84 crore during FY 2021-22 registering an increase of 5.28%. The growth was supported by the speedy recovery of exports and higher credit offtake from banks during the FY 2022-23. ST-ECIB premium accounted for 53% of the total premium of the Company for the FY 2022-23. The number and value of claims paid stood at 123 and ₹415.70 crore respectively for the FY 2022-23 as against 143 claims for ₹443.41 crore in FY 2021-22. The average number of days for claim settlement was 57.08 days in FY 2022-23 which was 73.99 days in the previous year. The recovery made during the current year was at ₹136.84 crore as against ₹93.44 crore during FY 2021-22. The total outstanding covered by the Company under the various ECIB covers issued, derived from the total Average Daily Products (ADP) of all the accounts covered under the Whole Turnover (WT) covers and the Highest Amount Outstanding (HAO) under Individual Covers, reported by banks to ECGC, aggregated to ₹84,746 crore during the FY 2022-23 as compared to ₹86,419 crore during FY 2021-22 showing a slight decrease of 1.94%. The number of accounts covered under the schemes as of 31st March, 2023 was 13,091 compared to 13,568 as of 31st March, 2022. A total of 9,004 (Previous Year 9,051) distinct exporters of which more than 85% are Small Exporters (i.e., exporter accounts with sanctioned credit limit less than or equal to ₹80 crore) have been supported through the covers. It is estimated that export credit advances worth ₹3,38,984 crore has been supported through ECIB cover during this year compared to ₹3,45,676 crore during the previous year. The estimates are based on data sourced from RBI and considering the fact that the business cycle under short term exports is around 90 days.

Accordingly, the outstanding export credit covered by the Company is multiplied by a factor of four to arrive at the Risk Value.

अनुमान लगाया गया है कि पिछले वर्ष के दौरान ₹3,45,676 करोड़ की तुलना में इस वर्ष के दौरान ईसीआईबी रक्षा के माध्यम से ₹3,38,984 करोड़ मूल्य के निर्यात ऋण अग्रिमों को समर्थन प्रदान किया गया है। अनुमान आरबीआई से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित हैं और इस तथ्य पर आधारित है कि अल्पावधि निर्यात के अंतर्गत व्यापार चक्र लगभग 90 दिनों का है।

तदनुसार, जोखिम मूल्य प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा रक्षित बकाया निर्यात ऋण को चार के गुणक से गुणा किया गया है।

During the year, ST- ECIB underwriting guidelines were liberalized for Gems, Jewellery and Diamond sector accounts to the effect that new or incremental exposure of export credit working capital limits up to ₹100 crore would be covered under Whole Turnover (WT)-ECIB instead of Individual (IN)-ECIB earlier.

Also, a scheme with an enhanced cover of 90% under WT-ECIB was introduced for exporters (other than traders, merchant exporters and exporters under GJD Sector), having aggregate limits/ exposure of up to ₹20 crore. The

प्रमुख देशों के आधार पर जोखिम मूल्य (% शेयर)
Major Country Wise Risk Value (% Share)

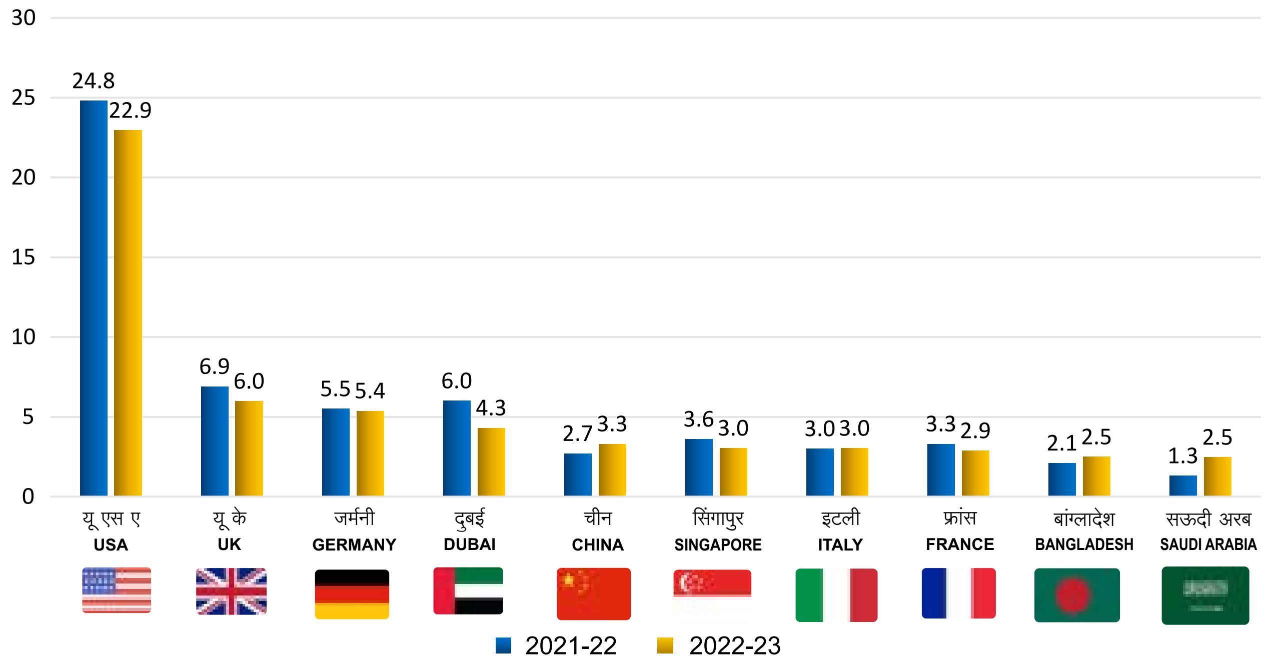

वर्ष के दौरान, रत्न, आभूषण एवं हीरा क्षेत्र के खातों के लिए एसटी–ईसीआईबी हामीदारी दिशानिर्देशों को इस आशय से उदार बनाया गया था कि 100 करोड़ रु. तक के निर्यात ऋण कार्यशील पूंजी सीमा के नए या वृद्धिशील जोखिम को पूर्व में विशिष्ट (इन)–ईसीआईबी के स्थान पर संपूर्ण पण्यावर्त (डब्ल्यूटी)–ईसीआईबी के अंतर्गत रक्षा प्रदान की जाएगी।

साथ ही, डब्ल्यूटी–ईसीआईबी के अंतर्गत 90% की बढ़ी हुई रक्षा के साथ एक योजना ऐसे निर्यातकों (व्यापारियों, व्यापारी निर्यातकों और जीजेडी सेक्टर के अंतर्गत निर्यातकों के अतिरिक्त) के लिए शुरू की गई थी, जिसकी सकल सीमा/जोखिम ₹20 करोड़ तक की थी। ईसीआईबी के अंतर्गत बढ़ी हुई रक्षा ने बैंकों को निर्यातकों को घटी हुई ब्याज दर का लाभ देने में सक्षम बनाया है। चार बैंक अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और द सारस्वत को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने पहले ही हमारी बढ़ी हुई रक्षा योजना का विकल्प चुन लिया है।

enhanced cover under ECIB has enabled the banks to pass on the benefit of reduced interest rate to the exporters. Four banks viz., State Bank of India, Central Bank of India, Bank of Maharashtra and The Saraswat Co-operative Bank Ltd. have already opted for our enhanced cover scheme.

Appropriate risk mitigation measures were continued in respect of underwriting of high value accounts as in the previous years.

MEDIUM AND LONG-TERM BUSINESS REVIEW

The premium income from the Medium and Long-Term (MLT) business, for the FY 2022-23 stood at ₹24.81 crore as against ₹20.33 crore in the previous year. Eight claims of ₹156.93 crore were paid under credit insurance policies issued to Indian Project Exporters during the FY 2022-23.

पिछले वर्षों की तरह उच्च मूल्य वाले खातों के बीमांकन के संबंध में उपयुक्त जोखिम न्यूनीकरण उपाय जारी रखे गए थे।

मध्यम एवं दीर्घावधि व्यापार समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मध्यम और दीर्घावधि (एमएलटी) व्यवसाय से प्रीमियम आय पिछले वर्ष के ₹20.33 करोड़ की तुलना में ₹24.81 करोड़ रही। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय परियोजना निर्यातकों को जारी ऋण बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत ₹156.93 करोड़ के आठ दावों का भुगतान किया गया। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जिन शीर्ष पांच देशों में कंपनी ने बड़े कारोबार की हामीदारी की थी, वे हैं बांग्लादेश, कैमरून, लाओस, नेपाल और सऊदी अरब।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एमएलटी परियोजना निर्यातकों को पिछले वित्तीय वर्ष में 19 के मुकाबले 12 ऋण बीमा पॉलिसी जारी की गईं, जिसमें उनके द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं पर राजनीतिक और व्यापक जोखिम शामिल हैं। रक्षित प्रमुख क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाइड्रो पावर इक्विपमेंट और पूंजीगत माल की आपूर्ति आदि थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंकों को निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) के अंतर्गत जारी की गई रक्षाओं की संख्या पिछले वर्ष के 39 के मुकाबले 47 रही । वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विदेशी निवेश बीमा योजना और खरीदार ऋण योजना के अंतर्गत कोई रक्षा जारी नहीं की गई।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एनईआईए)

एनईआईए ट्रस्ट की स्थापना भारत सरकार (जीओआई) द्वारा मध्यम और दीर्घावधि के निर्यात (एमएलटी) / परियोजना निर्यात के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है, जो राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से वांछनीय है। 31.03.2023 तक ट्रस्ट द्वारा प्राप्त कुल सहायता अनुदान ₹4,741 करोड़ है। ट्रस्ट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एनईआईए ट्रस्ट (बीसी-एनईआईए) की खरीदार ऋण योजना के अंतर्गत ईरान, श्रीलंका, सूरीनाम और जाम्बिया को दी गई सुविधाओं के अंतर्गत भारतीय एक्ज़िम बैंक को ₹4,462.74 करोड़ के आठ दावों का निपटान किया है। ट्रस्ट की बीमांकन क्षमता ₹80,000 करोड़ है, जिसका 25% लगभग ₹20,000 करोड़ की राशि कंपनी द्वारा जारी एमएलटी रक्षा के समर्थन के लिए आवंटित किया गया है। 52 देशों में ₹43,571 करोड़ के कुल मूल्य वाली 213 परियोजनाओं को समर्थन देने वाली 331 रक्षाओं के संबंध में ₹14,153.77 करोड़ तक के जोखिम को एनईआईए ट्रस्ट के साथ साझा किया गया है। ₹80,000 करोड़ की शेष 75% राशि ₹60,000 करोड़ बीसी-एनईआईए के लिए संरक्षित है। 31 मार्च, 2023 तक, ट्रस्ट ने कैमरून, कोटे डी आइवर, घाना, ईरान, मालदीव, मॉरिटानिया मोज़ाम्बिक, सेनेगल, श्रीलंका, सूरीनाम, तंजानिया, युगांडा, ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे देशों में ₹18,006 करोड़ मूल्य की 28 परियोजनाओं के लिए ₹25,091 करोड़ की कुल अधिकतम देयता के साथ 28 खरीदार ऋण रक्षा जारी की हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान स्वीकार

The top five countries in which the Company had underwritten major business during the FY 2022-23 are Bangladesh, Cameroon, Laos, Nepal and Saudi Arabia.

During the FY 2022-23, 12 credit insurance policies were issued to MLT project exporters as against 19 in the previous financial year, covering political and comprehensive risks on various projects undertaken by them. The major sectors covered were Infrastructure projects, Power Transmission & Distribution, Hydro Power Equipment and Supply of Capital Goods etc. The number of covers issued under Export Credit Insurance to Banks (ECIB) during the FY 2022-23 was 47 as against 39 in the previous year. No covers were issued under the Overseas Investment Insurance scheme and the Buyer's Credit scheme during the FY 2022-23.

NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT TRUST (NEIA)

The NEIA Trust has been established by the Government of India (GOI) with the objective of ensuring availability of credit risk cover for Medium and Long-Term exports (MLT) / project exports which are desirable from the point of view of national interest. The total grant-in-aid received by the Trust as of 31.03.2023 stands at ₹4,741 crore. The Trust has settled eight claims of ₹4,462.74 crore under the Buyer's Credit scheme of the NEIA Trust (BC-NEIA) covers during FY 2022-23 to India Exim Bank under the facilities extended to Iran, Sri Lanka, Suriname and Zambia. The underwriting capacity of the Trust is ₹80,000 crore of which 25% amounting to ₹20,000 crore has been earmarked for supporting MLT covers issued by the Company. Risk to the extent of ₹14,153.77 crore, in respect of 331 covers supporting 213 projects with a total value of ₹43,571 crore in 52 countries, has been shared with the NEIA Trust. The balance 75% of ₹80,000 crore amounting to ₹60,000 crore is earmarked for the BC-NEIA. As of March 31, 2023, the Trust has issued 28 Buyer's Credit covers with an aggregate Maximum Liability of ₹25,091 crore for 28 projects of value ₹18,006 crore in the countries Cameroon, Cote D' Ivoire, Ghana, Iran, Maldives, Mauritania, Mozambique, Senegal, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe. In view of claims admitted during the FY 2022-23 and provision for defaults reported under the cover issued / supported by the Trust, the corpus available for underwriting is NIL as of March 31, 2023. The GOI is the sole settlor of the Trust and ECGC is the managing agency.

The Trust is managed by the Company. The Company receives 5% of guarantee fee income earned by the Trust as the management fee and during the year the Company

किए गए दावों और ट्रस्ट द्वारा जारी/समर्थित रक्षा के अंतर्गत रिपोर्ट की गई चूक के प्रावधान हेतु, 31 मार्च, 2023 तक हामीदारी के लिए उपलब्ध कोष शून्य है। भारत सरकार ट्रस्ट का एकमात्र व्यवस्थापक है और ईसीजीसी प्रबंधन एजेंसी है।

ट्रस्ट का प्रबंधन कंपनी करती है। कंपनी ट्रस्ट द्वारा अर्जित गारंटी शुल्क आय का 5% प्रबंधन शुल्क के रूप में प्राप्त करती है और वर्ष के दौरान कंपनी ने ट्रस्ट से अपने प्रबंधन शुल्क के रूप में 1.72 करोड़ प्राप्त किए।

फैक्टरिंग

संपूर्ण (फुल फ्लेज्ड) फैक्टरिंग योजना (एफएफएफएस)

निदेशक मंडल ने 13 मई 2014 को हुई अपनी बैठक में मुख्य रूप से एमएसएमई निर्यातकों के लिए फुल फ्लेज्ड फैक्टरिंग योजना (एफएफएफएस) को मंजूरी दी थी। वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी ने चार निर्यातकों को लाभान्वित करने वाले पाँच प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2022-23 के दौरान, पिछले वर्ष के ₹6.61 करोड़ की राशि के 24 बिलों की तुलना में ₹3.61 करोड़ की राशि के 13 बिलों को फैक्टर किया गया है।

फैक्टर्स को रक्षा

फैक्टरिंग कंपनियों को कभी-कभी आयात फैक्टर उपलब्ध नहीं होने अथवा महंगा होने के कारण उनके द्वारा फैक्टर किए गए निर्यात प्राप्तियों के संबंध में गैर-भुगतान के जोखिम का सामना करना पड़ता है।

निदेशक मंडल और आई आर डी ए आई के समुचित अनुमोदन के साथ, कंपनी द्वारा अपने एम एस एम ई निर्यातक-ग्राहकों से संबंधित निर्यात बिलों के लिए फैक्टर्स / वित्तीय संस्थानों / बैंकों को निर्यात प्राप्य (फेक्टर्स के जोखिम) बीमा अनुबंध रक्षा प्रारम्भ की गयी है।

निर्यात प्राप्य (फैक्टर के जोखिम) बीमा अनुबंध फैक्टर्स / वित्तीय संस्थानों / बैंकों की रक्षा के लिए जारी किया गया उत्पाद है, जो कि उनके द्वारा निर्यातकों को बिल के फ़ैक्टरिंग के माध्यम से उपलब्ध कराया गया वित्त खरीदार जोखिम एवं राजनैतिक जोखिम के कारण अप्राप्त रहता है। कंपनी ने अभी तक इस उत्पाद के अंतर्गत कारोबार शुरू नहीं किया है।

निवेश

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक, सरकारी प्रतिभूतियों, कॉरपोरेट बॉन्ड, इक्विटी शेयरों, सावधि जमा आदि में शामिल निवेश पोर्टफोलियो 31 मार्च, 2022 को ₹14,804.59 की तुलना में ₹15,575.82 था जो कि ₹772.23 करोड़ यथा

कोलकाता शाखा द्वारा मेसर्स जिंदल (इंडिया) लिमिटेड को दावे का भुगतान किया गया

Claim paid to M/s Jindal (India) Limited by Kolkata Branch

received ₹1.72 crore as its management fee from the Trust.

FACTORING

Full Fledged Factoring Scheme (FFFS)

The Board of Directors had at its meeting held on 13th May 2014 approved the Full-Fledged Factoring Scheme (FFFS) primarily for MSME exporters. During the year 2022-23 the Company approved five proposals benefitting four exporters. During the Financial Year (FY) 2022-23, 13 bills were factored amounting to ₹3.61 crore as against 24 bills amounting to ₹6.61 crore during the previous year.

Cover to Factors

Factoring companies face risk of non-payment in respect of export receivables factored by them without recourse due to the reason that import factor is sometimes not available or is expensive.

With the due approvals of the Board of Directors and the IRDAI, the Company has introduced Export Receivables (Factor's Risks) Insurance Agreement Cover to be issued to Factors / Financial Institutions / Banks for the export bills factored by them pertaining to their MSME exporter-clients.

The product, Export Receivables (Factor's Risk) Insurance Agreement is meant to protect Factors / Financial Institutions / Banks wherein the finance extended by them to the exporters by way of 'Factoring' the bill, remains unrealized owing to buyer's risks and political risks. The Company is yet to commence business under the product.

INVESTMENTS

As of March 31, 2023, the investment portfolio comprising of investments in Government Securities, Corporate Bonds, Equity Shares, Fixed Deposits etc. stood at ₹15,575.82 crore as against ₹14,804.59 crore as of March 31, 2022, showing an increase of ₹771.23 crore, i.e. a growth of 5.21%. The growth in the investment portfolio was on account of infusion of additional capital and surplus generated from the investments.

5.21% की वृद्धि दर्शाता है। अतिरिक्त पूंजी के प्रवाह और निवेश से उत्पन्न अधिशेष के कारण निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि हुई है।

कंपनी द्वारा निवेश के संबंध में सभी आवश्यक नियामकों का अनुपालन किया गया है। अनिवार्य श्रेणी के अंतर्गत आई आर डी ए आई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 45% के तुलना में 71.74% का निवेश रहा। दिनांक 31 मार्च, 2023 तक, आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित 15% की अधिकतम सीमा की तुलना में अन्य निवेश के रूप में वर्गीकृत साधनों में कंपनी का जोखिम केवल 1.74% है। इसके अतरिक्त, आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित 65% की न्यूनतम नियामक सीमा की तुलना में कंपनी के कुल ऋण पोर्टफोलियो में से निवेश का 93.44% सरकारी प्रतिभूतियों और एएए रेटिंग वाले डिबेंचर में हैं। वर्ष 2022-23 में निवेश परिचालन (निवेश की बिक्री पर प्राप्त लाभ सहित) से उत्पन्न आय वर्ष 2021-22 में ₹1,090.80 की तुलना में 3.95% की दर्ज वृद्धि के साथ ₹1,133.85 रही। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, वर्ष के दौरान निवेश आय में वृद्धि का मुख्य कारण निवेश पोर्टफोलियो के एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) रहा। गत वर्ष के 8.12% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निवेश पर प्राप्त आय 7.81% थी। कंपनी के निवेश संचालन मुख्य रूप से दावा भुगतानों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने और जोखिम और प्राप्ति के बीच समझौताकारी समन्वय स्थापित करने के लिए किया जाता है। कंपनी का निवेश परिचालन मुख्य रूप से दावों के भुगतान को पूर्ण करने के लिए तरलता प्राप्त करने एवं जोखिम और प्राप्ति के बीच समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

The Company has complied with all the regulatory requirements in respect of investments. Investment under mandatory category stood at 71.74% as against minimum of 45% prescribed by the IRDAI. As of March 31, 2023, the Company has exposure of only 1.74% in instruments classified as "Other Investments", as against regulatory limit of maximum 15% prescribed by the IRDAI. Further, out of the Company's total debt portfolio, 93.44% of investments are in Government Securities and debentures rated AAA, as against regulatory limit of minimum 65% prescribed by the IRDAI.

Income generated from investment operations (including profit on sale of investments) increased to ₹1,133.85 crore in the FY 2022-23 from ₹1,090.80 crore in the FY 2021-22, recording an increase of 3.95%. Increase in the investment income during the year was mainly due to increase in the Asset Under Management (AUM) of the Investment portfolio, as mentioned above. The yield on investment for the FY 2022-23 was 7.81% as against 8.12% for the previous year. The Company's investment operations are conducted mainly to ensure adequate liquidity to meet claim payments and to strike a trade-off between risk and return.

ईसीजीसी विशाखापट्टनम शाखा द्वारा एसबीआई वित्तीय शाखा, विशाखापट्टनम को दावे का भुगतान किया गया
Claim paid to SBI Commercial Branch, Visakhapatnam by ECGC Visakhapatnam Branch

खरीदार बीमा

प्रधान कार्यालय में खरीदार बीमा विभाग (ख बी वि) की भूमिका विभिन्न मापदंडों के आधार पर समग्र ऋण सीमा तय करके और व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खरीदारों पर ठोस बीमांकन निर्णय सुनिश्चित करना है। विभाग विभिन्न साख सूचना एजेंसियों से खरीदारों पर नवीनतम साख सूचना रिपोर्ट प्राप्त करता है और उनका विश्लेषण करता है। रिपोर्ट एवं सिस्टम अधारित डाटा एवं स्कोर कार्ड रेटिंग के आधार पर ख़रीदारों के लेनदेनों की समीक्षा के आधार पर विदेशी ख़रीदारों पर समग्र साख सीमा का निर्धारण किया जाता है।

जैसा उल्लिखित है, विभिन्न ऋण सूचना एजेंसियों से ख़रीदारों पर प्राप्त रिपोर्ट का बीमांकन के उद्देश्य से डिजिटलीकरण किया गया है ताकि सिस्टम में अधिकारियों को जानकारी प्राप्त हो सके।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, एक अंतर्राष्ट्रीय ऋण सूचना एजेंसी को सूचीबद्ध किया गया जिससे ऋण सूचना एजेंसियों की कुल संख्या 11 हो गयी।

पिछले वर्ष की 27,582 साख सीमा आवेदनों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 19% की वृद्धि के साथ कुल 32,811 आवेदन प्राप्त हुए। पिछले वर्ष 74292 ख़रीदारों पर 52,769 के तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 28% की वृद्धि के साथ 80,192 खरीदारों पर ₹67,791 करोड़ की कुल समग्र सीमा तय की गयी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पिछले वर्ष जोड़े गए 17,616 नए ख़रीदारों की तुलना में 13% की वृद्धि के साथ कंपनी के डाटाबेस में 19923 नए खरीदार जोड़े गए।

साख सीमा आवेदनों की प्राप्ति, विदेशी ख़रीदारों पर कुल समग्र सीमा एवं अल्पावधि पॉलिसी कारोबार प्रीमियम में नए ख़रीदारों के जुड़ने से 11% की सुदृढ़ वृद्धि हुई।

देश बीमा

देश बीमा राजनीतिक एवं वित्तीय जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं मात्रा का निर्धारण करता है। यह गंतव्य देशों में व्यापार जोखिम के स्तर की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है । देशों के जोखिमों का आकलन और मूल्यांकन देश बीमा विभाग द्वारा किया जाता है।

कंपनी के पास एक इन-हाउस वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग प्रणाली है जो 'ए 1' (महत्वहीन जोखिम), 'ए 2' (कम जोखिम), 'बी 1' (मध्यम रूप से कम जोखिम), 'बी2' (मध्यम जोखिम), 'सी1' (मध्यम रूप से उच्च जोखिम), 'सी2' (उच्च जोखिम) और 'डी' (बहुत अधिक जोखिम) के सात स्तरों पर देशों के जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करता एवं दर्शाता है। स्कोरिंग प्रणाली राजनीतिक, आर्थिक और व्यापार जोखिमों सहित कई मापदंडों के आधार पर

BUYER UNDERWRITING

The role of the Buyer Underwriting Department (BUD) at Head Office is to ensure sound underwriting decisions on buyers by fixing overall credit limits on the basis of various parameters and taking into account the business requirements. The department obtains and analyses latest credit information reports on buyers from various Credit Information Agencies. Based on the reports and review of the transactional behaviour of buyers on the basis of system-generated data and the scorecard rating, overall credit limits are decided on overseas buyers with the score card based suggested limits serving as a guiding post.

Reports received on buyers from different credit information agencies, as mentioned above, are digitalized to make them accessible in the system to the officials for the underwriting purpose.

During the FY 2022-23, one International credit information agency was empanelled taking the total number of credit information agencies to 11.

The number of credit limit applications received in FY 2022-23 was 32,811 registering a growth of 19 per cent as against 27,582 in the previous year. During the FY 2022-23, the aggregate Overall Limits (OL) of ₹67,791 crore was fixed on 80,192 foreign buyers, registering a growth of more than 28 per cent as compared to ₹52,769 crore on 74,292 buyers in the previous year. The number of new buyers added to the Company's database during the FY 2022-23 was 19,923 registering a growth of more than 13 per cent compared to previous year's addition of 17,616 new buyers.

The strong growth in number of credit limit applications received, aggregate Overall Limits fixed on foreign buyers and new buyers added supported 11 percent growth in Short-Term Policy business premium.

COUNTRY UNDERWRITING

Country Underwriting deals with the identification, evaluation and measurement of political and economic risks. It is an important tool for monitoring business exposure levels in destination countries. The assessment and evaluation of the country risk is carried out by the Country Underwriting Department.

The Company has an in-house objective scoring system that reviews and maps the risk profile of countries on a seven-fold classification of 'A1' (Insignificant risk), 'A2' (Low Risk), 'B1' (Moderately Low Risk), 'B2' (Moderate Risk), 'C1 '(Moderately High Risk), 'C2' (High Risk) and 'D'

देशों का मूल्यांकन करती है। इस प्रकार प्राप्त देश रेटिंग का प्रभाव प्रीमियम दर, प्रकार के निर्धारण और रक्षा की शर्तों, और निर्यात गंतव्यों पर लेनदेन को हामीदारी करने की क्षमता के माप पर पड़ता है। अल्पावधि (एसटी) और मध्यम एवं दीर्घावधि (एमएलटी) के अंतर्गत देशों की रेटिंग के लिए, विशिष्ट कारक और उनसे संबन्धित सभी आवश्यक जानकारियों सहित, अलग स्कोरिंग मॉडल मौजूद हैं।

दुनिया भर में राजनीतिक, आर्थिक और व्यापार जोखिमों से जुड़े नवीनतम जोखिम मापदंडों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सी आर आर एम मॉडल की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इस प्रकार की नवीनतम समीक्षा नवंबर 2022 में की गयी जहां अल्पावधि एवं मध्यम तथा दीर्घावधि मॉडल में बढ़ते ऋण संकट को देखते हुए देशों की ऋण स्थिरता पहलुओं के विश्लेषण हेतु ऋण भार जोखिम नामक नवीन पैरामीटर जोड़ा गया है। यह संशोधित मॉडल निदेशक मण्डल द्वारा इसकी 439वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था।

नवीनतम आर्थिक और राजनीतिक विकास को ध्यान में रखते हुए देशों के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा वार्षिक, अर्ध-वार्षिक एवं, यदि आवश्यक हो, तो जरूरत के आधार पर की जाती है। किसी देश का जोखिम वर्गीकरण संबंधित देश में शामिल लेनदेन के संबंध में प्रीमियम के राजनीतिक जोखिम घटक को प्रभावित करता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जोखिम वर्गीकरण वर्तमान स्थिति को वास्तविक रूप से दर्शाता है।

देश जोखिम वर्गीकरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान

र) मई 2022 में वार्षिक समीक्षा की गयी थी। तत्पश्चात, सी आर आर एम मॉडल में परिवर्तन एवं कंपनी द्वारा उसे अपनाए जाने के पश्चात पुनः उसकी समीक्षा की गयी।

ल) कंपनी द्वारा कुल 239 देशों की समीक्षा की गयी।

ल) 53 देशों की रेटिंग में सुधार हुआ जबकि 79 देशों की रेटिंग कम हुई।

व) 31.03.2023 को देश जोखिम वर्गीकरण का सारांश इस प्रकार है:

(Very High Risk). The scoring system evaluates countries based on a host of parameters including political, economic and trade risks. The country rating so arrived has an impact on the calculation of premium, determination of type and terms of cover and measurement of the capacity to underwrite transactions on export destinations. Separate scoring models with distinct factors and their relative relevance are in place for the rating of countries under short-term (ST) and medium and long-term (MLT).

The CRRM model is reviewed on a periodic basis to keep abreast with the latest risk parameters associated with the political, economic and trade risks across the globe. The latest such review was carried out in November 2022 wherein a new parameter named Debt Burden Risk was introduced in the ST and MLT model to analyze the debt sustainability aspects of the countries in view of the rising debt crisis. The revised model was subsequently approved by the Board of Directors at its 439th meeting.

A review of the risk classification of countries is carried out on a yearly, half-yearly and if necessary, on an ad-hoc basis taking into account the latest economic and political developments. The risk classification of a country impacts the political risk component of the premium in respect of transactions covered on the subject country. Hence, it is essential to ensure that the risk classification reflects the current situation realistically.

Country Risk Classification

During the FY 2022-23:

a) The annual review was carried out in May 2022. Subsequently, the exercise was carried out again after the changes in the CRRM model were adopted by the Company.

b) The total number of countries reviewed by the Company stood at 239.

c) A total of 53 countries were upgraded while 79 countries were downgraded.

d) The summary of country risk classification as of 31.03.2023 is as follows:

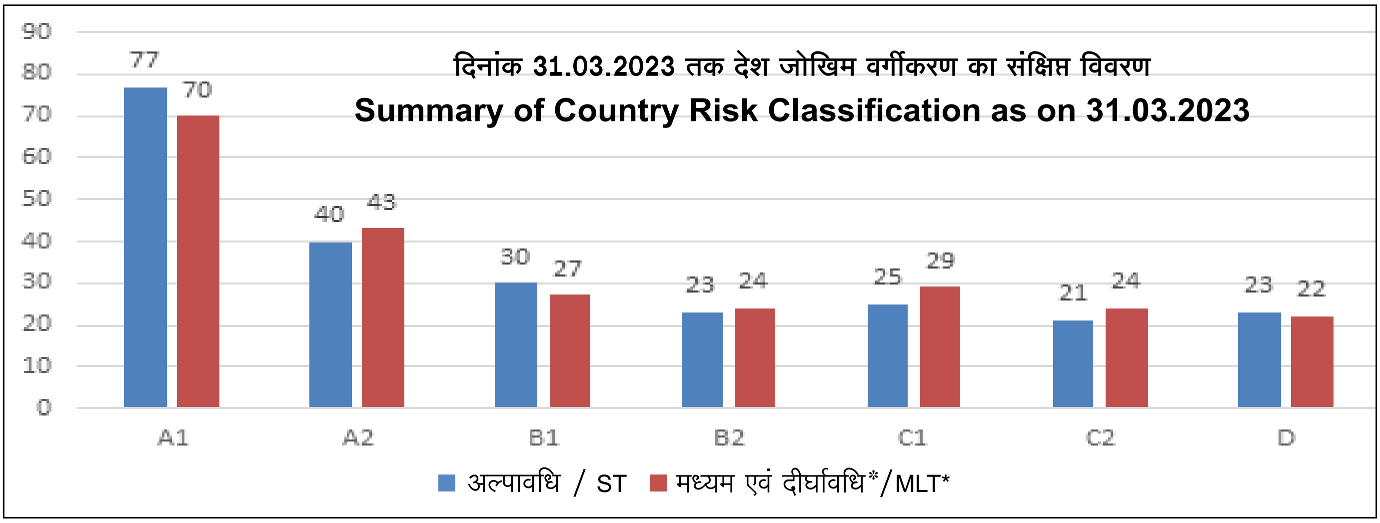

*पाकिस्तान एमएलटी के अंतर्गत 09.08.2019 से रक्षित क्षेत्रों में नहीं है ।

देश रक्षा

इसके अतिरिक्त, 239 देशों को खुला रक्षा श्रेणी, प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी– ख (जहां परिक्रामी सीमाएं सामान्य रूप से एक वर्ष के लिए मान्य हैं) और प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी– II (जहां मामला–दर–मामला आधार पर विशिष्ट अनुमोदन दिया जाता है) के अंतर्गत रखा गया है ताकि इन देशों में जोखिम की प्रभावी निगरानी की जा सके। दिनांक 31.03.2023 तक, 185 देशों को खुला रक्षा श्रेणी में, 31 देशों को प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी–I में एवं 23 देशों को प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी– II में रखा गया है।

देश जोखिम सीमा

देश जोखिम सीमा (सी ई एल) वाणिज्यिक और राजनीतिक दोनों जोखिमों के अंतर्गत किसी भी समय किए गए निर्यात के लिए किसी देश पर कंपनी द्वारा स्वीकार की जाने वाली कुल निर्धारित देयता है।

जोखिम की उचित निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के द्वारा देश–वार सीमा जारी करने के लिए प्रदान की गयी सभी सीमाओं एवं उप–सीमाओं को सीईएल के रूप में परिभाषित किया जाता है। कंपनी की जोखिम लेने की क्षमता में किसी भी परिवर्तन एवं ऐसे देशों में समय–समय पर जोखिम की समीक्षा करने

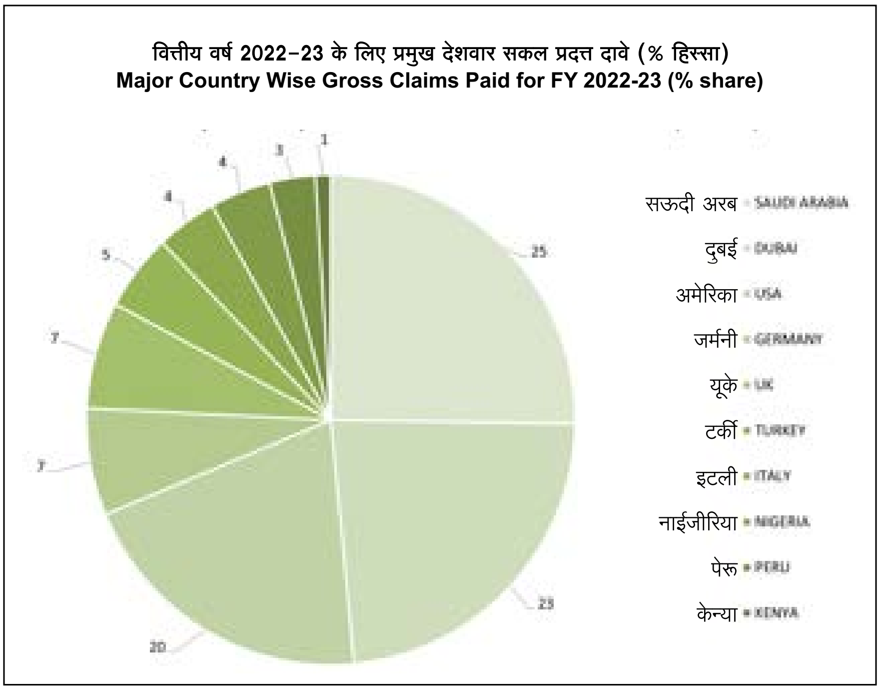

*Pakistan is off-cover under MLT w.e.f. 09.08.2019

Country Cover

Further, the 239 countries are placed under Open Cover Category, Restricted Cover Category-I (where revolving limits are approved normally valid for a year) and Restricted Cover Category-II (where Specific Approval is given on a case-to-case basis) for effective monitoring of exposures in these countries. As of 31.03.2023, 185 Countries are placed in Open Cover, 31 countries in Restricted Cover Category-I and 23 countries in Restricted Cover Category-II.

Country Exposure Limit

The Country Exposure Limit (CEL) sets the aggregate liability that the Company accepts on a country for the exports made at any point in time under both commercial and political risks.

The CEL is defined as an all-encompassing limit with sub-limits allotted for issuance of discrete country-wise limits (CoL) by the Company to ensure appropriate monitoring of exposures. The changes in the country risk

की आवश्यकता को दर्शाने के लिए देश के जोखिम वर्गीकरण में परिवर्तन को ध्यान में रखा जाता है।

सीईएल की वार्षिक एवं साथ ही, उन परिस्थितियों सहित जहां किसी देश की जोखिम रेटिंग अनपेक्षित राजनीतिक बदलावों के कारण परिवर्तन होता है, आवश्यकतानुसार समीक्षा की जाती है।

पुनर्बीमा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी ने मध्यम एवं दीर्घावधि रक्षाओं सहित सम्पूर्ण कारोबार के लिए जीआईसी री से 4% के आवश्यक पुनर्बीमा रक्षा सहित भारतीय पुनर्बीमाकर्ता, विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं एवं विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं से अल्पावधि पॉलिसी के लिए 21% (स्कोर 6%, जीआईसी री 6%, हनोवर री 4%, सीसीआर री 3.24% एवं पार्टनर री 1.76%) की सीमा तक एवं अल्पावधि ईसीआईबी के लिए 10% (स्कोर री 3%, हनोवर री 3% जीआईसी री 1.5%, और सीसीआर री 1.5% एवं पार्टनर री 1%) की सीमा तक के लिए आनुपातिक (कोटा शेयर- क्यूएस) पुनर्बीमा संधि की। कंपनी ने अल्पावधि (पॉलिसी और ईसीआईबी रक्षा दोनों) के अंतर्गत बड़े जोखिमों के लिए कोई अतिरिक्त हानि रक्षा नहीं ली गई है क्योंकि दरें बहुत अधिक थीं।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन के कार्यक्षेत्र में कंपनी द्वारा जोखिम के समग्र स्तर की पहचान, माप, निगरानी, नियंत्रण और हस्तांतरण करना शामिल है। जोखिम प्रबंधन गतिविधियां कंपनी को अपनी हामीदारी नीति और इसके रक्षा की शर्तों, जोखिम मूल्यांकन, नियामक आवश्यकताओं, वित्तीय व्यवहार्यता और दीर्घावधि स्थिरता को सुनिश्चित करने में सहायता करती हैं। मौजूदा संगठनात्मक संरचना और प्रथाएं जो पिछले छह दशकों से अधिक समय में विकसित हुई हैं, उन मूलभूत संरचनाओं में शामिल हैं जिन्हें जोखिम कार्यों में निर्धारित किया जा सकता है। कंपनी द्वारा वर्ष 2011 में विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन मानदंड पेश किए और एक निर्यातक, एक निर्यातक समूह, एक खरीदार, एक उद्योग और एक देश के लिए निश्चित जोखिम सीमा तय की गई। किसी पोर्टफोलियो के लिए जोखिम का प्रबंधन करना एक सतत् प्रक्रिया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंकों को जारी किए गए सम्पूर्ण कारोबार रक्षा के अंतर्गत रत्न, आभूषण और हीरा (जी जे डी) क्षेत्र के लिए नवीनतम निर्यात ऋण सीमाओं पर अस्थायी निलंबन की शुरुआत करके और देश जोखिम सीमा तय करने के लिए मानदंड पेश करके जोखिम मानदंडों को

classification are taken into account to reflect any change in the Company's risk appetite and the need to periodically review exposure on such countries.

The CEL is reviewed annually as well as on a need basis, including the situations when there is a change in the risk rating of a country based on unexpected eco-political changes.

REINSURANCE

For the FY 2022-23, the Company had a Proportional (Quota Share – QS) Reinsurance treaty to the extent of 21% for Short-Term Policy (SCOR 6%, GIC Re 6%, Hannover Re 4%, CCR Re 3.24% and Partner Re 1.76%) and 10% for Short Term ECIB (SCOR 3%, Hannover Re 3%, GIC Re 1.5%, CCR Re 1.5% and Partner Re 1%) from Indian Reinsurers, Foreign Reinsurance Branches (FRB) and Cross-Border Reinsurers (CBR) along with the obligatory 4% reinsurance (QS) cover from GIC Re for the entire business including MLT covers. The Company has not taken any Excess of Loss covers for large risks under Short-Term (both Policy and ECIB covers) as the rates were very high.

RISK MANAGEMENT

The scope of risk management includes identification, measurement, monitoring, control and transfer of the overall level of risks undertaken by the Company. The risk management activities help the Company to decide its underwriting policy and the terms of its cover, risk assessment, regulatory requirements, financial viability and long-term sustainability. The existing organisational structure and practices that have evolved over more than the past six decades, incorporate fundamental structures that can be built upon in the risk functions. The Company introduced prudential risk management norms in 2011 and fixed exposure limits for a single exporter, an exporter group, a buyer, an industry and a country. Managing the concentration risk of a portfolio is and of a continuous process.

During FY 2014-15, the exposure norms were modified by introducing

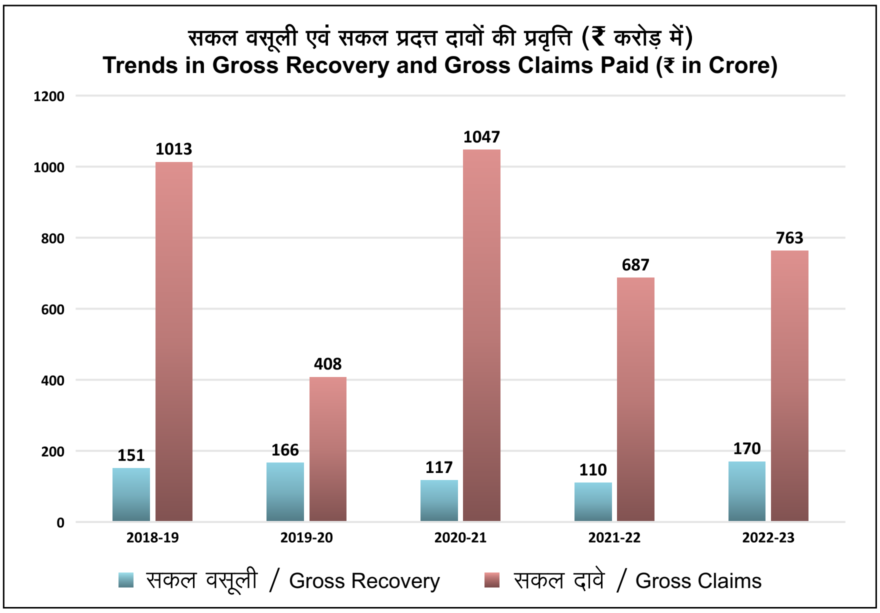

संशोधित किया गया। पिछले कुछ वर्षों के अनुभव के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 से कंपनी की बैंकों के लिए सम्पूर्ण कारोबार निर्यात ऋण बीमा (डब्ल्यूटी-ईसीआईबी) योजना के अंतर्गत प्रति निर्यातक/ निर्यातक समूह के लिए ₹100 करोड़ तक की सीमा तक प्रीमियम दरों में परिवर्तन के बिना रत्न, आभूषण और हीरा क्षेत्र (जीजेडी) खातों को रक्षित करने के लिए बीमांकन दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी द्वारा अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत खरीदार/ एलसी बैंक पर जोखिम के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं में संशोधन किया गया। अल्पावधि ईसीआईबी योजनाओं के अंतर्गत व्यक्तिगत निर्यातक / समूह निर्यातक के लिए जोखिम सीमाओं एवं उद्योग क्षेत्रों के लिए जोखिम सीमाओं की भी समीक्षा की गयी। कंपनी द्वारा विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत मध्यम एवं दीर्घावधि लेनदेनों के अंतर्गत विवेकपूर्ण सीमाओं को संशोधित किया गया, क्योंकि नए जोखिमों के लिए एनईआईए ट्रस्ट से समर्थन नहीं मिल रहा है।

अल्पावधि पॉलिसी रक्षा के अंतर्गत जानकारी पूर्ण और विवेकपूर्ण हामीदारी निर्णय की सुविधा के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में कंपनी द्वारा निर्यातकों के मूल्यांकन के लिए निर्यातक स्कोर कार्ड रेटिंग मॉडल (ईएससीआरएम) पेश किया गया है। इसे मॉडल उपयोगी पाया गया है और नियमित अंतराल पर इसकी समीक्षा की जाती है।

जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की गयी एवं कंपनी के जोखिम प्रबंधन का कार्यक्षेत्र विस्तृत और सुदृढ़ हुआ है। कंपनी अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन ढांचे के माध्यम से जोखिम प्रोफाइल को विनियमित करने के लिए एक उद्यम-व्यापी सूचना प्रणाली भी स्थापित कर रही है।

कंपनी सूचना और साइबर सुरक्षा जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने पर केंद्रित है। कंपनी ने सुदृढ़ सुरक्षा नियंत्रणों को लागू किया है और व्यापक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) ढांचा स्थापित किया है। कंपनी ने अच्छी तरह से परिभाषित व्यापार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) ढांचा भी स्थापित किया है।

वसूली

अल्पावधि ईसीआईबी: पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के लिए ₹93.44 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए लंबित दावों पर ₹136.85 करोड़ की वसूली की गयी।

विशाखापट्टनम शाखा द्वारा मेसर्स इंपेक्स को दावे का भुगतान किया गया
Claim paid to M/s Impex by Visakhapatnam branch

temporary suspension of cover on fresh export credit limits to the Gems, Jewellery and Diamond (GJD) sector under WT covers issued to banks and also by introducing criteria for fixing Country Exposure Limits. Based on the experience in the past few years, the underwriting guidelines have been modified for covering GJD accounts under the Whole-Turnover-Export Credit Insurance for Banks (WT-ECIB) scheme of the Company for the limits up to ₹100 crore per exporter/exporter-group with effect from FY 2022-23. Normal cover percentage will be extended to these exporter accounts till such time as the total limit remains within ₹100 crore per exporter group, without any change in the premium rates.

During FY 2022-23, the Company further modified the prudential limits for exposure on Buyers/LC opening banks under Short Term Policies. It also reviewed the exposure limits under individual exporter/group exporter under Short-Term ECIB schemes and the exposure limits for industry sector. The Company also modified the prudential limits under Medium- and Long-Term export transactions under various scenarios, as the support from the NEIA trust for fresh exposures is not forthcoming.

In order to facilitate an informed and prudent underwriting decision under ST Policy covers, the Company has introduced the Exporter Score Card Rating Model (ESCRM) in the FY 2020-21, for assessment of exporters. The model is found to be useful and is reviewed at regular intervals.

The Risk Management Policy has been reviewed and the scope of Company's risk management is further enhanced and strengthened. The Company is also establishing an enterprise-wide information system to regulate the risk profile through its internal risk management framework.

The Company is focused on effectively managing the Information and Cyber Security Risks. The Company has implemented robust security controls and established a comprehensive Information Security Management System (ISMS) framework. The Company has also established a well-defined Business Continuity Management System (BCMS) framework.

अल्पावधि पॉलिसी: पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की ₹16.54 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत भुगतान किए गए और वसूली के लिए लंबित दावों से ₹10.55 करोड़ की वसूली की गई।

मध्यम एवं दीर्घ अवधि पॉलिसी: पिछले वर्ष की शून्य वसूली की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भुगतान किए गए और वसूली के लिए लंबित दावों के अंतर्गत ₹22.11 करोड़ की वसूली हुई।

पॉलिसी और ईसीआईबी के तहत वसूली में सुधार के लिए की गई पहल:

1. पॉलिसी

नई ऋण वसूली एजेंसियों (डीसीए) को सूचीबद्ध किया जा रहा है और वे पॉलिसीधारक जो चूक की रिपोर्ट करते हैं उन्हें डिफ़ॉल्ट चरण में ही मामलों को डीसीए के समक्ष रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि इससे वसूली में वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

2. ईसीआईबी

प्र का द्वारा मामलों की निगरानी की जा रही है एवं ऐसे मामलें जहां बैंकों द्वारा वसूली की जानकारी साझा नही की जा रही हैं अथवा मांगी गयी जानकारी प्रदान नहीं की जा रही है उन मामलों में हमारे वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करके निपटान किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन कार्यक्रम पर अद्यतित जानकारी

कंपनी ने विकास और एकीकरण चरण में अपने उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) पुनर्गठन परियोजना में प्रगति दर्ज की है। जारी की गई सेवाओं का पृथक उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) प्रारम्भ हो गया है। विकास टीम द्वारा मई 2022 से मार्च 2023 तक अल्पावधि पॉलिसी रक्षा, अल्पावधि ईसीआईबी रक्षा, खरीदार बीमा गतिविधियों एवं देश बीमा गतिविधियों के अंतर्गत कुछ कारोबार प्रक्रियाओं की सेवाओं का प्रदर्शन किया है एवं समस्याओं के समाधान के लिए विकासकर्ताओं को सूचित किया गया। पूर्वानुमोदित योजना के अनुसार, एकीकृत परीक्षण के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 में एकीकृत यूएटी में स्माइल परियोजना की कुल 99 सेवाओं को जारी किए जाने की अपेक्षा है।

RECOVERIES

ST ECIB: During the FY 2022-23, a sum of ₹136.85 crore was recovered against claims paid and pending for recovery compared to ₹93.44 crore, for the same period, in the previous FY.

ST Policy: A sum of ₹10.55 crore was recovered from claims paid and pending for recovery under Short - Term Policies during the FY 2022-23 compared to ₹16.54 crore for the same period in the previous FY.

MLT Policy: During the FY 2022-23, there was a ₹22.11 crore recovery against claims paid and pending for recovery as against the recovery of "NIL" in the previous FY.

Initiative taken to improve recovery under Policy and ECIB:

1. Policy

Fresh Debt Collection Agencies (DCAs) are being empanelled and the Policyholders who report defaults are encouraged to place the cases with DCAs at the default stage itself as this can have a positive impact on improving the recover-ability.

2. ECIB

The cases are monitored from Head Office and in such cases where the banks are not sharing recoveries or information sought is not being provided, the cases are pursued by follow up with the banks' senior officials by our Senior Management.

कंसोरशियम व्यवस्था की पाँच बैंकों - इंडियन बैंक (पूर्व में इलाहाबाद बैंक), पंजाब नेशनल बैंक (पूर्व में यूनाइटेड बैंक), भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बडोदा को दावे का भुगतान किया गया

Claim payment to Consortium arrangement of five Banks Punjab National Bank (e-United Bank), State Bank of India, Union Bank of India, Bank of Baroda, Indian Bank (e-Allahabad Bank)

Update on Information Technology Implementation Program

The Company has progressed with its Enterprise Resource Planning (ERP) Revamp Project to Development and Integration Phase. The isolated User Acceptance Testing (UAT) of the released services has started. The development team, has demonstrated the services of certain business processes under Short-Term Policy covers, Short-Term ECIB covers, Buyer underwriting activities and Country Underwriting activities from May 2022 onwards up to March 2023 and issues were informed to the developers for resolution. As per the agreed plan, a total of 99 services of the SMILE Project are expected to be released in the Integrated UAT in the FY 2023-2024 for integrated testing.

विपणन एवं जनसम्पर्क

राष्ट्रीय विपणन विभाग (रा.वि.वि.) कंपनी की विपणन, विज्ञापन एवं प्रचार व इससे संबंधी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है।

विभाग शाखाओं व क्षेत्रों के लिए कारोबार लक्ष्यों का निर्धारण करने एवं विभिन्न मानदंडों के अधीन निर्धारित लक्ष्यों के साथ साथ निष्पादन को भी मॉनिटर करने हेतु उत्तरदायी है। अ प्र नि/ का नि की अध्यक्षता में विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों /विभागों के साथ कंपनी के कारोबार निष्पादन की समीक्षा भी की जाती है।

कंपनी द्वारा आयात निर्यात जोखिम बीमा के मूल कारोबार पर ध्यान देने के अतिरिक्त, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गनाइजेशन (एफआईईओ), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई), भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) इत्यादि जैसी विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन एजेंसियों के साथ भी निकट समन्वय में काम करता है।

विपणन प्रयासों के अंतर्गत, निर्यातकों एवं बैंकरों को लाभान्वित करने के लिए बीमा शिक्षा/ जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के अतिरिक्त कौशल विकास कार्यक्रम, ग्राहकों और संभावित ग्राहकों के व्यक्तिगत दौरे भी किए गए। वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा ग्राहकों को पॉलिसी की निबंधन एवं शर्तों सहित मुख्य अनुपालनों पर शिक्षित करने के उद्देश्य से 240 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गईं. सेवा तंत्र के माध्यम से 7500 से अधिक ग्राहकों एवं संभाव्य ग्राहकों से निजी रूप से भेंट की गई। विभिन्न व्यपार संगठनों जैसे फियो, सी आई आई, आई सी सी, आई एम सी इत्यादि के साथ 80 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं।

प्रमुख समाचार पत्रों जैसे इकोनोमिक टाइम्स, मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड इत्यादि की वैबसाइट पर कंपनी के विज्ञापन प्रदर्शन के जरिए सक्रिय रूप से डिजिटल मार्केटिंग भी की गई।

सितंबर 2022 के दौरान, कंपनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना के घटक 'पहली बार एमएसई निर्यातकों का क्षमता निर्माण' (सीबीएफ़टीई) के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अंतराष्ट्रीय बाज़ार में उनके उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु एमएसएमई मंत्रालय के साथ एक

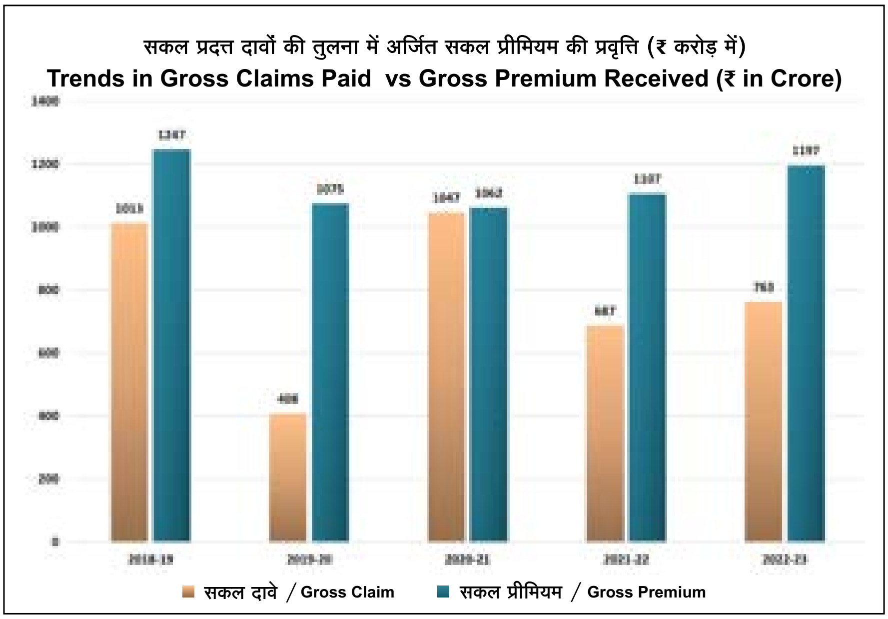

MARKETING AND PUBLICITY

The National Marketing Division (NMD) is responsible for the marketing, advertising, publicity and related activities of the Company.

The Division bears the responsibility of fixing business targets for branches and monitoring the performance vis-à-vis the targets fixed under various parameters. The Division reviews the business performance of the Company with the Regional/Branch/Department heads which is presided over by the CMD/ED.

The Company, besides focussing on its core business of export credit risk insurance, also works in close co-ordination with various export promotion agencies like Export Promotion Councils (EPCs), Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), Confederation of Indian Industry (CII), etc.

As a part of marketing efforts, besides organizing insurance education/awareness programmes for the benefit of exporters and bankers, skill development programmes, personal visits to clients and potential clients were also undertaken. During the financial year, the Company conducted more than 240 meetings to educate the customers about the major compliance procedures including policy terms and conditions. Personal visits to more than 7500 customers and potential customers were undertaken in the service network. There were more than eighty meetings conducted in association with trade bodies viz. FIEO, CII, ICC, IMC etc.

Digital marketing was actively undertaken through display of the Company's advertisements on websites of prominent newspapers such as Economic Times, Mint, Business Standard, Business Line, Financial Express etc.

During September 2022, the Company signed an MOU with the Ministry of MSME to enable the Micro and Small Enterprises (MSE) to promote their products in the

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस योजना के लिए कंपनी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, योजना के अनुपालन के अधीन वित्त वर्ष में एमएसई निर्यातकों को अधिकतम ₹10,000/- (दस हज़ार रु. मात्र) की प्रतिपूर्ति की जाती है। सीबीएफ़टीई योजना का उद्देश्य निर्माण क्षेत्र में कार्यरत एमएसई निर्यातकों को बढ़ावा देना है।

मार्च 2023 के दौरान, भारत सरकार द्वारा कंपनी को मुंबई में 'G20 व्यापार वित्त सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' आयोजित करने के लिए एंकरिंग एजेंसियों में से एक नियुक्त किया गया, जिसमें जी20 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कॉर्पोरेट योजना

कॉर्पोरेट योजना की अवधारणा को संसाधनों- वित्तीय, जनशक्ति और प्रबंधकीय को योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से उपयोग करने हेतु निर्देशित करना है। कॉर्पोरेट योजना अगले पाँच वर्षों के लिए कंपनी का रोड मैप एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ है। यह योजना कंपनी के स्वोट विश्लेषण को रेखांकित करती है और संगठन के प्रदर्शन, विदेशी समकक्षों के साथ तुलना, व्यापार के रुझान, वैश्विक और राष्ट्रीय वातावरण और अगले पांच वर्षों की अवधि के अनुमानों पर चर्चा करती है। इन अनुमानों में वृहद रूप से कंपनी के विभिन्न उत्पाद समूहों के अंतर्गत प्रीमियम आय, जोखिम मूल्य रक्षा, दावों का भुगतान एवं वसूली और इसके प्रत्याशित वसूली एवं वित्तीय परिणाम शामिल हैं। योजना की तुलना में वार्षिक उपलब्धि कंपनी को व्यापार रणनीतियों की समीक्षा करने और सुधारने में सहायता करती है। कंपनी ने योजना के अनुमानों को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति तैयार की है।

ईसीजीसी के अधिकारियों ने तिरुपुर में 48वें भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई प्रदर्शिनी में भाग लिया

ECGC Officials participating in 48th India International Knit Fair at Tirupur

वैकल्पिक विपणन तथा वितरण चैनल

ऋण बीमा उत्पादों के विपणन और वितरण को सशक्त करने और भारत में ऋण बीमा की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय विपणन विभाग (एन एम डी) द्वारा 31 मार्च 2023 तक 200 से अधिक ब्रोकरों को सूचीबद्ध किया गया है। इस चैनल को सशक्त करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने के लिए प्रयास जारी हैं। एन एम डी एवं क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा वर्ष के दौरान ब्रोकरों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करता है ताकि उन्हे विभिन्न पॉलिसियों की

international markets under the 'Capacity Building of First Time MSE Exporters' (CBFTE) Component of the International Cooperation (IC) Scheme. The Company has been appointed as the implementing agency for the scheme. Under this scheme, maximum premium amount of ₹10,000/- (Rupees Ten Thousand Only) is reimbursable to the MSE exporters in a financial year, subject to compliances of the scheme. The CBFTE scheme intends to give boost to the MSE exporters engaged in the manufacturing sector.

During March 2023, the Company was also appointed by the GOI as one of the anchoring agencies for conducting the 'International Conference on G20 Trade Finance Cooperation' in Mumbai, which was attended by delegates from the G20 countries.

CORPORATE PLAN

The concept of a Corporate Plan was introduced to direct the resources-financial, manpower and managerial-in a planned and systematic manner. The Corporate Plan is a road map of the Company for the next five years and strategies to achieve its goal. The plan also outlines the Company's SWOT analysis and discusses the performance of the organization, comparison with the overseas counterparts, business trends, global and national environment and projections for the next five-year period. The projections broadly encompass the Company's growth in premium income, risk value coverage, claims pay out and recoveries anticipated under its different product groups and the resultant projection of financial results. Annual achievement vis-à-vis the plan helps the Company in reviewing and improving the business strategies. The Company has drawn up its strategies to achieve the plan projections.

ALTERNATE MARKETING & DISTRIBUTION CHANNELS

In order to strengthen the marketing and distribution of credit insurance products and to increase penetration of credit insurance in India, the National Marketing Division

जानकारी प्राप्त होती रहे, एवं वे कंपनी की बीमा रक्षाओं का प्रभावी रूप से प्रचार कर सके एवं भारतीय निर्यात को रक्षा एवं बढ़ावा मिलता रहे।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, वैकल्पिक विपणन और वितरण चैनल के माध्यम से प्राप्त व्यवसाय के अंतर्गत प्राप्त प्रीमियम ₹175.73 करोड़ था जो कि अल्पावधि पॉलिसी प्रीमियम की आय ₹540.22 करोड़ का 32.53% था।

पूरे देश में सामान्य जनता में बीमा संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देने एवं इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख बीमाकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने की आईआरडीएआई की पहल के अंतर्गत कंपनी द्वारा राज्य वार एस पी ओ सी (संपर्क हेतु एकल केंद्र) नियुक्त किए गए हैं।

कॉर्पोरेट सामजिक दायित्व (सी एस आर) पहल तथा संधारणीय विकास (एस डी)

कम्पनी द्वारा सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सी एस आर नीति अपनाई गई है। तदनुसार, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार सी एस आर के अधीन प्रत्येक वर्ष, पिछले 3 वर्षों के औसत निवल लाभ के कम से कम 2% का व्यय विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाना अनिवार्य है। कम्पनी की सी एस आर गतिविधियों में स्वास्थ्य, पोषण, प्राथमिक शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका सुनिश्चियन, पर्यावरण, संधारणीय विकास, महिला सशक्तिकरण, दिव्यागों के लिए सेवाओं की उपलबद्धता तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय को सहायता शामिल है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कम्पनी की सी एस आर गतिविधियों के लिए लगभग ₹13.80 करोड़ व्यय किये गए। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, पहले से आरंभ की गई परियोजनाओं के लिए ₹1.51 करोड़ का आबंटन यू एस एस आर खाते में किया गया तथा स्वच्छ भारत कोष (एसबीके) में ₹0.0368 करोड़ का योगदान दिया गया।

सी एस आर गतिविधियों के लिए कार्यान्वयन भागीदारों में जिलाधीश कार्यालय, राजगढ़, मध्यप्रदेश (महत्वकांक्षी जिला), टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेस (टी आई एस एस); विवेकानंद केंद्र, स्नेहालय, एस ओ एस चिल्ड्रेन विलेज ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ वर्ल्ड, डेवलपमेंट एजुकेशन एम्पोवेरमेंट ऑफ

कोल्लम शाखा द्वारा साउथ इंडियन बैंक को दावे का भुगतान किया गया
Claim paid to South Indian Bank by Kollam Branch

(NMD) has empanelled more than 200 brokers as of March 31, 2023. Continuous efforts are being made to strengthen and expand this channel further. NMD and Regional/Branch Offices conduct workshops for brokers to enable them about the features of various Policies, to enable them to effectively market the Company's insurance covers, thereby protecting and promoting India's exports.

During the FY 2022-23, the premium earned under the business procured through the alternate marketing and distribution channel was ₹175.73 crore which constitutes 32.53% of the ST Policy premium income of ₹540.22 crore.

The Company has also appointed State-wise SPOCs (Single Point of Contact) under the IRDAI initiative to promote insurance awareness amongst the general public across the country and is closely working with lead insurers to achieve the objective.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) INITIATIVES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD)

The Company has adopted the CSR Policy as per the guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE). Accordingly, it is required to spend at least 2% of its last three years' average net profit every year for various CSR activities as per Section 135 of the Companies Act, 2013. The Company's CSR activities relate to health, nutrition, sanitation, primary education, skill development, ensuring livelihood for economically weaker sections, environment, sustainable development, women empowerment, empowerment of the differently-abled and support to the Scheduled Tribe community. An aggregate amount of ₹13.80 crore was spent on CSR activities of the Company during FY 2022-23. Further, allocation of ₹1.51 crore has been made in the UCSR account for the projects already initiated and an amount of ₹0.0368 crore has been paid to the Swachha Bharat Kosh (SBK) for the FY 2022-23.

The major implementation partners for CSR activities are the Office of the District Collector, Rajgarh, Madhya Pradesh (Aspirational District), the TATA Institute of Social Sciences (TISS), Vivekananda Kendra, Snehalaya, SOS

डिसएडवांटेज इन सोसाइटी (डीड्स), कंसर्न इंडिया फाउंडेशन, सी के एस फाउंडेशन, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, होप कोलकाता फ़ाउंडेशन, भारत सेवाश्रम संघ, रोटरी तिरुपुर प्राइम ट्रस्ट, एलिम्को–आर्टिफ़िशियल लिंब्स मेनुफ़ेक्चरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, विद्यांजली योजना (शिक्षा मंत्रालय), केंद्रीय सैनिक निदेशक मंडल, केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल, (सीआरपीएफ़) एवं केन्सर पैशेंट ऐड एसोसिएशन शामिल हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास, दिव्यांगो को सहायता, सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में योगदान, स्वच्छ गंगा निधि एवं स्वच्छ भारत कोष में कई सी एस आर पहल की गई। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेस (टी आई एस एस) के ज़रिये एम वार्ड क्षेत्र, नवी मुंबई को छात्रवृत्ति प्रदान करते हुए सामुदायिक शिक्षा केंद्र हेतु निधि का योगदान करना जारी रखा। उत्तर पूर्व एवं ओड़ीसा में विवेकानंद केंद्र के विभिन्न केन्द्रों में आनंदालय चलाने एवं मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने हेतु भी सहायता प्रदान की गयी। कंपनी द्वारा इसकी सीएसआर पहल के अंतर्गत बेहतर आधारभूत संरचना एवं महत्वाकांक्षी जिला राजगढ़ के सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएँ चलाने हेतु जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है।

ईसीजीसी अधिकारियों द्वारा सीएसआर पहल के अंतर्गत डेवलपमेंट एजुकेशन इंपॉवरमेंट ऑफ द डिसएडवांटेज्ड इन सोसाईटी (डीड्स) का दौरा किया गया

ECGC officials visiting Development Education Empowerment of the Disadvantaged in Society (DEEDS) supported under Company's CSR initiative

महत्वाकांक्षी जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश में कंपनी की सीएसआर पहलों के प्रभाव का आकलन: जीपीसीएल लिमिटेड द्वारा प्रभाव आकलन रिपोर्ट का सारांश

कंपनी द्वारा महत्वाकांक्षी जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश मे 3 सीएसआर परियोजना सहयोग के लिए मे. जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेस लिमिटेड, मुंबई को प्रभाव मूल्यांकन एजेंसी को नियुक्त किया गया। निम्नलिखित तीन सीएसआर परियोजनाओं के लिए एजेंसी द्वारा प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन 31 दिसंबर, 2022 तक पूरा कर लिया गया है–

Children's Village of India, Voice of world, Development Education Empowerment of Disadvantaged in Society (DEEDS), Concern India Foundation, CKS foundation, Christian Medical College, HOPE Kolkata Foundation, Bharat Sevashram Sangha, Rotary Tirupur Prime Trust, ALIMCO – Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Vidyanjali Scheme (Ministry of Education), Kendriya Sainik Board, Central Reserve Police Force (CRPF) and Cancer Patient Aid Association. A number of initiatives have been undertaken in the field of education, health care, nutrition, skill development, support to differently-abled, contribution to the Armed Forces Flag Day Fund, Clean Ganga Fund and to Swachh Bharat Kosh. The Company continued to support the implementing agency TISS for its project related to distribution of scholarships and running of community study centres in M-Ward area of the Municipal Corporation of Greater Mumbai. Support is also provided to various centres of Vivekananda Kendra in the North East and Odisha for running Anandalaya and providing free primary medical assistance. Under its CSR initiatives the Company has also been closely working with the District Administration to provide better infrastructure and SMART classes in the Government schools in the Aspirational District, Rajgarh.

IMPACT ASSESSMENT FOR COMPANY'S CSR INITITATIVES IN THE ASPIRATIONAL DISTRICT RAJGARH, MADHYA PRADESH: IMPACT ASSESSMENT REPORT SUMMARY BY GPCL LTD

M/s GPCL Consulting Services Ltd, Mumbai had been appointed as the impact assessment agency for three of the CSR projects supported by the Company in the Aspirational District Rajgarh, Madhya Pradesh. The impact assessment study by agency has been completed for following three of the CSR projects by December 31, 2022.

क सं.	परियोजना	वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
(i)	बादल पे पाँव (ड्रॉप-आउट छात्रों के लिए शिक्षण शुल्क)	2018-19	2418 छात्र
(ii)	स्मार्ट कक्षाओं का निर्माण	2018-19	33 विद्यालय
(iii)	प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए फर्नीचर की आपूर्ति	2020-21	49 विद्यालय; (4620 छात्र); 2310 फर्नीचर

मसौदा रिपोर्ट के अनुसार, इन परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए जीपीसीएल द्वारा अपनाई गई व्यापक पद्धति निम्नानुसार है:

- उपलब्ध परियोजना दस्तावेज़ों के माध्यम से परियोजना को समझना।
- कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात जिला प्रशासन के साथ चर्चा।
- परियोजना संबंधी प्रासंगिक जानकारियां जुटाना।
- परियोजना के प्रभाव के आकलन के लिए प्रश्नावली, फोकस ग्रुप डिस्कशन (एफजीडी) की थीम तैयार करना।
- फोकस समूह चर्चा और अंतिम रूप देने का प्रायोगिक परीक्षण
- क्षेत्र अभ्यास और समेकन
- रिपोर्ट का विश्लेषण करना एवं तैयार करना

प्रभाव मूल्यांकन के आधार पर, परियोजना के अनुसार परिणाम, अवलोकन, निष्कर्ष, संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) का पालन और सिफारिशों को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

1. परियोजना: बादल पे पाँव (ड्रॉप-आउट छात्रों के लिए शिक्षण शुल्क)

परिणाम :

- परियोजना संधारणीय विकास लक्ष्य (एस डी जी) 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 5: लैंगिक समानता से संबन्धित है।
- परियोजना सीएसआर नीति और अनुशंसित गतिविधियों के फोकस और रणनीति के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है एवं यह ईसीजीसी की सीएसआर नीति में उद्धत अनुसूची VII अर्थात, (ii) शिक्षा के तहत गतिविधियों के अंतर्गत आती है,
- परियोजना ने लड़कियों/युवा महिलाओं को फिर से नामांकन के लिए प्रेरित किया है क्योंकि उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है।
- अध्ययन के महत्व के संबंध में परामर्श प्रदान किया जाता है जिससे न केवल जिले में बल्कि पड़ोसी जिलों में भी लड़कियों की उपस्थिति में सुधार हुआ है।

S. No.	Project	FY	No. of Beneficiaries
(i)	Badal Pe Paav (Tuition Fee for Drop-out students)	2018-19	2418 Nos. Students
(ii)	Construction of Smart Class	2018-19	33 schools
(iii)	Supply of Furniture for Primary & Secondary Schools	2020-21	49 Schools; (4620 students); 2310 Furniture items

As per draft reports, the broad methodology adopted by GPCL to carry out the impact assessment of these projects have been as under:

- Understanding the project from all-available project documents.
- Discussion with the implementing agency i.e., District Administration.
- Collection of relevant project related information.
- Preparation of questionnaires, themes of Focus Group Discussions (FGD) for the impact assessment of the project.
- Pilot testing of Focus Group Discussion and Finalisation
- Field exercise and consolidation
- Analysis and preparation of the report

Based on the impact assessment, Project wise outcome, observations, findings, adherence to Sustainable Development Goal (SDG) and recommendations are summarised as under:

1. Project: Badal Pe Paav (Tuition Fee for Drop-out students)

Outcome:

- Project adheres to Sustainable Development Goal (SDG) 4: Quality Education, 5: Gender Equality
- The project is highly relevant to the focus and strategy of the CSR policy and activities recommended as it falls under the activities under Schedule VII quoted in the CSR policy of ECGC i.e., "(ii) Education"
- The project has motivated girls/young women to re-enrol as financial support is given to them.
- Counselling is provided regarding importance of studying which has improved the attendance of girls not only in the district but also in neighbouring districts.

- छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार हुआ है और वे अधिक सचेत, केंद्रित और सजग हैं, वे भविष्य और करियर के बारे में उत्सुक हैं।

अवलोकन और निष्कर्ष:

- यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक अभिनव परियोजना थी।
- बालिकाओं और युवतियों को स्कूलों और मुख्यधारा की शिक्षा में लाया गया।
- उनके सीखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई थी।
- बोर्ड परीक्षाओं के पूर्व सीखने और तैयार करने के लिए कोचिंग सेंटर उनके आसपास के क्षेत्र में स्थापित किए गए थे।
- शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया और शिक्षकों ने कैरियर परामर्श के लिए संरक्षक के रूप में भी काम किया।
- लगभग 2900 लड़कियों ने इस परियोजना में भाग लिया और निदेशक मंडल की परीक्षा दी।
- विभिन्न सरकारी अधिकारी परियोजना की सहायक निगरानी में शामिल थे
- कोविड-19 महामारी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि परिणामों की घोषणा के बाद, दुर्भाग्य से, बोर्ड द्वारा पूरक परीक्षाओं का आयोजन नहीं कर सका।
- बालिकाओं ने ड्रॉप लिया एवं पढ़ाई छोड़ दी थी।
- कई समुदाय बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण में विश्वास नहीं करते हैं।

प्रक्रिया का प्रभाव

- प्रभाव पक्ष पर, परियोजना बहुत ही परिणामोन्मुखी परियोजना थी ।
- जिला प्रशासन ने परियोजना की सफलता के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए।
- परियोजना के दौरान प्रत्येक सप्ताह टी एल बैठकों में निगरानी की गई।
- यह परियोजना कई लड़कियों और महिलाओं के लिए जीवन बदलने वाला प्रसंग बना।
- कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी इस प्रक्रिया में भाग लिया और परीक्षा में सफल हुईं। इससे उन्हें विभागीय प्रक्रियाओं में मदद मिली।

अनुशंसा:

- बादल पे पाँव जैसी परियोजनाओं की आवश्यकता है जो गरीब और वंचित बच्चों को नियमित स्कूल प्राप्त करने में सहायता कर सकें।
- विकेंद्रीकृत योजना सभी स्तरों पर आवश्यक है।
- व्यवस्थित प्रलेखन और रिकॉर्ड अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- अंतराल कम करने, प्रक्रिया का समर्थन करने, और प्रभावी रूप से कार्य की निगरानी करने के लिए प्रशासन और समुदाय के बीच एक स्वतंत्र एजेंसी

- The learning level of students has improved and they are more attentive, focussed and concerned, they are curious about the future and career.

Observations and Findings:

- It was an innovative project for women empowerment.
- Girls and young women were brought to schools and in main stream education.
- Adequate arrangements were made for them for learning.
- Coaching centres were established in their own vicinity in order to learn and prepare for board exams.
- Teachers were trained and the teachers also acted as mentor for career counselling.
- Around 2900 girls took part in this project and appeared in board exams.
- Different Government officials were involved in supportive monitoring of project.
- Covid-19 pandemic played an important role, as after the declaration of results, unfortunately, the Board could not organize supplementary exams.
- Girls dropped out and stopped education.
- Several communities do not believe in girl child education and empowerment.

Impact of the Process

- On the Impact side, the project was very result-oriented project.
- District Administration put in best efforts for the success of the project.
- Monitoring was done in TL meetings every week during the project.
- The project became life changing event for many girls and women.
- Some Anganwadi workers also took part in the process and got through the exam. This helped them in departmental processes.

Recommendations:

- There is a need of such projects like “Badal Pe Paav” which can support poor and marginalized children in attaining regular schooling.
- Decentralized Planning is required at all levels.
- Systematic documentation and record should be made compulsory.
- To bridge the gaps, support the process and monitor the work effectively an independent agency between administration and community may be appointed.

नियुक्त की जा सकती है।

- यह सुझाव दिया जाता है कि जिला प्रशासन को संबंधित गांवों में मौजूदा शिक्षकों के स्थान पर स्थानीय शिक्षित युवाओं को मानदेय पर नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक इसे बोझ समझते हैं और इस कार्य को पूर्ण रूप से मन से नहीं करते।

2. परियोजना: प्रभावी शिक्षण के लिए स्मार्ट कक्षाओं का निर्माण

परिणाम:

- परियोजना संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) 4 : गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पालन करती है।
- परियोजना सीएसआर नीति और अनुशंसित गतिविधियों पर केन्द्रित और रणनीति के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह ईसीजीसी की सीएसआर नीति में उद्धृत अनुसूची VII के अंतर्गत शामिल गतिविधियों अर्थात, (ii) शिक्षा के अंतर्गत आती है।
- मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के चयनित 33 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जा चुकी हैं।
- स्मार्ट कक्षाएं डिजिटल रूप से शिक्षण और सीखने के उपकरणों की एक श्रृंखला से सुसज्जित हैं।
- स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से, बच्चे आईटी अनुकूल तकनीकों के संपर्क में आ रहे हैं एवं नई चीजें सीख रहे हैं।
- स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से न केवल जिले में बल्कि पास के अन्य जिलों में भी शिक्षा को नवीन गतिक्रम प्राप्त हो रहा है।
- छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार हुआ है और वे अधिक सचेत, फोकस और चिंतित हैं, वे भविष्य और करियर के बारे में उत्सुक हैं।

अवलोकन और निष्कर्ष:

- सभी चयनित 33 स्कूलों में क्रियाशील स्मार्ट कक्षाएँ हैं।
- परिसर में सीखने का एवं सौहार्दपूर्ण माहौल बनाया गया है।
- परियोजना प्रस्ताव के अनुसार उपकरण स्थापित किए गए हैं।
- स्मार्ट कक्षाओं में छात्रों के लिए पर्याप्त फर्नीचर, टेबल-कुर्सी और साउंड सिस्टम की व्यवस्था की गई है.
- परियोजना के अनुसार एयर कंडीशनर, एलसीडी प्रोजेक्टर, एलसीडी स्क्रीन और उपकरण स्थापित और सत्यापित किए हैं।
- किशोर छात्र खुश हैं और नियमित रूप से स्मार्ट कक्षाओं का उपयोग कर रहे हैं।
- विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान जैसे विषय उनके लिए समझने के लिए आसान हो गए हैं।
- विषय के बारे में समझने की शक्ति, बुनियादी अवधारणाओं को पढ़ाने के

- It is suggested that the District Administration should appoint local educated youths on honorarium in respective villages than the existing teachers, as teachers consider this as burden and do not impart whole heartedly.

2. Project: Construction of Smart Classes for Effective Learning

Outcome:

- Project adheres to Sustainable Development Goal (SDG) 4: Quality Education.
- The project is highly relevant to the focus and strategy of the CSR policy and activities recommended as it falls under the activities under Schedule VII quoted in the CSR policy of ECGC i.e., "(ii) Education".
- Smart classes in 33 selected schools in Rajgarh District, Madhya Pradesh have been installed.
- The Smart Classes are digitally equipped with a range of teaching and learning tools.
- Through the smart classes, children are getting exposed to IT friendly techniques and learning new things.
- Smart classes are setting up a new pace in learning not only in the district but also in neighbouring districts.
- The learning level of students has improved and they are more attentive, focussed and concerned, they are curious about the future and career.

Observations and Findings:

- All the selected 33 schools have functional smart class rooms.
- A learning and amicable atmosphere has been created in the premises.
- Equipment have been set up and installed as per project proposal.
- Adequate furniture for students, tables - chairs and sound systems have been set up in the smart classes.
- Air conditioners, LCD Projectors, LCD screens and equipment are installed and verified as per project.
- Adolescent students are happy and using the smart class regularly.
- The subjects like Science, Maths and Biology have become easy for them to understand and grasp.
- The grasping power about the subject, lots of apps and videos are being used to teach the basic concepts.

लिए बहुत सारे ऐप और वीडियो का उपयोग किया जा रहा है।

- बायजूस एवं स्मार्ट कक्षाओं में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य एप का उपयोग किया जा रहा है।
- वे छोटे कार्यों एवं पावर प्वाइंट प्रस्तुतियों को बनाने में अधिक शामिल होते हैं।
- शिक्षक भी खुश हैं और आईटी के माध्यम से पढ़ाने में रुचि रखते हैं।
- नौवीं से बारहवीं कक्षा के लिए केवल एक स्मार्ट कक्षा पर्याप्त नहीं है क्योंकि सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या अधिक है।
- शिक्षक प्रशिक्षित नहीं थे, परियोजना प्रारम्भ करने से पहले उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी।
- दूरस्थ प्रखंडों में नियमित बिजली आपूर्ति और निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती है।
- उपकरण को अक्सर मरम्मत की आवश्यकता होती है, जिसके कारण शिक्षण प्रभावित होता है।
- कुछ स्मार्ट कक्षाओं में फॉल्स सीलिंग और फर्नीचर में मामूली मरम्मत की आवश्यकता होती है।

प्रक्रिया और सिफारिशों का प्रभाव:

- संबंधित स्कूल स्टाफ के साथ परियोजना के कार्यान्वयन की योजना बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- योजना और कार्यान्वयन में सुशासन के सभी स्थानीय निकायों को शामिल किया जाना चाहिए।
- विद्यालयों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे परिकल्पित स्मार्ट कक्षाओं के लिए उपयुक्त कमरे का चयन करें, बजाय इसके कि वेंडर छोटी कक्षा का चयन करें और उपकरण स्थापित करें।
- फर्नीचर और उपकरणों की मामूली मरम्मत और नियमित रख-रखाव के लिए राज्य से कुछ फंड प्राप्त होना चाहिए।
- दूर-दराज के स्कूलों में बिजली कटौती और इंटरनेट कनेक्टिविटी एक चुनौती है, परिसर में सोलर प्लांट लगाया जाना चाहिए, जो प्रदूषण मुक्त उपकरण भी होगा.
- शिक्षकों को स्थापना से पहले तकनीकी पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए – शिक्षण में एलसीडी, पीपीटी का उपयोग कैसे करें।
- यह सुझाव दिया गया कि एक स्थानीय एनजीओ या नोडल एजेंसी को स्कूलों की सहायता करने और सक्षम वातावरण बनाने के लिए नियमित रूप से निगरानी करने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।
- विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए एक कक्षा पर्याप्त नहीं है, क्लस्टर विद्यालयों के अंतर्गत परिसर में कम से कम दो कक्षाएँ अवश्य होनी चाहिए।
- अग्नि सुरक्षा उपायों को स्थापित किया जाना चाहिए; अन्यथा यह किसी दिन गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है।
- स्कूलों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टीचिंग लर्निंग ऐप के सब्सक्रिप्शन के लिए फंड उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- स्मार्ट कक्षा के सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए डीआईईटी, डीईओ अथवा

- Apps like Byjus and others made available by Rajya Shiksha Kendra are being used in smart class.
- They are more involved in creating small assignments, tasks and power point presentations.
- Teachers are also happy and feel interesting in teaching through IT.
- Only one smart class is not enough for classes IX to XII as the strength in government schools is high.
- The teachers are not trained, there was a need to train them before the initiation of project.
- Regular electricity supply and uninterrupted internet connectivity is a major challenge in remote blocks.
- Equipment often need repair, in lieu teaching is affected badly.
- In some of the smart classes false ceiling and furniture needs minor repair.

Impact of the Process and Recommendations:

- Planning implementation of the project with concerned school staff is very important.
- All the local bodies of good governance must be involved in planning and implementation.
- The schools must be advised to select appropriate room for the envisaged smart class instead of the vendor choosing a small class and fixing up the equipment.
- There must be some untied fund from state for minor repairs and regular maintenance of furniture and equipment.
- Power cut and internet connectivity is a challenge in remote schools' solar plant must be provided in the premises which will also be a pollution free device.
- Teachers must be trained in technical aspects – how to use LCD, PPT in teaching before inception.
- Suggested that a local NGO or nodal agency must be assigned to support the schools and monitor regularly for creating enabling atmosphere.
- Seeing the numbers of students, one class is not enough, minimum two classes must be there in the premises under cluster schools.
- Fire safety measures must be installed; else it may cause severe accident someday.
- Schools should be provided funds for subscription of teaching learning apps for competitive exams.
- Regular monitoring is required by DIET, DEO or some agency in order to get optimal use of Smart Class.

किसी एजेंसी द्वारा नियमित निगरानी की आवश्यकता है।

3. परियोजना: सरकारी विद्यालयों में संरचना के उत्थान हेतु फर्नीचर प्रदान करना

परिणाम:

- परियोजना संधारणीय विकास लक्ष्य (एस डी जी) 4 : गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है।
- परियोजना सी एस आर नीति एवं अनुशंसित गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करने एवं रणनीति हेतु अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह ईसीजीसी की सी एस आर नीति में उद्धृत अनुसूची VII के अंतर्गत गतिविधियों अर्थात, (ii) शिक्षा के अंतर्गत आती है ।
- 48 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध कराया गया।
- विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति में सुधार हुआ है।
- विद्यालयों में नए नामांकन में भी सुधार हुआ है।
- नए फर्नीचर होने से उचित शारीरिक मुद्रा के कारण छात्रों को गर्दन एवं पीठ दर्द से आराम मिल गया है।
- अधिक सचेत होने से छात्र सीखने में बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- उनकी लिखावट में सुधार हुआ है।
- छात्रों में फर्नीचर के लिए स्वामित्व की भावना विकसित हुई है।
- छात्रों, विद्यालय प्रशासन एवं अभिभावकों द्वारा कुछ विद्यालयों में फर्नीचर के रखरखाव का दायित्व लिया गया है।

अवलोकन एवं निष्कर्ष:

- सभी 48 माध्यमिक विद्यालय, जो एक ही छत के नीचे उच्च माध्यमिक विद्यालयों से जुड़े हैं, को फर्नीचर प्रदान किया जाता है।
- खरीद की उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है एवं सभी स्तरों पर सत्यापित किया गया है।
- विद्यालयों द्वारा कक्षा में फर्नीचर स्थापित कर छात्रों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है।
- फर्नीचर की गुणवत्ता बहुत अच्छी एवं आकर्षक होने से छात्रों द्वारा पसंद की जाती है।
- फर्नीचर को स्थानांतरित करना सरल है एवं छात्रों के सामान जैसे बैग, टिफिन, पानी की बोतल आदि रखने के लिए पर्याप्त स्थान है।
- शिक्षकों द्वारा बताया गया है कि छात्रों के लिए फर्नीचर बहुत उपयोगी है क्योंकि पहले छात्र फर्श पर अपने सहपाठियों के साथ बैठते थे एवं नेत्र संपर्क से पढ़ाना बहुत मुश्किल था। अब शिक्षक, छात्रों के कॉपियों की निगरानी करने एवं उनसे नेत्र संपर्क बनाने में सक्षम हैं।

3. Project: Providing Furniture for School Infrastructure Upliftment for Government Schools

Outcome:

- Project adheres to Sustainable Development Goal (SDG) 4: Quality Education.
- The project is highly relevant to the focus and strategy of the CSR policy and activities recommended as it falls under the activities under Schedule VII quoted in the CSR policy of ECGC i.e., “(ii) Education”.
- Furniture was provided in 48 Higher Secondary Schools.
- Attendance in the schools has improved.
- Fresh enrolment in the schools has also improved.
- Students have got rid of neck and back pain due to proper body posture because of the new furniture.
- Students are more attentive and can focus better on learning.
- Their handwriting has improved.
- Students have developed a feeling of ownership for the furniture.
- Students, school administration and parents have taken responsibility to maintain the furniture in some schools.

Observations and Findings:

- All the 48 Middle schools which are attached with Higher Secondary schools under one roof are provided with furniture.
- The Proper process of procuring has been adopted and verified at all the levels.
- The schools have set up the furniture in the class rooms and its being used by students.
- The quality of furniture is very good and attractive that it is liked by students.
- The furniture is easy to move and has enough space for keeping the belongings of students such as bag, tiffin, water bottle, etc.
- The teachers said that furniture is very useful for the students as earlier the students would sit on floor mats and it was very difficult to teach with eye contact. The teachers are able to monitor the copies and make eye contact.
- New Furniture is a boon for the class room and children are able to sit for longer duration and also don’t feel neck or back pain.

- नया फर्नीचर कक्षा के लिए वरदान है एवं छात्र अधिक समय तक बैठ सकते हैं तथा गर्दन अथवा पीठ में दर्द भी नहीं होता है।
- हाथ के लिखावट में सुधार हुआ है एवं कक्षा का सारा माहौल आनंदमय हो गया है।

प्रक्रिया का प्रभाव एवं सिफ़ारिशें :

- सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या की तुलना में कक्षा छोटे हैं, इस प्रकार के फर्नीचर की खरीद करते समय इस तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए।
- प्राथमिक विद्यालय के छात्र अभी भी परिसर में फर्नीचर से वंचित हैं, यह सिफारिश की जाती है कि उन्हें फर्नीचर प्रदान किया जाए।
- संबंधित विद्यालय के शिक्षकों को किसी भी परियोजना के प्रारम्भ से योजना बनाने में शामिल होना चाहिए।
- मरम्मत एवं रखरखाव हेतु विद्यालयों को खुदरा रोकड अथवा कुछ रोकड़ निधि प्रदान की जानी चाहिए।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

ईसीजीसी लिमिटेड भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए काफी सक्रिय है। कंपनी द्वारा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्य प्राप्त किया गया है। कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तथा राजभाषा के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास - उपक्रम) द्वारा कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान माननीय संसदीय समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा कंपनी की लुधियाना, जयपुर, अहमदाबाद, राजकोट, बेंगलुरु, कोची एवं इंदौर शाखाओं का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के उपरांत समिति द्वारा दिये गए निर्देशों का यथासमय अनुपालन किया जा रहा है।

दिनांक 19/01/2023 को माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा कंपनी की इंदौर शाखा का निरीक्षण किया गया। चित्र में समिति के माननीय सदस्य एवं अधिकारी, साथ में ईसीजीसी लिमिटेड की ओर से निरीक्षण में भाग लेने वाले प्रतिनिधि उपस्थित हैं

The Inspection of the Indore branch of the Company was held by third sub-committee of the Hon'ble Parliamentary Committee on Official Language on 19/01/2023. In the picture the Hon'ble members and officers of the committee along with the representatives participating on behalf of ECGC Limited are present in the inspection

- The handwriting has been improved and over all atmosphere in class room has become joyful.

Impact of the Process and Recommendations:

- Class rooms are small compared to strength of students in Government schools, when procuring such furniture this fact should be considered.
- Primary school students are still deprived of furniture in the campus, its recommended to provide them with furniture.
- The teachers of concerned school must be involved in planning from inception of any project.
- Petty amount or some untied fund must be provided to the schools for repair and maintenance.

IMPLEMENTATION OF THE OFFICIAL LANGUAGE POLICY

The Company is proactive in the implementation of the Official Language Policy of the Government of India. The Company has achieved all the targets laid down in the Annual Rajbhasha Programme for the FY 2022-23 by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. The Company was conferred the 1st prize of the Rajbhasha Kirti Puraskaar, by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs for the FY 2021-22. The Company was also awarded the 1st prize by the Mumbai Town Official Language Implementation Committee (TOLIC-PSU) for effective implementation of the official language policy for the year 2021-22.

During the financial year 2022-23, the Hon'ble third Sub-Committee of the Parliamentary Committee on Official Language inspected Ludhiana, Jaipur, Ahmedabad, Rajkot, Bengaluru, Kochi and Indore Branches. The directions given by the above committee have been complied with.

The Company celebrates the month of September as the Hindi Month. Following this, various competitions were

कंपनी द्वारा सितंबर माह को हिन्दी माह के रूप में मनाया जाता है। इसी के अनुकरण में हिन्दी माह (1 सितंबर से 30 सितंबर, 2022 तक हिन्दी माह मनाया गया) के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें प्रत्येक स्तर के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दिनांक 14 सितम्बर, 2022 को हिन्दी दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा सूरत में अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा किया गया। कंपनी द्वारा उक्त समारोह आयोजित करने में अपना योगदान दिया गया है एवं इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में भी कंपनी द्वारा अपने उत्पादों एवं राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित उपलब्धियों सहित भाग लिया गया। इस उपलक्ष्य में राजभाषा गतिविधियों के कार्यान्वयन में योगदान के लिए कंपनी को एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

हिंदी माह के समापन के उपलक्ष्य में कंपनी के अधिकारियों के लिए हिंदी माह समापन समारोह नामक एक संगोष्ठी का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया, जिसमें शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। उक्त संगोष्ठी में प्रतिभागियों को संबोधित करने हेतु प्रसिद्ध भाषाविद् श्री सी के शास्त्री जी को आमंत्रित किया गया ।

कम्पनी में कार्यरत अधिकारियों द्वारा अपने दैनिक कार्य में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं। कंपनी के अधिकारियों को उनके द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले कार्यों के लिए नकद पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है। कंपनी की गृह पत्रिका में प्रकाशित तीन उत्कृष्ट लेखों के लिए कंपनी के अधिकारियों को विशेष पुरस्कार प्रदान किए गए एवं इसमें लेख प्रदान कर योगदान देने वाले अधिकारियों को नकद प्रोत्साहन प्रदान किए गए।

कर्मियों को उनके दैनिक कार्य में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय के विभागों को राजभाषा

दिनांक 05/01/2023 को माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा कंपनी की कोची शाखा का निरीक्षण किया गया। चित्र में समिति के माननीय सदस्य एवं अधिकारी, साथ में ईसीजीसी लिमिटेड की ओर से निरीक्षण में भाग लेने वाले प्रतिनिधि उपस्थित हैं

The Inspection of the Kochi branch of the Company was held by third sub-committee of the Hon'ble Parliamentary Committee on Official Language on 05/01/2023. In the picture the Hon'ble members and officers of the committee along with the representatives participating on behalf of ECGC Limited are present in the inspection

organized during the Hindi month (Hindi month was celebrated from September 1 to September 30, 2022) in which officers of every level participated enthusiastically. On September 14, 2022, on the occasion of Hindi Day, a conference of All India Official Language Officers was organized at Surat by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, which was inaugurated by Hon'ble Home Minister Shri Amit Shah. The Company has made its own contribution in organising the function and it also participated in the exhibition related to its products and implementation of official language organised during the occasion. On this occasion, the Company was honoured with a special award for its contribution in the implementation of official language activities.

On the occasion of the conclusion of Hindi Month, "Hindi Maah Samapan Samaroh" a "Sangoshthi" was organized for the officers of the Company through virtual medium, in which the officers from various departments of the branch office, regional office and head office of the Company have participated. Renowned linguist Mr. C.K. Shastri was invited in this seminar to address the participants.

Various incentives have been introduced by the Company to encourage and motivate the employees for furtherance of the use of Hindi in their daily office work. The Company also gives cash rewards to the officers of the Company for the work done by them in Hindi. The employees were awarded special prizes for the best three articles published in the Company's in-house magazine and cash incentives were given to all officers who contributed their articles to the magazine.

To encourage employees to use Rajbhasha in their day-to-day official work, employees at Branch Offices, Regional Offices and at Head Office Departments are encouraged

नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राजभाषा पुरस्कार योजना में उनके संबन्धित कार्यालयों में प्रतिस्पर्धा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

कम्पनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए जाने वाले राजभाषा में पत्राचार में निरंतर वृद्धि हो रही है। कंपनी के सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड फॉन्ट इंस्टाल कर दिए जाने से सभी कर्मियों को राजभाषा में कार्य करने में काफी सुविधा हो रही है। सभी शाखाओं में कार्यरत सभी कर्मियों द्वारा अपने ग्राहकों यथा निर्यातकों व बैंकरों को द्विभाषी में ई मेल भेजे जाते हैं। कंपनी का वेबसाईट द्विभाषी में उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कर्मचारियों सहित शाखाओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों के लिए कुल 25 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जो कि सभी द्विभाषी थे। इसमें 380 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजभाषा नीति के लिए एक अलग सत्र शामिल था।

इसके अतरिक्त, कंपनी के विभिन्न शाखा कार्यालयों एवं विभागों में तैनात हिंदी अधिकारियों के लिए भुवनेश्वर में एक अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया एवं इसमें विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में तैनात कुल 64 अधिकारियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान अधिकारियों को राजभाषा नियमों के अनुपालन एवं राजभाषा नीति की विस्तृत जानकारी दी गई।

मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में, कंपनी के प्रधान कार्यालय द्वारा मुंबई में स्थित सदस्य–सार्वजनिक उपक्रमों के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य–कार्यालयों के 74 सदस्य एवं कंपनी के प्रधान कार्यालय के विभागों तथा मुंबई स्थित शाखाओं के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

प्रत्येक तिमाही में अखिल भारतीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का भी आयोजन किया जाता है जिसमें कंपनी के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा प्रधान कार्यालय के विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा की जाती है एवं उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जहां भी कमियां मिलती हैं, उन्हें दूर करने के उपाय किए जाते हैं। शाखा कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर समुचित ध्यान देने के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय (राजभाषा अधिकारियों) के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा अखिल भारतीय राजभाषा कार्यान्वयन की बैठक होती है। प्रत्येक तिमाही में समिति का भी गठन किया जाता है जिसमें कंपनी के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा राजभाषा की समीक्षा की जाती है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर प्रधान कार्यालय के विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा चर्चा की जाती है और वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

कंपनी के प्रधान कार्यालय एवं विभिन्न शाखा कार्यालयों को गृह मंत्रालय तथा संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जैसे विभिन्न संगठनों से पुरस्कार

to compete every year for the "Chairman and Managing Director's Official Language Award" for the excellent implementation of the official language in their respective offices.

The Company’s correspondence in Rajbhasha with its customers has shown a steady growth. With the installation of Unicode software in all the computers of the Company, Branch Offices have started sending emails in Hindi to exporters and bankers. The Website of the Company is also available in bilingual.

During the financial year 2022-23, a total of 25 training programs were conducted for officers working in branches and regional offices including sub-staff, all of which were bilingual. 380 officers were trained in this. All the training programs included a separate session on Official Language Policy.

Apart from this, an All India Official Language Officers' Conference was organized in Bhubaneshwar for Hindi officers posted in various branch offices and departments in the Company and total of 64 officers posted in various departments and offices have participated in it. During this conference, the officers were given detailed information about the compliance of Official Language Rules and Official Language Policy.

Under the aegis of the Mumbai Town Official Language Implementation Committee, a seminar was organized by the Company's Head Office for the member-PSUs located in Mumbai, in which 74 members from the member-offices of the City Official Language Implementation Committee located in Mumbai and the departments of the Company's Head Office and branches located in Mumbai participated.

The meetings of the Official Language Implementation Committee are organized regularly in all the branch offices, regional offices and head office of the Company and the current position of implementation of Official Language Policy is discussed in detail in the respective branch offices, regional offices and departments of the head office. Wherever deficiencies are found, measures are taken to rectify them. In order to give due attention to the implementation of the Official Language Policy in the branch offices and regional offices, inspections are done by the officers of the head office (official language officers) of the Company and the meeting of the all India Official Language Implementation Committee is also organized in every quarter wherein official language review is done by the senior-most officers of the Company. The implementation of Official Language Policy is discussed by officers in the Head Office Departments, Regional Offices and Branch Offices and proper guidance is provided by the senior most officials.

Head Office and various branch offices of the Company have received awards from various organizations such as the Ministry of Home Affairs and related Town Official Language Implementation Committee.

अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध

वर्ष 1957 से कंपनी, ऋण तथा निवेश बीमाकर्ताओं का अंतर्राष्ट्रीय संघ की एक सक्रिय सदस्य रही है, जिसे बर्न यूनियन (बी यू) के नाम से जाना जाता है, जो निर्यात ऋण तथा निवेश बीमाकर्ताओं के लिए अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संघ हैं। ईसीजीसी बर्न यूनियन में शामिल होने वाला पहला एशियन सदस्य है एवं इसकी गतिविधियों में नज़दीक से जुड़ा हुआ है। आपसी समझ बढ़ाने, निर्यात ऋण बीमा में मूल सिद्धांतों को विकसित करने एवं उत्पाद ज्ञान, तकनीकी सहित अन्य क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने में सदस्यों के मध्य वार्तालाप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामूहिक रूप से, विश्व व्यापार में बर्न यूनियन सदस्यों द्वारा 2.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो कि विश्व व्यापार का लगभग 12% है, को भुगतान जोखिम से रक्षा प्रदान की जाती हैं।

कंपनी, बर्न यूनियन के अल्पावधि, मध्यम एवं दीर्घावधि (एम एल टी) व निर्यात साख एजेंसी (ई सी ए) समिति की सदस्य है। इसके अतिरिक्त, कंपनी क्षेत्रीय सहायता समूह (आर सी जी), एशिया-पेसिफिक क्षेत्र से सदस्यों की विशेष परिषद की भी सदस्य है।

वर्ष 2022 के दौरान क्वाड समूह (देशों का चतुर्भुज समूह जिसमें भारत, यू. एस., जापान एवं ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं) की निर्यात ऋण एजेंसियां (ई सी ए) बर्न यूनियन की वार्षिक साधारण बैठक (ए जी एम) एवं बाद की चार ई सी ए की संयुक्त बैठकें ऑनलाइन आयोजित किए गए। ई सी ए क्षेत्रीय व्यापार एवं निवेश समर्थन एवं बाजार विविधीकरण प्रयासों का समर्थन करने जैसी गतिविधियों के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त बनाने के अवसरों को चिन्हित करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए एक संयुक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु सहमत हुए। ई सी ए द्वारा अपने समर्थन के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त बनाने एवं विस्तार करने के तरीकों पर नियमित रूप से अनुभवों एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा की गई, जिसमें क्वाड भागीदार व्यवसायों के लिए एक दूसरे के साथ कार्य करने हेतु अवसर शामिल हैं।

बर्न यूनियन द्वारा विभिन्न विषयों पर पूरे वर्ष अपनी विभिन्न बैठकें आयोजित कीं गई। कंपनी के अधिकारियों द्वारा दावा एवं वसूली विशेषज्ञ बैठक, डिजिटलीकरण विशेषज्ञ बैठक, एस एम ई विशेषज्ञ बैठक, एम एल टी रेटिंग एवं मूल्य निर्धारण वाणिज्यिक जोखिम कार्यशाला तथा वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में भाग लिया गया। श्री सुनील जोशी, कार्यपालक निदेशक द्वारा अक्टूबर, 2022 में बर्न यूनियन अल्पावधि समिति के उपाध्यक्ष के रूप में अपना दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया गया हैं।

73वीं क्षेत्रीय सहयोग समूह (आर सी जी) की बैठक मई 2022 में ऑनलाइन आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी ईसीजीसी द्वारा की गई एवं कंपनी का

INTERNATIONAL RELATIONS

Since 1957, the Company has been an active member of the International Union of Credit and Investment Insurers, popularly known as the Berne Union (BU), a leading international voice in the field of export credit and investment insurance arena. The Company was the first Asian member to join the BU and has been closely associated with its activities. The members benefit from continual interaction, exchange of notes, examples of best practices, etc., which has been instrumental in enhancing common understanding and developing sound principles in export credit insurance. Collectively, the members provide around USD 2.6 trillion of payment risk protection annually amounting to around 12% of global cross-border trade.

The Company is a member of the Short-Term (ST), Medium and Long-term (MLT) and Export Credit Agency (ECA) committees of the BU. Additionally, the Company is a member of the Regional Co-operation Group (RCG), a special forum of the BU members from the Asia-Pacific region.

During 2022, the export credit agencies (ECAs) of the QUAD group (the quadrilateral group of countries that include India, U.S, Japan and Australia) met at the Berne Union Annual General Meeting (AGM) and further joint meetings of the four ECAs were held online. The ECAs have agreed to sign a joint memorandum of understanding to engage with one another to explore opportunities to enhance supply chain resilience, through activities such as supporting regional trade and investment support and market diversification efforts. The ECAs discussed how to regularly exchange experiences and information on ways to develop and expand supply chain resilience through their support, including opportunities for Quad partner businesses to work with one another.

The Berne Union held its various meetings throughout the year on various themes. The Company officials participated in the Claims and Recoveries specialist meeting, Digitalization specialist meeting, SME specialist meeting, MLT rating and pricing commercial risk workshop and the Annual General Meeting held during 2022-23. Shri Sunil Joshi, Executive Director, completed his two-year term as Vice-Chair of the Berne Union Short-Term Committee in October 2022.

The 73rd Regional Cooperation Group (RCG) meeting was conducted online in May 2022, hosted by ECGC and the Company was represented by the CMD, ED (Policy

प्रतिनिधित्व अ प्र नि, का नि (पॉलिसी मामले) एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया। व्यापार प्रवृत्तियों, संगठनात्मक अद्यतन एवं आर सी जी ई सी ए के नए उत्पादों पर चर्चा के अतरिक्त, 'एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर भू-राजनीतिक बाधाओं का प्रभाव – वैश्विक मूल्य श्रृंखला पर विशेष ध्यान' विषय पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई।

कंपनी ब्रिक्स निर्यात साख ऋण एजेंसी फोरम जिसमें ए बी जी एफ (ब्राज़ील), एक्सियार (रशिया), ईसीजीसी (भारत), सिनोश्योर (चीन) एवं ई सी आई सी एस ए (दक्षिण अफ्रीका) शामिल हैं, का सदस्य है।

श्री एम. सेंथिलनाथन, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अ प्र नि), ईसीजीसी, वर्तमान में अफ्रीकी व्यापार बीमा (ए टी आई) एजेंसी के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में भारत गणराज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए टी आई एक अखिल अफ्रीकी संस्था है जो अफ्रीका में व्यावसायिक हितों वाली कंपनियों, निवेशकों एवं उधारदाताओं को राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करती है। कंपनी द्वारा भारत सरकार की ओर से ए टी आई की इक्विटी में लगभग 12 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया गया है। यह निवेश अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के साथ व्यापार एवं सहयोग को बढ़ावा देने में भारत सरकार के रणनीतिक हितों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान, अ प्र नि, ईसीजीसी द्वारा ए टी आई के निदेशक मण्डल की विभिन्न बैठकों में भाग लिया गया एवं अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित देशों की आर्थिक समृद्धि एवं समग्र विकास को बढ़ावा देने हेतु योगदान दिया गया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा आपसी सहयोग एवं व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निर्यात ऋण एजेंसियों तथा विदेशी सरकारी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित कीं गई। वित्तीय वर्ष के दौरान एतिहाद क्रेडिट इंश्योरेंस (यू ए ई), बैंको एक्सटीरियर डी क्यूबा (क्यूबा), एक्सपोर्ट फाइनेंस ऑस्ट्रेलिया (ऑस्ट्रेलिया), एन ई एक्स आई (जापान) एवं ई के एन (डेनमार्क) के ई सी ए को कंपनी द्वारा मेजबानी की गई। बैठक के दौरान व्यक्तिगत अर्थव्यवस्थाओं का निष्पादन एवं भू-राजनीतिक बाधाओं से व्यापार वित्त क्षेत्र पर प्रभाव, महामारी के पश्चात आपूर्ति श्रृंखला का पुनरुत्थान एवं ई सी ए के व्यापार डेटा से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

मानव संसाधन व औद्योगिक सम्बन्ध

दिनांक 31 मार्च 2023 तक कंपनी में कुल 597 कार्मिक कार्यरत थे जिनमें 573 कार्यपालक तथा 24 गैर कार्यपालक शामिल हैं। इसमें 146 महिला कार्मिक शामिल हैं जो कि कुल कार्यबल का 24 प्रतिशत हिस्सा हैं।

वर्ष के दौरान, अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी द्वारा अप्रेंटिशिप योजना का अनुपालन किया गया जहां स्नातक अप्रेंटीज को

Matters) and other senior officials. Apart from discussion on business trends, organizational updates and new products of the RCG ECAs, a panel discussion on 'Impact of the geo-political disturbances on the Asian economies – special focus on the global value chain' was held.

The Company is a member of the BRICS Export Credit Agencies Forum which includes ABGF (Brazil), EXIAR (Russia), ECGC (India), SINOSURE (China) and ECIC SA (South Africa).

Mr. M. Senthilnathan, Chairman-cum-Managing Director (CMD), ECGC, presently represents the Republic of India as a Director on the Board of the African Trade Insurance (ATI) Agency. ATI is a pan-African institution that provides political risk insurance to companies, investors, and lenders with business interests in Africa. The Company has invested around USD 12 million in the equity of ATI on behalf of the Government of India. This investment signals the commitment and abiding interest of the Government of India in promoting trade and cooperation with the nations of the African continent. During the financial year, CMD ECGC participated in various meetings of the Board of Directors of the ATI and contributed to the organisation that promotes economic prosperity and overall development of the countries situated in the African continent.

During the financial year, the Company held bilateral meetings with different international export credit agencies and visiting foreign government officials for mutual cooperation and to further trade relations. Among them, ECAs from Etihad Credit Insurance (UAE), Banco Exterior de Cuba (Cuba), Export Finance Australia (Australia), NEXI (Japan) and EKN (Denmark) were hosted by the Company during the given financial year. The major topics of discussion during the meeting were the performance of the individual economies and how the geopolitical disturbances have impacted the trade finance sector, the resurgence of the supply chain after the pandemic and discussion pertaining to the business data of the ECAs.

HUMAN RESOURCES & INDUSTRIAL RELATIONS

The employee strength of the Company as of March 31, 2023 was 597 which consisted of 573 executive-level and 24 non-executive level employees. This includes 146 women employees constituting almost 24 per cent of the total work force.

During the year, as per the provisions of the Apprentices Act, 1961, the Company implemented a scheme of Apprenticeship where graduate apprentices were

औद्योगिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु कार्यालय परिचालन कार्यपालक (बैक ऑफिस) के स्तर पर कार्य करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 77 परिवीक्षाधीन अधिकारियों की नियुक्ति हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित की गई तथा वर्ष के दौरान समूह ख के अंतर्गत 55 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने कार्यग्रहण किया एवं शेष कार्यग्रहण करने वाले हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी द्वारा विशेषज्ञ परिवीक्षाधीन अधिकारियों की पुनः भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान औद्योगिक संबंध एवं श्रम कानून संबंधी सभी सांविधिक प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन किया गया। कंपनी में वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध बने रहे। वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा अपने कर्मियों के लिए उनके स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नत्ति सम्बन्धी व्यापक कल्याणकारी सुविधाएँ जारी रखी गईं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:

धारा 22	**नियोक्ता द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी शामिल करना**	नियोक्ता द्वारा अपनी रिपोर्ट में दायर किए गए मामलों की संख्या, यदि कोई हो, एवं इस अधिनियम के अंतर्गत उनका निपटान, उनके संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा अथवा जहां ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मामलों की संख्या, यदि कोई हो, जिला अधिकारी को सूचित किया जाएगा।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुरूप कंपनी द्वारा यौन उत्पीड़न के खिलाफ पॉलिसी बनाई गई है। सभी कार्मिक इस पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पॉलिसी के अंतर्गत एक शिकायत दर्ज की गई थी एवं कंपनी द्वारा उसका निवारण किया गया है। दिनांक 31.03.2023 के अंत तक निवारण हेतु कोई शिकायत लंबित नहीं है।

प्रशिक्षण:

इस परिवर्तनशील प्रतिस्पर्धी वातावरण में अधिकारियों के कार्य निष्पादन हेतु उनकी दक्षता को सशक्त करने एवं उन्नत करने में प्रशिक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सभी स्तरों के कार्मिकों को विभिन्न इन हाउस तथा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया गया। समूह क व ख के अधिकारियों के लिए वर्ष के दौरान पॉलिसी एवं ई सी आई बी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग दावा एवं हामीदारी कार्यशालाओं का अखिल भारतीय स्तर पर आयोजन किया गया।

imparted on-the-job training under the trade of Office Operations Executive (Back Office) to prepare them to meet the requirements of the industry.

Recruitment examination to onboard 77 probationary officers for Financial Year 2022-23 was conducted and 55 Probationary Officers in Group B cadre joined the Company during the year and remaining are slated to join. The Company has once again initiated the process of Recruitment of specialist Probationary Officers for the Financial Year 2023-24.

All statutory provisions pertaining to industrial relations and labour laws were complied with during the Financial Year 2022-23. Harmonious and cordial industrial relations were maintained throughout the year in the Company. The Company continued, where necessary, the existing facilities to take care of the employees' health, economic wellbeing, etc.

The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

Section 22	**Employer to include information in annual report**	The employer shall include in its report the number of cases filed, if any, and their disposal under this Act in the annual report of his organisation or where no such report is required to be prepared, intimate such number of cases, if any, to the District Officer.

The Company has in place a policy against Sexual Harassment, in line with the requirement of The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. All employees are covered under the policy. One complaint was filed under the policy during the financial year 2022-23 and the same has been disposed off by the Company. There are no complaints outstanding for redressal as of the end of 31.03.2023.

TRAINING:

The role of training has assumed critical importance in today's competitive environment in strengthening and upgrading the skills of officers for efficient performance in their roles. During the Financial Year 2022-23, employees at all levels were nominated to various in-house and sponsored training programs. Claim and Underwriting Workshops were separately organized for both Policy and ECIB sectors at an All-India level for Group A and Group B officers.

वर्ष के दौरान क्षेत्र अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त कार्मिकों को उनके कार्य के अनुरूप स्पोंसरशिप प्रशिक्षण में नामित किया गया। समूह ग व समूह घ के कर्मियों के लिए मानसिक एवं भौतिक स्वास्थ्य विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। समूह क के अधिकारियों को देश के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न दीर्घावधि प्रबंधन पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय एवं उन्नत रणनीतिक प्रबंधन में नामांकित किया गया था ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धा एवं कारोबार के रुझानों से अद्यतित रहकर कारोबार नेतृत्व दक्षता विकसित करने में सहायक हो।

दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व:

कंपनी दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है। दिनांक 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के रोल्स में 21 दिव्यांग कार्मिक कार्यरत हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, 2016 के अंतर्गत प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी में कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों का विवरण **अनुलग्नक V** में संलग्न है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियाँ तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व:

कंपनी में अनु जा / अ ज जा, अ पि जा एवं आ पि व की नियुक्ति में आरक्षण से संबन्धित सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। प्रबंधक रैंक (स्केल-III) तक पदोन्नति में अनु जा एवं अ ज जा के कर्मचारियों / अधिकारियों को आरक्षण भी प्रदान किया जाता है। भारत सरकार की ओर से प्राप्त संबन्धित निर्देशों के अनुसार कंपनी में 'पद-आधारित रोस्टर प्रणाली' अपनाई गयी है। विभिन्न स्तरों पर सीधी भर्ती द्वारा अनु जा, अ ज जा, अ पि जा एवं आ पि व कोटे के अंतर्गत भरी गयी आरक्षित रिक्तियों का विवरण **अनुलग्नक VI** में उल्लिखित है। अनु जा, अ ज जा, अ पि जा एवं आ पि व के प्रतिनिधित्व का विवरण **अनुलग्नक VII** में उल्लिखित है।

सामान्य प्रशासन

1. कंपनी का राजस्व एवं पूंजी व्यय निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजट से नियंत्रित एवं संचालित होता है।

2. सभी शाखा कार्यालयों / क्षेत्रीय कार्यालयों को भारत सरकार की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एम एस एम ई) से खरीद की पॉलिसी को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गए हैं। सभी एम एस एम ई के लिए बनाई गई भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद पॉलिसी 2018 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक आवश्यकता के 2% की खरीद सूक्ष्म और लघु उद्योग (एम एस ई) से करना आवश्यक है। सरकार द्वारा इसमे 3% महिला उद्यमियों तथा 4% अ.जा. एवं अ ज जा के स्वामित्व वाली एम एस एम ई से खरीद का उप-लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23

Training Programs were conducted for Field Officers during the year. Apart from this, officers were sponsored for various trainings as per their functional area of work. Training was conducted for Group C and Group D employees on mental wellness and office etiquette. Group A officers were also nominated for various long-term management courses offered by premier management institutions of the country in financial and advanced strategic management to help them develop business leadership skills to stay ahead of competition and industry trends.

REPRESENTATION OF PERSONS WITH DISABILITY:

The Company endeavours to provide employment to Persons with Disabilities. As of March 31, 2023, the Company had 21 employees on its roll belonging to the category of Persons with Disabilities. Details of Persons with Disabilities in the service of Company, in pursuance of the relevant provisions under The Rights of Persons with Disabilities, 2016, are furnished in **Annexure V**.

REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES AND ECONOMICALLY WEAKER SECTION:

The Company strictly adheres to relevant rules relating to Reservation for SC/ST, OBC and EWS in recruitment. SC and ST employees/ officers are also given reservation in promotion up to Manager rank (Scale-III). In adherence to the relevant instructions from the Government of India, the Company has adopted a 'Post-based Roster system'. Details of 'Reserved vacancies filled in by direct recruitment at different level under reservation for SC, ST, OBC, EWS are furnished in **Annexure VI**. Representation of SCs, STs, OBCs, and EWSs in the total manpower in various cadres as of March 31, 2023 is furnished in **Annexure VII**.

GENERAL ADMINISTRATION

1. Revenue and Capital expenditure of the Company are properly controlled and incurred within the annual budget approved by the Board of Directors.

2 All the Branch Offices / Regional Offices have been advised to take necessary steps to implement the Government of India's Policy regarding procurement through Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Government of India Public Procurement Policy for MSME Order, 2018 mandates that 25% of procurement of annual requirement of goods and services by Public Sector Undertaking will be from Micro and Small Enterprises (MSEs). The Government of India has also prescribed a sub-target of 3% procurement of goods and services from women enterprises and 4% from SC/ST entrepreneurs. During the Financial Year 2022-23, the

के दौरान, कंपनी द्वारा मार्च 2023 के अंत तक कुल ₹11.34 करोड़ की खरीद की गई जिसमें से ₹7.18 करोड़ (63.37%) की खरीद एम एस एम ई से की गई जिसमें से ₹32.44 लाख (4.52%) की खरीद अ जा / अ ज जा उद्यमियों एवं ₹90.05 लाख (12.53%) की खरीद महिला उद्यमियों के जरिए की गई।

3. कंपनी द्वारा वस्तुओं की एक सूची तैयार की गई है जो आवश्यकता पड़ने पर एम एस एम ई से खरीदीं जा सकती हैं। एम एस एम ई को भुगतान में देरी की कोई भी मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

4. कंपनी ने ई-प्रकाशन नीति का भी अनुपालन किया है जो भारत सरकार की वर्ष 2012 की ई-खरीद नीति का एक हिस्सा है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से खरीद के संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, कंपनी द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए जेम पोर्टल में पंजीकरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, जेम पोर्टल के माध्यम से ₹1.08 करोड़ की खरीद की गई, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी द्वारा ₹11.34 करोड़ की कुल खरीद का 9.48% है। निर्देशानुसार, मार्च, 2023 तक मासिक खरीद डेटा एम एस एम ई से संबन्धित पोर्टल पर अद्यतित किया गया है।

भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन

आई आर डी ए आई द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2022 के पत्र संख्या:100 / 2 / इंड ए एस-मिशन मोड / 2022-23 एवं दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 के पत्र संख्या: 100 / 2 /इंड ए एस-मिशन मोड / 2022-23 के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि बीमा क्षेत्र में इंड ए एस के कार्यान्वयन से इंड ए एस के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है एवं इस प्रकार इन परिवर्तनों के कार्यान्वयन से पूर्व अच्छी तरह से नियोजित, प्रबंधित, परीक्षण एवं निष्पादित करने की आवश्यकता है। आई आर डी ए आई के परामर्श के अनुसार इंड ए एस के कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति का गठन किया गया है ताकि कार्यान्वयन, मुद्दे / चुनौतियों की दिशा में की गई प्रगति की समीक्षा कर इसे कम करने हेतु कार्रवाई की जा सके। कंपनी द्वारा एक इंड ए एस परामर्शदाता, जो इंड ए एस के कार्यान्वयन में सहायता करेगी, की नियुक्ति हेतु निविदा जारी करने के लिए प्रक्रियारत है।

निदेशक मण्डल एवं उनकी ओर से

एम. सेंथिलनाथन
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डी आई एन 07376766

स्थान: मुंबई
दिनांक: मई 04, 2023

total procurement of the Company at the end of March 2023 stood at ₹11.34 crore, out of which ₹7.18 crore (63.37%) was procured through MSMEs and within MSME procurement worth ₹32.44 lakh (4.52%) was done through SC/ ST entrepreneurs and ₹90.05 lakh (12.53%) was done through women entrepreneurs.

3. The Company has identified a list of goods and services which may be procured from MSMEs as and when need arises. There have been no reported cases of delayed payment to MSMEs.

4. The Company has also complied with e-publishing policy which is a part of e-procurement policy of 2012 of the Government of India. As per the directions received from the Ministry of Commerce & Industry regarding procurement through Government e-Marketplace (GeM), the Company has registered with the GeM portal for on-line procurement of commodities and services. During the FY 2022-23, procurement through the GeM Portal amounted to ₹1.08 crore which is 9.48% of the total procurement done by the Company during the Financial Year 2022-23 amounting to ₹11.34 crore. As per the directive, the monthly procurement data up to March, 2023 is uploaded on MSME Sambandh Portal.

IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS

The IRDAI has vide its letter No.:100/2/Ind AS-Mission Mode/2022-23 dated 14th July, 2022 and 100/2/Ind AS-Mission Mode/2022-23 dated 31st October, 2022, on implementation of Ind AS in insurance sector stated that Ind AS implementation is likely to significantly impact the financial reporting systems, processes and, as such, these changes need to be planned, managed, tested and executed well in advance of the implementation. The steering committee for implementation of Ind AS has been formed as advised by the IRDAI to review the progress made towards implementation, issue/challenges and course of action to mitigate the same. The Company is in the process of floating a tender for appointment of an Ind AS consultant who will help in the implementation of Ind AS.

For and on behalf of the Board of Directors

M. Senthilnathan
Chairman-cum-Managing Director
DIN 07376766

Place : Mumbai
Date: May 04, 2023

लंबित सी ए जी पैरा एवं प्रबंधन के प्रत्युतर

वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त सी ए जी लेखा परीक्षा			
क्र. सं.	लेखा परीक्षा पैरा का नाम	ऑडिट पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
1	भाग - IIख, वर्ष 2016-17 के पैरा 1 का उपपैरा (2)	नई दिल्ली में कार्यालय परिसर के अधिग्रहण के लिए ₹9.36 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि को जारी करना।	वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड - कॉर्पोरेट कार्यालय (निवेश एवं पुनर्बीमा को छोड़कर) के लेन-देन लेखापरीक्षा पर अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट। सी ए जी लेखा परीक्षा दिनांक 22.02.2017 से 10.03.2017 के दौरान आयोजित की गई। सी ए जी द्वारा प्राप्त दिनांक 05.04.2017 के पत्र / रिपोर्ट के अनुसार प्रश्न / पैरा पूछे गए। **वर्तमान स्थिति:** खाते के मिलान के पश्चात, कंपनी को विलंबित भुगतान पर ब्याज हेतु ₹26,74,436/- की कटौती के पश्चात राशि ₹46,85,803/- वापस किए गए है। चूंकि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एम ओ एच यू ए) द्वारा ₹26.74 लाख की राशि के ब्याज की वापसी के अनुरोध पर सहमति नहीं दी है, कंपनी द्वारा सी ए जी से पैरा रद्द करने का अनुरोध किया गया है। मामले के बारे में सी ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं पूछा नहीं गया है एवं इस पैरा पर सी ए जी से आगे की प्रतिक्रिया दिनांक 31.03.2023 तक प्रतीक्षित है।

वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त सी ए जी लेखा परीक्षा			
क्र. सं.	लेखा परीक्षा पैरा का नाम	ऑडिट पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
2	भाग - II ख, वर्ष 2016-17 के पैरा 1	खाता विवरण (एस ओ ए) भेजने में देरी और	वर्ष 2016-17 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय की लेनदेन लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट। लेखापरीक्षा दिनांक

PENDING CAG PARAS AND MANAGEMENT REPLIES

CAG Audit Report received during FY 2017-18			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
1	Part – IIB, Para 1 Sub Para (2) of year 2016 – 17.	Release of excess amount of ₹9.36 crore for acquisition of office premises at New Delhi.	Compliance Audit Report on the transaction Audit of ECGC Ltd – Corporate Office (Excluding Investment and Reinsurance) for the period 2015-16. The CAG audit conducted during 22.02.2017 to 10.03.2017. Query/Para raised by the CAG vide letter/ report dated **05.04.2017** **Current Status:** After reconciliation of the account, the Company has received a refund amount of ₹46,85,803/- after a deduction of ₹26,74,436/- towards interest on delayed payment. As the Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA) has not agreed for waiver of interest charged amounting to ₹26.74 lakh, the Company has requested the CAG to drop the para. No further queries have been raised by the CAG on the matter and further response from the CAG on the para is awaited as of 31.03.2023.

CAG Audit Report received during FY 2017-18			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
2	Part – IIB, Para1 of year 2016 – 17	Delay in sending Statement of Account	Transaction Audit Inspection Report of Corporate Office of ECGC Ltd. for the period 2016-17. Audit conducted during 02.01.2018 to

वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त सी ए जी लेखा परीक्षा			
क्र. सं.	लेखा परीक्षा पैरा का नाम	ऑडिट पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
		पुनर्बीमा शेष प्राप्त करने में देरी और विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज नहीं वसूलना।	02.01.2018 से 25.01.2018 के दौरान आयोजित किया गया। सी ए जी द्वारा प्राप्त दिनांक 26.02.2018 के पत्र/रिपोर्ट के अनुसार प्रश्न/पैरा पूछे गए।
			वर्तमान स्थिति: कंपनी द्वारा दिनांक 29.11.2022 के पत्र के माध्यम से सी ए जी को अद्यतित किया गया हैं कि नए सॉफ्टवेयर का विकास एक उन्नत चरण में है एवं सॉफ्टवेयर के लेग -1 में मुख्य व्यवसाय मॉड्यूल शामिल हैं, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लाइव होने की संभावना है, इसलिए ऐसे नए साफ्टवेयर के जारी होने के पश्चात समस्याओं से बचा जा सकेगा। मामले के बारे में सी ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं पूछा नहीं गया है एवं इस पैरा पर सी ए जी से आगे की प्रतिक्रिया दिनांक 31.03.2023 तक प्रतीक्षित है।

CAG Audit Report received during FY 2017-18			
S. No.	**Name of the Audit Para**	**Brief of the Audit Para**	**Reporting Status**
		(SOA) and delay in receiving reinsu-rance balances and not charging interest for delayed payments	25.01.2018. Query/Para raised by the CAG vide letter/report dated **26.02.2018**.
			Current Status: The Company vide letter dated 29.11.2022 updated the CAG that new software development is at an advanced stage and leg-1 of the software comprising of core business modules is expected to go-live during the current Financial year, therefore, such issues will be avoided after implementation of the new software. In view of the above, the Company has requested the CAG to drop the para. No further queries have been raised by the CAG on the matter and further response from the CAG on the para is awaited as of 31.03.2023.

वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त सी ए जी लेखा परीक्षा			
क्र. सं.	लेखा परीक्षा पैरा का नाम	ऑडिट पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
3	भाग – II ख, वर्ष 2017-18 का पैरा 2	पुनर्बीमा-कर्ता से ₹171.79 करोड़ का पुनर्बीमा हिस्सा प्राप्त करने में विलम्ब।	वर्ष 2016-17 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय की लेनदेन लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट। लेखापरीक्षा दिनांक 02.01.2018 से 25.01.2018 के दौरान आयोजित किया गया। सी ए जी द्वारा प्राप्त दिनांक **26.02.2018** के पत्र/रिपोर्ट के अनुसार प्रश्न / पैरा पूछे गए।
			वर्तमान स्थिति: कंपनी द्वारा दिनांक

CAG Audit Report received during FY 2017-18			
S. No.	**Name of the Audit Para**	**Brief of the Audit Para**	**Reporting Status**
3	Part – IIB Para 2 of year 2017 – 18.	Delay in receiv-ing the reinsura nce share of ₹171.79 crore from Re-insurer.	Transaction Audit Inspection Report of Corporate Office of ECGC Ltd for the period 2016-17. Audit conducted during 02.01.2018 to 25.01.2018. Query/Para raised by the CAG vide letter/report dated **26.02.2018.**
			Current Status: The Company vide letter dated

वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त सी ए जी लेखा परीक्षा			
क्र. सं.	लेखा परीक्षा पैरा का नाम	ऑडिट पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
			29.11.2022 के पत्र के माध्यम से सी ए जी को अद्यतित किया गया हैं कि जी आई सी री के साथ पिछली बैठक सितंबर 2022 में हुई, जिसमें कंपनी द्वारा अपनी हामीदारी एवं दावा प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई, उनके द्वारा मांगे गए सभी संबंधित दस्तावेज़ भी प्रदान किए गए। जी आई सी री के साथ मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिए जाने की उम्मीद हैं। उपरोक्त को देखते हुए सी ए जी से पैरा को रद्द का अनुरोध किया गया है। मामले के बारे में सी ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं पूछा नहीं गया है एवं इस पैरा पर सी ए जी से आगे की प्रतिक्रिया दिनांक 31.03.2023 तक प्रतीक्षित है।

CAG Audit Report received during FY 2017-18			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
			29.11.2022 updated the CAG that the last meeting with GIC Re was held in September 2022 wherein the Company explained its underwriting and claim process in detail and provided all related documents as requested by them. It is expected that issues will be resolved amicably with GIC Re. In view of the above, the Company has requested the CAG to drop the para. No further queries have been raised by the CAG on the matter and further response from the CAG on the para is awaited as of 31.03.2023.

वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त सी ए जी लेखा परीक्षा			
क्र. सं.	लेखा परीक्षा पैरा का नाम	ऑडिट पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
4	भाग - II ख, वर्ष 2019-20 का पैरा 1	पुनर्बीमा-कर्ताओं से नकदी मांगने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹11.67 करोड़ की राशि के ब्याज की हानि	वर्ष 2017-18 के लिए ईसीजीसी लिमिटेड - कॉर्पोरेट कार्यालय के लेन-देन लेखापरीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। लेखापरीक्षा दिनांक 11.02.2019 से दिनांक 18.02.2019 एवं दिनांक 15.03.2019 से दिनांक 29.03.2019 की अवधि के दौरान आयोजित किया गया। सी ए जी द्वारा प्राप्त दिनांक 15.04.2019 के पत्र / रिपोर्ट के अनुसार प्रश्न / पैरा पूछे गए। **वर्तमान स्थिति:** कंपनी द्वारा दिनांक 29.11.2022 के पत्र के माध्यम से सी ए जी को अद्यतित किया गया हैं कि नए सॉफ्टवेयर का विकास एक उन्नत चरण में है एवं सॉफ्टवेयर के लेग -1 में मुख्य

CAG Audit Report received during FY 2019-20			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
4	Part – IIB, Para 1 of the year 2019 – 20.	Delay in calling cash from reinsu-rers resulting into loss of interest amount-ing to ₹11.67 crore	Inspection report on Transaction Audit of ECGC Ltd – Corporate Office for the year 2017-18. Audit conducted during the period from 11.02.2019 to 18.02.2019 and 15.03.2019 to 29.03.2019. Query/Para raised by the CAG vide letter/report dated 15.04.2019. **Current Status:** The Company vide letter dated 29.11.2022 updated the CAG that new software development is at an advanced stage and leg-1 of the software comprising of core business modules is

वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त सी ए जी लेखा परीक्षा			
क्र. सं.	लेखा परीक्षा पैरा का नाम	ऑडिट पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
			व्यवसाय मॉड्यूल शामिल हैं, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लाइव होने की संभावना है। कंपनी द्वारा सी ए जी को यह भी जानकारी प्रदान की गई कि नए सॉफ्टवेयर के जारी होने के पश्चात उक्त समस्याओं से बचा जा सकेगा। उपरोक्त को देखते हुए सी ए जी से पैरा को रद्द का अनुरोध किया गया है। मामले के बारे में सी ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं पूछा नहीं गया है एवं इस पैरा पर सी ए जी से आगे की प्रतिक्रिया दिनांक 31.03.2023 तक प्रतीक्षित है।

CAG Audit Report received during FY 2019-20			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
			expected to go-live during the current Financial year. The Company also informed the CAG that such issues will be avoided after implementation of the new software. In view of the above, the Company has requested the CAG to drop the para. No further queries have been raised by the CAG on the matter and further response from the CAG on the para is awaited as of 31.03.2023.

वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त सी ए जी लेखा परीक्षा			
क्र. सं.	लेखा परीक्षा पैरा का नाम	ऑडिट पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
5	वर्ष 2020-21 के लिए भाग II ख का पैरा 1	पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी कानूनी मामले का निपटान नहीं होना।	वर्ष 2018-19 से 2019-20 के लिए ईसीजीसी – कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेश, विपणन एवं पुनर्बीमा के लेन-देन लेखापरीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। लेखा परीक्षा दिनांक 01.12.2020 से दिनांक 18.02.2021 की अवधि के दौरान आयोजित किया गया। सी ए जी द्वारा प्राप्त दिनांक **17.03.2021** के पत्र / रिपोर्ट के अनुसार प्रश्न /पैरा पूछे गए। **वर्तमान स्थिति:** मामले में नवीनतम अपडेट दिनांक 10.01.2023 को सी ए जी को प्रदान किया गया था एवं पैरा को रद्द करने का अनुरोध किया गया। मामले के बारे में सी ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं पूछा नहीं गया है एवं इस पैरा पर सी ए जी से आगे की प्रतिक्रिया दिनांक 31.03.2023 तक प्रतीक्षित है।

CAG Audit Report received during FY 2020-21			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
5	Part IIB, Para 1 of the year 2020 – 21	Non settlement of legal case even after completion of five years.	Inspection report on Transaction Audit of ECGC — Corporate Office, Investment, Marketing and Reinsurance for the year 2018-19 to 2019-20. Audit conducted during the period from 01.12.2020 to 18.02.2021. Query/Para raised by the CAG vide letter/ report dated **17.03.2021**. **Current Status:** The latest update in the matter was provided to the CAG on 10.01.2023 and a request was made for closure of the para. No further queries have been raised by the CAG on the matter and further response from the CAG on the para is awaited as of 31.03.2023.

वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त सी ए जी लेखा परीक्षा			
क्र. सं.	लेखा परीक्षा पैरा का नाम	ऑडिट पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
6	वर्ष 2020–21 के लिए भाग II ख का पैरा 3	ओ टी एस निपटान में कंपनी को हानि	वर्ष 2018–19 से 2019–20 के लिए ईसीजीसी – कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेश, विपणन एवं पुनर्बीमा के लेन–देन लेखापरीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। लेखा परीक्षा दिनांक 01.12.2020 से दिनांक 18.02.2021 की अवधि के दौरान आयोजित किया गया। सी ए जी द्वारा प्राप्त दिनांक **17.03.2021** के पत्र / रिपोर्ट के अनुसार पूछे गए प्रश्न / पैरा।
			वर्तमान स्थिति: कंपनी द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से वसूली की वर्तमान स्थिति के बारे में सी ए जी को अद्यतित किया गया है। मामले में नवीनतम अद्यतित दिनांक 03.01.2023 को सी ए जी को प्रदान किया गया था एवं पैरा को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। मामले के बारे में सी ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं पूछा नहीं गया है एवं इस पैरा पर सी ए जी से आगे की प्रतिक्रिया दिनांक 31.03.2023 तक प्रतीक्षित है।

CAG Audit Report received during FY 2020-21			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
6	Part IIB, Para 3 of year 2020 – 21.	Loss to the Company in OTS settlement	Inspection report on Transaction Audit of ECGC — Corporate Office, Investment, Marketing and Reinsurance for the year 2018-19 to 2019-20. Audit conducted during the period from 01.12.2020 to 18.02.2021. Query/Para raised by the CAG vide letter/report dated **17.03.2021**.
			Current Status: The Company vide various letters has updated the CAG about the current status of recovery. The latest update in the matter was provided to the CAG on 03.01.2023 and a request was made for closure of the para. No further queries have been raised by the CAG on the matter and further response from the CAG on the para is awaited as of 31.03.2023.

वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त सी ए जी लेखा परीक्षा			
क्र. सं.	लेखा परीक्षा पैरा का नाम	ऑडिट पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
7	वर्ष 2020–21 के लिए भाग II ख का पैरा 4	ओ टी एस निपटान में कंपनी को हानि	वर्ष 2018–19 से 2019–20 के लिए ईसीजीसी – कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेश, विपणन एवं पुनर्बीमा के लेन–देन लेखापरीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। लेखा परीक्षा दिनांक 01.12.2020 से दिनांक 18.02.2021 की अवधि के दौरान आयोजित किया गया। सी ए जी द्वारा प्राप्त दिनांक 17.03.2021 के पत्र / रिपोर्ट के अनुसार प्रश्न / पैरा पूछे गए।

CAG Audit Report received during FY 2020-21			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
7	Part IIB, Para 4 of year 2020 – 21.	Loss to the Company in OTS settlement.	Inspection report on Transaction Audit of ECGC — Corporate Office, Investment, Marketing and Reinsurance for the year 2018-19 to 2019-20. Audit conducted during the period from 01.12.2020 to 18.02.2021. Query/Para raised by the CAG vide letter/report dated 17.03.2021.

वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त सी ए जी लेखा परीक्षा			
क्र. सं.	लेखा परीक्षा पैरा का नाम	ऑडिट पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
			वर्तमान स्थिति: कंपनी द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से वसूली की वर्तमान स्थिति के बारे में सी ए जी को अद्यतित किया गया है। मामले में नवीनतम अद्यतन दिनांक 13.01.2023 को सी ए जी को प्रदान किया गया था एवं पैरा को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। मामले के बारे में सी ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं पूछा नहीं गया है एवं इस पैरा पर सी ए जी से आगे की प्रतिक्रिया दिनांक 31.03.2023 तक प्रतीक्षित है।

CAG Audit Report received during FY 2020-21			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
			Current Status: The Company vide various letters has updated the CAG about the current status of recovery. The latest update in the matter was provided to the CAG on 13.01.2023 and a request was made for closure of the para. No further queries have been raised by the CAG on the matter and further response from the CAG on the para is awaited as of 31.03.2023.

वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त सी ए जी लेखा परीक्षा			
क्र. सं.	लेखा परीक्षा पैरा का नाम	ऑडिट पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
8	वर्ष 2021–22 के लिए भाग II ख का पैरा 1	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा पुनर्बीमा कमीशन पर जी एस टी का भुगतान न करना।	वर्ष 2020–21 के लिए ईसीजीसी – बांद्रा बैंक कारोबार शाखा, मुंबई, सूरत एवं आगरा शाखा सहित कॉर्पोरेट विभाग के लेन–देन लेखापरीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। लेखापरीक्षा दिनांक 15.11.2021 से 29.11.2021 एवं 05.01.2022 से 21.01.2022 की अवधि के दौरान आयोजित किया गया। सी ए जी द्वारा प्राप्त दिनांक 18.02.2022 के पत्र / रिपोर्ट के अनुसार प्रश्न / पैरा पूछे गए।
			वर्तमान स्थिति: कंपनी द्वारा सी ए जी को सूचित किया गया कि पुनर्बीमा पर कमीशन जी एस टी के अंतर्गत कर के लिए उत्तरदायी नहीं है। कंपनी द्वारा सी ए जी को सूचित किया है कि वित्त मंत्रालय के

CAG Audit Report received during FY 2019-20			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
8	Part IIB, Para 1 of the year 2021-22.	Non-Payment of GST on reinsurance commission by ECGC Ltd.	Inspection report on Transaction Audit of ECGC — Corporate Department including Bandra Bank Business Branch, Mumbai, Surat Branch and Agra Branch for the year 2020-21. Audit conducted during the period from 15.11.2021 to 29.11.2021 & 05.01.2022 to 21.01.2022. Query/Para raised by the CAG vide letter/report dated 18.02.2022.
			Current Status: The Company has explained to the CAG that commission on reinsurance ceded is not liable to tax under GST. The Company has informed the CAG that the premium received from the export credit insurance was exempted

वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त सी ए जी लेखा परीक्षा			
क्र. सं.	लेखा परीक्षा पैरा का नाम	ऑडिट पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
			राजस्व विभाग के अधिसूचना संख्या 12/2017-केंद्रीय कर (दर) के क्र.सं. नंबर 35 (जी) के अनुसार निर्यात ऋण बीमा से प्राप्त प्रीमियम को माल और सेवा कर (जी एस टी) से छूट (जून 2017) दी गई थी। कंपनी द्वारा पैरा को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। मामले के बारे में सी ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं पूछा नहीं गया है एवं इस पैरा पर सी ए जी से आगे की प्रतिक्रिया दिनांक 31.03.2023 तक प्रतीक्षित है।

CAG Audit Report received during FY 2019-20			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
			(June 2017) from Goods and Service Tax (GST) by the Department of Revenue, Ministry of Finance, as per Notification No. 12/2017-Central Tax (Rate) Sl. No. 35 (g). The Company has also requested the CAG for closure of the para. No further queries have been raised by the CAG on the matter and further response from the CAG on the para is awaited as of 31.03.2023.

वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त सी ए जी लेखा परीक्षा			
क्र. सं.	लेखा परीक्षा पैरा का नाम	ऑडिट पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
9	वर्ष 2021-22 के लिए भाग II ख का पैरा 2	कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के निर्माण पूर्ण करने में अत्यधिक विलंब	वर्ष 2020-21 के लिए ईसीजीसी – बांद्रा बैंक कारोबार शाखा, मुंबई, सूरत एवं आगरा शाखा सहित कॉर्पोरेट विभाग के लेन-देन लेखापरीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। लेखापरीक्षा दिनांक 15.11.2021 से दिनांक 29.11.2021 एवं दिनांक 05.01.2022 से दिनांक 21.01.2022 की अवधि के दौरान आयोजित किया गया। सी ए जी द्वारा प्राप्त दिनांक 18.02.2022 के पत्र / रिपोर्ट के अनुसार प्रश्न / पैरा पूछे गए। **वर्तमान स्थिति:** कंपनी द्वारा ई- मेल, दिनांक 23.02.2022 के माध्यम से सी ए जी को सूचित किया गया हैं कि व्यावसायिक परिसर को भी लेखा परीक्षा में शामिल किया गया है एवं दिनांक 10.11.2022.से कार्यशील है। कंपनी द्वारा यह भी सूचित किया गया हैं कि

CAG Audit Report received during FY 2019-20			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
9	Part IIB, Para 2 of the year 2021 – 22	Inordinate delay in completion of construction of Corporate Office building.	Inspection report on Transaction Audit of ECGC — Corporate Department including Bandra Bank Business Branch, Mumbai, Surat Branch and Agra Branch for the year 2020-21. Audit conducted during the period from 15.11.2021 to 29.11.2021 & 05.01.2022 to 21.01.2022. Query/Para raised by the CAG vide letter/ report dated 18.02.2022. **Current Status:** The Company vide mail dated 23.02.2022 informed the CAG that the commercial premises is occupied and has become functional w.e.f. 10.11.2022. The Company also informed that it has surrendered the leased office accommodation

वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त सी ए जी लेखा परीक्षा			
क्र. सं.	लेखा परीक्षा पैरा का नाम	ऑडिट पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
			एक्सप्रेस टावर्स में पट्टे पर लिए गए कार्यालय परिसर को वापस किया गया है एवं सी ए जी से पैरा रद्द करने का अनुरोध किया जाता है। मामले के बारे में सी ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं पूछा नहीं गया है एवं इस पैरा पर सी ए जी से आगे की प्रतिक्रिया दिनांक 31.03.2023 तक प्रतीक्षित है।

CAG Audit Report received during FY 2019-20			
S. No.	**Name of the Audit Para**	**Brief of the Audit Para**	**Reporting Status**
			at Express Towers and requested the CAG to drop the para. No further queries have been raised by the CAG on the matter and further response from the CAG on the para is awaited as of 31.03.2023.

वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त सी ए जी लेखा परीक्षा			
क्र. सं.	लेखा परीक्षा पैरा का नाम	ऑडिट पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
10	वर्ष 2021-22 के लिए भाग II ख का पैरा 3	ईसीजीसी द्वारा निपटान किए गए दावों की वसूली की निगरानी नहीं करना	वर्ष 2020-21 के लिए ईसीजीसी - बांद्रा बैंक कारोबार शाखा, मुंबई, सूरत एवं आगरा शाखा सहित कॉर्पोरेट विभाग के लेन-देन लेखापरीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। लेखापरीक्षा दिनांक 15.11.2021 से दिनांक 29.11.2021 एवं दिनांक 05.01.2022 से दिनांक 21.01.2022 की अवधि के दौरान आयोजित की गई। सी ए जी द्वारा प्राप्त दिनांक 18.02.2022 के पत्र / रिपोर्ट के अनुसार प्रश्न / पैरा पूछे गए।
			वर्तमान स्थिति: कंपनी के वसूली तंत्र पर एक व्यापक नोट सी ए जी को प्रदान किया गया है एवं यह भी बताया गया है कि एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। मामले के बारे में सी ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं पूछा नहीं गया है एवं इस पैरा पर सी ए जी से आगे की प्रतिक्रिया दिनांक 31.03.2023 तक प्रतीक्षित है।

CAG Audit Report received during FY 2019-20			
S. No.	**Name of the Audit Para**	**Brief of the Audit Para**	**Reporting Status**
10	Part IIB, Para 3 of the year 2021 – 22	Non-monitoring of recovery towards claims settled by ECGC	Inspection report on Transaction Audit of ECGC — Corporate Department including Bandra Bank Business Branch, Mumbai, Surat Branch and Agra Branch for the year 2020-21. Audit conducted during the period from 15.11.2021 to 29.11.2021 & 05.01.2022 to 21.01.2022. Query/Para raised by the CAG vide letter/ report dated 18.02.2022.
			Current Status: A comprehensive note on the Company's recovery mechanism has been provided to the CAG and it has also been explained that the process of formulation of a Standard Operating Procedure is in progress. No further queries have been raised by the CAG on the matter and further response from the CAG on the para is awaited as of 31.03.2023.

सूचना का अधिकार (आर टी आई)

कंपनी के पास मुंबई में प्रधान कार्यालय में स्थित एक आर टी आई कक्ष है जिसका नेतृत्व एक सहायक महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है। मुंबई में प्रधान कार्यालय में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफ ए ए) का नेतृत्व उप महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है। आर टी आई अधिनियम के अधीन प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति पर आवेदनों का उत्तर आर टी आई अधिनियम के अधीन अनुमत समय सीमा के भीतर दिया जाता है। निपटाए गए आवेदनों की संख्या की रिपोर्ट तिमाही आधार पर केंद्रीय सूचना आयोग (सी आई सी) की वेबसाइट पर अद्यतित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कुल 252 आवेदनों पर कार्यवाही की गयी। कंपनी द्वारा प्राप्त आर टी आई आवेदनों के संबंध में सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

RIGHT TO INFORMATION (RTI)

The Company has an RTI Cell situated at the Head Office in Mumbai which is headed by an Assistant General Manager. The First Appellate Authority (FAA) at the Head Office in Mumbai is headed by a Deputy General Manager. The applications received under the RTI Act are responded to as and when received within the timeline prescribed under the RTI Act. The report of number of applications handled is updated on the Central Information Commission's (CIC) website on a quarterly basis. A total of 252 applications were handled during the FY 2022-23. The Company has complied with all regulatory requirements in respect of the RTI applications received.

अनुलग्नक V

दिनांक 31.03.2023 तक कंपनी की सेवा से सेवारत दिव्यांग कर्मियों का प्रतिनिधित्व

समूह	ईसीजीसी में दिव्यांग व्यक्तियों के आंकड़े				कुल
	दृ बा	श्र बा	अ वि	चौथी श्रेणी	दृ बा + श्र बा + अ वि+चौथी श्रेणी
क	3	1	5	0	9
ख	4	3	2	2	11
ग	0	0	0	0	0
घ	1	0	0	0	1
कुल	8	4	7	2	21

दृ बा	दृष्टि बाधित
श्र बा	श्रव्य बाधित
अ वि	अस्थि विकलांगता
चौथी श्रेणी	(i) सीखने की विशिष्ट अक्षमता (एस एल डी) अथवा दृ बा, श्र बा, अ वि अथवा चौथी श्रेणी सहित एकाधिक अक्षमता

Annexure V

Representation of Persons with Disabilities in the Services of the Company as of 31.03.2023

Group	Data of persons with disabilities in ECGC				Total
	VI	HI	OC	4th Category	VI+ HI+OC+ 4th Category
A	3	1	5	0	9
B	4	3	2	2	11
C	0	0	0	0	0
D	1	0	0	0	1
Total	8	4	7	2	21

VI	Visually Impaired
HI	Hearing Impaired
OC	Orthopaedically Challenged
4th Category	(i) Specific Learning Disability (SLD) or Multiple disabilities including VI, HI, OC and 4th Category

अनुलग्नक VI

वर्ष 2022–23 में भर्ती से संबन्धित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व

समूह	नियुक्त कुल कर्मियों की सं	नियुक्त अनु जा के कर्मियों की सं	नियुक्त अनु जन जा के कर्मियों की सं	नियुक्त अ पि व के कर्मियों की सं	नियुक्त आ पि व के कर्मियों की सं
क	0	0	0	0	0
ख	55	7	8	7	7
ग	0	0	0	0	0
घ	0	0	0	0	0
कुल	55	7	8	7	7

नोट : i) वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान समूह ख संवर्ग के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई एवं 55 उम्मीदवारों की परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में भर्ती की गयी।

ii) उपरोक्त डेटा वित्तीय वर्ष 2022–23 में आयोजित भर्ती परीक्षा के द्वारा कंपनी में कार्यग्रहण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाता है एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में और अधिक उम्मीदवार कंपनी में कार्यग्रहण कर सकते हैं।

Annexure VI

Representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Section pertaining to recruitment in the Company-2022-23

Group	Total no of Employees recruited	No. of SC Employees recruited	No. of ST Employees recruited	No. of OBC Employees recruited	No. of EWS Employees recruited
A	0	0	0	0	0
B	55	7	8	7	7
C	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0
Total	55	7	8	7	7

Note: i) Recruitment examination has been conducted for Group B cadre in FY 2022-23 and 55 candidates were recruited as Probationary Officers.

ii) The data above reflects the number of candidates who joined the Company for recruitment exercise conducted in FY 2022-23 and more candidates may join the Company in FY 2023-24.

अनुलग्नक / Annexure VII

दिनांक 31/03/2023 के अनुसार कंपनी के श्रम बल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व

Representation of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes / Other Backward Classes in the Company's workforce as on 31.03.2023

समूह Group	कुल कर्मियों की सं Total No. of Employees	अ जा के कर्मियों की सं No. of SC Employees	अ जा के कर्मियों का % % of SC employees	अ जन जा के कर्मियों की सं No. of ST Employees	अ जन जा के कर्मियों का % % of ST employees	अ पि व के कर्मियों की सं No. of OBC Employees	अ पि व के कर्मियों का % % of OBC employees
क /A	253	45	17.8%	19	7.5%	61	24.1%
ख / B	320	57	17.8%	28	8.8%	78	24.4%
ग / C	20	3	15%	3	15%	1	5%
घ / D	4	1	25%	0	0%	1	25%
कुल / **Total**	**597**	**106**	**17.8%**	**50**	**8.4%**	**141**	**23.6%**

वित्तीय विवरण

FINANCIAL STATEMENTS

वित्तीय विवरणों पर प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु, अपनाने एवं अनुमोदन के लिये निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत कंपनी के वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार के गलत अथवा भ्रामक जानकारी अथवा आंकड़े नहीं हैं और न ही ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा गया है जो उसमें निहित जानकारी अथवा आंकड़ों को भ्रामक बना सकता है।

(ईशनाथ झा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(एम. सेंथिलनाथन)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 4 मई, 2023

Certificate on Financial Statements

This is to certify that the financial statements of the company for the year ended 31st March, 2023 placed before the Board of Directors for adoption and approval do not contain any false or misleading statements or figures and do not omit any material fact which may make the statements or figures contained therein misleading.

(Ishnath Jha)
Chief Financial Officer

(M. Senthilnathan)
Chairman-cum-Managing-Director

Place : Mumbai
Date : 4th May, 2023

फॉर्म बी– आर ए / FORM B-RA

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: यू74999एमएच1957जीओआइ010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व खाता

REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

पंजीकरण संख्या 124
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002
Date of Registration : 27th September, 2002

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited (₹'000)
1	अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premiums earned (Net)	1	940,95,41.44	882,16,36.22
2	निवेश की बिक्री/शोधन से लाभ Profit on Sale/Redemption of Investment		42,63,03.15	67,61,43.47
3	निवेश की बिक्री/शोधन से हानि Loss on Sale/Redemption of Investment		-	-
4	अन्य/Others			
	- शुल्क/Fee		1,59,18.54	1,36,13.14
	- विविध आय/Miscellaneous Income		28,40.61	95,52.89
	- संपत्ति की बिक्री से लाभ /Profit on Sale of Asset		18,34.13	74,46.41
5	ब्याज, लाभांश एवं किराया – सकल Interest, Dividend & Rent - Gross		524,28,42.67	532,13,84.24
	कुल (क)/TOTAL (A)		**1509,92,80.54**	**1484,97,76.37**
1	उपगत दावे (शुद्ध)/Claims Incurred (Net)	2	(702,92,04.79)	546,19,29.35
2	कमीशन/Commission	3	(4,41,15.93)	(31,37,84.39)
3	बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	307,98,83.57	281,51,56.59
4	अन्य/Others			
	- प्रीमियम की कमी/Premium Deficiency		(308,52,00.00)	(8,02,00.00)
	- निवेश पर व्यय/Expenses towards Investments		10,39,97.34	11,97,43.10
	- प्रावधान, निवेशों पर बट्टे खाते में डाली गई राशि Provision, Write Off - Investments		(1,18.00)	(18,75.48)
	कुल (ख)/TOTAL (B)		**(697,47,57.81)**	**800,09,69.17**
	विविध कारोबार परिचालन से लाभ/(हानि) ग = (क–ख) Operating Profit/(Loss) from Miscellaneous Business C =(A-B)		2207,40,38.35	684,88,07.20
	विनियोजन/APPROPRIATIONS			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण/Transfer to Shareholder's Account		2207,40,38.35	684,88,07.20
	आकस्मिक प्रारक्षित निधि में अंतरण/Transfer to Catastrophe Reserve		-	-
	अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण/Transfer to Other Reserves		-	-
	कुल (ग)/TOTAL (C)		**2207,40,38.35**	**684,88,07.20**

मुख्य लेखा नीतियाँ तथा लेखों की टिप्पणियाँ राजस्व खाते के अविभाज्य हिस्सा बनते हैं

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts form integral part of the Revenue Account

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 ग(2) की आवश्यकता अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के लेखा बहियों की हमारी जाँच से यह ज्ञात होता है कि निर्यात ऋण बीमा कारोबार के संबंध में प्रबंधन के सभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष व्ययों को जब भी व जहाँ भी आवश्यक हुआ, व्ययों के रूप में राजस्व खाते में डाला गया है।

As required by section 40C(2) of the Insurance Act 1938, we certify that, to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, and as far as it appears from our examination of Company's books of account, all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly in respect of the Export Credit Insurance Business have been fully debited to the Revenue Account as expenses.

(एम. सेंथिलनाथन)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(M. SENTHILNATHAN)
Chairman cum Managing Director
डीआईएन / DIN - 07376766

(हर्षा बंगारी)
निदेशक
(HARSHA BANGARI)
Director
डीआईएन / DIN - 01807838

(देवेश श्रीवास्तव)
निदेशक
(DEVESH SRIVASTAVA)
Director
डीआईएन / DIN – 08646006

(ए. शक्तिवेल)
निदेशक
(A. SAKTHIVEL)
Director
डीआईएन / DIN - 00027485

(अमित कुमार अग्रवाल)
निदेशक
(AMIT KUMAR AGARWAL)
Director
डीआईएन / DIN - 05333909

(सुनील जोशी)
कार्यपालक निदेशक
(SUNIL JOSHI)
Executive Director
डीआईएन / DIN - 08778530

(ईशनाथ झा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ISHNATH JHA)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary
स.सं. / M.No. F-3166

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार/As per our report of even date attached

कृते एस एन के एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 109176W
For SNK & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109176W

कृते एल एस नलवाया एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 115645W
For L. S. Nalwaya & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 115645W

(अंकित डी.दानावाला)
भागीदार – M.No. 119972
(ANKIT D. DANAWALA)
Partner - M.No. 119972

(आशीष नलवाया)
भागीदार – M.No. 110922
(ASHISH NALWAYA)
Partner - M.No. 110922

स्थान : मुंबई
दिनांक : 04 मई, 2023
Place : Mumbai
Date : 4th May, 2023

फॉर्म बी- पी एल / FORM B-PL

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: यू74999एमएच1957जीओआई010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ एवं हानि

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

पंजीकरण संख्या 124 | पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002

Registration No. 124 | Date of Registration : 27th September, 2002

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited (₹'000)
1	**परिचालन लाभ/(हानि) OPERATING PROFIT/(LOSS)**			
	(क) अग्नि बीमा/(a) Fire Insurance		-	-
	(ख) मरीन बीमा/(b) Marine Insurance		-	-
	(ग) विविध बीमा/(c) Miscellaneous Insurance		2207,40,38.35	684,88,07.20
2	**निवेशों से आय/INCOME FROM INVESTMENTS**			
	(क) ब्याज,लाभांश एवं किराया - सकल (a) Interest, Dividend & Rent -Gross		524,28,42.67	435,38,59.84
	(ख) निवेश की बिक्री से लाभ (b) Profit on Sale of Investments		42,63,03.15	55,32,08.29
	घटाएँ : निवेश की विक्री पर हानी Less: Loss on Sale of Investments		-	-
3	**अन्य आय/OTHER INCOME**			
	(क) एन ई आई ए आय/ (a) NEIA Income		7,92,14.26	2,81,42.42
	(ख) किराया एवं अन्य रसीदें /(b) Rent & Other receipts		19,97.20	17,42.99
	(ग) अन्य ब्याज आय/(c) Other Interest Income		1,24,19.13	1,36,31.44
	(घ) अन्य विविध आय एवं फैक्टरिंग आय / (d) Other Miscellaneous Income and Factoring Income		2,28,07.88	2,58,60.00
	कुल (क)/TOTAL (A)		**2785,96,22.64**	**1182,52,52.18**
4	**प्रावधान (कराधान को छोडकर) PROVISIONS (Other than Taxation)**			
	(क) निवेश के मूल्य में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments		-	-
	(ख) प्रावधान, राइट ऑफ - निवेश (b) Provision, Write Off - Investments			
	- मानक संपत्ति/Standard Asset		-	-
	- उप मानक संपत्ति/Sub Standard Asset		-	-
	- संदिग्ध संपत्ति/Doubtful Asset		(1,18.00)	(15,34.48)
	- हानि संपत्ति/Loss Assets		-	-
	(ग) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (c) Provision for Doubtful Debts		6.21	35.60

5 **अन्य व्यय/OTHER EXPENSES**			
(क)बीमा व्यवसाय से संबंधित व्यय के अलावा अन्य व्यय (a) Expenses other than those related to Insurance Business			
– निवेश के लिए व्यय - Expenses towards Investments		10,39,97.34	9,79,71.62
– कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति व्यय - Expenses towards Corporate Social Responsibility		14,40,00.12	11,90,09.34
– विविध व्यय - Miscellaneous Expense		0.63	11,25.42
(ख) अन्य – फैक्टरिंग व्यय (b) Others - Factoring expenses		-	1.26
कुल (ख)/TOTAL (B)		**24,78,86.31**	**21,66,08.76**
कर पूर्व लाभ (क –ख)/Profit Before Tax (A - B)		**2761,17,36.34**	**1160,86,43.42**
घटाएँ/Less:			
(क) कराधान के लिए प्रावधान (a) Provision for Taxation			
– आस्थगित कर/Deferred Tax		(43,47.10)	35,79.89
- वर्तमान कर/Current Tax		598,00,00.00	255,00,00.00
(ख) पूर्व अवधि समायोजन (b) Prior Period Adjustments		11,57.77	29,84,55.51
(ग) कर समायोजन – पहले के वर्ष (c) Tax Adjustments - Earlier years		(76,12.79)	49,88.17
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ Profit available for appropriation		**2164,25,38.46**	**875,16,19.85**
विनियोग/APPROPRIATIONS			
(क) वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश (a) Interim Dividends Paid During the Year		-	-
(ख) अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर (b) Dividend Distribution Tax on Interim Dividend		-	-
(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश (c) Proposed Final Dividend		-	-
(घ) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर (d) Dividend Distribution Tax on Proposed Dividend		-	-
(ङ) फैक्टरिंग योजना के लिए रिजर्व में स्थानांतरण (e) Transfer to Reserve for Factoring Scheme		-	-
(च) जनरल रिजर्व में स्थानांतरण (f) Transfer to General Reserve		1730,45,38.46	598,66,19.85
पिछले वर्ष से आगे लाया गया लाभ/हानि संतुलन Balance of profit/loss brought forward from last year		-	-
तुलन पत्र को अग्रेषित किया गया शेष Balance carried forward to Balance Sheet		433,80,00.00	276,50,00.00

(एम. सेंथिलनाथन)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(M. SENTHILNATHAN)
Chairman cum Managing Director
डीआईएन / DIN - 07376766

(हर्षा बंगारी)
निदेशक
(HARSHA BANGARI)
Director
डीआईएन / DIN - 01807838

(देवेश श्रीवास्तव)
निदेशक
(DEVESH SRIVASTAVA)
Director
डीआईएन / DIN – 08646006

(ए. शक्तिवेल)
निदेशक
(A. SAKTHIVEL)
Director
डीआईएन / DIN - 00027485

(अमित कुमार अग्रवाल)
निदेशक
(AMIT KUMAR AGARWAL)
Director
डीआईएन / DIN - 05333909

(सुनील जोशी)
कार्यपालक निदेशक
(SUNIL JOSHI)
Executive Director
डीआईएन / DIN - 08778530

(ईशनाथ झा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ISHNATH JHA)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary
स.सं. / M.No. F-3166

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार/As per our report of even date attached

कृते एस एन के एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 109176W
For SNK & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109176W

कृते एल एस नलवाया एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 115645W
For L. S. Nalwaya & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 115645W

(अंकित डी.दानावाला)
भागीदार – M.No. 119972
(ANKIT D. DANAWALA)
Partner - M.No. 119972

(आशीष नलवाया)
भागीदार – M.No. 110922
(ASHISH NALWAYA)
Partner - M.No. 110922

स्थान : मुंबई
दिनांक : 04 मई, 2023
Place : Mumbai
Date : 4th May, 2023

फॉर्म बी–बी एस / FORM B - BS

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: यू74999एमएच1957जीओआइ010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2023 तक का तुलन पत्र

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2023

पंजीकरण संख्या 124
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002
Date of Registration : 27th September, 2002

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited (₹'000)
I. निधियों के स्त्रोत / SOURCES OF FUNDS			
शेयर पूंजी / Share Capital	5	4338,00,00.00	3950,00,00.00
प्रारक्षित निधियाँ एवं अधिशेष Reserves and Surplus	6	5778,63,87.58	3890,88,49.12
उचित मूल्य परिवर्तन खाता – शेयरधारक Fair Value Change Account - Shareholder		343,51,87.12	311,87,02.01
उचित मूल्य परिवर्तन खाता – पॉलिसीधारक Fair Value Change Account - Policyholder		343,51,87.12	381,17,46.89
ऋण / Borrowings	7	-	-
आस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability		-	-
कुल / Total		**10803,67,61.82**	**8533,92,98.02**
II. निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS			
निवेश – शेयरधारक / Investments - Shareholder	8	7323,80,87.73	6086,96,16.11
निवेश – पॉलिसीधारक / Investments - Policyholder	8A	7323,80,87.73	7439,61,97.47
ऋण / Loans	9	-	-
अचल संपत्ति / Fixed Assets	10	373,47,88.41	326,53,19.69
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ / Deferred Tax Assets		44,32,37.97	43,88,90.87
वर्तमान परिसंपत्तियाँ / Current Assets			
नकद व बैंक शेष / Cash and Bank Balances	11	1623,64,39.25	1980,35,51.53
अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ / Advances and Other Assets	12	1195,38,47.96	1052,35,47.40
उप कुल (क) / Sub Total (A)		**2819,02,87.21**	**3032,70,98.93**
वर्तमान देयताएँ / Current Liabilities	13	6392,40,47.52	7440,37,09.63
प्रावधान / Provisions	14	688,36,79.71	955,41,15.42
उप कुल (ख) / Sub Total (B)		**7080,77,27.23**	**8395,78,25.05**
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (ग)= (क–ख) Net Current Assets (C)= (A-B)		**(4261,74,40.02)**	**(5363,07,26.12)**
विविध व्यय / Miscellaneous Expenditure	15	**-**	**-**

(उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते में न डाला गया हो अथवा समायोजित न किया गया हो) लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष (to the extent not written off or adjusted) Debit Balance in Profit & Loss Account		-	-
कुल/Total		**10803,67,61.82**	**8533,92,98.02**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	16		
लेखे के भाग के रूप में टिप्पणियाँ NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS	17		

(एम. सेंथिलनाथन)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(M. SENTHILNATHAN)
Chairman cum Managing Director
डीआईएन / DIN - 07376766

(हर्षा बंगारी)
निदेशक
(HARSHA BANGARI)
Director
डीआईएन / DIN - 01807838

(देवेश श्रीवास्तव)
निदेशक
(DEVESH SRIVASTAVA)
Director
डीआईएन / DIN – 08646006

(ए. शक्तिवेल)
निदेशक
(A. SAKTHIVEL)
Director
डीआईएन / DIN - 00027485

(अमित कुमार अग्रवाल)
निदेशक
(AMIT KUMAR AGARWAL)
Director
डीआईएन / DIN - 05333909

(सुनील जोशी)
कार्यपालक निदेशक
(SUNIL JOSHI)
Executive Director
डीआईएन / DIN - 08778530

(ईशनाथ झा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ISHNATH JHA)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary
स.सं. / M.No. F-3166

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार/As per our report of even date attached

कृते एस एन के एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 109176W
For SNK & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109176W

कृते एल एस नलवाया एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 115645W
For L. S. Nalwaya & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 115645W

(अंकित डी.दानावाला)
भागीदार – M.No. 119972
(ANKIT D. DANAWALA)
Partner - M.No. 119972

(आशीष नलवाया)
भागीदार – M.No. 110922
(ASHISH NALWAYA)
Partner - M.No. 110922

स्थान : मुंबई
दिनांक : 04 मई, 2023
Place : Mumbai
Date : 4th May, 2023

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 1/SCHEDULE - 1
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)/PREMIUM EARNED (NET)

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
प्रत्यक्ष कारोबार से प्रीमियम Premium from Direct Business Written	1197,52,85.83	1106,61,67.81
जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add : Premium on Reinsurance Accepted	-	-
घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on Reinsurance Ceded	217,62,43.48	204,61,27.27
शुद्ध प्रीमियम/Net Premium	**979,90,42.35**	**902,00,40.54**
असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों में परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for change in Reserve for Unexpired Risks	(38,95,00.91)	(19,84,04.32)
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)/Total Premium Earned (Net)	**940,95,41.44**	**882,16,36.22**

अनुसूची - 2/SCHEDULE - 2
उपगत दावे (शुद्ध)/CLAIMS INCURRED (NET)

विवरण Particulars		वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
प्रदत्त दावे/Claims Paid			
प्रत्यक्ष /Direct		763,04,85.84	687,20,43.27
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा/Add : Reinsurance accepted		-	-
घटाएँ : सौंपा गया पुनर्बीमा/Less : Reinsurance ceded		246,47,85.46	182,93,54.59
घटाएँ :/Less :			
वर्ष के दौरान वसूल किए गए/ Recovered during the year	169,50,60.10		109,97,13.90
जोड़ें : प्रदत्त दावों की वसूली पर प्राप्त ब्याज Add : Interest received on Recovery of Claims Paid	24,62,27.18		23,47.71
घटाएँ : पुनर्बीमाकर्ता हिस्सा Less : Share of reinsurer	38,29,31.31		44,49,90.14
	155,83,55.97	155,83,55.97	65,70,71.47
शुद्ध प्रदत्त दावे (क)/Net Claims paid (A)	**(क)/(A)**	**360,73,44.41**	**438,56,17.21**
जोड़ें : वर्ष के अंत तक बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध) Add : Claims Outstanding at the end of the year (net of reinsurance)		5929,31,09.23	6992,96,58.43

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
घटाएँ : वसूली के लिए प्रावधान (पुनर्बीमा का शुद्ध) Minus provision for recovery (net of reinsurance)	–	–
(ख)/(B)	**5929,31,09.23**	**6992,96,58.43**
घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध) Less : Claims Outstanding at the beginning (net of reinsurance)	6992,96,58.43	6885,34,79.90
वसूली के लिए किए गए प्रावधान को घटाएँ (पुनर्बीमा का शुद्ध) Minus Provision for recovery (net of reinsurance)	-	1,33.61
(ग)/(C)	**6992,96,58.43**	**6885,33,46.29**
कुल उपगत दावे (क + ख + ग)/Total Claims Incurred (A+B-C)	**(702,92,04.79)**	**546,19,29.35**

अनुसूची – 3/SCHEDULE - 3

कमीशन/COMMISSION

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
प्रदत्त कमीशन/Commission Paid		
प्रत्यक्ष/Direct	25,91,79.76	13,45,84.63
कुल (क)/TOTAL (A)	**25,91,79.76**	**13,45,84.63**
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add : Commission on Reinsurance Accepted	-	-
घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर कमीशन Less: Commission on Re-insurance Ceded	30,32,95.69	44,83,69.02
शुद्ध कमीशन/Net Commission	**(4,41,15.93)**	**(31,37,84.39)**
नोट : लाभ/कमीशन, यदि कोई है तो स्वीकृत पुनर्बीमा या सौंपे गए पुनर्बीमा के आंकड़ों में शामिल किया जाए। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कारोबार के उपार्जन के लिए किए गए व्यय (सकल) का ब्रेक अप. **Note: The profit/commission, if any are to be combined with the Re-insurance accepted or Re-insurance ceded figures. Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below:**		
एजेंट/Agents	-	-
ब्रोकर/Brokers	25,91,79.76	13,45,83.39
कॉर्पोरेट एजेंसी/Corporate Agency	-	1.24
अन्य (कृपया विवरण दें)/Others (pl. specify)	-	-
कुल (ख)/TOTAL (B)	**25,91,79.76**	**13,45,84.63**
नोट: उपरोक्त (क) व (ख) के जोड़ का मिलान होना चाहिए Note: Total (A) and (B) above should tally.		

अनुसूची – 4/SCHEDULE - 4

बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय/OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	कर्मचारी परिलब्धियाँ व कल्याण सुविधाएं Employees' Remuneration and Welfare benefits	190,59,34.26	176,69,37.71
2	यात्रा, परिवहन तथा वाहन व्यय Travel, Conveyance and Vehicle running expenses	11,05,36.15	9,21,48.00
3	प्रशिक्षण व्यय/Training expenses	1,99,68.48	38,23.51
4	किराया, दर व कर/Rent, Rates & Taxes	22,16,17.12	27,36,04.27
5	मरम्मत/Repairs	20,58,80.49	22,58,74.46
6	प्रिंटिंग व स्टेशनरी/Printing & Stationery	2,18,22.71	1,72,48.96
7	सूचना व्यय/Communication	1,42,09.72	1,18,23.07
8	कानूनी व व्यवसायिक प्रभार/Legal & Professional charges	10,30,76.49	9,28,65.06
9	लेखा परीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि/Auditors' fees, expenses etc.		
	(क) लेखा परीक्षक के रूप में/(a) As auditor	76,77.51	79,24.41
	(ख) निम्न के संबंध में परामर्शदाता अथवा किसी अन्य सेवा के रूप में		
	(b) As adviser or in any other capacity, in respect of		
	(i) कराधान मामले/(i) Taxation matters	16,48.66	14,82.16
	(ii) बीमा मामले/(ii) Insurance matters	-	-
	(iii) प्रबंधन सेवाएँ/(iii) Management services	-	-
	(ग) किसी अन्य सेवा के लिए/ (c) In any other capacity	98,63.07	70,90.46
10	विज्ञापन व प्रचार/Advertisement and Publicity	10,55,04.66	5,87,71.72
11	ब्याज अथवा बैंक प्रभार/Interest and Bank Charges	7,44.47	5,96.44
12	अन्य – विविध व्यय अथवा अन्य व्यय Others - Miscellaneous Expenses and Other Expenses	25,81,57.15	18,79,37.12
13	मूल्यह्रास/Depreciation	9,32,42.63	6,70,29.24
	कुल/TOTAL	**307,98,83.57**	**281,51,56.59**

अनुसूची – 5/SCHEDULE - 5

शेयर पूंजी/SHARE CAPITAL

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	प्राधिकृत पूंजी/Authorised Capital		
	100 रु प्रत्येक के 1,00,00,00,000 इक्विटी शेयर 1,00,00,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each	10000,00,00.00	5000,00,00.00
	(पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Period 50,00,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each)		
2	निर्गमित पूंजी/Issued Capital		
	100 रु प्रत्येक के 4338,00,000 इक्विटी शेयर 4338,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each	4338,00,00.00	3950,00,00.00
	(पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 39,50,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Period 3950,00,000 Equity Shares of Rs 100 each)		
3	अभिदत्त पूंजी/Subscribed Capital	4338,00,00.00	3950,00,00.00
	100 रु प्रत्येक के 4338,00,000 इक्विटी शेयर 4338,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each		
	(पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 39,50,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Period 3950,00,000 Equity Shares of Rs 100 each)		
4	मांगी गई व प्रदत्त पूंजी/Called up & Paid up Capital	4338,00,00.00	3950,00,00.00
	100 रु प्रत्येक के 4338,00,000 इक्विटी शेयर 4338,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each	–	–
	(पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 39,50,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Period 3950,00,000 Equity Shares of Rs 100 each)		
	जोड़ें : जब्त किए गए इक्विटी शेयर (मूल रूप से प्रदत्त राशि) Add : Equity Shares forfeited (Amount originally paid up)	–	–
	घटाएँ : पुनः खरीदे गए इक्विटी शेयरों का सममूल्य Less : Par Value of Equity Shares bought back	–	–
	घटाएँ : आरंभिक व्यय Less : Preliminary Expenses	–	–
	शेयरों के बीमांकन अथवा अभिदान पर कमीशन अथवा ब्रोकरेज सहित व्यय Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares	–	–
	कुल/TOTAL	**4338,00,00.00**	**3950,00,00.00**

अनुसूची – 5 क/SCHEDULE - 5A

शेयरधारिता का स्वरूप /PATTERN OF SHAREHOLDING

(प्रबंधन द्वारा प्रमाणन के अनुसार)/(As Certified by the Management)

शेयरधारक Shareholder	वर्तमान अवधि Current Period		पिछली अवधि Previous Period	
	शेयरों की संख्या No. of Shares	धारिता का % % of holding	शेयरों की संख्या No. of Shares	धारिता का % % of holding
प्रवर्तक/Promoters				
भारतीय/Indian				
भारत के राष्ट्रपति एवं उनके नामित President of India & His Nominees	43,38,00,000	100.00	39,50,00,000	100.00
विदेशी/Foreign	-	-	-	-
अन्य/Others	-	-	-	-
कुल/Total	**43,38,00,000**	**100.00**	**39,50,00,000**	**100.00**

अनुसूची – 6/SCHEDULE - 6

प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष/RESERVES AND SURPLUS

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	पूंजीगत प्रारक्षित निधि/Capital Reserve	-	-
2	पूंजीगत शोधन प्रारक्षित निधि/Capital Redemption Reserve	-	-
3	शेयर प्रीमियम/Share Premium	-	-
4	सामान्य प्रारक्षित निधि – प्रारंभिक जमा		
	General Reserve - Opening Balance	3554,38,49.12	2955,72,29.27
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during year	1730,45,38.46	598,66,19.85
		5284,83,87.58	3554,38,49.12
	वर्ष के दौरान कटौती /Deduction during year	-	-
		5284,83,87.58	3554,38,49.12
5	आकस्मिक प्रारक्षित निधि/Catastrophe Reserve	-	-
6	फ़ैक्टरिंग योजना प्रारक्षित निधि/Factoring Scheme Reserve	60,00,00.00	60,00,00.00
7	लाभ व हानि खाता में शेष/Balance in Profit & Loss Account	433,80,00.00	276,50,00.00
	कुल/TOTAL	**5778,63,87.58**	**3890,88,49.12**

अनुसूची – 7/SCHEDULE - 7

उधार/BORROWINGS

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	डिबेंचर/बॉन्ड /Debentures/Bonds	-	-
2	बैंक /Banks	-	-
3	वित्तीय संस्थान/ Financial Institutions	-	-
4	अन्य/Others	-	-
	कुल/TOTAL	**-**	**-**

अनुसूची – 8/SCHEDULE - 8

निवेश (शेयर धारक)/INVESTMENTS (SHAREHOLDER)

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	दीर्घावधि निवेश/LONG TERM INVESTMENTS		
1	राजकोष विपत्र सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	2994,73,31.82	2454,47,86.57
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other approved Securities	259,41,92.56	209,80,57.95
3	अन्य निवेश/Other Investments		
	क. शेयर (a) Shares		
	(कक) इक्विटी (aa) Equity	971,27,89.63	838,68,67.12
	(खख) अधिमानित शेयर (bb) Preference Shares	-	-
	ख. म्यूचल फंड (b) Mututal Funds	29,60,57.67	-
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र (c) Derivative Instruments	–	–
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड (d) Debentures/Bonds	1085,23,47.05	757,19,16.37
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ (ट्रेप्स, सीपी, सीडी) (e) Other Securities (TREPS, CP, CD)	-	-
	च. अनुषंगी संस्थाएं (f) Subsidiaries	-	-
	छ. संपत्ति निवेश–भूमि भवन (g) Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	1490,71,97.29	1338,90,57.36

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
5	अनुमोदित निवेशों के अलावा Other than Approved Investments	84,78,72.62	76,37,84.63
	कुल (क)/Total (A)	**6915,77,88.64**	**5675,44,70.00**
	अल्पावधि निवेश/SHORT TERM INVESTMENTS		
1	राजकोष विपत्र सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	111,22,81.11	156,78,31.86
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	22,07,59.80	-
3	अन्य निवेश/Other Investments		
	क. शेयर (a) Shares		
	कक. इक्विटी (aa) Equity	-	-
	खख. अधिमानित शेयर (bb) Preference Shares	-	-
	ख. म्यूचल फंड (b) Mututal Funds	55,80,89.88	50,51,59.12
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र (c) Derivative Instruments	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड (d) Debentures/Bonds	56,62,73.96	81,52,02.71
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ (ट्रेपस, सीपी, सीडी) (e) Other Securities (TREPS, CP, CD)	66,48,20.40	-
	च. अनुषंगी संस्थाएं (f) Subsidiaries	-	-
	छ. संपत्ति निवेश–भूमि भवन (g) Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	65,81,89.86	95,70,56.75
5	अनुमोदित निवेशों के अलावा Other than Approved Investments	29,98,84.08	26,98,95.67
	कुल (ख)/Total (B)	**408,02,99.09**	**411,51,46.11**
	कुल (क + ख)/TOTAL (A+B)	**7323,80,87.73**	**6086,96,16.11**
	नोट: अनुसूची 8 एवं 8 अ की परिसंपत्तियों के लिए अनुसूची 14 के अंतर्गत दर्शाए गई सदिंग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान **Note:** Provision made for Doubtful Assets shown under Schedule 14 against Assets in Schedule 8 and Schedule 8A	105,43,93.57	105,46,29.56

अनुसूची - 8अ/SCHEDULE - 8A

निवेश (पॉलिसीधारक)/INVESTMENTS (POLICYHOLDER)

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	दीर्घावधि निवेश/LONG TERM INVESTMENTS		
1	राजकोष विपत्र सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	2994,73,31.82	2999,91,83.58
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other approved Securities	259,41,92.56	256,42,93.06
3	अन्य निवेश/Other Investments		
	क. शेयर (a) Shares		
	कक. इक्विटी (aa) Equity	971,27,89.63	1025,06,15.37
	खख. अधिमानित शेयर (bb) Preference Shares	-	-
	ख. म्यूचल फंड (b) Mututal Funds	29,60,57.67	-
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र (c) Derivative Instruments	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड (d) Debentures/Bonds	1085,23,47.05	925,45,64.45
	ङ. अन्य प्रतिभूतियाँ (ट्रेपस, सीपी, सीडी) (e) Other Securities (TREPS, CP, CD)	-	-
	च. अनुषंगी संस्थाएं (f) Subsidiaries	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन (g) Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	1490,71,97.29	1636,44,03.45
5	अनुमोदित निवेशों के अलावा Other than Approved Investments	84,78,72.62	93,35,14.54
	कुल (क)/Total (A)	**6915,77,88.64**	**6936,65,74.45**
	अल्पावधि निवेश/SHORT TERM INVESTMENTS		
1	राजकोष विपत्र सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	111,22,81.11	191,62,38.94
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	22,07,59.80	-
3	अन्य निवेश/Other Investments		
	क. शेयर (a) Shares		
	(कक) इक्विटी (aa) Equity	-	-

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	(खख) अधिमानित शेयर (bb) Preference Shares	-	-
	ख. म्यूचल फंड (b) Mututal Funds	55,80,89.88	61,74,16.71
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र (c) Derivative Instruments	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड (d) Debentures/Bonds	56,62,73.96	99,63,58.87
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ (ट्रेप्स, सीपी, सीडी) (e) Other Securities (TREPS, CP, CD)	66,48,20.40	–
	च. अनुषंगी संस्थाएं (f) Subsidiaries	-	-
	छ. संपत्ति निवेश–भूमि भवन (g) Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	65,81,89.86	116,97,36.02
5	अनुमोदित निवेशों के अलावा Other than Approved Investments	29,98,84.08	32,98,72.48
	कुल (ख)/Total (B)	**408,02,99.09**	**502,96,23.02**
	कुल (क + ख)/TOTAL (A+B)	**7323,80,87.73**	**7439,61,97.47**

अनुसूची – 9/SCHEDULE - 9

ऋण/LOANS

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	**प्रतिभूतिवार वर्गीकरण/SECURITY-WISE CLASSIFICATION**		
	जमानती/Secured		
	(क) संपत्ति के बंधक रखने पर (a) On mortgage of property		
	भारत में/(aa) In India	-	-
	भारत के बाहर/(bb) Outside India	-	-
	(ख) शेयरों, बॉन्डों, सरकारी प्रतिभूतियों पर (b) On Shares, Bonds, Government Securities	-	-
	(ग) अन्य (c) Others	-	-
	गैर जमानती/Unsecured	-	-
	कुल/TOTAL	**-**	**-**

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
2	**लेनदारवार वर्गीकरण / BORROWER-WISE CLASSIFICATION**		
	(क) केंद्र व राज्य सरकार (a) Central and State Governments	-	-
	(ख) बैंक व वित्तीय संस्थान (b) Banks and Financial Institutions	-	-
	(ग) अनुषंगी (c) Subsidiaries	-	-
	(घ) औद्योगिक उपक्रम (d) Industrial Undertakings	-	-
	(ङ) अन्य (e) Others	-	-
	कुल / TOTAL	**-**	**-**
3	**निष्पादनवार वर्गीकरण / PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION**		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण (a) Loans classified as standard		
	(कक) भारत में / (aa) In India	-	-
	(खख) भारत के बाहर / (bb) Outside India	-	-
	(ख) प्रावधानों को घटाकर अनर्जक ऋण (b) Non-performing loans less provisions		
	(कक) भारत में / (aa) In India	-	-
	(खख) भारत के बाहर / (bb) Outside India	-	-
	कुल / TOTAL	**-**	**-**
4	**परिपक्वता आधारित वर्गीकरण MATURITY -WISE CLASSIFICATION**		
	(क) अल्पावधि / (a) Short Term	-	-
	(ख) दीर्घावधि / (b) Long Term	-	-
	कुल / TOTAL	**-**	**-**

अनुसूची-10 / SCHEDULE -10
अचल संपत्तिया / FIXED ASSETS

आंकड़े ₹ '000 में/Figures in ₹ '000

		सकल ब्लॉक / Gross Block				मूल्यह्रास / Depreciation				शुद्ध ब्लॉक/Net Block	
क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	प्रारंभिक Opening	परिवर्धन Additions	कटौतियाँ Deductions	अंतिम Closing	31.03.2022 तक Up to 31.03.2022	वर्ष के लिए For the Year	बिक्री पर/ समायोजन On Sale / Adjustments	दिनांक तक To date	31.03.2023 तक As at 31.03.2023	31.03.2022 तक As at 31.03.2022
1	साख/Good Will	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	अमूर्त Intangibles	8,04,92.10	10,65.71	-	8,15,57.81	6,37,14.87	66,25.22	-	7,03,40.09	1,12,17.72	1,67,77.23
3	भूमि पूर्ण स्वामित्व वाली / Land - Free Hold	74,81,52.33	-	-	74,81,52.33	-	-	-	-	74,81,52.33	74,81,52.33
4	पट्टे पर ली गई संपत्ति / Lease-hold Property	60,58,30.10	-	-	60,58,30.10	7,82,44.37	1,86,97.79	-	9,69,42.16	50,88,87.94	52,75,85.73
5	भवन/Building	43,61,13.69	114,23,98.53	-	157,85,12.22	16,71,51.43	1,49,48.68	-	18,21,00.11	139,64,12.11	26,89,62.26
6	फर्नीचर तथा फिटिंग Furniture and Fittings	21,24,32.83	9,31,86.04	3,32,54.86	27,23,64.01	15,77,00.98	1,19,16.69	3,27,70.99	13,68,46.68	13,55,17.33	5,47,31.85
7	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण / Information Technology Equipment	20,44,88.72	2,88,66.46	8,04,32.70	15,29,22.48	18,09,12.49	1,78,32.85	8,03,22.06	11,84,23.28	3,44,99.20	2,35,76.23
8	वाहन/Vehicles	9,59,45.07	-	26,42.04	9,33,03.03	1,96,45.67	1,09,23.41	26,42.04	2,79,27.04	6,53,75.99	7,62,99.40
9	कार्यालयीन उपकरण Office Equip-ment	8,87,57.86	9,73,45.18	95,54.19	17,65,48.85	7,60,79.63	1,22,97.99	94,31.74	7,89,45.88	9,76,02.97	1,26,78.23
कुल / **Total**		247,22,12.70	136,28,61.92	12,58,83.79	370,91,90.83	74,34,49.44	9,32,42.63	12,51,66.83	71,15,25.24	299,76,65.59	172,87,63.26
प्रगतिरत कार्य Work in Progress										73,71,22.82	153,65,56.43
कुल योग/Grand Total		247,22,12.70	136,28,61.92	12,58,83.79	370,91,90.83	74,34,49.44	9,32,42.63	12,51,66.83	71,15,25.24	373,47,88.41	326,53,19.69
पिछले वर्ष Previous Year		243,88,86.53	10,00,19.09	6,66,92.92	247,22,12.70	74,15,85.89	6,70,29.24	6,51,65.69	74,34,49.44	326,53,19.69	303,63,70.76

अनुसूची – 11/SCHEDULE - 11

नकदी व बैंक शेष/CASH AND BANK BALANCES

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट अथवा स्टैम्प सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps)	58,74.09	50,22.37
2	बैंक शेष/Bank Balances		
	(क) जमा खाते/ (a) Deposit Accounts		
	(कक) अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय): (aa) Short Term (due within 12 months):		
	बैंकों के पास/With Banks	1614,24,00.00	1968,07,00.00
	वित्तीय संस्थानों के पास/With Financial Institutions	-	-
	(खख) अन्य/(bb) Others		
	बैंकों के पास/With Banks	-	1,99,00.00
	वित्तीय संस्थानों के पास/With Financial Institution	-	-
	(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	8,80,65.16	9,78,29.16
	(ग) अन्य – भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष (c) Others - Balance with Reserve Bank of India	1,00.00	1,00.00
	कुल/TOTAL	**1623,64,39.25**	**1980,35,51.53**

अनुसूची – 12/SCHEDULE - 12

अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ/ADVANCES AND OTHER ASSETS

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	अग्रिम/ADVANCES		
1	सीडिंग कंपनियों के पास जमा प्रारक्षित निधियाँ Reserve deposits with ceding companies	-	-
2	निवेशों के लिए आवेदन राशि Application money for investments	-	-
3	समय पूर्व भुगतान/Prepayments	11,57,04.72	11,83,63.51
4	पूंजी व्ययों के लिए अग्रिम/Advance to Directors	-	-
5	प्रदत्त अग्रिम कर (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान) Advance Tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)	269,22,97.74	214,51,23.57
6	कर्मचारियों को अग्रिम Advances to Employees	22,18,80.74	23,92,52.76

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars		वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
7	व्ययों के लिए अग्रिम Advance for Expenses		18,05,00.07	12,42,45.43
	कुल (क) / TOTAL (A)		**321,03,83.27**	**262,69,85.27**
	अन्य परिसंपत्तियाँ / OTHER ASSETS			
1	निवेशों पर उपार्जित आय Income accrued on Investments		365,62,84.47	347,61,58.44
2	बकाया प्रीमियम / Outstanding Premiums		-	-
3	एजेंटों के शेष / Agents' Balances		-	-
4	विदेशी एजेंसियों के शेष / Foreign Agencies Balances		-	-
5	बीमा कारोबार करने वाली (पुनर्बीमा सहित) अन्य इकाईयों से देय Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)		210,01,84.89	256,38,10.25
6	अनुषंगी / धारक इकाईयों से देय Due from subsidiaries/holding		-	-
7	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुरूप) Deposit with Reserve Bank of India (Pursuant to section 7 of Insurance Act, 1938)		-	-
8	आवास ऋण पर उपार्जित ब्याज Interest accrued on Housing Loan		1,22,27.74	1,45,67.18
9	विविध देनदार– / Sundry Debtors-			
	मानक परिसंपत्तियाँ / Standard Asset	1,53,44.28		1,37,91.11
	घटाएँ : मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Standard Asset	61.38		55.17
	(क) / (I)	1,52,82.90		1,37,35.94
	निम्न मानक परिसंपत्तियाँ Sub - Standard Asset	-		-
	घटाएँ : निम्न मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Sub - Standard Asset	-		-
	(ख) / (II)	-	-	-
	संदिग्ध परिसंपत्तियाँ / Doubtful Asset	7,04,26.80		7,04,26.80
	घटाएँ : संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Asset	7,04,26.80		7,04,26.80
	(ग) / (III)	-	-	-
	(क + ख + ग) / (I+II+III)		1,52,82.90	1,37,35.94
10	अन्यों से वसूली योग्य राशि Amount Recoverable from others	133,42,26.06		23,18,60.59
	घटाएँ : संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान Less: Provision for Doubtful Recovery	94,71.30		94,71.30
		132,47,54.76	132,47,54.76	22,23,89.29

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars		वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
11	विविध जमाएँ/Sundry Deposits	74,41,13.32		73,79,44.90
	घटाएँ : सदिंग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Debts	-		-
		74,41,13.32	74,41,13.32	73,79,44.90
12	पॉलिसीधारकों की परिसंपत्तियों हेतु अदावा राशि Unclaimed Amount for Policyholder Assets	1,54,94.65		1,54,94.64
	जोड़ें : पॉलिसी धारकों की परिसंपत्तियों की अदावित राशि पर ब्याज Add: Interest earned on Unclaimed Amount for Policyholder Assets	53,83.93		42,44.40
		2,08,78.58	2,08,78.58	1,97,39.04
13	भारत सरकार की ओर से ए टी आई भागीदारी ATI Participation on behalf of Govt. of India		86,97,38.03	84,82,17.09
	कुल (ख)/TOTAL (B)		**874,34,64.69**	**789,65,62.13**
	कुल (क+ख)/TOTAL (A+B)		**1195,38,47.96**	**1052,35,47.40**

अनुसूची - 13/SCHEDULE - 13

वर्तमान देयताएं/CURRENT LIABILITIES

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars		वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	एजेन्टों का शेष/Agents' Balances		-	-
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष Balances due to other Insurance Companies		80,66,45.93	78,87,15.08
3	सौंपे गए पुनर्बीमा पर जमा/Deposits held on re-insurance ceded		-	-
4	अग्रिम प्राप्त प्रीमियम/Premiums received in advance		234,10,32.83	223,81,05.16
5	अनाबंटित प्रीमियम/Unallocated Premium		38,88,10.85	46,64,70.20
6	पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि Unclaimed Amount of Policyholders	1,40,10.74		1,53,50.33
	जोड़ें : पॉलिसी धारकों की अदावित राशि से अर्जित ब्याज Add: Interest earned on Unclaimed Amount of Policyholders	43,39.68		39,87.39
		1,83,50.42	1,83,50.42	1,93,37.72
7	विविध लेनदार/Sundry Creditors		79,92,94.81	64,91,70.98
8	अनुषंगी/धारक कंपनी को देय/Due to subsidiaries/holding company		-	-
9	बकाया दावे/Claims outstanding		5929,31,09.23	6992,96,58.43
10	कर्मचारियों को देय/Due to Employees		10,56,49.00	7,87,56.30
11	अन्य/Others			
	- एन ई आई ए/NEIA		12,81,97.53	19,01,86.33
	- फैक्टरिंग/Factoring		28,34.60	33,67.00
	- विविध/Miscellaneous		3,09,70.59	2,69,32.74
	- जी एस टी देयता/ GST Liability		91,51.73	1,30,09.69
	कुल/TOTAL		**6392,40,47.52**	**7440,37,09.63**

अनुसूची – 14/SCHEDULE - 14

प्रावधान/PROVISIONS

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित Reserve for Unexpired Risk	489,95,21.18	451,00,20.27
2	प्रीमियम में कमी के लिए प्रारक्षित Reserve for Premium Deficiency	-	308,52,00.00
3	कराधान के लिए/For Taxation – आय कर (अग्रिम कर को घटा कर) - Income Tax (Net of Advance Tax)	-	-
4	प्रस्तावित लाभांशों के लिए For Proposed Dividends	-	-
5	लाभांश वितरण कर के लिए For Dividend distribution Tax	-	-
6	सेवानिवृत्ति सुविधाओं के लिए For Retirement Benefits		
	– छुट्टी का नकदीकरण एवं लंबी सेवा - Leave Encashment & Long Service	56,66,73.75	56,16,24.84
	– उपादान/- Gratuity	1,43,21.58	4,66,83.15
	– पेंशन/ - Pension	34,87,69.63	29,59,57.60
7	कम कारोबार के शेयरों के लिए For Thinly Traded Shares	-	-
8	निवेश परिसंपत्तियों हेतु For Investment Assets	105,43,93.57	105,46,29.56
	कुल/TOTAL	**688,36,79.71**	**955,41,15.42**

अनुसूची – 15/SCHEDULE - 15

विविध व्यय/MISCELLANEOUS EXPENDITURE

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	शेयर/डिबेंचरों को जारी करने के लिए मंजूर छूट Discount Allowed on issue of shares/debentures	-	-
2	अन्य/Others	-	-
	कुल/TOTAL	**-**	**-**

अनुसूची 16 / SCHEDULE 16

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. लेखा प्रणाली

1.1 वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के साथ पढे जाने वाले बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1) के नियामक प्रावधानों; बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अधीन निर्मित विनियमों के अनुसरण में तैयार किए गए हैं। ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा ना कहा जाए, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना) विनियमन 2002 के अनुपालन में प्रचलित लागत प्रथा एवं उपचयित आधार पर तैयार किए गए हैं तथा कंपनी (लेखा) नियम,2014 के नियम 7 के साथ पढे जाने वाले कंपनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 133 एवं ऋण बीमा उद्योग में प्रचलित प्रथाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

1.2 अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन को अनुमान व पूर्वानुमान करने होते हैं जिनका प्रभाव, रिपोर्ट की गयी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तारीख तक आकस्मिक देयताओं से संबन्धित प्रकटनों व रिपोर्ट अवधि के दौरान, रिपोर्ट किए गए राजस्व व व्ययों की राशि पर पड़ेगा। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न भी हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के बीच के अंतर का पता तब चलेगा, जब इनके परिणाम ज्ञात होंगे / सामने आएंगे ।

2. अचल संपत्ति तथा मूल्य ह्रास

2.1 अचल सम्पत्तियों का, अधिग्रहण के मूल्य में से संचित मूल्य ह्रास को कम कर, अंकन किया गया है।

2.2 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची खख के अनुसार प्रासंगिक दरों पर सीधी कटौती प्रणाली आधार पर मूल्य ह्रास की गणना की गयी है। वर्ष के दौरान शामिल की गई/ निपटान की गयी परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास की गणना उन्हें शामिल किए जाने / निपटान की तारीख के संदर्भ में यथानुपातिक आधार पर की गयी है। परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्य ह्रास उनका उपयोग की गयी अवधि के दौरान हुआ है।

2.3 पट्टे पर ली गयी परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान किया गया है ।

1. ACCOUNTING CONVENTION

1.1 The financial statements are drawn up in accordance with the Regulatory provisions of section 11(1) of the Insurance Act, 1938; regulations framed under Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, read with the applicable provisions of the Companies Act, 2013. These financial statements prepared under the historical cost convention and on accrual basis, comply with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation 2002 and are in conformity with the requirements of Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and conform to practices prevailing in the credit insurance industry unless otherwise stated.

1.2 USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as at the date of financial statements and reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from these estimates. Difference between the actual result and estimates are recognized in periods in which the results are known / materialised.

2. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

2.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition less depreciation.

2.2 Depreciation is provided on straight-line method at the relevant rates as per Schedule II to the Companies Act, 2013. Assets added/disposed off during the year are depreciated on a pro-rata basis with reference to the date of addition/disposal. Assets are depreciated fully during the course of its useful life.

2.3 Leased Assets are amortised over the period of lease.

2.4 वह कंप्यूटर हार्डवेयर जिसमें कि सॉफ्टवेयर पहले से अपलोडेड है वह हार्डवेयर का अभिन्न अंग होते है और नए खरीदे गए हार्डवेयर को लोड करने के लिए खरीदे गए सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ पूंजीकृत किया गया है।

2.5 सॉफ्टवेयर विकास तथा अधिग्रहण मूल्य, जो कंपनी के लेखा मानक नियम 2006 द्वारा जारी एएस 26 अमूर्त परिसंपत्तियाँ के मान्यताप्राप्त मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हे अमूर्त शीर्ष के अधीन पूंजीकृत किया गया है 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के अधीन परिसंपत्तियों के उपयोग किए गए समय के दौरान सीधी कटौती प्रणाली पर परिशोधित किया गया है।

2.6 वह परियोजनाएँ जो चालू स्थिति में हैं उन्हे पूंजीकृत कार्य प्रगति पर (सीडबल्यूआईपी) के रूप में आगे लाया गया है जो कि अग्रिम एवं प्रत्यक्ष लागत सहित ठेकेदारों को किए गए भुगतान को दर्शाते हैं।

3. हानियां

हानि के किसी भी संकेत की जानकारी के लिए परिसम्पत्तियों पर ली जाने वाली राशि की प्रत्येक तुलन पत्र तारीख पर समीक्षा की जाती है। यदि कोई संकेत मिलता है तो संपत्ति पर वसूली योग्य राशि की गणना की जाती है। यदि संपत्ति पर ली जाने वाली कोई भी राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो इसे हानि माना जाता है।

4. निवेश

4.1 अल्पावधि मुद्रा बाज़ार उपकरण जैसे की वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाण पत्रों को उनकी छूट प्राप्त कीमत पर दर्शाया गया है एवं अर्जित आय में से अधिग्रहण लागत तथा छूट कीमत को समय के आधार पर विभाजित किया गया है।

4.2 शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर इत्यादि की खरीद एवं बिक्री के लिए संविदा को लेनदेन की तारीख पर निवेश के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

4.3 निवेश की लागत में, अधिग्रहण पर प्रीमियम, ब्रोकरेज, स्थानांतरण टिकट, स्थानांतरण शुल्क इत्यादि शामिल हैं एवं यह, उस पर प्राप्त प्रोत्साहन/शुल्क, यदि कोई हो तो, का निवल है।

4.4 लाभांश को घोषणा वर्ष में आय में शामिल किया गया है। वसूली पर, आपत्ति / सुपुर्दगी के लिए लंबित शेयर्स पर लाभांश / डिबेंचरों पर, ब्याज की गणना की गयी है। अन्तरिम लाभांश की गणना 31 मार्च अथवा उससे पहले के वारंटों के लिए की गयी है।

4.5 निवेशों की आय पर लाभ / हानि का आंकलन, सरकार की प्रतिभूतियों, जिन्हें परिपक्वता अवधि तक रखा जाता है के अलावा उन निवेशों के मूल्य को भारित औसत बही मूल्य के आधार पर किया गया है तथा इस प्रकार के निवेशों पर लाभ / हानि की गणना खरीदारी क्रम मूल्यन विधि (फिफो) पर की गयी है।

2.4 The computer software forming integral part of hardware which comprises pre-loaded software and the software procured for loading in the newly bought-out hardware is capitalized along with the hardware.

2.5 The Software development and acquisition costs which meet the recognition criteria of AS 26 Intangible Assets issued by Companies Accounting Standard Rules, 2006 are capitalised under the head "Intangibles" and amortised on a straight-line basis over the useful life of the Asset subject to a maximum period of 5 years.

2.6 Projects under commissioning are carried forward at cost as Capital Work-in-Progress (CWIP) and represents payments made to contractors including advances and directly attributable cost.

3. IMPAIRMENTS

The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any indications exist, the assets recoverable amount is estimated. An impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

4. INVESTMENTS

4.1 Short Term Money Market Instruments such as Commercial Papers and Certificate of Deposit, are shown at their discounted value and the difference between the acquisition cost and the redemption value is apportioned on time basis and recognised as accrued income.

4.2 Contracts for purchase and sale of shares, bonds, debentures, etc., are accounted for as "Investments" as on date of Transaction.

4.3 The cost of investments include premium on acquisition, expenses like brokerage, transfer stamps, transfer charges, etc., and is net of incentive/fee if any, received thereon.

4.4 Dividend is accounted for as income in the year of declaration. Dividend on shares/interest on debentures under objection/pending delivery is accounted for, on realisation. Interim dividend is accounted where the warrants are dated 31st March or earlier.

4.5 Profit/Loss on realisation of investments is computed by taking Weighted Average Book Value as cost of investments except Government Securities which are held to maturity and profit/loss on such investments are worked out on First In First Out Basis (FIFO).

4.6 सरकार की प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों तथा प्रतिदेय अधिमान शेयरों को परिपक्वता तक रखने योग्य माना गया है व उनकी गणना मूल्य लागत तक आँका गया है। तथापि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों की शर्तों के अधीन प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय अदा किए गए प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि के लिए किया गया है।

4.7 क) म्युचुअल फंडों में निवेशों की गणना वर्ष के अंत तक निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर की गयी है तथा मूल्य / बही मूल्य तथा एन ए वी के बीच के अंतर की गणना उचित मूल्य परिवर्तन खाते में की गयी है। तथापि, यदि मूल्य में किसी प्रकार की हानि पायी गयी तो उसे राजस्व से प्रभारित किया गया है तथा निवेश के बही मूल्य को तदनुसार घटाया गया है। यदि पहले पाई गई हानि में किसी प्रकार का प्रत्यावर्तन पाया गया तो उसे पहले पाई गई हानि में कटौती की सीमा तक राजस्व में शामिल किया जाएगा।

ख) तुलन पत्र की तारीख तक यदि एन ए वी उपलब्ध न हो तो निवेश को लागत मूल्य तक दर्शाया गया है।

4.8 क) इक्विटी/इक्विटी संबन्धित साधनों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों द्वारा निर्धारित अनुसार सक्रिय रूप से व्यापारित और अल्प व्यापारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एनएसई तथा बीएसई दोनों में मार्च माह के दौरान किए गए संव्यवहारों के आधार पर शेयरों को अल्प व्यापारित माना गया है।

ख) सक्रिय रूप से व्यापारित इक्विटी/इक्विटी संबन्धित साधनों के मूल्य का अंकन आईआरडीए के दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाएगा। इक्विटी निवेशों के मूल्यांकन नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) जो कि प्राथमिक एक्सचेंज माना गया है, पर अंतिम मूल्य कोट के आधार पर किया जाएगा । यदि किसी साधन को एनएसई में कोट नहीं किया गया है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) (गौण एक्सचेंज) में लगे अंतिम कोट को मूल्यांकन के लिए आधार रूप में लिया जाएगा। भारित औसत मूल्य तथा कोट किए गए मूल्य के बीच के अंतर को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लिया जाता है।

4.9 अल्प व्यापारित ईक्विटियों तथा असूचीबद्ध ईक्विटियों में किए गए निवेशों को लागत मूल्य में दर्शाया गया है। तथापि लागत व विश्लेषित लागत के अंतर का प्रावधान मूल्य में कमी के रूप में प्रदार्शित किया गया है। साथ ही, पिछले तीन लेखा वर्षों के लिए अल्प व्यापारित/असूचीबद्ध शेयरों के लिए प्रावधान करने की तारीख के तत्काल पहले असूचीबद्ध कंपनियों के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं हैं अथवा विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो सम्पूर्ण मूल्य के लिए प्रावधान किया गया है ।

4.10 ऐसे सूचीबद्ध ईक्विटियों / इक्विटी संबन्धित साधनों / अधिमानित

4.6 Investment in Government Securities, debt securities and redeemable preference shares are considered as held till maturity and valued at cost. However, in terms of Insurance Regulatory and Development Authority Regulations the premium paid at the time of acquisition of securities is amortised over the residual period of maturity.

4.7 a) Investments in Mutual Fund/s are valued at Net Asset Value (NAV) at the year-end and the difference between cost/book value and NAV is accounted in Fair Value Change Account. However, if there is impairment in value, the same is charged to Revenue and the book value of investment is reduced accordingly. Any reversal of impairment loss earlier recognised, shall be taken to revenue to the extent of reduction in impairment recognised earlier.

b) In case of non-availability of NAV as at the Balance Sheet date, investment is shown at cost.

4.8 a) Investment Portfolio in respect of Equity/Equity related instruments are segregated into Actively Traded and Thinly Traded as prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority Regulations. The shares are treated as thinly traded by taking into consideration transactions in the month of March on both NSE and BSE.

b) Actively Traded Equity/Equity related instruments will be valued as per IRDA guidelines. The equity investments will be valued at the last quoted closing prices on the National Stock Exchange (NSE) which will be the primary exchange. If any of the instruments is not quoted on NSE, then the last quoted closing price on the Bombay Stock Exchange (BSE) (as secondary exchange) will be taken for valuation. The difference between weighted average cost and quoted value is accounted in Fair Value Change Account.

4.9 Investment in thinly traded Equity shares and unlisted equity shares are shown at cost. However, difference between cost and break-up value is provided for as diminution in value. Further, if the published accounts of an unlisted Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out provision for thinly/unlisted shares or if the break-up value is negative then the provision is made for the entire cost.

4.10 Investment in Listed Equity/Equity related instruments/Preference shares made in those Companies, which are making losses continuously

शेयरों के रूप में उन कंपनियों में निवेश किया गया है जिन्हें पिछले तीन वर्षों से लगातार हानि हो रही हो तथा जहां पूंजी ह्रास हो रहा हो तो ऐसे निवेशों को मूल्य में हानि माना गया है। यदि लगातार पिछले तीन लेखा वर्षों की समाप्ति पर अथवा मूल्य में हानि के मूल्यांकन की तारीख के तत्काल पहले के लिए कंपनी के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं है तो यह माना गया कि निवेशों के मूल्य की पूर्ण हानि हुई है तथा 1/– रु प्रति कंपनी के हिसाब से नाम मात्र मूल्य पर उसे बट्टे खाते में डाला गया है।

4.11 क) निवेशों के मूल्यांकन को मूल्य में हानियुक्त मानते हुए उनकी निम्नानुसार गणना की गयी:

अ) सक्रिय व्यापारित इक्विटी शेयर्स के संबंध में :– लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य की न्यूनतम राशि, बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य धनात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/–रु लिया गया।

ब) सक्रिय व्यापारित इक्विटी शेयर्स के अलावा अन्य के संबंध में :– लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य की न्यूनतम राशि, बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य धनात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/–रु लिया गया।

स) अधिमानित शेयर्स के मामले में, यदि पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभांश प्राप्त नहीं हुआ हो तो:– अधिमानित शेयर्स के मूल्य ह्रास की गणना उनके अंकित मूल्य के आधार उसी अनुपात में किया जाएगा जिस अनुपात में इक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य के आधार पर मूल्य की गणना की गयी / इक्विटी शेयर्स के मूल्यह्रास के मूल्य की गणना की जाती है। तथापि यदि इक्विटी शेयर्स को 1/– रु प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला गया है तो अधिमानित शेयर्स को भी 1/–रु प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला जाएगा।

ख) जब उपरोक्त नीति के अनुसार सूचीबद्ध शेयर/ ईक्विटी संबन्धित साधनों / अधिमानित शेयर्स में निवेशों के मूल्य हानि की गणना की गयी है, इस प्रकार की हानियों के प्रत्यावर्तन को केवल तब राजस्व / लाभ व हानि खाते में शामिल किया गया जब निवेश की गयी कंपनियों की हानियाँ पूरी तरह से समाप्त हो गयी हैं व उपलब्ध नवीनतम प्रकाशित लेखों के अनुसार अथवा प्रत्यावर्तन के तत्काल पहले की तारीख को उसकी पूंजी पुनः स्थापित की गई थी।

4.12 रिवर्स रेपो संव्यव्हारों को सुरक्षित ऋण संव्यवहार माना जाता है तथा तदनुसार वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटन किया गया है। संव्यव्हारों के प्रथम व द्वितीय चरण के कुल आगम के अंतर को आय माना गया है।

4.13 ट्राई पार्टी रेपो प्रणाली (ट्रेप्स), जिसे अंकित मूल्य में छूट पर जारी किया जाता है, को भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार मुद्रा बाज़ार का उपकरण माना जाता है। ट्रेप्स के जरिये ऋण पर अर्जित छूट को आय में दर्शाया गया है और उसका सामयिक आधार पर प्रभाजन किया गया है।

for last three years and where capital is eroded, are considered to have Impairment in value. Further, if the published accounts of a Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out Impairment in value, it is presumed that the value of investments is fully impaired and is written off to a nominal value of Re 1/- per Company.

4.11 A) Valuation of investments considered to have impairment in value is done as under:

a) In respect of Actively Traded Equity shares: - Least of Cost Price, Market Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if the Break-up Value is negative the nominal value is taken at Rs.1/- per Company.

b) In respect of Other Than Actively Traded Equity Shares: - Lower of Cost Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if Break-up Value is negative the nominal value is taken at Rs. 1/- per Company.

c) In respect of preference shares, if the dividend is not received for the last three years: - The preference shares are written down to a value which will bear to its face value, the same proportion as value taken/which would have been taken for writing down equity shares bears to the face value of the equity shares. However, if the equity shares are written off to Re.1/- per Company, preference shares also will be written off to a nominal value of Re. 1/- per Company.

B) Once the value of investment in listed equity/equity related instruments/preference shares is impaired in accordance with the above mentioned policy, the reversal of such impairment losses are recognised in revenue/profit & loss account only when the accumulated losses of such investee companies are completely wiped out and capital is fully restored as per the latest available published accounts on or immediately preceding the date of working out the reversal.

4.12 REVERSE REPO Transactions are treated as secured lending transactions and accordingly disclosed in the financial statements. The difference between total consideration at the 1st and 2nd leg of the transaction is treated as income.

4.13 "TriParty Repo System (TREPS), which is issued at Discount to the Face Value, is treated as Money Market Instrument as per Reserve Bank of India Notification. Discount earned at the time of lending through TREPS is shown as income, which is apportioned on time basis.

4.14 क) अप्राप्त लाभ, सूचीबद्ध एक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न हानि को अंकित मूल्य परिवर्तन खाता शीर्ष में लिया गया है तथा उसकी उगाही पर उसे लाभ व हानि खाते में रिपोर्ट किया गया है।

ख) प्राप्ति के लिए लंबित, अंकित मूल्य परिवर्तन खाता में ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

4.15 शेयरधारकों एवं पॉलिसीधारकों की निधियों में निवेशों का आबंटन:– महत्वपूर्ण लेखा नीति (पैरा) सं 10.2 में उल्लिखित अनुसार वित्तीय वर्ष के आरंभ में कंपनी के निवेशों को अनुसूची 8 व 8क में क्रमशः शेयरधारकों की निधियाँ व पॉलिसीधारकों की निधियाँ शीर्ष में शेयरधारकों व पॉलिसीधारकों की निधि में आबंटित किया गया है।

4.16 आस्ति वर्गीकरण, आय की मान्यता तथा ऋणों/ अग्रिमों / डिबेंचरों से संबन्धित प्रावधान के संबंध में कंपनी बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई)/ भारतीय रिज़र्व बैंक के संबन्धित दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

5. प्रीमियम आय

प्रीमियम आय की पहचान जोखिमों के अपनाने पर की जाती हैं। आई आर डी ए आई के दिनांक 30 जनवरी, 2014 को जारी पत्र संख्या एफएनए/जीईसी/एलआर/001/2013-14/12, मे वर्णित निर्देशों के अनुसरण में मार्च के महीने में निर्यातकों द्वारा किए गए पोटलदान/ बैंकों द्वारा वितरित निर्यात ऋण से संबंधित जोखिम की धारणा और प्रीमियम आय को बाद के वर्ष में मान्यता दी जाती है तथा इसी का लगातार पालन किया जाता है।

6. असमाप्त जोखिमों हेतु प्रारक्षित निधि

असमाप्त जोखिमों हेतु वर्ष के लिए निवल प्रीमियम आय के 50% का प्रावधान किया गया है ।

7. प्रीमियम की कमी

प्रीमियम में कमी उस समय पहचानी जाती है जब अपेक्षित दावा मूल्य तथा संबन्धित व्ययों का योग असमाप्त जोखिमों के लिए रखी गई प्रारक्षित निधियों से अधिक हो।

8. बकाया दावों के लिये आरक्षित निधियां

8.1 अल्पावधि रक्षा (एसटी) के अंतर्गत संसाधित बकाया दावों एवं मध्यम और दीर्घावधि के रक्षा के अंतर्गत सभी बकाया दावों के मामले में रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया दावों के लिए आरक्षित राशि को देय अनुमानित राशि के रूप में मान्यता दी जाती है। एस टी रक्षा के अंतर्गत उन बकाया दावों के लिए जिन पर प्रक्रिया किया जाना बाकी है, पिछले

4.14 a) Unrealised gain, losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares are taken under the head "Fair Value Change Account" and on realisation reported in profit and loss account.

b) Pending realisation, the credit balance in the "Fair Value Change Account" is not available for distribution.

4.15 "Allocation of Investments into Shareholders' & Policyholders' Funds": Investments of the Company are allocated to Shareholders' and Policyholders' funds as presented in schedule 8 and 8a in the ratio of Shareholders' Fund and Policyholders' Fund respectively as at the beginning of the financial year as stated in Significant Accounting Policy (para) No.10.2

4.16 The Company follows the prudential norms prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA)/related Reserve Bank of India (RBI) guidelines as regards asset classification, recognition of income and provisioning pertaining to loans/ advances/ debentures.

5. PREMIUM INCOME

Premium Income is recognised on assumption of risk. The assumption of risk and the premium income, relating to shipments made by the exporters/export credits disbursed by banks in the month of March is recognised in the subsequent year as per the directions of IRDAI vide its letter no. FNA/GEC/LR/001/2013-14/12 dated 30th January, 2014, and the same is consistently followed.

6. RESERVE FOR UNEXPIRED RISKS

Reserve for unexpired risks is created at 50% of net premium income for the year.

7. PREMIUM DEFICIENCY

Premium deficiency is recognised when the sum of expected claim costs and related expenses exceed the reserve for un-expired risks.

8. RESERVE FOR OUTSTANDING CLAIMS

8.1 In case of processed outstanding claims under Short Term (ST) covers and in case of all outstanding claims under Medium and Long Term covers the reserve for outstanding claims on the reporting date is recognised as the amount estimated as payable. For the outstanding claims that are yet to be processed under ST covers, a provision will be made on an average rate arrived on the basis of actuarial analysis of earlier years

वर्षों के दावे के भुगतान के अनुभव के बीमांकिक विश्लेषण के आधार, पर औसत आवक दर पर प्रावधान किया जाएगा। इस तरह के प्रावधान को आगे की जानकारी/समर्थक दस्तावेजों की जांच की उपलब्धता पर उपयुक्त परिवर्तनों के लिए उत्तरोत्तर संशोधित किया जाता है।

8.2 इसके अतिरिक्त, उपगत लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए दावे (आई बी एन आर) के लिए प्रावधान, उपगत लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं दावे (आई बी एन ई आर) के लिए प्रावधान का वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार गणना की जाती है।

8.3 निम्नलिखित दावों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिन्हें आकस्मिक देयता के रूप में माना जाता है:

(i) कंपनी द्वारा खारिज किए गए एवं ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए ऐसे दावे, उन मामलों को छोड़कर जहां प्रतिकूल निर्णय लिया गया है, जिनके संबंध में कानूनी कार्रवाई एवं/अथवा मध्यस्थता प्रारंभ की गयी है। ऐसे मामलों को वित्तीय विवरणों में दावों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

(ii) बैंकों द्वारा अधिमानित वो दावे जहां, जैसा कि उनके द्वारा पुष्टि की गयी, बकाया राशि की वसूली के लिये समझौता प्रस्तावों पर बातचीत चल रही है।

(i) और (ii) में संदर्भित मामलों के संबंध में दावा किया गया ब्याज पर, यदि कोई हो, न तो आकस्मिक दायित्व के प्रयोजन के लिए या प्रावधान के लिए विचार किया जाता है।

9. पुनर्बीमा

9.1 जोखिम ग्रहण करने पर बीमा प्रीमियम का निर्धारण उसी वर्ष से की गयी है जिस वर्ष से जोखिम आरंभ हुआ है। सौंपे गए प्रीमियम में किसी भी अनुवर्ती संशोधन को ऐसे संशोधन के वर्ष में मान्यता दी जाती है। पॉलिसियों को रद्द करने पर उत्पन्न होने वाले पुनर्बीमा प्रीमियम के समायोजन को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें इसे रद्द किया जाता है।

9.2 सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें पुनर्बीमा प्रीमियम दिया जाता है।

9.3 पुनर्बीमा संधियों के अधीन प्राप्त लाभ कमीशन, जहां भी लागू हो, की लाभ निर्धारण के अंतिम वर्ष व पुनर्बीमाकर्ता द्वारा प्रदान सूचना के अनुसार गणना की गयी है।

9.4 पुनर्बीमा समझौते के निबंधन व शर्तों के अधीन पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त / प्राप्ति योग्य राशियों की गणना दावे की गणना के साथ ही की गई है।

10. प्रबंधन व्यय

10.1 कंपनी के कारोबार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रबंधन व्यय के अतिरिक्त कंपनी द्वारा किए गए व्यय की गणना बीमा कारोबार से संबन्धित व्यय के

claim paid experience. Such provision is progressively modified for changes as appropriate on availability of further information/scrutiny of supporting documents.

8.2 Further, the provision for Claims Incurred But Not Reported (IBNR), Provision for Claims Incurred But Not Enough Reported (IBNER) are accounted for as per actuarial valuation as at end of the year.

8.3 No provision is made for following claims which are treated as Contingent Liability:

(i) Claims rejected by the Company and not acknowledged as debts in respect of which legal action and/or arbitration has been initiated except cases where there have been adverse ruling. Such cases have been provided under claims in the financial statements.

(ii) Claims preferred by Banks where, as confirmed by them, compromise proposals for recovery of dues are under negotiation.

Interest claimed, if any, in respect of cases referred to (i) & (ii) is not considered either for the purpose of contingent liability or for provision.

9. REINSURANCE

9.1 Insurance premium on ceding of the risk is recognised in the year in which the risk commences. Any subsequent revision to premium ceded is recognised in the year of such revision. Adjustment to reinsurance premium arising on cancellation of policies is recognised in the year in which it is cancelled.

9.2 Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

9.3 Profit commission under re-insurance treaties, wherever applicable, is recognized in the year of final determination of the profits and as intimated by re-insurer.

9.4 Amounts received/receivable from the re-insurers, under the terms of the reinsurance arrangement, are recognized together with the recognition of the claim.

10. EXPENSES OF MANAGEMENT

10.1 Management expenses, other than those directly related to other businesses of the Company, incurred by the Company are considered as expenses relating to the insurance business and are therefore charged to revenue account. Expenses relating to investment are apportioned between Revenue and Profit & Loss Account in the same proportion as stated in Significant Accounting Policy No.10.2.

रूप में की गयी है तथा अतः उसे राजस्व खाते के शीर्ष में रखा गया है। निवेशों से संबन्धित व्यय को राजस्व तथा लाभ व हानि खाते के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित किया गया है जैसा की महत्वपूर्ण लेखानीति सं 10.2 में उल्लिखित है।

10.2 वित्त वर्ष के आरंभ में निवेश आय को लाभ व हानि खाता एवं राजस्व खाते में क्रमशः शेयर धारक निधि व पॉलिसीधारक निधि के रूप में प्रभाजित किया गया है। शेयरधारक निधि में शेयर पूंजी, सामान्य प्रारक्षित निधियाँ तथा पूंजी प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं। पॉलिसीधारकों की निधि में असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि, बकाया दावों आदि के लिए प्रारक्षित निधि शामिल हैं।

10.3 प्रिंटिंग व स्टेशनरी को खरीद के वर्ष में ही उपयोग में लाया गया मान लिया गया है।

11. कर्मचारी लाभ

11.1 कंपनी सभी पात्र कर्मचारियों को शामिल करते हुए एक परिभाषित लाभ योजना, ग्रेच्युटी, प्रदान करती है। यह योजना योग्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर या रोजगार की समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी के साथ रोजगार के वर्षों के आधार पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है। कंपनी बीमा कंपनी द्वारा बनाए गए ग्रेच्युटी फंड में योगदान करती है। योगदान की राशि वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस तरह के योगदान को राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है।

11.2 परिकल्पित इकाई ऋण विधि के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन में पायी गयी कमियों तथा तुलन पत्र की तारीख तक बीमा कंपनी के निधिक शेषों के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किए जाते हैं ।

11.3 कंपनी की नीति के अनुसार, कुछ निबंधन व शर्तों के अधीन कर्मचारी अपने त्यागपत्र / सेवानिवृत्ति के समय अपने खाते में जमा छुट्टियों का नकदीकरण कर सकते हैं। तुलन पत्र की तारीख को कर्मचारियों के खाते में जमा शेष छुट्टी की अनुमानित उपलब्धता के आधार पर अल्पावधिक मुआवजा अनुपस्थितियों के लिए प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान दीर्घावधिक मुआवजा अनुपस्थितियों के लिए तुलन पत्र की तारीख पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

11.4. भविष्य निधि निश्चित लाभ योजना है। निधि में किए जाने वाले कंपनी का अंशदान राजस्व खाते में प्रभारित है। यदि भविष्य निधि ट्रस्ट की आधारभूत निधि की प्राप्ति संवैधानिक निर्धारित न्यूनतम से कम है तो उस कमी की भरपाई कंपनी को करनी होगी।

11.5. कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के जरिये भविष्य निधि की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिसमें, आवरित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से कर्मचारी अपना अंशदान करते हैं। कंपनी उन

10.2 Investment Income is apportioned between Profit & Loss Account and Revenue Accounts in the ratio of Shareholders' Funds and Policyholders' Funds respectively at the beginning of the financial year. Shareholders' Fund consists of Share Capital, General Reserves and Capital Reserves. Policyholders' Fund consists of Reserve for Un-expired Risk, Reserve for Outstanding Claims etc.

10.3 Printing and Stationery items are treated as consumed in the year of purchase.

11. EMPLOYEE BENEFITS

11.1 The Company provides for gratuity, a defined benefit plan covering all eligible employees. The plan provides a lump sum payment to eligible employees on retirement or on termination of employment based on the salary of the respective employee and the years of employment with the Company. The Company contributes to a gratuity fund maintained by Insurance Company. The amount of contribution is determined based upon actuarial valuations as at the year end. Such contributions are charged off to the Revenue Account.

11.2 Provision is made for the shortfall between the actuarial valuation as per Projected Unit Credit Method and the funded balance with the Insurance Company as at the Balance Sheet date.

11.3 As per Company's policy, employees are eligible to encash leave standing to the credit of employees at the time of resignation/retirement subject to terms and conditions. Provision for short-term compensated absences is made on the basis of an estimate of availment of the leave balance to the credit of the employees as at the Balance Sheet date. Long-term compensated absences are provided for based on actuarial valuation as at Balance Sheet date.

11.4. Provident Fund is a Defined Benefit Plan. Company's contribution towards the fund is charged to the Revenue Account. In case the return of the Provident Fund Trust's corpus is below the Statutory Prescribed Minimum, the Company will have to fund the shortfall.

11.5. Employees are eligible to receive Provident Fund benefits through a defined benefit plan in which employees make monthly contributions to the plan, @ 10%, of the covered employees' basic salary. The Company contributes an equal amount in case of the eligible employees who have joined the

पात्र कर्मचारियों जिन्होनें 31.03.2010 को अथवा उससे पहले कंपनी में कार्य ग्रहण किया है व पेंशन का विकल्प नहीं चुना है के मामले में समान राशि का अंशदान करता है। कंपनी ने भविष्य निधि ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें भविष्य निधि के लिए प्रत्येक माह किए जाने वाले अंशदानों को जमा किया जाता है। भविष्य निधि ट्रस्ट में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। कंपनी आवधिक आधार पर ऐसे अंशदानों पर विनिर्दिष्ट प्राप्तियों की गारंटी देता है। प्राप्तियों में यदि कोई कमी हुई तो, उसकी भरपाई कंपनी करेगी।

11.6 कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के जरिये पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिसमें, रक्षित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से कंपनी अपना अंशदान करते हैं। वे कर्मचारी जिन्होने 31.03.2010 को अथवा उससे पहले कंपनी की सेवाएँ ग्रहण की व पेंशन का विकल्प चुना है पेंशन योजना के अधीन पेंशन सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं । कंपनी ने पेंशन ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें प्रत्येक माह पेंशन के लिए अंशदान किया जाता है। पेंशन निधि में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। कंपनी दायित्वों की पूर्ति के लिए दायित्व के बीमांकिक मूल्यांकन तथा परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य के आधार पर निवल देयता का मूल्यांकन करेगी तथा तुलन पत्र के आधार पर उसके लिए प्रावधान करेगी।

11.7 जिन कर्मचारियों ने दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात कंपनी की सेवाएँ ग्रहण की वे निश्चित अंशदान योजना (नयी पेंशन योजना) के सदस्य होने के लिए पात्र हैं जिसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते (डीए) के 10% के हिसाब से अपना मासिक अंशदान करते हैं। पात्र कर्मचारियों के मामले में कंपनी समान राशि का अंशदान करता है। कंपनी के अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है।

11.8 अन्य सभी दीर्घावधिक लाभों का प्रावधान बीमांकिक आधार पर किया गया है।

11.9 कर्मचारी लाभों पर बीमांकिक लाभ / हानि, तत्काल राजस्व खाते में अंकित की जाती है।

12. आय कर

12.1 कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार चालू लेखाअवधि के लिए अभिकलित कर योग्य लाभों के आधार पर किया जाता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) कर नियमों के अनुसार अदा किया जाता है, जो भविष्य की आयकर देयता पर जमा कर के रूप में भावी लाभों में वृद्धि करेगा, जिसे, व उसकी गणना तुलन पत्र में परिसंपत्ति के रूप में माना गया है यदि कंपनी यह विश्वास दिलाते हुए प्रमाण प्रस्तुत करे कि वह भविष्य में सामान्य कर अदा करेगा तथा परिणामी परिसंपत्ति को विश्वसनीयता से आँका जा सकेगा।

Company on or before 31/03/2010 and have not opted for pension benefit. The Company has established a Provident Fund Trust to which contributions towards Provident Fund are made and contributions towards Provident Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Company guarantees the specified rate of return on such contributions on a periodical basis. The Company will meet the shortfall in the return, if any.

11.6 Employees are eligible to receive Pension benefits through a defined benefit plan to which the Company contributes to the plan, @ 10%, of the covered employee's basic salary. Employees who have joined the Company on or before 31/03/2010, and have opted to receive Pension benefit are covered under the Pension Plan. The Company has established a Pension Fund Trust to which contributions towards Pension are made each month. Contributions towards Pension Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Company will evaluate the net liability based on an actuarial valuation of the Obligation and the Fair Value of the Assets to meet the obligation and provides for the same as on the date of Balance Sheet.

11.7 Those employees who have joined the Company on or after 01.04.2010 are eligible to be the members of a Defined Contribution Plan (New Pension Scheme) in which employees make monthly contributions to the plan @ 10% of the their basic salary and Dearness Allowance (DA). The Company contributes an equal amount in case of the eligible employees. The Company's contributions are charged to the Revenue Account on an accrual basis

11.8 All other Long Term Benefits are provided for on Actuarial Basis.

11.9 The actuarial gains/losses on the employee benefits are immediately recognized in the Revenue Account.

12. INCOME TAX

12.1 Provision for Tax is made on the basis of taxable profits computed for the current accounting period in accordance with the Income Tax Act, 1961. MAT paid in accordance with the Tax Laws, which gives rise to future economic benefits in form of tax credit against future Income Tax liability, is recognised as an asset in the balance sheet if there is convincing evidence that the Company will pay normal tax in future years and the resulting asset can be measured reliably.

12.2 आस्थगित कर की गणना तुलन पत्र की तारीख तक निर्धारित कर दरों तथा अधिनियमों तथा पर्याप्त रूप में अधिमानित क़ानूनों के आधार पर की जाती है तथा यह गणना उनकी उत्पत्ति की अवधि के आधार पर अलग अलग समय में की जाती है व इसे बाद की अवधियों के लिए एक अथवा अधिक बार उलटाया भी जा सकता है। जहां, आगे ले जायी जाने वाली कारोबार हानियाँ अथवा मूल्यह्रास हैं, आस्थगित कर परिसंपत्तियों की गणना की जाएगी बशर्ते कि इस प्रकार की परिसंपत्तियों की वसूली सुनिश्चित हो । अन्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक स्वीकार किया गया है जहां भविष्य में उनकी वसूली पर्याप्त रूप से सुनिश्चित है।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

13.1 प्रावधान की गणना ऐसे की जाती है कि जब किसी उद्यम का वर्तमान दायित्व किसी भूतपूर्व घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ हो तथा इस प्रकार के दायित्व के निपटान के लिए स्रोतों का बहिर्गमन संभव हो व जिसके लिए उचित अनुमान किए जा सकते हैं। प्रावधान करते समय उनके वर्तमान मूल्य से किसी प्रकार की रियायत नहीं की जाती है बल्कि तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किए जाते हैं।

13.2 आकस्मिक देयताओं का प्रकटन तब किया जाता है जब कंपनी पर संभावित अथवा वर्तमान दायित्व होते है तथा यह संभव हो कि दायित्वों के निपटान के लिए नकदी निर्गम की आवश्यकता न हो।

13.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों की वित्तीय विवरणों में न तो पहचान की गयी है न ही उनका प्रकटन किया गया है।

14. फैक्टरिंग

14.1 ब्याज सहित फ़ैक्टरिंग सेवा शुल्क की गणना जब भी वे उत्पन्न हुए हैं तब से की गयी है।

14.2 फैक्टर किए गए ऋणों को चालू परिसंपत्ति शीर्ष में विविध देनदार के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार के देनदारों को आईआरडीए द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जक तथा अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अर्जक देनदारों को मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक देनदारों को आई आर डी ए द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर निम्न मानक, संदिग्ध तथा हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

14.3 फैक्टर किए गए ऋणों तथा वसूली पर ग्राहकों को देय राशि के मूल्य के अदत्त शेषों को चालू देयताओं में शामिल किया गया है तथा वे फ़ैक्टरिंग मार्जिन खाते में परिलक्षित हैं।

14.4 निपटान / मुद्रागत परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन पर विदेशी

12.2 Deferred Tax is calculated at the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as of the Balance Sheet date and is recognized on timing difference that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Where there is unabsorbed carry forward business losses or depreciation, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realisation of such assets. Other deferred tax assets are recognised only to the extent that there is a reasonable certainty of realisation in future.

13. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS

13.1 A provision is recognised when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

13.2 Contingent Liabilities are disclosed when the Company has a possible obligation or a present obligation and it is probable that a cash outflow will not be required to settle the obligation.

13.3 Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

14. FACTORING

14.1 Factoring Service Charges including interest are accounted as and when accrued.

14.2 Debts Factored are included under the head Current Assets as Sundry Debtors. Such debtors are classified as performing and non-performing assets, based on the guidelines issued by the IRDA. Performing debtors are classified as Standard assets, Non-Performing debtors are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the classification criteria stipulated by IRDA

14.3 The unpaid balances of the price of debts factored and due to the clients on collection are included under Current Liabilities and are reflected in the form of Factoring Margin Account.

14.4 Gain and loss arising on account of differences in foreign exchange rates on settlement/translation of

मुद्रा दरों में अंतर के कारण होने वाले लाभ तथा हानि ग्राहकों पर प्रभारित की जाती है।

14.5 समय समय पर अधिसूचित आईआरडीए मानदंडों के अनुसार फ़ैक्टरिंग ऋणों के लिए प्रावधान किए गए। इस प्रकार के प्रावधानों में मानक परिसंपत्तियों पर 0.40% की दर से किए गए प्रावधान शामिल हैं। विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किए गए हैं जो कि आई आर डी ए द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधानों के अधीन है: –

निम्नमानक परिसम्पत्तियां:	i. 10% का सामान्य प्रावधान ii. आरंभ में असुरक्षित जोखिमों के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहां वसूली योग्य प्रतिभूति का मूल्य आरंभिक मूल्य के 10% से अधिक न हो)
संदिग्ध परिसंपत्ति:	
– सुरक्षित अंश:	i. एक वर्ष तक – 20%
	ii. एक से तीन वर्ष तक – 30%
	iii. तीन वर्षों से अधिक – 100%
– असुरक्षित अंश	100%
हानि परिसंपत्ति :	100%

15. एनईआईए ट्रस्ट खाता

एन ई आई ए ट्रस्ट से प्राप्त प्रशासनिक प्रभारों को पूरी रक्षा अवधि के दौरान समान रूप से आबंटित किया गया है।

16. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

16.1 आरंभिक गणना– विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर के अनुसार गणना कर रिपोर्टिंग मुद्रा को रिकॉर्ड किया गया है।

16.2 संपरिवर्तन – विदेशी मुद्रा राजकोषीय मदों को समापन दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है। गैर–मुद्रागत उपकरणों, जिनकी गणना पारंपरिक लागत अंकन के आधार पर विदेशी मुद्रा में की गयी है, को संव्यवहार की तारीख को विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है।

16.3 विनिमय अंतर – मुद्रागत मदों के निपटान अथवा परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर को उनके उत्पन्न होने की अवधि में आय अथवा व्यय के रूप में माना गया है व राजस्व उन्हें खाते में प्रभारित किया गया है ।

monetary assets and liabilities are charged to clients

14.5 Provision for factoring debts is made as per IRDA norms notified from time to time. Such provision includes provision at the rate of 0.40% on standard assets. Provisions are made for NPAs as per the guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below by the IRDA:

Substandard Assets:	i. A general provision of 10% ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (where realisable value of security is not more than 10 % ab-initio)
Doubtful Assets:	
- Secured portion:	i. Upto one year – 20%
	ii. One to three years – 30%
	iii. More than three years – 100%
- Unsecured portion	100%
Loss Assets:	100%

15. NEIA TRUST ACCOUNT

The administrative charges received from NEIA Trust is being allocated equally throughout the cover period.

16. FOREX TRANSACTIONS

16.1 Initial Recognition – Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency approximately at the date of the transaction.

16.2 Conversion – Foreign currency monetary items are reported using the closing rate. Non-monetary items, which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

16.3 Exchange Differences – Exchange differences arising on the settlement or conversion of monetary items, are recognized as income or as expenses in the period in which they arise and are charged to revenue account.

अनुसूची 17 / SCHEDULE 17

लेखों के साथ संलग्न एवं उनका हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ:

NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS:

1. **वित्तीय विवरण तैयार करना**

संलग्न वित्तीय विवरण बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन 2002 एवं वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में जारी परिपत्र एवं/अथवा दिशानिर्देश; कंपनी अधिनियम 2013 तथा बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. **वर्णित राशियों की प्राप्ति**

प्रबंधन की राय में, व्यवसाय के सामान्य प्रवाह में चालू परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों के अंतर्गत आने वाली मदें सामान्य कारोबार की गतिविधियों में वसूली पर कम से कम उस राशि के बराबर मूल्य धारित करती हैं, जिस पर उन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है एवं सभी ज्ञात देनदारियों एवं संदिग्ध सम्पत्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।

3. **अचल संपत्ति:**

3(क) अचल संपत्ति के अंतर्गत बिल्डिंग सहित कुछ संपत्तियों जिनकी कीमत ₹3,98.47 हज़ार (पिछले वर्ष ₹3,98.47 हज़ार) है, के स्टैम्प कर का भुगतान किया गया था परंतु पंजीकरण की औपचारिकता लंबित है जिसमें जुहु गीतांजलि वास्तुशिल्प सीएचएस के सदस्यों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डेवलपर के साथ पुनर्विकास समझौता भी शामिल है। इसके अतिरित इसमें ₹5,77,43.90 हज़ार (पिछले वर्ष ₹5,77,43.90 हज़ार) की संपत्ति संहित है जिसका स्टैम्प अनुबंध खो चुका है/ वर्तमान में कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। हालांकि, इन सम्पत्तियों के संबंध में को-ऑपरेटिव संस्थानों के शेयर प्रमाण पत्र कंपनी के पास उपलब्ध हैं।

3(ख) कंपनी द्वारा दलामल हाउस को सम्विदा पर लिया था और समझौते के अनुसार उक्त संपत्ति को एक निश्चित दर पर खरीदने के लिए प्रत्यावर्ती अधिकारों का प्रयोग किया था। हालांकि, पट्टादाता सहमत नहीं था एवं इस हेतु ईसीजीसी द्वारा उक्त हेतु एक मुकदमा दायर किया। दिनांक 07/07/2016 को जारी आदेश में वाद का निर्णय कंपनी के प्रतिकूल था जिसके विरुद्ध कंपनी द्वारा अपील दायर की गयी। अपील लंबित है।

1. **PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS**

The accompanying financial statements have been prepared as per the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 and circulars and/or guidelines issued in the context of preparation of the financial statements; Companies Act, 2013 and the Insurance Act, 1938.

2. **REALISABILITY OF STATED AMOUNTS**

In the opinion of the Management, the items under the Current Assets, Loans and Advances have value on realization in the ordinary course of business, at least equal to the amount at which they are stated in the balance sheet and provision for all known liabilities and doubtful assets have been made.

3. **FIXED ASSETS:**

3(a) "Buildings" under Fixed Assets include certain properties costing ₹3,98.47 thousand (previous year ₹3,98.47 thousand) where stamp duty has been paid but registration formalities are pending including redevelopment agreement entered into by the Company along with fellow society members of Juhu Geetanjali Vastushilp CHS with the property developer. Further, it includes, properties costing ₹5,77,43.90 thousand (previous year ₹5,77,43.90 thousand) where stamped agreements are lost / presently not available with the Company. However, the Company is in the possession of the share certificates of the co-operative institution in respect of these properties.

3(b) The Company had taken the "Dalamal House" on lease and had exercised reversionary rights to purchase the said property at a given rate as per the Lease Agreement. However, the Lessor did not agree and ECGC filed a suit for specific performance. This suit was decided unfavourable to the Company vide Order dated 07/07/2016 against which Company filed an Appeal. The Appeal is

यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त परिसर को अभी तक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, हालांकि कंपनी उक्त संपत्ति की खरीद के प्रत्यावर्ती अधिकारों का प्रयोग करने के लिए न्यायालय के समक्ष वाद द्वारा प्रयासरत है।

4. अग्रिम तथा अन्य संपत्तियाँ:

4 (क) अग्रिमों एवं अन्य सम्पत्तियों में शामिल है:

कंपनी के विरुद्ध दायर किए गए दावा वाद के लिए न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में ₹66,63,60.05 हजार की राशि (पिछले वर्ष 60,42,83.49 हज़ार) कोर्ट में जमा की गयी है जिसके संबंध में अंतिम निर्णय प्रतीक्षारत है। उक्त को विविध जमा के अंतर्गत दर्शाया गया है।

4(ख) कर्मचारियों को आवास ऋण पर ब्याज की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है। आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, अंतिम निपटान के समय किया जाता है।

4(ग) सू प्रौ विक्रेता से वर्षांत के लिए वसूली योग्य राशि ₹17,23,92.70 हजार (पिछले वर्ष ₹17,23,92.70 हजार) को अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियों (अनुसूची 12) सहित अन्य से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया गया है। उक्त मामला मध्यस्थता के अधीन है क्यों कि कंपनी द्वारा मांग की गयी राशि ₹29,17,48.34 हज़ार के विरुद्ध विक्रेता द्वारा ₹146,98,02.40 हजार का प्रतिदावा दायर किया गया है। आकस्मिक देयता में ₹146,98,02.40 हजार को भी शामिल किया गया है। (निम्न नोट का अवलोकन करें)

4(घ) अग्रिमों एवं अन्य सम्पत्तियों (अनुसूची 12) में पुनर्बीमाकर्ता के समक्ष प्रस्तुत दावों के संबंध में जून 2014 से हानि को अधिक (एक्सओएल) संधि के कारण पुनर्बीमाकर्ता से प्राप्य के रूप में ₹161,89,42.95 हजार (पिछले वर्ष ₹161,89,42.95 हजार) शामिल हैं ।उक्त पुनर्बीमाकर्ता कंपनी को पुनर्स्थापन प्रीमियम भी देय है। कंपनी ने अपने ग्राहकों से वसूली की थी और इसे पुनर्बीमाकर्ता के साथ साझा किया जाना है। कंपनी ने पुनर्बीमा कंपनी के साथ कई दौर की सकारात्मक चर्चा की और इस बात की अत्याधिक संभावना है कि राशि की वसूली की जाएगी। राशि ₹35,79,32.16 हजार के पुनर्स्थापन प्रीमियम को समायोजित करने के बाद शुद्ध प्राप्य राशि ₹126,10,10.79 हजार होगी।

4(ङ) भारत सरकार की ओर से अफ्रीकी व्यापार बीमा (एटीआई) में ₹86,97,38.03 हज़ार सहित अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियां (अनुसूची 12) पूंजीकृत की गई है। एटीआई द्वारा ₹2,15,20.94 हज़ार (274.97 हज़ार अमेरिकी डॉलर) का लाभांश घोषित किया गया जिसे इस वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया है।

pending. It is noted that the said premises are not yet classified as asset, however the Company is contesting the matter before a Court of Law to exercise reversionary rights to purchase the said assets.

4. ADVANCES AND OTHER ASSETS:

4 (a) Advances and other assets include:

An amount of ₹66,63,60.05 thousand (previous year ₹60,42,83.49 thousand) is deposited with the Courts in pursuance of Court Orders for claim suits filed against the Company and in respect of which final decisions are awaited. The same is disclosed under Sundry Deposits.

4(b) Interest on housing loans to employees is accounted for on accrual basis. Adjustments required, if any, are carried out at the time of final settlement.

4(c) Advances and Other Assets (Schedule 12) includes ₹17,23,92.70 thousand for the year ended (previous year ₹17,23,92.70 thousand) recoverable from an IT Vendor and is mentioned as “Amount Recoverable from Others”. This matter is under arbitration as the Vendor has filed a counter claim of ₹146,98,02.40 thousand as against Company’s demand of ₹29,17,48.34 thousand. The amount of ₹146,98,02.40 thousand is also included in Contingent Liability (refer note below).

4(d) Advances and Other Assets (Schedule 12) includes ₹161,89,42.95 thousand (previous years ₹161,89,42.95 thousand) as receivables from a Reinsurer on account of Excess of Loss (XOL) Treaty since June 2014 in respect of a claim filed with them. The reinstatement premium is also payable to the said reinsurer company. The company had made recovery from its customers and the same needs to be shared with the Reinsurer. The Company had several rounds of positive discussions with Reinsurance Company and there is a high probability that the amount shall be recovered. The net amount receivable will be ₹126,10,10.79 thousand after adjusting Reinstatement premium of ₹35,79,32.16 thousand.

4(e) Advances and Other Assets (Schedule 12) includes amount of ₹86,97,38.03 thousand (previous years ₹84,82,17.09 thousand) capitalised in African Trade Insurance (ATI) on behalf of the Govt. of India. ATI has declared dividend of ₹2,15,20.94 thousand (USD 274.97 thousand) and the same is capitalised during the current year.

5. **चालू देयताएँ:**

5(क) चालु देयताओं में कार्मिकों को देय उत्पादकता आधारित एकमुश्त राशि योजना (पीएलएलआई), जो कि प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अधीन 31 मार्च 2023 तक कंपनी के अनंतिम रेटिंग पर आधारित है एवं प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सूचित की जाने वाली अंतिम रेटिंग लंबित है, के लिए ₹6,16,00.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹2,80,10.00 हज़ार) की राशी शामिल हैं।

5(ख) कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धति के अनुसार, व्यक्तिगत दावों के आकलन के आधार पर दावा किए गए एवं लंबित दावों पर देयताओं का प्रावधान किया गया है। ऐसे दावों पर देयताओं की पहचान वर्षांत पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर की गयी है। प्रबंधन की राय में, उक्त का प्रभाव, यदि कोई हो तो, पर उपगत परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए दावे एवं पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए दावों तथा नियुक्त बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित बकाया दावों हेतु अतिरिक्त प्रावधान का समग्र प्रावधान करते समय किया गया है। तदनुसार, ₹5572,29,75.28 हजार (पिछले वर्ष ₹6168,23,49.47 हजार) की राशि को रिपोर्ट नहीं किए गए और पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आईबीएनआर और आईबीएनईआर) के प्रति अनुमानित देयता के रूप में प्रावधान किया गया है।

5 (ग) कंपनी द्वारा एक पॉलिसी धारक के दावे को खारिज कर दिया गया है जिसके खिलाफ पॉलिसी धारक (पीएच) ने अनुबंध पूर्ण करने को लेकर कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और दि. 31/03/2022 तक मामला विचाराधीन है। अनुसूची 13 के तहत अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम – वर्तमान देयताओं में ₹2,32,44.55 हजार की राशि शामिल है जो पॉलिसी धारक से घोषणा की प्राप्ति न होने के कारण समायोजित नहीं की गई है। कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी 31 अगस्त 2009 को समाप्त हो गई है। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, पॉलिसी धारक ने कंपनी को न्यूनतम प्रीमियम के रूप में ₹2,40,00.00 हजार के भुगतान हेतु प्रतिबद्ध हैं एवं शेष राशि को पॉलिसी धारक को वापस किया जाना है। चूंकि पॉलिसी दस्तावेज़ प्रीमियम की वापसी या समायोजन का विकल्प देता है तथा मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है अतः ₹2,32,44.55 हजार की पूरी राशि (न्यूनतम प्रीमियम से ₹30,00.00 हजार की अधिक राशि

5. **CURRENT LIABILITIES:**

5(a) Current Liabilities include ₹6,16,00.00 thousand (previous year ₹2,80,10.00 thousand) towards Productivity Linked Lump Sum Incentive (PLLI) payable to the employees which has been accounted for based on the provisional rating of the Company as on 31st March, 2023 under the annual Memorandum of Understanding (MOU) signed with the Administrative Ministry, pending final rating to be conveyed by the Administrative Ministry.

5(b) As per the Accounting practice followed by the Company, liability towards claims preferred and outstanding is provided for based on the assessment of individual claims. Liabilities towards such claims have been recognized based on information available up to the year end. In the opinion of management, the impact if any, of the above has been considered during the year while assessing the overall provision of unreported and not enough reported (IBNR & IBNER) claims and additional provision for outstanding claims which is arrived at based on actuarial valuation by the Appointed Actuary. Accordingly, an amount of ₹5572,29,75.28 thousand (previous year ₹6168,23,49.47 thousand) has been recognized as estimated liability towards unreported and not enough reported claims (IBNR & IBNER).

5(c) The Company has rejected the claim of a Policy Holder against which the Policy Holder (PH) has filed a suit against the Company for performance of the contract and as on 31/03/2022 the matter is sub-judice. Premium Received in advance under Schedule 13 – Current Liabilities includes an amount of ₹2,32,44.55 thousand of premium not adjusted due to non-receipt of declaration from the PH. The Policy issued by the Company has expired on August 31, 2009. As per the terms of the policy, the PH committed ₹2,40,00.00 thousand as the minimum premium to the Company and the balance is to be refunded to the PH in case the same is not utilized. As the policy documentation gives the option of refund or adjusting the premium and the issue being sub-judice, the entire amount of ₹2,32,44.55 thousand (including amount of

सहित) को विविध लेनदारों – अनुसूची 13 के शीर्ष के तहत दर्शाया गया है।

5(घ) इसके अतरिक्त, 'विभिन्न लेनदारों' के तहत 'अनुसूची 13 – वर्तमान देनदारियों' में विभिन्न बैंकों से प्राप्त प्रीमियम के लिए ₹24,61.77 हजार (पिछले वर्ष ₹24,61.77 हजार) की राशि शामिल है, जो कि विभिन्न बैंकों से उनके द्वारा निर्यातक–उधारकर्ता को प्रदान की गई गारंटी के कारण दिए जाने वाली रक्षा के लिए है। कंपनी ने उक्त राशि को स्वीकार नहीं किया है और बैंकों को रक्षा प्रदान करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किया है। कंपनी ने उक्त प्रीमियम राशि बैंकरों को वापस कर दी है, कुछ बैंकों ने धन वापसी स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी ने उक्त राशि को 'विविध लेनदारों' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया है।

6. प्रावधान

₹105,00,00.00 हज़ार के अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹110,00,00.00 हज़ार) एवं ₹104,97,70.60 हज़ार (पिछले वर्ष ₹109,97,70.60 हज़ार) के अंकित मूल्य के ऋणपत्रों के निवेश को संदिग्ध माना गया है एवं आई आर डी ए आई के दिशानिर्देशों के अनुसार इसकी जानकारी पिछले वर्ष के लेखा खातों में उपलब्ध कराई गयी है। इसे सम्पत्तियों के निवेश के प्रावधान – अनुसूची 14 के अंतर्गत दर्शाया गया है।

7. फ़ैक्टरिंग

कंपनी द्वारा मानक परिसंपत्तियों के लिए ₹61.38 हज़ार (पिछ्ले वर्ष ₹55.17 हज़ार) का प्रावधान किया गया है, जबकि आईआरडीएआई के मानदंडों के अनुसार संदिग्ध सम्पत्तियों के संबंध में कंपनी द्वारा पूर्व में ₹7,04,26.80 हज़ार का प्रावधान किया गया है।

8. पुनर्बीमा

भारतीय सामान्य बीमा कंपनियों के लिए आई आर डी ए आई द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार कंपनी द्वारा सम्पूर्ण कारोबार (अल्पावधि एवं साथ ही मध्यम एव दीर्घावधि) का 4% (पिछले वर्ष 5%) पुनर्बीमा समर्पण किया गया है। पॉलिसी के अंतर्गत कोटा शेयर अर्पण 21% (पिछले वर्ष 19.24%) है – जहाँ जीआईसी री (6%), एससीओआर री (6%), हनोवर री (4%), सीसीआर री (3.24%) पार्टनर री (1.76%) एवं ईसीआईबी के अंतर्गत कोटा शेयर अर्पण 10% (पिछले वर्ष 8.85%) है जिसमें जहाँ जीआईसी री (1.5%), एससीओआर री (3%), हनोवर री (3%), सीसीआर री (1.50%) एवं पार्टनर री (1%) हैं।

₹30,00.00 thousand being over and above the minimum premium) is shown under the head Sundry Creditors – Schedule 13.

5(d) Further, 'Sundry Creditors' under 'Schedule 13 - Current Liabilities' includes an amount of ₹24,61.77 thousand (previous year ₹24,61.77 thousand) on account of premium received from various banks, towards extension of cover to be given by the Company to various banks on account of guarantees provided by the banks to an exporter - borrower. The Company has not accepted the said amount and has communicated to the banks about its inability to extend the cover. The Company has refunded the said premium amount to the bankers some of the banks have not accepted the refund. Accordingly, the Company has reflected the said amount under the head 'Sundry Creditors'.

6. PROVISIONS

Investment in Debentures amounting to ₹105,00,00.00 thousand Face Value (previous year ₹110,00,00.00 thousand) and has a Book Value of ₹104,97,70.60 thousand (previous year ₹109,97,70.60 thousand) is treated as doubtful and fully provided in the Books of accounts in the earlier years in line with IRDAI norms. It is shown under the head Provision for Investment Assets-Schedule 14.

7. FACTORING

The Company has made provision of ₹61.38 thousand (previous year ₹55.17 thousand) on account of standard assets, whereas in relation to doubtful assets the company in the past has made a provision of ₹7,04,26.80 thousand in line with IRDAI norms.

8. REINSURANCE

The Company has ceded obligatory cession of 4% (previous year 5%) of the entire business of the Company (Short-Term as well as Medium and Long-Term business) as required under the IRDAI guidelines to General Insurance company of India. Quota Share cession under Policy is 21% (previous year 19.24%) – with GIC Re (6%), SCOR Re (6%), Hannover Re (4%), CCR Re (3.24%), Partner Re (1.76%) and under ECIB is 10% (previous year 8.85%) – with GIC Re (1.5%), SCOR Re (3%), Hannover Re (3%), CCR Re (1.50%) and Partner

कंपनी के पास अल्पावधि (एसटी) के लिए उपरोक्त बीमाकर्ताओं के साथ हानि की अधिकता (एक्सओएल) की संधि नहीं की गयी हैं। पिछले वर्षों के लिए पुनर्बीमा कार्यक्रम निम्नानुसार था:

वित्तीय वर्ष	कोटा शेयर		एक्सओएल
	अनिवार्य	संधि (अल्पावधि)	(अल्पावधि)
2007-08 (केवल अल्पावधि)	15%	20%	एक्स ओ एल उपलब्ध नहीं
2008-09	10%	10%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2009-10	10%	15%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2010-11	10%	शून्य	एक्स ओ एल उपलब्ध नहीं
2011-12	10%	13%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2012-13	10%	12%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2013-14	5%	15%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2014-15 (पॉलिसी)	5%	20%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2014-15 (ईसीआईबी)	5%	13%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2015-16 (पॉलिसी	5%	25%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2015-16 (ईसीआईबी)	5%	25%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2016-17 (पॉलिसी	5%	25%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2016-17 (ईसीआईबी)	5%	25%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2017-18 पॉलिसी	5%	27%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2017-18 (ईसीआईबी)	5%	23%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2018-19 पॉलिसी	5%	26%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2018-19 (ईसीआईबी)	5%	21.5%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2019-20 पॉलिसी	5%	26%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2019-20 (ईसीआईबी)	5%	14.5%	एक्स ओ एल उपलब्ध

Re (1%). The Company has no Excess of Loss (XOL) Treaty cession for short Term (ST) covers with the above reinsurer. The re-insurance programme for the earlier year was as under:

Financial year	Quota Share		XOL (ST)
	Obligatory	Treaty (ST)	
2007-08 (Only ST)	15%	20%	No XOL available
2008-09	10%	10%	XOL available
2009-10	10%	15%	XOL available
2010-11	10%	NIL	No XOL available
2011-12	10%	13%	XOL available
2012-13	10%	12%	XOL available
2013-14	5%	15%	XOL available
2014-15 (Policy)	5%	20%	XOL available
2014-15 (ECIB)	5%	13%	XOL available
2015-16 (Policy)	5%	25%	XOL available
2015-16 (ECIB)	5%	25%	XOL available
2016-17 (Policy)	5%	25%	XOL available
2016-17 (ECIB)	5%	25%	XOL available
2017-18 (Policy)	5%	27%	XOL available
2017-18 (ECIB)	5%	23%	XOL available
2018-19 (Policy)	5%	26%	XOL available
2018-19 (ECIB)	5%	21.5%	XOL available
2019-20 (Policy)	5%	26%	XOL available
2019-20 (ECIB)	5%	14.5%	XOL available

2020-21 पॉलिसी	5%	15%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2020-21 (ईसीआईबी)	5%	8%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2021-22 (पॉलिसी)	5%	19.24%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2021-22 (ईसीआईबी)	5%	8.85%	एक्स ओ एल उपलब्ध

9. वैकल्पिक जोखिम अंतरण समझौते (ए आर टी)

भारत सरकार द्वारा स्थापित एन ई आई ए ट्रस्ट के साथ मध्यम और दीर्घावधि (एमएलटी) रक्षा के अंतर्गत कुछ उच्च मूल्य के जोखिमों के लिए कंपनी द्वारा जोखिम साझा करने की संधि की गयी थी। कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शुल्क के भुगतान पर एन ई आई ए से 2 एमएलटी रक्षाओं (पिछले वर्ष 34 एमएलटी रक्षाएँ) के लिए गारंटी प्राप्त की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा एन ई आई ए ट्रस्ट को ₹2,23,19.68 हज़ार (पिछले वर्ष ₹3,75,04.65 हज़ार) का गारंटी शुल्क का भुगतान किया गया।

10. प्रीमियम आय

प्रीमियम को आय जोखिम अर्जित करने पर ही माना जाता है। लेखा नीति के अनुसार, मार्च माह में निर्यातक द्वारा किए गए पोतलदान / बैंकों द्वारा प्रदान किए गए निर्यात ऋण से संबन्धित अर्जित जोखिम एवं प्रीमियम आय की गणना अगले वर्ष में की जाती है। आई आर डी ए आई द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2014 को जारी पत्र संख्या FN-/GEC/LR/001/2013-14/12 के माध्यम से कंपनी द्वारा स्थापना से ही लगातार अपनाई जाने वाली प्रीमियम लेखा पद्धति से सहमति व्यक्त की गई है। कंपनी द्वारा माह मार्च 2023 में किए गए पोतलदान/ अनुमोदित अग्रिम के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसी प्रीमियम आय के रूप में ₹19,01,16.81 हज़ार (पिछले वर्ष ₹44,41,22.62 हज़ार) का अनुमान लगाया गया है, जिसे अगले आने वाले वर्ष में आय माना जाएगा।

11. एन ई आई ए ट्रस्ट

एन ई आई ए ट्रस्ट से प्रशासनिक शुल्क के रूप में कंपनी को प्राप्त ₹7,92,14.26 हजार (पिछले वर्ष ₹2,81,42.42 हजार) की प्राप्तियां अन्य आय में शामिल हैं। प्रशासनिक शुल्क के रूप में प्राप्त ₹12,81,97.53 हजार (पिछले वर्ष ₹19,01,86.33 हजार) के अग्रिम, वर्तमान देनदारियों – अन्य – एनईआईए ट्रस्ट में शामिल हैं।

2020-21 (Policy)	5%	15%	XOL available
2020-21 (ECIB)	5%	8%	XOL available
2021-22 (Policy)	5%	19.24%	XOL available
2021-22 (ECIB)	5%	8.85%	XOL available

9. ALTERNATE RISK TRANSFER AGREEMENTS (ART)

The company had risk sharing arrangement for some high value exposures under Medium and Long Term (MLT) covers with the NEIA Trust set up by Government of India. The Company has obtained guarantee from the NEIA Trust for 2 MLT covers (previous year 34 MLT covers) on payment of a fee for the FY 2022-23. During the current FY, the Company paid guarantee fees of ₹2,23,19.68 thousand (previous year ₹3,75,04.65 thousand) to NEIA Trust.

10. PREMIUM INCOME

Premium income is recognised on assumption of risk. As per the accounting policy, the assumption of risk and the premium income, relating to shipments made by the exporters / export credits disbursed by banks in the month of March is recognised in the subsequent year. IRDAI vide its letter No. FNA/GEC/LR/001/2013-14/12 dated 30th January, 2014, has concurred with the method of Premium accounting consistently followed by the Company since inception. The Company has estimated such premium income, based on available information relating to shipments made / advances granted in the month of March 2023 at ₹19,01,16.81 thousand (previous year ₹44,41,22.62 thousand) which is recognised in subsequent year.

11. NEIA TRUST

The administrative charges receivable by the Company from the NEIA Trust of ₹7,92,14.26 thousand (previous year ₹2,81,42.42 thousand) are included in Other Income. Administrative charges received in advance of ₹12,81,97.53 thousand (previous year ₹19,01,86.33 thousand), are included in Current Liabilities – Others – NEIA Trust.

12. कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली मानक प्रथाओं के अनुसार, कंपनी के विभिन्न अधिकारियों द्वारा, जिसमें प्रधान कार्यालय दावा समिति (एचसीसी) भी शामिल है, अपनी प्रत्यायोजित अधिकारों के भीतर प्रस्तुत दावों में कुछ खामियों को माफ कर दावों का निपटान किया जाता है। निपटाए गए इन सभी दावों को कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम में निपटाया गया माना जाता है।

13. पूर्व अवधि समायोजन में शामिल हैं:

(₹ '000)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
प्रीमियम	64.24	64,80.76
अन्य	2,77.96	30.07
किराया, दर एवं कर	5,47.80	–
मरम्मत और रखरखाव	2,46.27	–
एजेंसी कमीशन	21.50	–
कर देयता हेतु प्रावधान	–	29,19,44.68
कुल पूर्व अवधि समायोजन	**11,57.77**	**29,84,55.51**

14. विदेशी मुद्रा में आय और व्यय:

(₹ '000)

आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
पुनर्बीमा*	30,77,18.51	55,80,54.88
अन्य प्राप्तियां	6,47.30	22,37.09

व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सदस्यता शुल्क और अन्य व्यय	42,00.33	57,83.48
स्थिति पूछताछ शुल्क	1,18,52.00	1,71,81.59
किताबें और पत्रिकाएं	34,48.22	–
यात्रा व्यय	23,91.67	–

*पुनर्बीमा आय भुगतान किए गए दावों की विदेशी मुद्रा में वसूली एवं पुनर्बीमा प्रीमियम का निवल है।

15. कंपनी का डेरिवेटिव अनुबंधों और वायदा अनुबंधों में कोई जोखिम नहीं है। कंपनी का विदेशी मुद्रा में कोई जोखिम नहीं है (असुरक्षित)

12. As per the Standard practice followed by the Company, claims are settled by the various officials of the Company including the Head Office Claims Committee (HCC) within their delegated powers by condoning some lapses in the claims preferred. All these claims settled are considered to have been settled in the normal course of business of the Company.

13. Prior Period Adjustments Include:

(₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Premium	64.24	64,80.76
Others	2,77.96	30.07
Rent, rates, and Taxes	5,47.80	-
Repair and Maintenance	2,46.27	-
Agency Commission	21.50	-
Provision for Tax Liability	-	29,19,44.68
Total Prior Period Adjustments	**11,57.77**	**29,84,55.51**

14. Earnings and Expenditure in Foreign Exchange:

(₹ '000)

Earnings	Current Year	Previous Year
Re-insurance*	30,77,18.51	55,80,54.88
Other Receipt	6,47.30	22,37.09

Expenditure	Current Year	Previous Year
Membership Fees and other expenses	42,00.33	57,83.48
Status Enquiry Fees	1,18,52.00	1,71,81.59
Books and periodicals	34,48.22	-
Travelling Expenses	23,91.67	-

*Reinsurance earning is the recoveries in foreign currency for claims paid net off reinsurance premium.

15. The Company does not have any exposure in derivative contracts and forward contracts. The Company has no exposure in foreign currency (un-hedged).

16. खंडवार रिपोर्ट (लेखा मानक 17)

कंपनी एकल खंड 'निर्यात ऋण बीमा' में कार्यरत है। कंपनी निर्यातकों को फैक्टरिंग गतिविधियां भी प्रदान करती है। वर्ष के दौरान कुल बिल ₹3,61,47.94 हजार (पिछले वर्ष ₹6,61,02.39 हजार) था जिसमें वर्ष के दौरान कुल राजस्व ₹6,05.57 हजार (पिछले वर्ष ₹9,73.56 हजार) रहा। चूंकि फैक्टरिंग राजस्व, लाभ या हानि और संपत्ति कुल खंड गतिविधि के 10% से कम है, इसलिए, यह एएस 17 के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है।

16. Segmental Reporting (Accounting Standard 17)

The Company operates in single segment 'Export Credit Insurance'. The Company also provide factoring activities to exporters. Total bill factored during the year amounting to ₹3,61,47.94 thousand (previous year ₹6,61,02.39 thousand) Total revenue during the year is ₹6,05.57 thousand (previous year ₹9,73.56 thousand). Since factoring revenue, profit or loss and assets are less than 10% of total segment activity, therefore, it is not reportable segment as per AS 17.

17. लेखा मानक सं 18 के अनुकरण में संबन्धित पार्टी प्रकटन:
(i) मुख्य प्रबंधन कार्मिक:

17. Related Party Disclosures pursuant to Accounting Standard No. 18:
(i) Key Management Personnel:

क्रम सं S. No.	नाम Name	पदनाम Designation	श्रेणी Category	दि. 31/03/2023 को As of 31.03.2023
1	श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director	मुख्य कार्यपालक अधिकारी Chief Executive Officer	29-04-2020 से नियुक्त Appointed w.e.f. 29-04-2020
2	श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) Executive Director (Policy Matters)	कार्यकारी निदेशक- कार्यपालक Functional Director - Executive	21-05-2020 से नियुक्त Appointed w.e.f. 21-05-2020
3	श्री सी एन ए अन्बरासन Shri C N A Anbarasan	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक निदेशक (परिचालन) Executive Director (Operations)	23-09-2020 से नियुक्त Appointed w.e.f. 23-09-2020
4	श्री निर्दोष चोपड़ा Shri Nirdosh Chopra	महाप्रबंधक General Manager	(i) मुख्य वित्तीय अधिकारी; (ii) मुख्य जोखिम अधिकारी; (i) Chief Financial Officer; (ii) Chief Risk Officer	21-05-2020 से नियुक्त 02-05-2019 से नियुक्त 31.08.2021 से प्रभार समाप्त Appointed w.e.f. 21-05-2020 Appointed w.e.f. 02-05-2019 Ceased w.e.f. 31-08-2022
5	श्री पी एल ठाकुर Shri P L Thakur	महाप्रबंधक General Manager	मुख्य हामीदारी अधिकारी (ईसीआईबी-अल्पावधि) Chief Underwriting Officer (ECIB-ST)	24-09-2020 से नियुक्त Appointed w.e.f. 24-09-2020
6	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ Shri Sristiraj Ambastha	महाप्रबंधक General Manager	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी Chief of Internal Audit & Chief Vigilance Officer	21-05-2020 से नियुक्त Appointed w.e.f. 21-05-2020

7	श्री ईशनाथ झा Shri Ishnath Jha	महाप्रबंधक General Manager	(i) महाप्रबंधक–मानव संसाधन विकास एवं प्रशासन विभाग; एवं (ii) मुख्य वित्तीय अधिकारी (i) Human Resource Development and Administration Department; and (ii) Chief Financial Officer	21-05-2020 से नियुक्त 31-08-2022 से नियुक्त Appointed w.e.f. 21-05-2020 Appointed w.e.f. 31-08-2022
8	श्री सुबीर कुमार दास Shri Subir Kumar Das	महाप्रबंधक General Manager	(i) मुख्य हामीदारी अधिकारी (पॉलिसी); एवं (ii) मुख्य हामीदारी अधिकारी (एमएलटी) (i) Chief Underwriting Officer (Policy); and (ii) Chief Underwriting Officer (MLT)	21-05-2020 से नियुक्त 16-08-2021 से नियुक्त Appointed w.e.f. 21-05-2020 Appointed w.e.f. 16-08-2021
9	श्रीमती स्मिता वी. पंडित Smt. Smita V Pandit	महाप्रबंधक General Manager	(i) कम्पनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी (i) Company Secretary & Chief Compliance Officer	04-06-2013 से नियुक्त Appointed w.e.f. 04-06-2013
10	श्री आनंद सिंह Shri Anand Singh	महाप्रबंधक General Manager	(i) मुख्य विपणन अधिकारी; (ii) मुख्य जोखिम अधिकारी (i) Chief Marketing Officer; (ii) Chief Risk Officer	16-08-2021 से नियुक्त 31-08-2022 से नियुक्त Appointed w.e.f. 16-08-2021 Appointed w.e.f. 31-08-2022
11	श्रीमती प्रिसिल्ला सिन्हा Smt. Priscilla Sinha	नियुक्त बीमांकिक Appointed Actuary	नियुक्त बीमांकिक Appointed Actuary	27-01-2020 से नियुक्त Appointed w.e.f. 27-01-2020
12	श्री यशवंत ब्रीद Shri Yashwant Breed	उपमहाप्रबन्धक Deputy General Manager	मुख्य निवेश अधिकारी Chief Investment Officer	09-09-2021 से नियुक्त Appointed w.e.f. 09-09-2021

(ii) वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को अदा की गयी परिलब्धियां:

(₹ '000)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वेतन एवं भत्ते	4,78,50.93	6,99,07.35
नियुक्त बीमांकिक	94,99.02	90,19.05

(ii) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year:

(₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Salary and Allowances	4,78,50.93	6,99,07.35
Appointed Actuary	94,99.02	90,19.05

(iii) वर्ष के दौरान सम्बंधित पार्टियों के साथ किये गए संव्यवहार:

एन ई आई ए ट्रस्ट:

(₹ '000)

क्रसं	संव्यवहारों की प्रकृति	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशासनिक प्रभार	7,92,14.26	2,81,42.42
2	अग्रिम रूप में प्राप्त प्रशासनिक प्रभार (आज की तारीख तक शेष)	12,81,97.53	19,01,86.33
3	एन ई आई ए ट्रस्ट को अदा किया गया (आज की तारीख तक शेष)	5,35,67.19	7,42,37.76
4	वर्ष के अंत में बकाया राशि – डेबिट शेष	112,61,49.57	3,26,83.71
5	गारंटी शुल्क का भुगतान	2,23,19.68	3,75,04.65

मेसर्स कुमार इंटरनेशनल

(₹ '000)

क्रसं	संव्यवहारों की प्रकृति	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	अग्रिम रूप में प्राप्त राशि	87.00	–

18. आस्थगित कर लेखांकन

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा आस्थगित कर की गणना लेखा मानक 22 के अनुसार की गई है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान ₹43,47.10 हजार (पिछले वर्ष ऋण ₹35,79.89 हजार) की राशि का शुद्ध आस्थगित कर डेबिट हुआ है। वर्ष के अंत में शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति ₹44,32,37.97 (पिछले वर्ष आस्थगित कर परिसंपत्ति ₹43,88,90.87 हजार) थी।आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा आस्थगित कर देयताओं का विश्लेषित विवरण निम्नानुसार हैं:

(iii) Transactions during the year with related parties:

NEIA Trust

(₹ '000)

S. No.	Nature of Transactions	Current Year	Previous Year
1	Administrative Charges Received for the Year	7,92,14.26	2,81,42.42
2	Administrative Charges received in advance (Balance as on date)	12,81,97.53	19,01,86.33
3	Prepaid Expenses paid to NEIA (Balance as on date)	5,35,67.19	7,42,37.76
4	Outstanding Dues as at year end – Debit Balance	112,61,49.57	3,26,83.71
5	Guarantee Fees paid	2,23,19.68	3,75,04.65

M/s Kumar International

(₹ '000)

S. No.	Nature of Transactions	Current year	Previous Year
1	Amount Received for Advance Premium	87.00	-

18. DEFERRED TAX ACCOUNTING

During the year the Company has accounted for the Deferred Tax in accordance with the Accounting Standard 22. This has resulted in a Net Deferred Tax Debit (Charge) during the year amounting to ₹43,47.10 thousand (previous year Credit ₹35,79.89 thousand). The Net Deferred Tax Assets at the end of the year amounts to ₹44,32,37.97 thousand (previous year Deferred Tax Assets ₹43,88,90.87 thousand). The breakup of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities is as under:

(₹ '000)

विवरण	01-04-2022 से प्रारम्भ	वर्ष के दौरान प्रभारित/ जमा	31-03-2023 तक समाप्त
देयता			
मूल्यह्रास	2,71,21.65	75,74.02	3,46,95.67
कुल	**2,71,21.65**	**75,74.02**	**3,46,95.67**
परिसंपत्तियाँ			
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	14,13,49.74	12,70.71	14,26,20.45
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	28,55,51.81	(57.83)	28,54,93.98
उपदान हेतु प्रावधान	1,17,49.22	(1,16,22.06)	1,27.16
कर देयता हेतु प्रावधान	2,03,12.19	1,37,40.03	3,40,52.22
एन पी एस	–	1,36.34	1,36.34
पी एल एल आई	70,49.56	84,53.93	1,55,03.49
कुल	**46,60,12.52**	**1,19,21.12**	**47,79,33.64**
आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयता)	**43,88,90.87**	**43,47.10**	**44,32,37.97**

(₹ '000)

Particulars	Opening at 01-04-2022	Charge/ Credit during the year	Closing at 31-03-2023
Liability			
Depreciation	2,71,21.65	75,74.02	3,46,95.67
Total	**2,71,21.65**	**75,74.02**	**3,46,95.67**
Assets			
Provision for leave encashment	14,13,49.74	12,70.71	14,26,20.45
Provision for doubtful debts	28,55,51.81	(57.83)	28,54,93.98
Provision for gratuity	1,17,49.22	(1,16,22.06)	1,27.16
Provision for Tax Liability	2,03,12.19	1,37,40.03	3,40,52.22
NPS	-	1,36.34	1,36.34
PLLI	70,49.56	84,53.93	1,55,03.49
Total	**46,60,12.52**	**1,19,21.12**	**47,79,33.64**
Deferred Tax Asset/ (Liability)	**43,88,90.87**	**43,47.10**	**44,32,37.97**

19. प्रतिशेयर अर्जन की निम्नानुसार गणना की गई:

(₹ '000)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क)	गणक : लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ (₹ '000)	2164,25,38.46	875,16,19.85
ख)	भाजक : वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या	40,03,15,068	34,20,52,055
ग)	प्रति शेयर अर्जन : मौलिक (₹)	54.06	25.59
घ)	शेयरों का अंकित मूल्य (₹)	100.00	100.00

19. Earnings Per Share is calculated as under:

(₹ '000)

	Particulars	Current Year	Previous Year
a)	Numerator: Net Profit as per Profit & Loss A/c (₹ '000)	2164,25,38.46	875,16,19.85
b)	Denominator: Weighted Average Number of Shares	40,03,15,068	34,20,52,055
c)	Earnings per share: Basic (₹)	54.06	25.59
d)	Nominal Value of Shares (₹)	100.00	100.00

कंपनी के पास भविष्यमें इक्विटी शेयरों को कम करने की कोई योजना नहीं है। तदनुसार कंपनी के आधारभूत तथा शेयरों को कम करने के उपरांत हुए प्रतिशेयर अर्जन एक समान हैं।

20. आकस्मिक देयताएं

(₹ '000)

क्र सं	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	पॉलिसियों के अधीन दावों को छोड़ कर अन्य जिन्हें कंपनी द्वारा ऋण के रूप नहीं माना गया है	170,83,17.00	172,66,40.00
3.	कंपनी के खिलाफ पॉलिसी तथा ई सी आई बी दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	2126,63,60.00	2150,48,68.00
4.	कंपनी द्वारा तथा कंपनी की ओर से दी गयी गारंटियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	आय कर	824,57,00.00	625,29,00.00

21. पूँजी दायित्व

कुल बकाया पूँजी दायित्व ₹204,23,49.85 हज़ार (पिछले वर्ष ₹110,51,58.90 हज़ार) है।

22. आई आर डी ए आई की आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्त बीमांकिक द्वारा किये गए बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर प्रीमियम में कमी हेतु कोई प्रावधान (पिछले वर्ष ₹308,52,00.00 हज़ार) नहीं किये गए हैं।

23. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर) के लिए प्रारक्षित निधि:

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 तथा धारा 198 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए सी एस आर प्रावधान को अभिकलित किया है। आरंभिक प्रारक्षण, किए गए भुगतानों तथा अंतिम प्रारक्षण के विवरण निम्नानुसार हैं :

The Company does not have any outstanding dilutive potential equity shares. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the Company remain the same.

20. CONTINGENT LIABILITIES

(₹ '000)

S. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1.	Partly paid-up investments	Nil	Nil
2.	Claims, other than against policies, not acknowledged as debts by the Company	170,83,17.00	172,66,40.00
3.	Policies and ECIB claims against the Company not acknowledged as debt	2126,63,60.00	2150,48,68.00
4.	Guarantees given by or on behalf of the Company	Nil	Nil
5.	Income Tax	824,57,00.00	625,29,00.00

21. CAPITAL COMMITMENTS

Amount of capital commitments outstanding is ₹204,23,49.85 thousand (previous year ₹110,51,58.90 thousand).

22. Based on the actuarial valuations by the Appointed Actuary, no premium deficiency reserve is provided (previous year ₹308,52,00.00 thousand) as per IRDAI requirements.

23. RESERVE FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

The Company has computed CSR provision for the year 2022-23 as per section 135 and section 198 of the Companies Act, 2013. The details of opening reserve, payments made and closing reserve is as follows:

(₹ '000)

(क) (a)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली सकल राशि: Gross amount required to be spent by the Company during the year:	15,44,30.32
(ख) (b)	निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि: Amount approved by the Board to be spent during the year:	14,40,00.12
(ग) (c)	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि : Amount spent during the year on:	
	(i) निर्माण/ नई संपत्ति की खरीद / Construction / acquisition of any asset	कोई नहीं / NIL
	(ii) उपरोक्त (i) के अतिरिक्त किसी और उद्देश्य से / On purposes other than (i) above	13,89,39.16
(घ) (d)	संबंधित पक्षों के संव्यवहार यथा, धारा 8 के अनुसार लेखा मानक (ए एस) 18 के अनुसार सी एस आर से संबंधित कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट/सोसाइटी को अंशदान, संबंधित पक्ष उद्घोषणा. Details of related party transactions, e.g., contribution to a trust/society/ section 8 company controlled by the company in relation to CSR expenditure as per Accounting Standard (AS) 18, Related Party Disclosures.	कोई नहीं NIL
(ङ) (e)	धारा 135(5) एवं 135(6) के अनुसार विवरण निम्नानुसार है: The details as per section 135(5) and section 135(6) are given below:	

धारा 135(5) व्यय न की गई राशि
Section 135(5) Unspent Amount

आरंभिक शेष Opening Balance	6 माह के भीतर अनुसूची VII में निर्धारित निधियों में जमा की गई राशि Amount Deposited in Specified Fund of Schedule VII within 6 Months	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि Amount Required to be Spent During the Year	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि Amount Spent during the Year	शेष राशि Closing Balance
1,04,30.20	8,93.19	14,40,00.12	13,80,45.97	1,54,91.16

धारा 135(5) अधिक व्यय की गई राशि
Section 135(5) Excess Amount Spent

आरंभिक शेष Opening Balance	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि Amount Required to be Spent During the Year	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि Amount Spent During the Year	शेष राशि Closing Balance
लागू नहीं / Not Applicable			

धारा 135(6) जारी परियोजना
Section 135(6) Ongoing Project

वर्ष Years	आरंभिक शेष Opening Balance		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि Amount Required to be Spent	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि Amount Spent During the Year		शेष राशि Closing Balance	
	कंपनी के पास With Company	अलग सी एस आर व्यय नही की गई राशि खाते में In Separate CSR Unspent A/c		कंपनी के बैंक खाते से From Company's Bank A/c	अलग सी एस आर व्यय नही की गई राशि खाते मे से From Separate CSR Unspent A/c	कंपनी के पास With Company	अलग सी एस आर व्यय नही की गई राशि खाते में In Separate CSR Unspent A/c
2020-21	-	56,81.01	-	-	56,81.01	-	-
2021-22	8,93.19	38,56.00	-	8,93.19	38,56.00	-	-
2022-23	-	-	14,40,00.12	12,85,08.96	-	3,68.66*	1,51,22.50

* व्यय नहीं की गई राशि ₹368.66 हजार जो कि वर्तमान वर्ष की किसी परियोजना (स्वच्छता कार्य योजना एवं प्रशासनिक व्यय से संबंधित व्यय न की गई राशि) से संबंधित नहीं थी को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान स्वच्छ भारत कोश में हस्तांतरित किया गया।

24. बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) अधिनियम 2002 के अधीन आवश्यक प्रकटन इसके साथ अनुबंध 1 क व 1 ख के अनुसार संलग्न किए गए हैं।

25. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (अनुसूची 8) के निवेशों में शामिल हैं:

(क) कंपनी द्वारा अनुषंगी बाज़ार संव्यवहारों के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹4,99,25.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹4,99,25.00 हज़ार के 7.16% वाले भारत सरकार के 2023 के बॉन्ड) के अंकित मूल्य के 7.16 % वाले भारत सरकार के 2023 के बॉन्ड प्रभारित किए गए।

(ख) कंपनी द्वारा अनुषंगी बाज़ार संव्यवहारों के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹93,17.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹93,17.00 हज़ार 8.24% वाले भारत सरकार के 2027 के बॉन्ड) के अंकित मूल्य के 8.24% वाले भारत सरकार के 2027 के बॉन्ड प्रभारित किए गए।

(ग) कंपनी द्वारा अनुषंगी बाज़ार संव्यवहारों के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹40,00,00.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹40,00,00.00 हज़ार 7.95% वाले भारत सरकार के 2046 के बॉन्ड) के अंकित मूल्य के 7.95% वाले भारत सरकार के 2032 के बॉन्ड प्रभारित किए गए।

26. निवेश

(क) वर्ष 2018-19 में, कम्पनी द्वारा ₹290,58,37.42 हज़ार के पुस्तक मूल्य (₹275,00,00.00 हज़ार अंकित मूल्य) को अतिरिक्त शोधन क्षमता मार्जिन के अतिरिक्त शेयरधारक निधि के लिए अलग वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि पैरा 4 (छ) में उल्लिखित है, अफ्रीकन ट्रेड इन्शुरेंस में अंतरित करने के उपरान्त दिनांक 31 मार्च 2023 को शेयरधारक निधि में शोधन क्षमता मार्जिन के अतिरिक्त ₹270,16,65.12 हज़ार बही मूल्य (₹260,41,66.73 हज़ार अंकित मूल्य) शेष रहा।

(ख) माननीय एन सी एल टी द्वारा एमटेक ऑटो लिमिटेड हेतु अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसार, कंपनी ₹48,58.96 हजार की राशि प्राप्ति योग्य है। उपरोक्त में से, कंपनी को वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ₹2,35.99 हजार प्राप्त हो गए हैं एवं शेष राशि ₹46,22.97 हजार है जिसका पूर्ण प्रावधान किया गया है।

*Unspent amount of Rs.368.66 thousand not relating to any project (Balance unspent amount related to Swachta Action Plan and Administrative Expenses) for the current year proposed for transfer to Swachh Bharat Kosh during the FY 2023-24.

24. Disclosures as required under the Insurance Regulatory and Development Authority (preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 are enclosed herewith as per Annexure – 1A & 1B.

25. Investment in Central Government Securities (Schedule 8) includes:

(a) 7.16% 2023 Government of India bonds having book value of ₹4,99,25.00 thousand (previous year ₹4,99,25.00 thousand 7.16% 2023 Government of India bonds) charged to Clearing Company of India Limited towards margin for secondary market transactions entered into by the Company.

(b) 8.24% 2027 Government of India bonds having book value of ₹93,17.00 thousand (previous year ₹93,17.00 thousand 8.24% 2027 Government of India bonds) charged to Clearing Company of India Limited towards margin for collateral borrowing and lending obligations by the Company.

(c) 7.95% 2032 Government of India bonds having face value of ₹40,00,00.00 thousand (previous year 7.95% 2032 Government of India bonds ₹40,00,00.00 thousand) is charged to National Stock Exchange Limited towards margin for secondary market equity transactions entered into by the company as per the regulatory requirement.

26. Investments

(a) In the year 2018-19, Company has segregated ₹290,58,37.42 thousand Book Value (Face Value ₹275,00,00.00 thousand) for Shareholders Fund in excess of solvency margin. After transfer to the African Trade Insurance as mentioned in para 4(e), balance in the Shareholders fund in excess of Solvency Margin as on March 31, 2023 is ₹270,16,65.12 thousand Book Value (Face Value ₹260,41,66.73 thousand).

(b) As per the resolution plan approved by the Hon'ble NCLT for Amtek Auto Limited, the Company was entitled to receive an amount of ₹48,58.96 thousand. Out of above, the Company has received ₹2,35.99 thousand during the financial year 2022-23 and balance receivable amount is ₹46,22.97 thousand which has already been fully provided.

27. कर्मचारी हितलाभ:

(क) कंपनी में 31.03.2010 तक अथवा उसके पहले भर्ती सभी कर्मचारियों को परिभाषित लाभ पेंशन योजना में शामिल किया गया है। जो कर्मचारी दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात निगम में भर्ती हुए हैं उन्हें परिभाषित अंशदान योजना के अधीन नयी पेंशन योजना (एन पी एस) में शामिल किया गया है।

(ख) कंपनी प्रत्येक कर्मचारी के लिए पेंशन निधि प्रशासक को कर्मचारी के मूल वेतन व महंगाई भत्ते के 10% की अदायगी करती है।

(ग) परिभाषित लाभ पेंशन योजना के पात्र कर्मचारी के मामले में कंपनी अंशदान को पेंशन निधि ट्रस्ट को प्रेषित कर देती है। जो कर्मचारी परिभाषित लाभ पेंशन योजना अथवा परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में शामिल नहीं हैं कंपनी अपना हिस्सा भविष्य निधि ट्रस्ट को प्रेषित करती है।

(घ) आई सी ए आई द्वारा जारी ए एस 15 (2005 में संशोधित) के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश नोट के अनुसार कर्मचारियों द्वारा स्थापित भविष्य निधि, जिसमें होने वाली ब्याज में कमी की भरपाई नियोक्ता द्वारा किया जाता है, को परिभाषित लाभ योजना माना जाये।

(ङ) कंपनी के कर्मचारी कंपनी की नीति के अनुसार अवकाश और दीर्घ सेवा के लाभ के हकदार हैं। लेखा वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति में संचित अवकाश और दीर्घ सेवा लाभों के कारण देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र की तारीख पर निर्धारित दायित्व के वर्तमान मूल्य पर गणना की जाती है।

(₹ '000)

	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	**तुलन पत्र में स्वीकृत**		
	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	56,66,73.75	56,16,24.84
	वर्ष के आरंभ में देयता	56,16,24.84	54,17,81.86
	तुलन पत्र में स्वीकृत अतिरिक्त देयता	50,48.91	(1,98,42.98)

27. EMPLOYEE BENEFITS:

(a) The Defined Benefit Pension Scheme has been extended to include all employees who have joined the Company on or before 31/03/2010. The employees who have joined the Company on or after 01/04/2010 are covered by the New Pension Scheme (NPS) under the Defined Contribution Scheme.

(b) The Company pays 10% of basic salary & dearness allowance/ personal allowance to a Pension Fund administrator for each eligible employee.

(c) In case of employees who are eligible for the Defined Benefit Pension Scheme, the Company remits the contribution to the Pension Fund Trust. For those employees, who are not covered under Defined Benefit Pension Scheme or Defined Contribution Pension Scheme, the Company remits the Company's share to the Provident Fund Trust.

(d) The Guidance note on implementing AS 15 (Revised 2005), issued by ICAI, states that provident funds set-up by employers, which require interest shortfall to be met by the employer, need to be treated as a defined benefit plan.

(e) The employees of the Company are entitled to leave and long service benefits as per the policy of the Company. The liability on account of accumulated leave and long service benefits as on last day of the accounting year is recognised at present value of the defined obligation at the balance sheet date based on the actuarial valuation.

(₹ '000)

	Category	Current Year	Previous Year
1	**Recognized in the Balance Sheet**		
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	56,66,73.75	56,16,24.84
	Liability at the beginning of the year	56,16,24.84	54,17,81.86
	Additional Liability recognised in the Balance Sheet	50,48.91	(1,98,42.98)

(च) उपदान एवं सेवानिवृत्ति के कारण वित्त पोषण योग्य परिभाषित कर्मचारी सुविधा योजना के अधीन कर्मचारी सुविधाओं के विवरण निम्नानुसार हैं :–

पेंशन (₹ '000)

क्र. सं.	पेंशन	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ दायित्व	390,71,88.52	384,12,45.20
	ब्याज लागत	28,95,22.67	26,54,30.04
	वर्तमान सेवा लागत	10,56,89.80	12,99,02.38
	अंतरित देयता		
	प्रदत्त लाभ	(43,25,19.15)	(64,72,56.55)
	बीमांकिक लाभ/(हानि)	29,45,93.65	31,78,67.45
	वर्ष के अंत तक अनुमानित लाभ देयताएं	416,44,75.49	390,71,88.52
2	**योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	361,12,30.94	359,62,87.53
	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन	26,75,92.21	24,85,03.47
	अंशदान	33,79,96.25	36,11,71.02
	अंतरित परिसंपत्तियाँ	–	–
	प्रदत्त लाभ	(43,25,19.15)	(64,72,56.55)
	बीमांकिक लाभ/(हानि)	3,14,05.62	5,25,25.47
	वर्ष के अंत तक उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	381,57,05.87	361,12,30.94
3	**तुलन पत्र में स्वीकृत**		
	परिभाषित लाभदायित्व का वर्तमान मूल्य	416,44,75.49	390,71,88.53
	वर्ष के अंत तक उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	381,57,05.87	361,12,30.94
	तुलन पत्र में स्वीकृत देयता	34,87,69.62	29,59,57.59

(f) The details of employee benefits under "defined employee benefit plans" for the period on account of gratuity and superannuation which are funded are as under.

Pension (₹ '000)

S. No.	Category	Current Year	Previous Year
1	**Change in Benefit Obligations**		
	Projected benefit obligations at the beginning of the year	390,71,88.52	384,12,45.20
	Interest Cost	28,95,22.67	26,54,30.04
	Current Service Cost	10,56,89.80	12,99,02.38
	Liability Transferred		
	Benefits paid	(43,25,19.15)	(64,72,56.55)
	Actuarial (Gain) / Loss	29,45,93.65	31,78,67.45
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	416,44,75.49	390,71,88.52
2	**Change in Plan Assets**		
	Plan Assets at the beginning of the year at fair value	361,12,30.94	359,62,87.53
	Expected return on Plan Assets	26,75,92.21	24,85,03.47
	Contributions	33,79,96.25	36,11,71.02
	Assets Transferred in	-	-
	Benefits paid	(43,25,19.15)	(64,72,56.55)
	Actuarial Gain / (Loss)	3,14,05.62	5,25,25.47
	Plan Assets at the end of the year at fair value	381,57,05.87	361,12,30.94
3	**Recognized in the Balance Sheet**		
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	416,44,75.49	390,71,88.53
	Plan Assets at the end of the year at fair value	381,57,05.87	361,12,30.94
	Liability recognised in the Balance Sheet	34,87,69.62	29,59,57.59

4	वर्ष के लिए लागत		
	चालू सेवा लागत	10,56,89.80	12,99,02.38
	ब्याज लागत (योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित अर्जन सहित)	2,19,30.46	1,69,26.58
	बीमांकिक लाभ/(हानि)	26,31,88.03	26,53,41.98
	राजस्व खाते में दर्शाया गया व्यय	39,08,08.29	41,21,70.94

4	Cost for the year		
	Current Service Cost	10,56,89.80	12,99,02.38
	Interest Cost (Includes Expected return on Plan Assets)	2,19,30.46	1,69,26.58
	Actuarial (Gain) / Loss	26,31,88.03	26,53,41.98
	Expense recognised in the Revenue account	39,08,08.29	41,21,70.94

उपदान (₹ '000)

क्र. सं.	श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में परियोजित लाभदायित्व	41,27,38.89	43,84,86.43
	ब्याज लागत	3,02,53.76	3,02,55.56
	चालू सेवा लागत	79,82.27	67,39.63
	पिछली सेवा लागत – निहित लाभ		
	प्रदत्त लाभ	(4,76,90.92)	(4,35,20.98)
	बीमांकिक लाभ/(हानि)	25,71.39	(1,92,21.75)
	वर्ष के अंत तक परियोजित लाभ दायित्व	40,58,55.39	41,27,38.89
2	**योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	36,60,55.74	38,34,80.00
	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन	2,68,31.39	2,64,60.12
	अंशदान	4,50,18.40	–
	अंतरित परिसंपत्तियाँ	–	–
	प्रदत्त लाभ	(4,76,90.92)	(4,35,20.98)
	बीमांकिक लाभ/(हानि)	13,18.70	(3,63.40)
	वर्ष के अंत तक अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	39,15,33.81	36,60,55.74

Gratuity (₹ '000)

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
1	**Change in Benefit Obligations**		
	Projected Benefit Obligations at the beginning of the year	41,27,38.89	43,84,86.43
	Interest Cost	3,02,53.76	3,02,55.56
	Current Service Cost	79,82.27	67,39.63
	Past Service Cost – Vested Benefit		
	Benefits paid	(4,76,90.92)	(4,35,20.98)
	Actuarial (Gain) / Loss	25,71.39	(1,92,21.75)
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	40,58,55.39	41,27,38.89
2	**Change in Plan Assets**		
	Plan Assets at the beginning of the year at fair value	36,60,55.74	38,34,80.00
	Expected return on Plan Assets	2,68,31.39	2,64,60.12
	Contributions	4,50,18.40	-
	Assets Transferred In	-	-
	Benefits paid	(4,76,90.92)	(4,35,20.98)
	Actuarial Gain / (Loss)	13,18.70	(3,63.40)
	Plan Assets at the end of the year, at fair value	39,15,33.81	36,60,55.74

3	तुलन पत्र में उल्लिखित		
	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	40,58,55.39	41,27,38.89
	वर्ष के अंत तक अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	39,15,33.81	36,60,55.74
	तुलन पत्र में दर्शाई गयी देयता	1,43,21.58	4,66,83.15
4	**वर्ष के लिए लागत**		
	चालू सेवा लागत	79,82.27	67,39.63
	ब्याज लागत (योजना आस्तियों पर अनुमानित अर्जन सहित)	34,21.67	37,95.44
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि	12,52.69	(1,88,58.35)
	पिछली सेवा लागत – निहित लाभ		
	राजस्व खाते में दर्शाया गया व्यय	1,26,56.63	(83,23.28)
	श्रेणी	**पेंशन**	**उपदान**
5	**अनुमान**		
	भुनाने पर ब्याज दर	7.53% (7.41%)	7.49% (7.33%)
	योजना परिसंपत्तियों पर अर्जन का अनुमानित दर	7.53% (7.41%)	7.49% (7.33%)
	वेतन संवर्धन	7.00% (7.00%)	7.00% (7.00%)
	कर्मचारी पण्यावर्त दर	0.50%	0.50%
6.	**मूल्यांकन की पद्धति**	**परियोजित इकाई जमा विधि**	
	योजना आस्तियों पर अनुमानित दर के निर्धारण के लिए उपयोग में लाये गए आधार	योजना परिसंपत्तियों पर अर्जन के अनुमानित दर की गणना परिसंपत्तियों की चालू पोर्टफोलियो, निवेश नीति तथा बाज़ार परिदृश्य के आधार पर की गयी है ताकि पूंजी की सुरक्षा की जाये तथा स्वीकारने योग्य जोखिम मानदंडों के भीतर अधिक से अधिक अर्जन अर्जित किए जा सकें; योजना परिसंपत्तियाँ पूर्ण रूप से विविधिकृत हैं।	

3	**Recognized in the Balance Sheet**		
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	40,58,55.39	41,27,38.89
	Plan Assets at the end of the year at fair value	39,15,33.81	36,60,55.74
	Liability recognised in the Balance Sheet	1,43,21.58	4,66,83.15
4	**Cost for the year**		
	Current Service Cost	79,82.27	67,39.63
	Interest Cost (Includes Expected return on Plan Assets)	34,21.67	37,95.44
	Actuarial (Gain) / Loss	12,52.69	(1,88,58.35)
	Past Service Cost – Vested Benefit		
	Expense Recog-nised in the Revenue account	1,26,56.63	(83,23.28)
	Category	**Pension**	**Gratuity**
5	**Assumptions**		
	Interest rate for Discounting	7.53% (7.41%)	7.49% (7.33%)
	Estimated rate of return on Plan Assets	7.53% (7.41%)	7.49% (7.33%)
	Salary Escalation	7.00% (7.00%)	7.00% (7.00%)
	Rate of Employee Turnover	0.50%	0.50%
6.	**Method of Valuation**	**Projected Unit Credit Method**	
	Basis used to determine the expected rate of return on Plan Assets.	The expected rate of return on plan assets is based on the current portfolio of the assets, investment strategy and the market scenario, in order to protect capital and optimize returns within acceptable risk parameters; the Plan Assets are well diversified.	

28. परिचालन पट्टे

कंपनी पास विविध स्थानों में कार्यालय परिसर तथा आवास फ्लैटों के परिचालन पट्टे हैं जिन्हें आवधिक आधार पर नवीकृत किया जाता है तथा एक माह से छः माह तक का नोटिस देकर उसे रद्द किया जाता है। किराया वृद्धि शर्तें संविदा दर संविदा पर अलग होती हैं। परिचालन पट्टों के लिए ₹16,52,21.70 हज़ार (पिछले वर्ष ₹14,19,01.99 हज़ार) के किराया व्ययों को राजस्व खाते में शामिल किया गया है । ए एस – 19 के अनुसार पट्टों के परिचालन के लिए भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों की न्यूनतम राशि ₹24,26,86.66 हज़ार (पिछले वर्ष ₹22,59,57.64 हज़ार) है।

29. एम एस एम ई डी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार:

क. बकाया राशि कुछ नहीं (पिछले वर्ष कुछ नहीं)

ख. सम्पूर्ण वर्ष के दौरान किये गए देरी से भुगतान कुछ नहीं (पिछले वर्ष कुछ नहीं)

ग. देय तारीख के पश्चात निपटान किये गए मूलधन देयों पर देय ब्याज कुछ नहीं (पिछले वर्ष कुछ नहीं)

30. कम्पनी द्वारा नियमित रूप से अपनाई गयी प्रथा के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रदत्त दावों (अनुसूची 2) की वसूलियों पर किए गए व्यय जैसे कमीशन, बैंक प्रभार आदि को घटा कर निवल राशि, ₹169,50,60.10 हज़ार (पिछले वर्ष ₹109,97,13.90 हज़ार) को दर्शाया गया है ।

31. आई आर डी ए आई के परिपत्र सं. 067/IRDA/F&A/CIR/MAR-08 28/03/2008 के ज़रिये जारी विनियामक आवश्यकताओं के अधीन अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार हैं :–

(₹ '000)

क्र सं	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
I	आउट सोर्सिंग व्यय	40,88,37.81	12,87,51.64
II	व्यवसाय विकास	1,87,22.39	1,54,06.26
III	विपणन सहयोग	8,67,82.27	4,33,65.46

32. गैर जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनुपात

अनुपातों के संबंध में जानकारी अनुबंध – 2 में संलग्न है।

28. OPERATING LEASES

The Company has operating leases for office premises and residential flats at various locations that are renewable on a periodic basis and are cancellable by giving a notice period ranging from one month to six months. Rent escalation clauses vary from contract to contract. Rent expenses included in Revenue Account towards operating leases are ₹16,52,21.70 thousand (previous year ₹14,19,01.99 thousand). As per AS-19 "Leases" amount of minimum future payments for operating leases is ₹24,26,86.66 thousand (previous year ₹22,59,57.64 thousand).

29. As per the provisions of the MSMED Act, 2006:

(a) Amount Outstanding ₹ NIL (previous year ₹ NIL)

(b) Delayed Payments made through-out the year ₹ NIL (previous year ₹ NIL)

(c) Interest payable where principal dues are settled after due date ₹ NIL (previous year ₹ NIL).

30. The recoveries of claims paid in earlier years (Schedule 2) are accounted net of expenses at ₹169,50,60.10 thousand (previous year ₹109,97,13.90 thousand) such as recovery commission, bank charges, etc. incurred on such recoveries as per the practice consistently followed by the Company.

31. Pursuant to the regulatory requirement vide IRDAI circular no. 067/IRDA/F&A/CIR/MAR-08 dt. 28/03/2008 the additional disclosure is given as under:

(₹ '000)

S. No	Particulars	Current Year	Previous Year
I	Outsourcing Expenses	40,88,37.81	12,87,51.64
II	Business Development	1,87,22.39	1,54,06.26
III	Marketing Support	8,67,82.27	4,33,65.46

32. RATIOS FOR NON – LIFE COMPANIES

Information in respect of ratios is as per Annexure – 2 attached.

33. धारित तथा पुनर्बीमित जोखिम नीचे दर्शाया गया है (आपात पुनर्बीमा को छोड़ कर)

	अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की अवधि के लिए प्रीमियम के आँकड़े				
	प्रीमियम				
वित्तीय वर्ष	प्रीमियम	प्रतिधारण	%	पुनर्बीमा को सौंपना	%
2022-23	1197,52,85.83	979,90,42.35	81.83%	217,62,43.48	18.17%
2021-22	1106,61,67.81	902,00,40.54	81.51%	204,61,27.27	18.49%

34. दिनांक 17/11/2020 के आई आर डी ए आई मास्टर परिपत्र संख्या आईआरडीए /एफ़ एंड ए/सीआईआर/एमआईएससी/282/11/202 में जारी विवरण में पॉलिसी धारकों द्वारा दावा न की गई राशि का अवधिवार विश्लेषण अनुलग्नक 3क एवं 3ख में दर्शाया गया है।

35. दिनांक 07/05/2009 के आई आर डी ए आई के परिपत्र संख्या 005/आईआरडीए/एफ़ एंड ए/सीआईआर/मई-09 की विनियामक की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार है :

क्र सं	प्राधिकारी	गैर अनुपालन / उल्लंघन	राशि ₹'000 में		
			भारित दंड	भुगतान किया गया दंड	छूट दिया गया/घटाया गया दंड
1.	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	जीएसटी/ सेवाकर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3.	आयकर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4.	अन्य कर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	प्रवर्तन निदेशालय / निर्णायक प्राधिकारी / फेमा के अधीन नयायाधिकरण अथवा कोई अन्य प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

33. Extent of risk retained and reinsured is set out below (excluding catastrophe reinsurance)

	Premium Statistics for the Period April 2022 to March 2023				
	Premium				
FY	Premium	Retention	%	RI Ceding	%
2022-23	1197,52,85.83	979,90,42.35	81.83%	217,62,43.48	18.17%
2021-22	1106,61,67.81	902,00,40.54	81.51%	204,61,27.27	18.49%

34. Statement showing Age-wise Analysis of un-claimed amount of the policy-holders as per IRDAI Master Circular no. IRDA/F&A/CIR/Misc/282/11/2020 dated 17/11/2020 is given in Annexure – 3A & 3B.

35. Pursuant to the regulatory requirement vide IRDAI circular no. 005/IRDA/F&A/CIR/MAY-09 dt. 7/05/2009 the additional disclosure is given as under:

S. No	Authority	Non-Compliance/ Violation	Amount in ₹'000		
			Penalty Levied	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1.	Insurance Regulatory and Development Authority of India	NIL	NIL	NIL	NIL
2.	GST/Service Tax Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Income Tax Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Any other Tax Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL
5.	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA	NIL	NIL	NIL	NIL

6.	कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनियों/ एन सी एल टी/ सी एल बी/ कॉर्पोरेट मामलों के विभाग के रजिस्ट्रार अथवा अन्य कोई प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7.	दावा निपटान सहित किसी मामले में न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया दंड, जिसमें क्षतिपूर्ति शामिल नहीं है	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	कम्पनी सूचीबद्ध इकाई नहीं है अतः लागू नहीं			
9.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10.	कोई अन्य केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकार/सांविधिक प्राधिकारी	*महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम 1958	4,46.71	कुछ नहीं	कुछ नहीं

6.	Registrar of Companies/ NCLT/CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act,2013	NIL	NIL	NIL	NIL
7.	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation	NIL	NIL	NIL	NIL
8.	Securities and Exchange Board of India	Not Applicable as the Company is not a Listed Entity			
9.	Competition Commission of India	NIL	NIL	NIL	NIL
10.	Any other Central/State/ Local Government / Statutory Authority	*The Maha-rashtra Stamp Act, 1958	4,46.71	NIL	NIL

नोट:

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम 1958: दिनांक 07 अप्रैल, 2012 को परियोजना ठेकेदार, यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ निर्माण अनुबंध समझौते के अंतर्गत देय स्टाम्प शुल्क रु. 7,20,500/– (रु. सात लाख बीस हज़ार पाँच सौ मात्र) के गैर भुगतान के लिए स्टाम्प कार्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य द्वारा दिनांक 06 जनवरी 2015 को अपने पत्र के माध्यम से रु. 4,46,710/– (रु. चार लाख छियालीस हज़ार सात सौ दस) का दंड अधिरोपित किया गया था।

Note:

The Maharashtra Stamp Act, 1958: Stamp Office, Mumbai, Maharashtra State, vide its letter dated January 06, 2015, has imposed a penalty of ₹4,46,710/- (Rupees four lakh forty-six thousand seven hundred and ten only), for non-payment of stamp duty of ₹7,20,500/- (Rupees seven lakh twenty thousand and five hundred only) payable on the construction contract agreement entered with Project Contractor, Unity Infra projects Limited on April 07, 2012.

हालांकि, दंड में छूट हेतु दिनांक 22 जनवरी 2015 को कंपनी द्वारा मामला उप महानिरीक्षक पंजीयन के समक्ष पुनःप्रस्तुत किया गया एवं शीघ्र निर्णय के लिए संबंधित प्राधिकरण के साथ मामले पर लगातार अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में यह अपील मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण और पंजीकरण महानिरीक्षक (अपीलीय प्राधिकरण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे के समक्ष लंबित है, और इस मामले में आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।

36. आय तथा व्यय का आबंटन

निवेश आय एवं व्ययों का आबंटन नियमित रूप से अपनाई गयी प्रथा के अनुसार पॉलिसीधारक कोष एवं शेयरधारक कोष के प्रारम्भिक शेष के आधार पर राजस्व खाता एवं लाभ एवं हानि खाते के मध्य आनुपातिक रूप से किया जाता है। यह आई आर डी ए आई के मास्टर परिपत्र सं आई आर डी ए / एफ एंड आई / परि/ एफ एंड ए /231/10/2012 दिनांक 5 अक्तूबर 2012 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रभावी शुद्धिपत्र सं आर डी ए / एफ एंड आई / परि/ एफ ए / 126/07/2013 दिनांक 3 जुलाई 2013 के जरिये वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रभावी निर्धारित प्रकटन मानदंड के अनुरूप है।

37. भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) का कार्यान्वयन

आई आर डी ए आई द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2022 के पत्र संख्या 100/2/इंड एएस-मिशन मोड/2022-23 एवं दिनांक 31 अक्तूबर 2022 को जारी पत्र संख्या 100/2/ इंड एएस-मिशन मोड /2022-23 में बीमा क्षेत्र में भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन पर यह उल्लेख किया गया था कि भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन से वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणालियों, प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है और कार्यान्वयन से पूर्व इस प्रकार के परिवर्तनों के उचित नियोजन, प्रबंधन, परीक्षण एवं निष्पादन की आवश्यकता है। आई आर डी ए आई द्वारा की गई सलाह के आधार पर कार्यान्वयन, मुद्दे/चुनौतियों और इन्हें कम करने के लिए कार्रवाई की दिशा में की गई प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति का गठन किया गया है। कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानक सलाहकार की नियुक्ति के लिए एक निविदा जारी करने की प्रक्रिया में है जो भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन में सहायता करेगी।

38. निदेशक मण्डल द्वारा अपनी बैठक में कंपनी के प्रति शेयर पर रु. 10 के लाभांश को वितरित करने का प्रस्ताव रखा गया जो कि आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन होगा ।

कंपनी लेखा मानक नियम 2016 में संशोधन के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित लेखा मानक ए एस-4 तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाली आकस्मिकताएं और घटनाएं की शर्तों के अनुसार, कंपनी द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त

However, the Company had represented its case on January 22, 2015 to the Deputy Inspector General of Registration for waiver of penalty and the matter is being continuously followed up with the respective authority for early decision. The Appeal is pending as of date for orders with the Chief Controlling Revenue Authority and Inspector General of Registration (Appellate Authority), Maharashtra State, Pune, and there is no further progress in the matter.

36. ALLOCATION OF INCOME AND EXPENSES

Investment incomes and expenses are allocated pro-rata between the Revenue Account and the Profit & Loss Account on the basis of opening balances of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund which practice has been followed consistently. This is in line with the disclosure norm set by IRDAI by its master circular No IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 dated 5th October, 2012 and corrigendum IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 issued dated 3rd July, 2013 effective from FY 2013-14.

37. IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS (IND AS)

The IRDAI has vide its letter No.:100/2/Ind AS-Mission Mode/2022-23 dated: 14th July, 2022 and 100/2/Ind AS-Mission Mode/2022-23 dated 31st October, 2022, on implementation of Ind AS in insurance sector stated that Ind AS implementation is likely to significantly impact the financial reporting systems, processes and, as such, these changes need to be planned, managed, tested and executed well in advance of the implementation. The steering committee for implementation of Ind AS is formed as advised by IRDAI to review the progress made towards implementation, issue/challenges and course of action to mitigate the same. The Company is in the process of floating a tender for appointment of an Ind AS consultant who will help in the implementation of Ind AS.

38. The Board of Directors at their meeting has proposed a dividend of ₹10 per share of the Company subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. In terms of revised Accounting Standard AS-4 'Contingencies and Events occurring after the Balance Sheet date' as notified by the Ministry of Corporate Affairs through the amendments to the Companies Accounting Standard Rules 2016, the Company

वर्ष के लिए लाभ हानि खाते से ₹433,80,00.00 हजार की राशि के प्रस्तावित लाभांश को विनियोजित नहीं किया है।

39. वर्तमान अवधि/वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनात्मक बनाने के लिए, जहाँ कहीं आवश्यक हो, पिछली अवधि/वर्ष के आँकड़ों को पुनर्समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

has not appropriated proposed dividend amounting to ₹433,80,00.00 thousand from the Profit Loss Account for the year ended on March 31, 2023.

39. The figures for the previous period/year have been re-grouped/re-classified wherever necessary to make them comparable with the current period's/year's figures.

(एम. सेंथिलनाथन)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(M. SENTHILNATHAN)
Chairman cum Managing Director
डीआईएन / DIN - 07376766

(हर्षा बंगारी)
निदेशक
(HARSHA BANGARI)
Director
डीआईएन / DIN - 01807838

(देवेश श्रीवास्तव)
निदेशक
(DEVESH SRIVASTAVA)
Director
डीआईएन / DIN – 08646006

(ए. शक्तिवेल)
निदेशक
(A. SAKTHIVEL)
Director
डीआईएन / DIN - 00027485

(अमित कुमार अग्रवाल)
निदेशक
(AMIT KUMAR AGARWAL)
Director
डीआईएन / DIN - 05333909

(सुनील जोशी)
कार्यपालक निदेशक
(SUNIL JOSHI)
Executive Director
डीआईएन / DIN - 08778530

(ईशनाथ झा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ISHNATH JHA)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary
स.सं. / M.No. F-3166

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार/As per our Report of even date attached

कृते एस एन के एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 109176W
For SNK & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109176W

कृते एल एस नलवाया एव्वं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 115645W
For L. S. Nalwaya & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 115645W

(अंकित डी.दानावाला)
भागीदार - M.No. 119972
(ANKIT D. DANAWALA)
Partner - M.No. 119972

(आशीष नलवाया)
भागीदार - M.No. 110922
(ASHISH NALWAYA)
Partner - M.No. 110922

स्थान : मुंबई
दिनांक : 04 मई, 2023
Place : Mumbai
Date : 4th May, 2023

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: यू74999एमएच1957जीओआई010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन
DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुलग्नक 1 (क)/Annexure - 1 (a) to Schedule 17

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹'000)	पिछला वर्ष Previous Year (₹'000)
1	कंपनी की परिसंपत्तियों पर ऋण भार के विवरण निम्नानुसार हैं The details of encumbrances to the assets of the Company are as under		
	क) भारत में a) In India	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
2	बकाया दायित्व (प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार) Commitments Outstanding (as per the data provided by the management)		
	क) ऋणों व निवेशों के लिए की गई व बकाया प्रतिबद्धता a) Commitments made and outstanding for loans and investments	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
	ख) अचल परिसंपत्तियों के लिए की गई प्रतिबद्धता (अग्रिमों का निवल) b) Commitments made for Fixed Assets (Net of advances)	**204,23,49.85**	110,51,58.90
3	पुनर्बीमा को घटाकर दावेदारों को अदा किए गए दावे Claims, less reinsurance, paid to claimants		
	क) भारत में a) In India	**516,57,00.38**	504,26,88.68
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
4	जहां दावे के भुगतान की अवधि चार वर्षों से अधिक है Claim liabilities where claim payment period exceeds four years	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
5	छः महीनों से अधिक से बकाया दावे (सकल – भारतीय) Claims outstanding for more than six months (Gross - Indian)		
	दावों की संख्या/Number of Claims	**27**	159
	राशि/Amount	**99,94,47.82**	588,60,03.59

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹'000)	पिछला वर्ष Previous Year (₹'000)
	छः महीनों से कम से बकाया दावे (सकल – भारतीय) Claims outstanding for less than six months (Gross - Indian)		
	दावों की संख्या/Number of Claims	**183**	229
	राशि/Amount	**342,52,65.93**	563,56,34.99
	कुल बकाया दावों की संख्या (सकल – भारतीय) Total Number of Claims outstanding (Gross - Indian)	**210**	388
	राशि/Amount	**442,47,13.75**	1152,16,38.58
6	कारोबार से प्राप्त प्रीमियम, पुनर्बीमा को घटाकर Premiums, less reinsurance, written from business		
	भारत में In India	**979,90,42.35**	902,00,40.54
	भारत के बाहर Outside India	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
7	घोषित लेखागत नीति के अनुसार प्रीमियम को आय के रूप में स्वीकार किया गया है। शुद्ध प्रीमियम आय के 50% पर असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधि निर्मित की गई है Premium is recognised as Income as per the declared accounting policy. A reserve for un-expired risks is created at 50% of net premium.	**489,95,21.18**	451,00,20.27
8	निवेशों के संबंध में निविदा के विवरण, Details of contracts in relation to investments for,		
	क) खरीद जहाँ सुपुर्दगी लंबित है a) Purchase where deliveries are pending	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
	ख) बिक्री जहाँ भुगतान देय हो b) Sales where payments are due	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
9	ऋण बीमा कारोबार संबंधी सम्पूर्ण परिचालन व्यय The entire operating expenses pertain to credit insurance business.		
10	घोषित लेखा नीति के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन Investments are valued in accordance with the declared accounting policy.		

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹'000)	पिछला वर्ष Previous Year (₹'000)
11	सीमांत पारिश्रमिक की गणना : सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 462 के अंतर्गत जी एस आर 463 के जरिए इससे छूट प्रदान की गई है Computation of Managerial Remuneration: The Company is exempted vide notification: GSR 463 u/s 462 of the Companies Act, 2013, being a Government Company.		
12	निवेशों के मूल्यह्रास का आधार Basis of amortisation of debt securities	**महत्वपूर्ण लेखा नीति का बिन्दु संख्या 4.6 का संदर्भ लें** **Refer Point no. 4.6 of Significant Accounting Policy**	महत्वपूर्ण लेखा नीति का बिन्दु संख्या 4.6 का संदर्भ लें Refer Point no. 4.6 of Significant Accounting Policy
	निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान Provision for diminution in the value of the investments	**कुछ नहीं** **Nil**	कुछ नहीं Nil
13	क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में हुए परिवर्तन के कारण अप्राप्त लाभ अथवा हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में डाला गया है a) Unrealised gains and losses due to changes in fair value of listed equity shares under Fair value change a/c	**687,03,74.24**	693,04,48.90
	ख) उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लंबित प्राप्तियाँ ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है b) Pending realisation,credit balance in Fair value change a/c not available for distribution.	**687,03,74.24**	693,04,48.90
14	कंपनी ने रीयल स्टेट निवेश संपत्ति में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया है The Company does not have investment in 'Real Estate Investment Property.'		
15 क) A)	तुलन पत्र की तारीख तक अदा किए गए व छः महीने से अधिक के लिए लंबित दावे निम्नानुसार हैं Claims settled and remaining unpaid for a period more than six months as on balance sheet date are as under		
	दावों की संख्या/Number of claims	**कुछ नहीं / Nil**	कुछ नहीं / Nil
	राशि/Amount	**कुछ नहीं / Nil**	कुछ नहीं / Nil
ख) B)	वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ अलग से प्रकट की गई हैं All Significant accounting policies forming part of the financial statements are disclosed separately.		

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹'000)	पिछला वर्ष Previous Year (₹'000)
ग) C) 1	वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए जमा निम्नानुसार हैं Deposits made in accordance with statutory requirements are as under		
	क) भारत में - बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अधीन (अंकित मूल्य 1000.00 लाख) a) In India- under Section 7 of the Insurance Act 1938 (Face Value 1000.00 lacs)	**लागू नहीं** **N.A**	लागू नहीं N.A
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	**लागू नहीं** **N.A**	लागू नहीं N.A
2	निवेशों का अर्जक निवेश व अनर्जक निवेशों में वर्गीकरण निम्नानुसार है Segregation of Investments into performing and non-performing investments is as under		
	अर्जक (मानक) निवेश Performing(Standard) Investments	**16156,39,52.49**	15391,15,54.62
	अनर्जक निवेश Non Performing Investments	**105,46,22.97**	105,48,58.96
	कुल अंकित मूल्य(अंतिम मूल्य) Total Book Value(Closing Value)	**16261,85,75.46**	15496,64,13.58
3	क्षेत्रवार कारोबार का प्रतिशत Percentage of business sectorwise जैसा कि कंपनी केवल निर्यातकों को सेवाएँ प्रदान करता है, अलग से क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई है As the company caters to exporters only, no such sectors are specifically identifiable.		
4	5 वर्षों के वित्तीय विवरण का सारांश संलग्न है । A summary of financial statements for 5 years is enclosed.	**अनुलग्नक 1ख के अनुसार** **As per Annexure 1b**	अनुलग्नक 1ख के अनुसार As per Annexure 1b

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹'000)	पिछला वर्ष Previous Year (₹'000)	वृद्धि % Growth %
5	विभिन्न वित्तीय अनुपात (प्रबंधन के समेकन के अनुसार) (प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्ट अनुपात न होने पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों का उल्लेख किया गया है) (वर्ष के अंत तक जब तक कि उल्लेख नहीं किया गया हो) Various Financial Ratios (as compiled by the management) (in the absence of specific ratios prescribed by the authority, some of the important ratios are given.) (Year-end unless otherwise stated)			
	सकल प्रीमियम/Gross Premium	**1197,52,85.83**	1106,61,67.81	8.22
	शुद्ध प्रीमियम/Net Premium	**979,90,42.35**	902,00,40.54	8.64
	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (%) शुद्ध प्रीमियम/सकल प्रीमियम) Net Retention Ratio (%) (Net Premium/Gross Premium)	**81.83**	81.51	0.39
	शेयर पूंजी पर कर पूर्व लाभ (%) Profit before Tax to Share Capital (%)	**63.65**	29.39	116.58
	शुद्ध संपत्ति पर कर पूर्व लाभ (%) Profit before Tax to Networth (%)	**27.29**	14.81	84.27
	शुद्ध संपत्ति पर कर पश्चात लाभ (%) Profit after Tax to Networth (%)	**21.39**	11.16	91.67
	सकल प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय (%) Expenses of Management to Gross Premium (%)	**28.75**	27.74	3.64
	कुल रोजगार पर पी बी डी आई टी PBDIT to Total Employment	**4,64,08.25**	2,05,20.68	126.15
	शुद्ध प्रीमियम पर तकनीकी प्रारक्षण Technical Reserves to Net Premium			
	असमाप्त जोखिम प्रारक्षण/Unexpired Risks Reserve	**489,95,21.18**	451,00,20.27	8.64%
	बकाया दावे/Outstanding Claims	**5929,31,09.23**	6992,96,58.43	-15.21%
	प्रीमियम में कमी/Premium Deficiency	**-**	308,52,00.00	-100.00%
	कुल तकनीकी प्रारक्षण/Total Technical Reserves	**6419,26,30.41**	7752,48,78.70	-17.20%
	शुद्ध प्रीमियम/Net Premium	**979,90,42.35**	902,00,40.54	8.64%
	अनुपात/Ratio	**6.55**	8.59	-23.78

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: यू74999एमएच1957जीओआई010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन
DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 में अनुबंध - 1 (ख) / Annexure - 1 (b) to Schedule 17

(₹' 000)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particular	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
	परिचालन परिणाम OPERATING RESULTS					
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	**1197,52,85.83**	1106,61,67.81	1062,28,19.61	1075,47,39.68	1247,54,25.98
2	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	**979,90,42.35**	902,00,40.54	862,32,31.91	792,28,95.24	870,02,07.14
3	निवेशों से आय (शुद्ध) Income from Investments (Net)	**556,51,48.48**	587,77,84.61	566,17,10.29	507,97,46.56	484,33,90.96
4	अन्य आय (शुल्क एवं प्राप्तियाँ) Other Income(Fee & Other Receipts)	**2,05,93.28**	3,06,12.44	1,10,74.60	2,04,07.18	2,34,38.90
5	**कुल आय / Total Income**	**1538,47,84.11**	**1492,84,37.59**	**1429,60,16.80**	**1302,30,48.98**	**1356,70,37.00**
6	कमीशन (शुद्ध) (ब्रोकरेज सहित) Commission (Net) (Including Brokerage)	**(4,41,15.93)**	(31,37,84.39)	(26,19,85.99)	(37,15,68.81)	(51,56,04.98)
7	परिचालन व्यय Operating Expenses	**307,97,65.57**	281,32,81.11	270,92,57.55	314,08,13.26	265,94,06.60
8	शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claim	**(702,92,04.79)**	546,19,29.35	884,52,05.49	958,41,52.78	1141,16,19.58
9	असमाप्त जोखिम प्रारक्षित निधि में परिवर्तन / Change in Unexpired Risk Reserve	**(38,95,00.91)**	(19,84,04.32)	(35,01,68.34)	38,86,55.95	(15,59,79.10)
10	परिचालन लाभ / (हानि) Operating Profit / (Loss)	**2207,40,38.35**	**684,88,07.20**	**159,09,71.41**	**86,91,07.70**	**(42,76,63.30)**
	गैर परिचालन परिणाम NON OPERATING RESULTS					
11	शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल आय / Total Income under Shareholders' account	**553,76,97.99**	475,98,36.22	428,99,99.01	313,10,81.51	357,15,43.20
12	कर पूर्व लाभ / (हानि) Profit / (Loss) before tax	**2761,17,36.34**	1160,86,43.42	588,09,70.42	400,01,89.21	314,38,79.90
13	कर के लिए प्रावधान Provision for tax	**596,91,97.88**	285,70,23.57	127,79,21.46	76,17,91.80	70,00,52.77

(₹' 000)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particular	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
14	कर पश्चात लाभ/ (हानि) Profit / (Loss) after tax	2164,25,38.46	875,16,19.85	460,30,48.96	323,83,97.41	244,38,27.13
	विविध MISCELLANEOUS					
15	पॉलिसीधारकों खाता Policyholders' Account* कुल निधियाँ/Total Funds	8339,63,97.28	8627,45,43.68	8027,76,02.10	7644,96,74.89	6923,69,85.54
	कुल निवेश # Total Investments #	8130,92,87.73	8523,15,27.47	7892,22,17.77	7144,83,19.52	6722,76,41.55
	निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments	7.81	8.12	8.52	8.29	8.76
16	शेयरधारकों का खाता* Shareholders Account* कुल निधियाँ/Total Funds	8339,63,97.28	7058,82,63.01	6056,02,96.32	5312,60,45.27	4066,29,91.51
	कुल निवेश # Total Investments #	8130,92,87.73	6973,48,86.11	5953,78,13.41	4965,05,27.13	3948,29,00.59
	निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments	7.81	8.12	8.52	8.29	8.76
17	प्रदत्त इक्विटी पूंजी Paid up Equity Capital	4338,00,00.00	3950,00,00.00	3190,00,00.00	2500,00,00.00	2000,00,00.00
18	निवल मालियत / Net Worth	10116,63,87.58	7840,88,49.12	6365,22,29.27	5214,91,80.31	4463,41,14.66
19	कुल परिसंपत्तियाँ Total Assets	17884,44,89.05	16929,71,23.07	15303,60,21.60	13422,97,91.57	11840,49,31.53
20	कुल निवेशों पर प्रतिफल Yield on Total Investments	7.81	8.12	8.52	8.29	8.76
21	प्रति शेयर आय (रु) Earnings Per Share (Rs.)	54.06	25.59	16.01	14.09	13.41
22	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु) Book Value per share (Rs.)	233.21	198.50	199.54	208.60	223.17
23	कुल लाभांश Total Dividend	-	276,50,00.00	159,50,00.00	-	60,00,00.00
24	प्रति शेयर लाभांश (रु) Dividend per share(Rs.)	-	7.00	5.00	-	3.00

* ऊपर दर्शाई गई कुल निधियों व कुल निवेश वर्ष के अंत के हैं। पॉलिसी धारक व शेयर धारक शीर्षों के अधीन वर्ष के आरंभ में उपलब्ध कुल के अनुपात में, निधियों व निवेशों को पॉलिसीधारकों व शेयरधारकों के खातों में विभक्त किया गया है।

* Total funds & total investments shown above are as of year end. Funds & investments has been divided into Policyholders(PH) & shareholders(SH) accounts in the ratio of total funds available at the start of year under PH & SH account.

अनुसूची 11–नकद ब बैंक शेषों के अंतर्गत निवेशों में सावधि जमाएँ शामिल हैं।

Investments includes Fixed deposits under Sch 11 - Cash & Bank Balances.

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: यू74999एमएच1957जीओआई010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि को विश्लेषक अनुपात

Analytical Ratios for the period ended on 31st March 2023

अनुसूची 17 का संलग्न 2/Annexure 2 to Schedule 17

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 31 March, 2023	31 मार्च, 2022 31 March, 2022
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर/Gross Direct Premium Growth Rate		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम /Gross Direct Premium	**1197,52,85.83**	1106,61,67.81
	वृद्धि/Growth	**8.22%**	4.17%
2	निवल मालियत के अनुपात में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (गुना) Gross Direct Premium to Net Worth Ratio (Times)		
	कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम/Total Gross Direct Premium	**1197,52,85.83**	1106,61,67.81
	निवल मालियत (समापन)/Net Worth (Closing)	**10116,63,87.58**	7840,88,49.12
	अनुपात (गुना)/Ratio (times)	**0.12**	0.14
3	निवल मालियत की वृद्धि दर/Growth Rate of Net Worth		
	निवल मालियत (प्रारंभिक)/Net Worth (Opening)	**7840,88,49.12**	6365,22,29.27
	निवल मालियत (समापन)/Net Worth (Closing)	**10116,63,87.58**	7840,88,49.12
	निवल मालियत की वृद्धि दर/Growth rate of Net Worth	**29.02%**	23.18%
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात/Net Retention Ratio		
	शुद्ध प्रीमियम/Net Premium	**979,90,42.35**	902,00,40.54
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर/Gross Direct Premium	**1197,52,85.83**	1106,61,67.81
	निवल प्रतिधारण अनुपात/Net Retention Ratio	**81.83%**	81.51%
5	शुद्ध कमीशन अनुपात/Net Commission Ratio		
	शुद्ध कमीशन/Net Commission	**(4,41,15.93)**	(31,37,84.39)
	शुद्ध प्रीमियम/Net Premium	**979,90,42.35**	902,00,40.54
	अनुपात/Ratio	**-0.45%**	-3.48%
6	प्रबंधन व्यय की तुलना में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात Expenses of Management to Gross Direct Premium Ratio		
	प्रबंधन व्यय/Expenses of Management	**344,30,60.67**	306,94,84.32
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम/Gross Direct Premium	**1197,52,85.83**	1106,61,67.81
	अनुपात/Ratio	**28.75%**	27.74%
7	प्रबंधन व्यय की तुलना में शुद्ध प्राप्त प्रीमियम अनुपात Expenses of Management to Net Written Premium Ratio		
	प्रबंधन व्यय/Expenses of Management	**344,30,60.67**	306,94,84.32
	शुद्ध प्राप्त प्रीमियम/Net Written Premium	**979,90,42.35**	902,00,40.54
	अनुपात/Ratio	**35.14%**	34.03%
8	शुद्ध अर्जित प्रीमियम की तुलना में शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claims to Net Earned Premium		
	शुद्ध उपगत दावे/Net Incurred Claims	**(702,92,04.79)**	546,19,29.35
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम/Net Earned Premium	**940,95,41.44**	882,16,36.22
	अनुपात/Ratio	**-74.70%**	61.92%

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 31 March, 2023	31 मार्च, 2022 31 March, 2022
9	सम्मिलित अनुपात/Combined ratio		
	शुद्ध उपगत दावे/Net Incurred Claims	**(702,92,04.79)**	546,19,29.35
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम/Net Earned Premium	**940,95,41.44**	882,16,36.22
	अनुपात (क)/Ratio (a)	**-74.70%**	61.92%
	प्रबंधन व्यय/Expenses of management	**313,97,64.98**	262,11,15.30
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम/Net Written Premium	**979,90,42.35**	902,00,40.54
	अनुपात (ख)/Ratio (b)	**32.04%**	29.06%
	सम्मिलित अनुपात (क + ख)/Combined Ratio (a + b)	**-42.66%**	90.98%
10	तकनीकी आरक्षित निधियों की तुलना में शुद्ध प्रीमियम अनुपात (गुना) Technical Reserves to Net Premium Ratio (Times)		
	बकाया दावों के लिए आरक्षित निधि/Reserve for Outstanding Claims	**5929,31,09.23**	6992,96,58.43
	असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि/Reserve For Un-expired Risks	**489,95,21.18**	451,00,20.27
	प्रीमियम में कमी के लिए आरक्षित निधि/Reserve for Premium Deficiency	**-**	308,52,00.00
	कुल/Total	**6419,26,30.41**	7752,48,78.70
	शुद्ध प्रीमियम/Net Premium	**979,90,42.35**	902,00,40.54
	अनुपात (गुना)/Ratio (Times)	**6.55**	8.59
11	बीमांकन शेष अनुपात/Underwriting Balance Ratio		
	बीमांकन लाभ/Underwriting Profit	**1648,81,78.59**	93,85,34.67
	शुद्ध प्रीमियम/Net Premium	**940,95,41.44**	882,16,36.22
	अनुपात/Ratio	**175.23%**	10.64%
12	परिचालन लाभ अनुपात/Operating Profit Ratio		
	बीमांकन लाभ/Underwriting Profit	**1648,81,78.59**	93,85,34.67
	निवेश आय/Investment Income	**556,52,66.48**	587,96,60.09
	राजस्व खाते में अन्य आय/Other Income in Revenue account	**2,05,93.28**	3,06,12.44
	परिचालन लाभ/Operating Profit	**2207,40,38.35**	684,88,07.20
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम/Net Earned Premium	**940,95,41.44**	882,16,36.22
	अनुपात/Ratio	**234.59%**	77.64%
13	देयता की तुलना में चल परिसंपत्तियां: (बीमाकृत की चल परिसंपत्तियाँ भागित पॉलिसीधारकों की देयताएँ) (गुना)/Liquid assets to liabilities ratio: (Liquid assetsof the insurer divided by the policy holders' liabilities) (Times)		
	चल परिसंपत्तियाँ/Liquid Assets	**2439,69,37.43**	2894,82,20.66
	पॉलिसी धारकों की देयताएँ/Policy Holder Liabilities	**6419,26,30.41**	7752,48,78.70
	अनुपात (गुना)/Ratio (Times)	**0.38**	0.37
14	शुद्ध अर्जन अनुपात/Net earnings ratio		
	कर पश्चात लाभ/Profit After Tax	**2164,25,38.46**	875,16,19.85
	शुद्ध प्रीमियम/Net Premium	**979,90,42.35**	902,00,40.54
	अनुपात/Ratio	**220.86%**	97.02%
15	शुद्ध मालियत पर प्राप्ति/Return on net worth		
	कर पश्चात लाभ/Profit After Tax	**2164,25,38.46**	875,16,19.85
	निवल मालियत/Net Worth	**10116,63,87.58**	7840,88,49.12
	अनुपात/Ratio	**21.39%**	11.16%

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 31 March, 2023	31 मार्च, 2022 31 March, 2022
16	आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन की तुलना में उपलब्ध शोधन क्षमता (गुना) Available Solvency to Required Solvency margin Ratio (Times)		
	उपलब्ध शोधन क्षमता/Available Solvency Margin	**9394,14,59.00**	7178,75,33.00
	आवश्यक शोधन क्षमता/Required Solvency Margin	**195,98,08.40**	238,91,28.90
	अनुपात(गुना)/Ratio (Times)	**47.93**	30.05
17	अनर्जक खाता अनुपात/NPA Ratio		
	निवेश:/Investment:	**0.649%**	0.681%
	फ़ैक्टरिंग/Factoring:	**82.18%**	83.69%

वर्तमान एवं पिछले वर्ष के अनुपातों की गणना आई आर डी ए आई के मास्टर परिपत्र IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 दिनांक 5 अक्टूबर 2012 एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रभावी, 3 जुलाई को जारी उसके शुद्धि पत्र IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 के आधार पर की गयी है।

Ratios for the Current Year & Previous Year calculated as per IRDA's Master circular IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 dated 5th October 2012 and corrigendum IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 issued dated 3rd July 2013 effective from FY 2013-14.

(एम. सेंथिलनाथन)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(M. SENTHILNATHAN)
Chairman cum Managing Director
डीआईएन / DIN - 07376766

(हर्षा बंगारी)
निदेशक
(HARSHA BANGARI)
Director
डीआईएन / DIN - 01807838

(देवेश श्रीवास्तव)
निदेशक
(DEVESH SRIVASTAVA)
Director
डीआईएन / DIN – 08646006

(ए. शक्तिवेल)
निदेशक
(A. SAKTHIVEL)
Director
डीआईएन / DIN - 00027485

(अमित कुमार अग्रवाल)
निदेशक
(AMIT KUMAR AGARWAL)
Director
डीआईएन / DIN - 05333909

(सुनील जोशी)
कार्यपालक निदेशक
(SUNIL JOSHI)
Executive Director
डीआईएन / DIN - 08778530

(ईशनाथ झा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ISHNATH JHA)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary
स.सं. / M.No. F-3166

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार/As per our report of even date attached

कृते एस एन के एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 109176W
For SNK & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109176W

कृते एल एस नलवाया एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 115645W
For L. S. Nalwaya & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 115645W

(अंकित डी.दानावाला)
भागीदार - M.No. 119972
(ANKIT D. DANAWALA)
Partner - M.No. 119972

(आशीष नलवाया)
भागीदार - M.No. 110922
(ASHISH NALWAYA)
Partner - M.No. 110922

स्थान : मुंबई
दिनांक : 04 मई, 2023
Place : Mumbai
Date : 4th May, 2023

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: यू74999एमएच1957जीओआई010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च, 2023 तक पॉलिसीधारकों द्वारा दावा न की गई राशि के अवधिवार विश्लेषण दर्शाते हुए विवरण

Statement showing the Age-wise Analysis of the Unclaimed Amount of the Policyholders as on 31st March, 2023

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 (क)/Annexure 3(A) to Schedule 17

राशि ₹' 000 में/Amount in ₹ '000

क्रं. सं. S. No.	विवरण/Particulars	कुल राशि Total Amount	समय वार विवरण/AGE-WISE ANALYSIS							
			0-6 माह 0-6 months	7-12 माह 7-12 months	13-18 माह 13-18 months	19-24 माह 19-24 months	25-30 माह 25-30 months	31-36 माह 31-36 months	37-120 माह 37-120 months	120 माह से अधिक More than 120 months
1	दावों का निपटान किया गया परंतु बीमा/पॉलिसीधारकों की ओर से मुकदमा किए जाने के कारण को छोडकर किन्हीं कारणों की वजह से दावों का भुगतान पॉलिसीधारकों/बीमाधारकों को नहीं किया गया । Claims settled but not paid to the policyholders/ beneficiaries due to any reasons except under litigation from the policyholders/ beneficiaries	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	परिपक्वता पर या अन्य कारण से बीमा/पॉलिसीधारकों को देय राशि Sum due to the policyholders/ beneficiaries on maturity or otherwise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	प्रीमियम/कर अथवा कोई अन्य अतिरिक्त वसूली शुल्क जो पॉलिसी की शर्तों अथवा कानून अथवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पॉलिसीधारकों को वापस लौटना है, परंतु अभी तक लौटाया नहीं गया है Any excess collection of the premium / tax or any other charges which is refundable to the policyholders/ beneficiaries either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	76,60.04	14.09	1,12.43	-	7,64.57	1,58.20	31,53.41	18,43.65	16,13.69
4	चेक जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारक/बीमाधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए हैं । Cheques issued but not encashed by the policy holder/ beneficiaries	63,50.70	23,74.18	2,82.94	31.37	10.16	13.40	1,38.47	34,47.95	52.23
	कुल/Total	**1,40,10.74**	**23,88.27**	**3,95.37**	**31.37**	**7,74.73**	**1,71.60**	**32,91.88**	**52,91.60**	**16,65.92**

नोट: उपरोक्त मद संख्या 4 के अधीन चेक जारी किए गए हैं परंतु उन्हें भुनाया नहीं गया है, जिसमें केवल वैधता समाप्त जारी चेकों की राशि शामिल है। अन्य जारी किए गए लेकिन गैर समाशोधित चेकों के संबंध में, प्रबंधन की राय है कि पॉलिसीधारक चेक की वैधता तक किसी भी समय चेक भुनाने के लिए कानूनी रूप से पात्र है। तदनुसार ऐसे चेक की राशि को दावा न की गई राशि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है ।

Note: Cheques issued but not encashed under point no 4 above includes only the amount on account of cheques issued whose validity has expired. In respect of other cheques issued but not cleared, the management is of the opinion that the policyholder is legally entiltled to encash the cheque anytime till the validity of cheque. Accordingly the amount of such cheques need not be classified as unclaimed.

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: यू74999एमएच1957जीओआई010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च, 2023 तक दावा न की गई राशि एवं उस पर निवेश आय का विवरण

Details of Unclaimed Amounts and Investment Income thereon as on 31st March, 2023

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 (ख) / Annexure 3(B) to Schedule 17

राशि ₹ '000 में/ Amount in ₹ '000

विवरण Particular	वर्तमान वर्ष (2022-23) Current Year (2022-23)		पिछले वर्ष (2021-22) Previous Year (2021-22)	
	पॉलिसी बकाया Policy Dues	उपचित आय Income Accrued	पॉलिसी बकाया Policy Dues	उपचित आय Income Accrued
आरंभिक शेष Opening Balance	1,53,50.33	39,87.39	1,50,69.05	34,69.27
जोड़ें: अदावित निधि में अंतरित राशि Add: Amount transferred to Unclaimed Fund	23,85.57		3,74.85	-
जोड़ें: अदावित राशि के चेक जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए है (केवल गतावधि चेक शामिल किए जाने है) Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (To be included only when the cheques are stale)	2,85.64		6,63.53	-
जोड़ें : अदावित निधि से अर्जित निवेश आय Add: Investment Income on Unclaimed Fund	-	10,99.33	-	6,18.88
घटाएँ : तिमाही के दौरान अदा किए गए दावे Less: Amount of claims paid during the quarter	26,47.96	7,47.04	4,06.74	10.48
घटाए : एस सी डबल्यू एफ को अंतरित राशि (पूर्व में अंतरित राशियों के संबंध में दावों का निवल) Less: Amount transferred to SCWF (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier)	13,62.84		3,50.36	90.28
अदावित राशि का अंतिम शेष Closing Balance of Unclaimed Amount Fund	**1,40,10.74**	**43,39.68**	**1,53,50.33**	**39,87.39**

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सीआईएन: यू74999एमएच1957जीओआई010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान खाता / नकद प्रवाह विवरण (सीधी पद्दति)

Receipts & Payments Account / Cash Flow Statement - (Direct Method) for the year ended 31st March, 2023

(₹ '000)

क्र.सं. S.No.	विवरण / Particulars	2022-23	2021-22
क A	**परिचालन गतिविधि से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITY**		
1	अग्रिम रसीदों सहित पॉलिसीधारक से प्राप्त प्रीमियम Premium received from policyholder including advance receipts	**1149,27,30.45**	1186,37,51.21
2	अन्य रसीदें / वसूली / शुल्क Other Receipts / Recoveries / Fees	**167,44,89.29**	89,74,01.73
3	कमीशन एवं दावों के शुद्ध पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान Payments to reinsurers net of commission and claims	**(36,26,37.09)**	(16,56,82.62)
4	दावों का भुगतान Payments of Claims	**(763,04,85.84)**	(687,20,43.27)
5	कमीशन एवं ब्रोकरेज के भुगतान Payments of Commission & Brokerage	**(16,77,92.73)**	(8,85,84.13)
6	अन्य परिचालन व्ययों का भुगतान Payments of Other operating expenses	**(350,92,13.40)**	(376,47,79.28)
7	जमा, अग्रिम एवं कर्मचारी ऋण Deposits, Advances & Staff Loan	**(46,34,50.71)**	(4,46,46.09)
8	प्रदत्त आयकर (निवल) Income Tax Paid (Net)	**(615,62,92.18)**	(289,45,45.68)
9	जीएसटी का भुगतान किया GST Paid	**(4,49,12.13)**	(2,71,42.49)
10	अन्य भुगतान / संग्रह (शुद्ध) Other Paymens/Collection (net)	**(22,05,47.16)**	(45,56,47.27)
	असाधारण मदों से नकदी प्रवाह Cash Flow before extra ordinary items	**(538,81,11.50)**	**(155,19,17.89)**
11	**असाधारण प्रचालनों से नकदी प्रवाह Cash Flow from extra ordinary operations**	**-**	**-**
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क) Net Cash Flow from Operating Activities (A)	**(538,81,11.50)**	**(155,19,17.89)**
ख B	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
1	अचल सम्पत्तियों को जोड़ना (प्रगति में पूंजी कार्य सहित) Addition to Fixed Assets (including capital work in progress)	**(10,28,07.45)**	(18,76,80.27)
2	अचल सम्पत्तियों की बिक्री से आय Proceeds from Sale of Fixed Assets	**15,79.58**	63,98.46

क्र.सं. Sr.No.	विवरण / Particulars	2022-23	2021-22
3	निवेश की खरीद एवं बिक्री की शुद्ध राशि Net of Purchase and Sale of Investments	**(1069,94,17.21)**	(946,03,87.40)
4	प्राप्त किराया / ब्याज / लाभांश Rent / Interest / Dividends Received	**1036,70,58.54**	948,01,73.70
5	मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एवं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में निवेश Investments in money market instruments and in liquid mutual funds	**-**	-
6	निवेश से संबंधित खर्च Expenses related to investments	**(21,31.43)**	(22,16.42)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ख) Net Cash Flow from Investing Activities (B)	**(43,57,17.97)**	**(16,37,11.93)**
ग C	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
1	शेयर पूँजी जारी करने से प्राप्ति (शेयर पूंजी हेतु प्राप्त अग्रिम सहित) Proceeds from issuance of share capital	**388,00,00.00**	760,00,00.00
2	ब्याज / लाभांश का भुगतान Interest / Dividend paid	**(276,50,00.00)**	(159,50,00.00)
3	लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax	**-**	-
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ग) Net Cash Flow from Financing Activities (C)	**111,50,00.00**	**600,50,00.00**
घ D	**नकद एवं नकद समकक्ष, शुद्ध पर विदेशी मुद्रा दरों का प्रभाव Effect of foreign exchange rates on Cash and Cash equivalents, net**	**(70.97)**	(4,19.62)
	शुद्ध नकदी प्रवाह (क + ख + ग + घ) Net Cash Flow (A+B+C+D)	**(356,71,12.28)**	**428,89,50.56**
च E	**नकद एवं नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि: Net increase in Cash and Cash equivalents:**		
1	-- वर्ष की आरंभ में -- at the beginning of the year	**1980,35,51.53**	**1551,46,00.97**
2	-- वर्ष के अंत में -- at the end of the year	**1623,64,39.25**	**1980,35,51.53**
	नकद एवं नकद समकक्ष में परिवर्तन Change in Cash and Cash equivalent	**(356,71,12.28)**	**428,89,50.56**

(एम. सेंथिलनाथन)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(M. SENTHILNATHAN)
Chairman cum Managing Director
डीआईएन / DIN - 07376766

(हर्षा बंगारी)
निदेशक
(HARSHA BANGARI)
Director
डीआईएन / DIN - 01807838

(देवेश श्रीवास्तव)
निदेशक
(DEVESH SRIVASTAVA)
Director
डीआईएन / DIN – 08646006

(ए. शक्तिवेल)
निदेशक
(A. SAKTHIVEL)
Director
डीआईएन / DIN - 00027485

(अमित कुमार अग्रवाल)
निदेशक
(AMIT KUMAR AGARWAL)
Director
डीआईएन / DIN - 05333909

(सुनील जोशी)
कार्यपालक निदेशक
(SUNIL JOSHI)
Executive Director
डीआईएन / DIN - 08778530

(ईशनाथ झा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ISHNATH JHA)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary
स.सं. / M.No. F-3166

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार/As per our report of even date attached

कृते एस एन के एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 109176W
For SNK & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109176W

कृते एल एस नलवाया एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 115645W
For L. S. Nalwaya & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 115645W

(अंकित डी.दानावाला)
भागीदार – M.No. 119972
(ANKIT D. DANAWALA)
Partner - M.No. 119972

(आशीष नलवाया)
भागीदार – M.No. 110922
(ASHISH NALWAYA)
Partner - M.No. 110922

स्थान : मुंबई
दिनांक : 04 मई, 2023
Place : Mumbai
Date : 4th May, 2023

प्रबंधन की रिपोर्ट

MANAGEMENT REPORT

भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन 2002 की अनुसूची ' ख' के भाग खत की आवश्यकता अनुसार प्रबंधन रिपोर्ट।

1. हम पुष्टि करते हैं कि भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया पंजीकरण वर्ष के दौरान वैध है। इसे वर्ष 2022-23 के लिए नवीकृत किया गया है।
2. हम पुष्टि करते हैं कि सांविधिक प्राधिकारियों को अदा किए जाने योग्य सभी देयों की अदायगी की जा चुकी है अथवा प्रावधान किया गया है।
3. हम पुष्टि करते हैं कि शेयरधारण स्वरूप तथा शेयरों का अंतरण, सांविधिक व विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है।
4. हम पुष्टि करते हैं कि भारत में जारी पॉलिसीयों के धारकों की निधियों का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत के बाहर निवेश नहीं किया गया है।
5. हम पुष्टि करते हैं कि आवश्यक शोधन क्षमता को बनाए रखा गया है।
6. हम प्रमाणित करते हैं कि तुलन पत्र की तारीख को सभी परिसंपत्तियों के मूल्य की समीक्षा की गयी है तथा हमारे सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास से तुलन पत्र में विविध शीर्षों- ऋणों, निवेशों, विविध देनदारों, नकद तथा चालू परिसंपत्तियों के अधीन विनिर्दिष्ट अनेक मदों के अधीन दर्शाई गयी परिसंपत्तियों की औसत राशि वसूली योग्य अथवा बाज़ार मूल्य से अधिक नहीं है।
7. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के दिनांक 09.03.2022 के पत्र के जरिये कंपनी की विस्तारित अधिकतम देयता ₹150000,00,00 हज़ार की तुलना में कंपनी का समग्र जोखिम ₹114777,12,83 हजार है।
8. हमारा कोई विदेशी परिचालन नहीं हैं।
9. पिछले पांच वर्षों के दौरान बकाया लंबित दावों का अवधि वार विवरण **अनुलग्नक I** के अनुसार है।
10. पिछले पांच वर्षों के दौरान औसत दावा निपटान की प्रवृत्ति के अनुसार लंबित दावों की अवधि **अनुलग्नक II** के अनुसार है।
11. हम प्रमाणित करते हैं कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया गया है।
12. आई आर डी ए आई द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर सभी निवेश आस्तियों की आवधिक समीक्षा की जाती है एवं उन्हें निष्पादन एवं गैर निष्पादन आस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है।

MANAGEMENT REPORT AS REQUIRED IN PART IV OF SCHEDULE 'B' OF INSURANCE REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT INSURANCE COMPANIES) REGULATION 2002.

1. We confirm that the registration granted by the Insurance Regulatory & Development Authority of India is valid during the year. The same was renewed for the year 2022-23.
2. We confirm that all dues payable to the statutory authorities have been duly paid / provided for.
3. We confirm that the shareholding pattern and transfer of shares are in accordance with statutory and regulatory requirements.
4. We confirm that the funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India.
5. We confirm that required solvency margins have been maintained.
6. We certify that the value of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and in the best of our belief the assets set forth in Balance Sheet are shown in the aggregate amounts not exceeding their realisable or market value under several headings – 'Loans', 'Investments', 'Sundry Debtors', 'Cash', and the several items specified under 'Current Assets'.
7. The overall exposure of the Company is ₹114777,12,83 thousand against the enhanced Maximum Liability of ₹150000,00,00 thousand by Ministry of Commerce & Industry vide letter dated 09.03.2022.
8. We do not have any overseas operations.
9. Ageing of claims outstanding during the preceding five years is as per **Annexure I**.
10. Ageing of claims indicating the trend in average claims settlement time during the preceding five years is as per **Annexure II**.
11. We certify that the Investments have been valued according to the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India.
12. All Investment assets are reviewed periodically and assets are classified into performing and non-performing based on IRDAI norms.

13. हम पुष्टि करते हैं:

क. कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू लेखा मानक, सिद्धांतों तथा नीतियों का अनुपालन किया गया है।

ख. कि प्रबंधन ने लेखा नीतियों को अपनाया है तथा उन्हें नियमित रूप से लागू किया है, वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी मामलों तथा वर्ष के लिए कंपनी के परिचालन लाभ तथा निवल लाभ की सही व निष्पक्ष स्थिति दर्शाने हेतु आई आर डी ए विनियमों तथा किए गए निर्णयों तथा उचित तथा दूरदर्शी अनुमानों के अनुसार किए गए संशोधनों के अलावा कोई अन्य संशोधन नहीं किए गए हैं।

ग. कि प्रबंधन ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखे व अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनकी पहचान हेतु बीमा अधिनियम 1938 (1938 के 4) तथा कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड रखने के लिए उचित व पर्याप्त सावधानी बरती है।

घ. कि प्रबंधन ने लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए है।

ङ. कि प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली वर्तमान व परिचालित कारोबार के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप है।

14. कारोबार के सामान्य तौर पर किए जाने वाले संव्यवहारों के अलावा किसी भी व्यक्तिगत फ़र्म, कंपनियों तथा संगठनों जिसमें कंपनी के निदेशकों का हित निहित है, को किसी प्रकार की अदायगी नहीं की गयी है।

कृते ईसीजीसी लिमिटेड

13. We hereby confirm:

a. That in preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies has been followed.

b. That the management has adopted accounting policies and applied them consistently, apart from changes made as per IRDAI Regulations, and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the operating profit and net profit of the Company for the year.

c. That the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

d. That the management has prepared the financial statements on a going concern basis.

e. That the management has ensured that the internal audit system commensurate with the size and nature of business exists and is operating effectively.

14. There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested except the transactions carried out in the ordinary course of business.

For ECGC Limited.

(एम. सेंथिलनाथन) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक **(M. SENTHILNATHAN)** Chairman cum Managing Director डीआईएन / DIN – 07376766	**(हर्षा बंगारी)** निदेशक **(HARSHA BANGARI)** Director डीआईएन / DIN - 01807838	**(देवेश श्रीवास्तव)** निदेशक **(DEVESH SRIVASTAVA)** Director डीआईएन / DIN - 08646006
(ए. शक्तिवेल) निदेशक **(A. SAKTHIVEL)** Director डीआईएन / DIN - 00027485	**(अमित कुमार अग्रवाल)** निदेशक **(AMIT KUMAR AGARWAL)** Director डीआईएन / DIN - 05333909	**(सुनील जोशी)** कार्यपालक निदेशक **(SUNIL JOSHI)** Executive Director डीआईएन / DIN - 08778530

स्थान : मुंबई
दिनांक : 04 मई, 2023
Place : Mumbai
Date : 4th May, 2023

अनुलग्नक I
Annexure I

वित्तीय वर्षों के दौरान बकाया दावों का अवधिवार विवरण
Ageing of Claim outstanding as on Financial Years

(₹ '000)

अवधि Period	2022-23		2021-22		2020-21		2019-20		2018-19	
	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved
30 दिन 30 Days	67	159,11,26.48	80	111,06,18.22	107	105,22,75.43	102	144,39,15.20	137	433,26,82.28
30 दिन से 6 माह 30 Days to 6 Months	116	183,41,39.45	149	452,50,16.77	322	514,08,48.88	377	618,84,38.87	330	1511,19,49.84
6 माह से 1 वर्ष 6 Months to 1 Year	22	61,21,75.35	93	239,05,30.53	150	262,34,73.89	200	775,84,21.04	84	761,31,39.08
1 वर्ष से 5 वर्ष 1 year to 5 years	5	38,72,72.47	63	334,26,02.09	111	658,87,57.42	132	1028,84,36.72	35	545,58,38.80
5 वर्ष से अधिक 5 years & above	-	-	3	15,28,70.97	-	-	-	-	-	-
कुल / Total	**210**	**442,47,13.75**	**388**	**1152,16,38.58**	**690**	**1540,53,55.62**	**811**	**2567,92,11.83**	**596**	**3251,36,10.00**

अनुलग्नक II
Annexure II

वित्तीय वर्षों के दौरान निपटाए गए दावों का अवधिवार विवरण
Ageing of Claim settlement during Financial Years

(₹ '000)

अवधि Period	2022-23		2021-22		2020-21		2019-20		2018-19	
	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved
30 दिन 30 Days	62	18,54,25.32	51	11,89,46.04	46	8,29,16.25	41	7,05,56.70	48	8,36,74.42
30 दिन से 6 माह 30 Days to 6 Months	348	248,27,80.81	329	142,32,75.88	430	257,86,14.47	424	184,52,13.31	538	313,44,99.37
6 माह से 1 वर्ष 6 Months to 1 Year	103	335,03,34.52	223	258,49,51.22	177	168,36,24.40	77	154,75,50.96	88	292,01,80.79
1 वर्ष से 5 वर्ष 1 year to 5 years	38	161,19,45.19	78	274,48,70.13	81	612,22,50.57	11	62,08,00.65	51	399,47,17.13
5 वर्ष से अधिक 5 years & above	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल / Total	**551**	**763,04,85.84**	**681**	**687,20,43.27**	**734**	**1046,74,05.69**	**553**	**408,41,21.62**	**725**	**1013,30,71.71**

*कंपनी केवल एक ही क्षेत्र निर्यात ऋण बीमा के क्षेत्र में कार्यरत है । अतः क्षेत्रवार रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की गई है।

*The Company operates in single segment 'Export Credit Insurance'. Hence no segmental reporting is provided.

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF ECGC LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of financial statements of ECGC LIMITED for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 2013(Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 4 May 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of ECGC LIMITED for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Guljari Lal)
Director General of Audit (Shipping), Mumbai

Place : Mumbai
Date : 11.07.2023

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

AUDITORS' REPORT

एस एन के एवं कंपनी चार्टड अकाउंटेंट्स, 303, 3री मंजील, कोणार्क श्रम बिल्डिंग, 156, ताडदेव, मुंबई – 400 034	एल.एस. नलवाया एवं कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स'सेफरन', ए-605, क्रिस्टल प्लाजा, विपरीत इनफिनिटी मॉल, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई – 400053

SNK & Co. Chartered Accountants 303, 3rd Floor, Konark Shram Building, 156, Tardeo, Mumbai – 400034	L. S. Nalwaya & Co. Chartered Accountants 'Saffron', A-605, Crystal Plaza, Opp. Infiniti Mall, New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400053

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

ईसीजीसी लिमिटेड के सदस्य,

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने ईसीजीसी लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों के लेखा का परीक्षण किया है। जिसमें दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ एवं हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण (प्राप्य एवं भुगतान खाता) एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश अन्य व्याख्यात्मक जानकारी, जिसमें भारत में स्थित छियालीस शाखाओं एवं पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों के विवरण शामिल हैं जिसमें से पैंतालीस शाखाएँ एवं पाँच क्षेत्रीय कार्यालय नियंत्रक व महालेखाकर, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित हैं।

हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं मतानुसार तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण बीमा अधिनियम, 1938, यथा संशोधित बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 (बीमा अधिनियम), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (आई आर डी ए आई अधिनियम), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना एवं लेखा परीक्षक विनियम) विनियम 2002,(आई आर डी ए आई वित्तीय विवरण विनियम), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश/ दिशानिर्देश/ परिपत्र लागू सीमा तक, कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के साथ पढे जाने वाले कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ अन्य प्रचलित लेखा प्रथाएँ एवं पॉलिसियाँ सहित कंपनी अधिनियम 2013 तथा भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30-09-2021 को जारी परिपत्र संख्या आई आर डी ए आई / एफ ए /परि/विविध/256/09/2021 में निर्धारित विनियमों के अनुसार आवश्यक हो एवं आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हों एवं कंपनी के मामलों की स्थिति पर दिनांक 31 मार्च 2023

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,

The Members of ECGC Limited,

Report on Audit of Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of the ECGC Ltd. ("the Company") which comprise of the Balance Sheet as at March 31, 2023, the Revenue Account, the Profit and Loss Account, the Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account) for the year then ended and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated returns of Forty-six branches and Four regional offices situated in India out of which Forty-five branches and Four regional offices audited by branch auditors appointed by Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 ("the Insurance Act"), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 ("the IRDAI Act"), the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 ("the IRDAI Financial Statements Regulations"), orders/directions/circulars issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI"/ "the Authority") to the extent applicable, the Companies Act, 2013 ("the Act") including the Accounting Standard specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 with other recognized accounting practices and policies and Circular No. IRDAI/ F&A/CIR/MISC/256/09/2021 dated 30-09-2021 on 'Public Disclosures by Insurers' issued by Insurance Regulatory Development Authority ("the IRDA"), in the manner so required and

को सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण उपलब्ध कराने में सक्षम हों, जो कि संबन्धित हैं :

i. तुलन पत्र के मामले में दिनांक 31 मार्च 2023 तक कंपनी के मामलों की स्थिति

ii. राजस्व खातों के मामलों में उक्त दिनांक को समाप्त हुए वर्ष हेतु अधिशेष;

iii. लाभ एवं हानि खाते के मामले में, उस दिन समाप्त वर्ष के लिए लाभ;

iv. नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियों एवं भुगतान खाते) के मामले में, उस तारीख पर समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्तियां एवं भुगतान।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन निर्दिष्ट लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियों को लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के अंतर्गत वर्णित किया गया है। हम अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण में आवश्यक नैतिक आवश्यकताओं एवं नियम बनाए गए, बीमा अधिनियम,1938 बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 एवं नियम, के साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (खउ-ख) द्वारा जारी किए गए आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, एवं हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि जो लेखा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वह वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले, वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय के अनुसार वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवणों पर हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में निपटान किया गया था तथा हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने, निम्नलिखित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
निवेश	
वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं निवेश का आवंटन, राजस्व गणना और गैर-	आर बी आई और आई आर डी ए आई के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में

give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2023 in so far as it relates to:

i. In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2023

ii. In the case of Revenue Account, of the surplus for the year ended on that date;

iii. In the case of Profit and Loss Account, of the Profit for the year ended on that date;

iv. In the case of Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account), of the receipts and payments during the year ended on that date.

Basis of Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under provision of Act and the Rules made thereunder, the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the regulations made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence, we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Key Audit Matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

KEY AUDIT MATTERS	AUDITOR'S RESPONSE
INVESTMENTS	
Classification, Valuation & Allocation of Investments,	Our audit approach towards Investments with

निष्पादित निवेश की पहचान और प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट 26 और 27 के साथ पढ़ी जाने वाली अनुसूची 16 की धारा संख्या 4) निवेश में कंपनी द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर, म्युचुअल फंड और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और निवेश में किए गए निवेश शामिल हैं। निवेश कंपनी की कुल संपत्ति का 81.90% है। ये आर बी आई और आई आर डी ए आई के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित हैं। आर बी आई और आई आर डी ए आई के ये निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, आय की तदनुरूपी गैर-मान्यता और उनके प्रावधान को शामिल करते हैं। सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी शेयरों और ईटीएफ का मूल्यांकन एनएसई के बंद भाव पर किया जाता है। यदि ऐसी प्रतिभूति एनएसई पर सूचीबद्ध नहीं है/समापन दिवस पर कारोबार नहीं किया जाता है, तो बीएसई के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। म्युचुअल फंड का मूल्यांकन वर्ष के अंत में समापन एनएवी पर किया जाता है, जो हानि परीक्षण के अधीन होता है। सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय वरीयता शेयरों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों का आंकलन ऐतिहासिक मूल्य पर किया गया है, जो शेष अवधि में भुगतान किए गए प्रीमियम के परिशोधन के अधीन है। मूल्यांकन, लेन-देन की मात्रा, उपलब्ध निवेश और विनियामक फोकस की डिग्री में शामिल जटिलताओं और निर्णय की सीमा	निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निवेश से संबन्धित मूल्यांकन, वर्गीकरण, राजस्व पहचान, गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) की पहचान, प्रावधान/मूल्यह्रास से संबंधित मूल्यांकन, वर्गीकरण, राजस्व की गणना के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल है। विशेष रूप से: - एनपीआई के आवंटन, वर्गीकरण, मूल्यांकन, राजस्व गणना व पहचान और प्रावधान प्रक्रिया पर प्रमुख आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण करना। - आर बी आई और आई आर डी ए आई के विवेकपूर्ण मानदंडों के संदर्भ में इन निवेशों के उचित मूल्य, मूल्यांकन के तरीकों की उपयुक्तता, राजस्व गणना और एन पी आई के प्रावधान के निर्धारण के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन करना। - हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आर बी आई और आई आर डी ए आई परिपत्र/निर्देशों के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने

Revenue Recognition and Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Clause no. 4 of Schedule 16 read with Note 26 & 27 of Schedule 17 to the financial statements). Investments include investments made by the Company in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Mutual Funds and other approved securities & Investments. Investments constitute 81.90% of the Company's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI and IRDAI. These directions of RBI and IRDAI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. Valuation of actively traded equity shares and ETFs is made on the closing price of NSE. If such security is not listed/ not traded on NSE on closing day, the closing price of BSE is considered. Valuation of Mutual Funds is made on the closing NAV of the year end subject to impairment test. All debts securities including government securities and redeemable preference shares have been measured at historical cost subject to amortization of premium paid over residual period. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has	reference to the RBI and IRDAI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, revenue recognition, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/ depreciation related to Investments. In particular: - Test the design, implementation and operating effectiveness of key internal financial controls over allocation, classification, valuation, revenue recognition and identification & provisioning process of NPIs. - Assess & evaluate the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments, appropriateness of the valuation methodologies, revenue recognition & provisioning of NPIs with reference to prudential norms of the RBI and IRDAI. - We selected samples from the investments of each category and tested for ensuring compliance with the presentation & disclosure requirements as per RBI and IRDAI Circular/directions and determining correctness of mapping of investments,

को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित रही।	के लिए परीक्षण किया और मूल्यांकन के साथ-साथ इन निवेशों के वर्गीकरण, मूल्यांकन और राजस्व गणना की मैपिंग की शुद्धता का निर्धारण किया और एनपीआई की पहचान और प्रावधान की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया।
सूचना प्रौद्योगिकी	
मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सिस्टम जिसे इंट्रानेट और इंटेलेक्ट कहा जाता है, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। बड़ी मात्रा में दैनिक आधार पर संसाधित किए जाने वाले लेनदेन के कारण कंपनी की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं आईटी प्रणालियों पर निर्भर हैं और इसलिए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना जाता है, जिसकी शुद्धता और प्रभावशीलता मुख्य रूप से प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों जिन्हें इंट्रानेट और इंटेलेक्ट कहा जाता है के साथ-साथ अन्य संबद्ध प्रणालियों/पैकेजों पर निर्भर करती है। आय निर्धारण, प्रावधान, फैक्टरिंग, पुनर्बीमा और निवेश के संबंध में आईआरडीए दिशानिर्देशों के अनुरूप ऐसे अन्य वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग के साथ रिकॉर्ड और लेनदेन हेतु हमने प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों और अन्य संबद्ध प्रणालियों/पैकेजों के सुसंगत और सटीक कामकाज पर विश्वास किया है।	हमने मूल्यांकन किया और प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों, डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान की जो हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सिस्टम की पहचान की है जिसे इंट्रानेट और इंटेलेक्ट सिस्टम कहा जाता है जो मुख्य रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक है। हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता की समझ और परीक्षण शामिल है : - लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के आईटी नियंत्रण वातावरण, आईटी अवसंरचना यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस और आईटी नीतियों पर समझ प्राप्त की। - कंपनी के सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की जिसमें परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण एप्लिकेशन और एक्सेस नियंत्रण शामिल हैं। - आईएस ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा की और प्रमुख आईएस नियंत्रणों के अनुपालन पर आईएस विभाग के साथ चर्चा की गई। - लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नमूना जांच के आधार पर डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता के लिए सामान्य, एप्लिकेशन और एक्सेस आईटी नियंत्रणों का परीक्षण करना।

been determined as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.	classification, valuation and revenue recognition of these investments along-with assessed and evaluated the process of identification & provisioning of NPIs.
INFORMATION TECHNOLOGY	
Key Information Technology (IT) systems called Intranet & Intellect used in financial reporting process. Company's operational and financial processes are dependent on IT systems due to large volume of transactions that are processed on daily basis and hence, considered as a key audit matter, correctness & effectiveness of which are mainly dependent on the Key Information Technology (IT) systems called Intranet & Intellect along-with other allied systems/packages. We have relied upon the consistent and accurate functioning of Key Information Technology (IT) systems & other allied systems/packages with respect to Income Recognition, Provisioning, Factoring, Reinsurance & Investments in conformity with the IRDA guidelines along with such other financial accounting and reporting records & transactions.	We conducted an assessment and identified key IT applications, databases and operating systems that are relevant to our audit and have identified Key Information Technology (IT) systems called Intranet & Intellect System primarily as relevant for financial reporting. Our audit approach consisted understanding & testing of the design and operating effectiveness of the general IT controls as follows: - Obtained an understanding of the Company's IT control environment, IT infrastructure i.e. Operating systems and databases and IT policies during the audit period. - Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Company's general IT controls including application & access controls that are critical to financial reporting on test check basis. - Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IS Department on compliance to key IS Controls. - Test the general, application & access IT controls for design and operating effectiveness for the audit period on test check basis.

मामलों पर ध्यानाकर्षण

हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगें:

क. अनुसूची 17 के नोट 3(क) के अनुसार संपत्ति से संबंधी जहां उचित अधिकारियों के साथ पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं एवं संपत्ति से संबन्धित समझौते खो गए हैं / वर्तमान में कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं, यद्यपि कंपनी मूल शेयर प्रमाणपत्रों के कब्जे में है जो संपत्तियों के कानूनी स्वामित्व के साथ कंपनी को निहित करती है।

ख. अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 4 (घ) के अनुसार पुनर्बीमा कंपनी से प्राप्य राशि, जो कि जून 2014 से बकाया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त जानकारी एवं उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण एवं हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है एवं हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है तथा ऐसा करने में, इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि क्या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी अथवा हमें प्राप्त जानकारी कहीं मुख्य विषयों में असंगत तो नहीं है अथवा मुख्य विषयों में अन्यथा तो नहीं है।

हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का महत्वपूर्ण विषय पर गलत विवरण है, तो हमें संबन्धित कार्यों के प्रबंधन से जुड़े प्राधिकारियों को इस विषय में सूचना देनी होगी एवं लागू कानूनों व विनियमों के अधीन निर्धारित कार्यवाही करनी होगी।

वित्तीय विवरण पर प्रशासन हेतु प्रभारियों एवं प्रबंधन का दायित्व

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के धारा 134 (5), बीमा अधिनियम 1938 यथा संशोधित बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 (बीमा अधिनियम) एवं बीमा विनियामक व विकास अधिनियम 1999 (आईआरडीए अधिनियम) बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों एवं बीमा कंपनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम 2002 (आईआरडीएआई) वित्तीय विवरण विनियमन) कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम

Emphasis of Matter

We draw attention to the following:

a. Note no. 3(a) to Schedule 17 regarding properties where registration formalities with appropriate authorities have not been completed and properties where agreements are lost/presently not available with the Company, though the Company is in possession of original share certificates which vests with the Company, with legal ownership of the properties.

b. Note no. 4 (d) to Schedule 17 regarding amount receivable from Reinsurance Company, which is outstanding since June 2014.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to communicate the matters to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

Management's Responsibility and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the Insurance Act 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 ('the Insurance Act'), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 ('the IRDAI Act'), the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 ('the IRDAI Financial Statements Regulations), the Companies Act, 2013

2013 की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट मानक लेखा नीति के अनुपालन में कंपनी की उचित एवं सही वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकद प्रवाह विवरण प्रदान करने हेतु वित्तीय विवरणों की तैयारी में कंपनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी हैं।

इन दायित्वों में, बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 व कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु बनाए गए अधिनियम एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं की पहचान व बचाव के लिए बने गए अधिनियम; उचित लेखा नीतियों के चुनाव एवं अनुप्रयोग, निर्णय व अनुमान जो कि सही हों एवं पर्याप्त अन्तरिम वित्तीय नियंत्रण का डिज़ाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है ताकि सही एवं उचित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया जा सके एवं धोखाधड़ी अथवा किसी चूक के कारण किसी भी प्रकार के गलत बयानों,से मुक्त वित्तीय विवरणों की सटीकता एवं पूर्णता को सुनिश्चित किया जा सके।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान, प्रबंधन, लाभकारी संस्थान के रूप में कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए, लेखांकन के आधार पर प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने अथवा परिचालन को रोकने अथवा ऐसा करने के लिए उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, जैसा भी मामला हो, आवश्यकता होने पर संस्थान से संबन्धित मामलों को प्रकट करने का दायित्व है।

कंपनी की वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया की देखरेख का उत्तरदायित्व निदेशक मंडल का है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां:

हमारा उद्देश्य है कि उचित आश्वासन के साथ , पूर्ण वित्तीय विवरण किसी भी धोखाधड़ी अथवा चूक से मुक्त रखते हुए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है परंतु यह गारंटी नही है कि एस ए के अनुसार की गयी लेखा परीक्षा में गलत जानकारियों का निश्चित रूप से पता लगाया जा सके गलत जानकारियां प्रस्तुत करना किसी धोखाधड़ी अथवा गलती का नतीजा हो सकता है तथा यदि ऐसा पाया जाता है तो उसे संदेहजनक माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर यह माना जा सकता है कि वे उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं।

लेखा परीक्षा का भाग होने के कारण हम सम्पूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय को बनाए रखते हैं व व्यवसायिक निर्णय लेते हैं। साथ ही हम :-

- वित्तीय विवरण के झूठे विवरण के जोखिम को पहचानना व मूल्यांकन करना,

('the Act') including the Accounting Standard specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with Insurance Act 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is

उन जोखिम के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने एवं निष्पादित करने, एवं हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए उचित व पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त करते हैं। चूक की अपेक्षा , धोखाधड़ी के कारण प्राप्त होने वाली झूठी जानकारी की समय पर पहचान न कर पाना अत्यधिक जोखिम का कार्य है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की जाने वाली चूक, गलत बयानी, एवं आंतरिक नियंत्रण शामिल हो सकते हैं।

- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को निर्धारण हेतु लेखा परीक्षा के लिए परिस्थितियों के अनुरूप प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत हम कंपनी में स्थापित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं इस प्रकार के नियंत्रण पर प्रभावशील परिचालन पर अपनी राय देने हेतु भी उत्तरदायी होते हैं।
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटनों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- व्याप्त अनिश्चितता एवं ऐसी घटनाएँ जो कंपनी का लाभकारी संस्थान बने रहने की क्षमता पर संदेह उत्पन्न होने पर प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर एवं लेखांकन को लाभकारी संस्था के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर, निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता व्याप्त है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों के लिए हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है अथवा, हमारी राय को संशोधित करने के लिए इस प्रकार के प्रकटन अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं । तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं अथवा परिस्थितियों के कारण कंपनी एक लाभकारी संस्था के रूप में समाप्त हो सकती है।
- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना व तथ्यों का मूल्यांकन करना, तथा यह निर्धारण करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन एवं घटनाओं को इस प्रकार से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रदान कर सके।

वित्तीय विवरण में गलत जानकारी, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से दी गयी हो अथवा समग्र रूप से, के कारण वित्तीय विवरण के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। हम, मात्रात्मक भौतिकता एवं गुणात्मक कारकों को ध्यान में रखते हुए (i) अपने लेखा परीक्षा के कार्य के सीमाक्षेत्र का निर्धारण एवं अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन; एवं (ii) वित्तीय विवरणों में पाये गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

हम अन्य मामलों एवं महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ साथ,

sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatement in the financial statement that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of reasonably knowledgeable user of the financial statement may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical

प्रशासन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के साथ, लेखा परीक्षा के योजनाबद्ध आयाम के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिसे हमने अपने लेखा परीक्षा के दौरान पाया हो, की चर्चा करते हैं।

हम प्रशासन हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों को अपना विवरण भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें उल्लेख रहता है कि हमने स्वतन्त्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, एवं उन सभी सम्बन्धों व अन्य मामलों जिससे हमारी स्वतन्त्रता प्रभावित हो, एवं जहां भी ऐसा करना आवश्यक हो, के साथ संबन्धित विषय को साझा करने हेतु सुरक्षा उपाय किए हैं।

प्रशासन हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रस्तुत किए गए मामलों में, हम ऐसे अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले निर्धारित करते हैं जो कि वर्तमान वर्ष के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा हेतु हैं एवं मुख्य लेखा परीक्षा मामले हैं। हम ऐसे मामले अपनी लेखा परीक्षा में शामिल करते हैं, जब तक कि निर्धारित विधियों या विनियमों द्वारा ऐसे मामलों के प्रकटन को रोका गया हो अथवा जब कि, बहुत ही दुर्लभ मामलों में, हम ऐसा पाते हैं कि ये मामले हमारी रिपोर्ट में शामिल नहीं किए जाएँ क्योंकि इन्हें शामिल करने से इनसे होने वाले दुष्प्रभाव जनहित से ज्यादा होंगे।।

अन्य मामले

क. हमने, उन छियालीस शाखाओं (गुवाहाटी उपशाखा सहित) एवं चार क्षेत्रीय कार्यालय के वित्तीय विवरणों की जांच नहीं की है जिनके विवरण 31 मार्च 2023 तक कंपनी के वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी में परिलक्षित रु. 1861,80,63.90 की कुल परिसंपत्तियों तथा सम तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान प्रीमियम के रूप में रु. 1172,48,26.27 के कुल परिचालन राजस्व तथा कुल रु. 606,11,77.89 के प्रदत्त दावों को दर्शाते हुए तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण के रूप में पैंतालीस शाखाओं एवं चार क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरण/ जानकारी की लेखा परीक्षा शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है एवं एक शाखा जिसकी लेखा परीक्षा नहीं की गई है कि प्रबंधन द्वारा इनकी रिपोर्टों को हमें प्रस्तुत किया गया है। हमारी राय में इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों एवं प्रकटन मुख्य रूप से शाखाओं के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है।

ख. दिनांक 31 मार्च 2023 को उपगत एवं रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आई बी एन आर), उपगत एवं पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आई बी एन ई आर), एवं प्रीमियम में कमी पर देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन पर अनुसूची 17 के नोट संख्या 5 (ख) एवं 22 के संबंध में इसका दायित्व कंपनी के नियुक्त बीमांकिक (नियुक्त बीमांकिक) का है। नियुक्त बीमांकिक द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को उक्त देयताओं आई बी एन आर, आई बी एन ई आर एवं प्रीमियम में कमी को विधिवत प्रमाणित किया गया है एवं

requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the Key Audit Matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

a. We did not audit the financial statements/information of Forty-six branches (including Guwahati sub office) and Four regional offices included in the financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs.1861,80,63.90 thousands as at 31st March, 2023, total operating revenues in terms of Premium of Rs.1172,48,26.27 thousands and Claims paid of Rs.606,11,77.89 thousands for the year ended on that date, as considered in the financial statements. The financial statements / information of Forty-five branches and Four regional offices have been audited by the branch auditors, whose reports have been furnished to us, and one unaudited branch whose returns have been furnished to us by the management. Our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors and returns furnished to us by the management.

b. Note No. 5(b) and 22 to Schedule 17 regarding the Actuarial Valuation of liabilities in respect of claims Incurred But Not Reported (IBNR), Incurred But Not Enough Reported (IBNER) and Premium Deficiency as at 31st March, 2023 which is the responsibility of the Company's Appointed Actuary ('the Appointed Actuary'). The Appointed Actuary has duly certified the actuarial valuation of these liabilities IBNR, IBNER and Premium Deficiency as at March 31, 2023 and in her opinion the assumptions considered by her for such valuation are in accordance with the guidelines and norms prescribed by the IRDAI and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDAI. We have relied upon the Appointed Actuary's Certificate in this regard for forming our opinion on the Financial

उनकी राय में इन मूल्यांकनों के लिए उनके द्वारा लगाए गए अनुमान, आई आर डी ए आई एवं आई आर डी ए आई की सहमति से भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों एवं नियमों के अनुसार हैं। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करने के लिए हमने उक्त विषय पर नियुक्त बीमांकिक के प्रमाण पत्र पर विश्वास किया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हैं।

अन्य कानूनी व विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

(क) 31 मार्च 2023 तक वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार बीमा अधिनियम 1938 भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(ख) विनियमों के अधीन आवश्यकता के अनुसार हमने 04 मई 2023 को अलग प्रमाण पत्र जारी करते हुह, आईआरडीएआई की अनुसूची सी के पैरा 3 एवं 4 में उल्लिखित विषयों को प्रमाणित किया है।

(ग) इस रिपोर्ट में भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143(11) की शर्तों में कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2016 के पैरा 3 में उल्लिखित मामलों पर किसी प्रकार का विवरण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारी राय में एवं हमें उपलब्ध कारवाई गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार यह आदेश कंपनी पर लागू नहीं होता है।

अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकतानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने, हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक पूरी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं;

ख. हमारी राय में व हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी द्वारा कानूनी रूप से आवश्यक सभी लेखा बहियों की जांच के उपरांत यह पाया गया है कि कंपनी द्वारा लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है; एवं जांच के पश्चात यह भी पाया गया है कि वे बहियाँ एवं उचित विवरण (लेखापरीक्षित एवं प्रमाणित) छियालीस शाखाओं (गुवाहाटी उपकार्यालय सहित) एवं चार क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त की गयी हैं जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है।

ग. प्रबंधन द्वारा, शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के अधीन शाखा के लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित कंपनी की पैंतालीस शाखा कार्यालयों एवं चार क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई हैं तथा हमारे द्वारा यह रिपोर्ट बनाते समय उसका उचित ध्यान रखा गया है;

घ. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानी तथा नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ व भुगतान खाता) उन शाखाओं से प्राप्त लेखा बहियों तथा प्राप्तियों के अनुरूप है जिनका दौरा हमारे द्वारा नहीं किया गया है।

ङ. हमारी राय में वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप हैं;

Statements of the Company.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

a) The financial statements as at March 31, 2023 have been prepared in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the regulations made thereunder and the Companies Act, 2013.

b) As required by the Regulations, we have issued a separate certificate on May 04, 2023 certifying the matters specified in paragraphs 3 and 4 of Schedule C to the IRDAI Financial Statements Regulations.

c) This report does not include a statement on the matters specified in paragraph 3 of the Companies (Auditors' Report) order 2020, ("the order"), issued by the Central Government of India in terms of section 143(11) of the Act, since in our opinion and according to the information and explanation given to us, the Order is not applicable to the Company.

As required by section 143(3) of the Act, we report that;

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, proper books of account, as required by law, have been kept by the Company, so far as appears from our examination of those books and proper returns (audited/certified) have been received from the Forty-six branches (including Guwahati sub Office) and Four regional offices, not visited by us;

c) The reports on the accounts of the Forty-five branches and Four regional offices of the Company audited under Section 143(8) of the Act by branch auditors and returns of one unaudited branch have been sent to us, have been properly dealt with by us in preparing this report;

d) The balance sheet, the revenue account, the statement of profit and loss, and the cash flow statement (Receipts and Payments Account) dealt with by this Report are in agreement with the books of account and returns received from the branches not visited by us;

e) In our opinion financial statements of the Company comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act.

f) Being a Government Company, pursuant to the Notification No. G.S.R 463(E) dated 05.06.2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, provisions of sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Company.

च. सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुपालन में कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 164 के उपखंड (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते;

छ. कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में एवं इन नियंत्रणों पर परिचालन प्रभावशीलता की जानकारी हेतु हमारी पृथक रिपोर्ट अनुलग्नक क का संदर्भ लें। हमारी रिपोर्ट में कंपनी के वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता एवं परिचालन प्रभावशालीता पर स्वतंत्र राय व्यक्त की गयी है।

ज. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षकों) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने योग्य अन्य मामलों के संबंध में हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में;

i. कंपनी द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया गया है। कृपया वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के मद संख्या 20 का संदर्भ लें;

ii. कंपनी द्वारा किए गए डेरिवेटिव करारों सहित दीर्घावधि करारों के कारण कोई भावी महत्वपूर्ण हानियों की संभावना नही हैं।

iii. कंपनी को निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में जमा की जाने वाली राशि के अंतरण में कोई देरी नहीं हुई है;

iv. (क) प्रबंधन वर्ग द्वारा सूचित किया गया है कि उसके सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की निधि का किसी ऐसे व्यक्ति (यों) अथवा विदेशी इकाइयों (मध्यस्थों) सहित किसी भी इकाइ (यों) में इस समझ के साथ कंपनी द्वारा (अंतिम हिताधिकारी) की ओर से निर्धारित व्यक्ति अथवा ईकाइयों जिनके द्वारा लिखित रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अंतिम हिताधिकारी (कंपनी) की ओर से किसी भी प्रकार की सुरक्षा अथवा गारंटी दावा किया गया हो, में, अग्रिम तौर पर अथवा ऋण प्रदान नहीं किया गया है अथवा निवेश नहीं किया गया है।

(ख) प्रबंधन वर्ग द्वारा सूचित किया गया है कि उसके सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार कंपनी को किसी ऐसे व्यक्ति (यों) अथवा विदेशी इकाइयों (फंडिंग पार्टियां) सहित किसी भी इकाइ (यों) द्वारा इस समझ के साथ फंडिंग पार्टी द्वारा (अंतिम हिताधिकारी) की ओर से निर्धारित व्यक्ति अथवा ईकाइयों जिनके द्वारा लिखित रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में फंडिंग पार्टी (अंतिम हिताधिकारी) की ओर से किसी भी प्रकार की सुरक्षा अथवा गारंटी दावा किया गया हो , अग्रिम तौर पर अथवा ऋण के रूप में अथवा निवेश के रूप में कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) हमारी राय तर्कसंगत एवं उचित परिस्थितियों के उपयुक्त समझी जाने वाली लेखा परीक्षा पर आधारित है एवं हमारे समक्ष ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे हमें यह लगे कि उक्त उप शर्त (क) एवं (ख) में कोई गलत विवरण प्रस्तुत किया गया हो।

g) With respect to the adequacy of internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure A". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over the financial statements.

h) With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements. Refer note 20 to Schedule 17 to the financial statements;

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;

iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company;

iv. (a) The management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested by the company to or in any other person(s) or entity(ies) including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other person or entities identified in any manner whatsoever by or in behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or like on behalf of the Ultimate Beneficiary.

(b) The management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, no funds have been received by the company from any person(s) or entity(ies) including foreign entities ("Funding Parties") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or like on behalf of the Ultimate Beneficiary.

(c) In our opinion based on such audit procedures that were considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under the sub-clause (a) and (b) above contain any material misstatement.

v. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुपालन में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा की गयी अथवा अदायगी की गयी।

vi. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन कंपनी (लेखों) द्वितीय संशोधन नियम 2022 के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित कर लेखापरीक्षा सत्यापन लागू होने की तारीख को 01 अप्रैल 2023 तक विस्तारित किया गया है एवं अतः ये धारा लागू नहीं होती है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम निम्नानुसार कंपनी के लेखों के वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं :–

क्रम संख्या	निर्देश	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास सू प्रौ प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम हैं? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ खातों के एकीकरण पर सू प्रौ प्रणाली के बाहर लेखांकन संव्यवहार की प्रक्रिया के वित्तीय प्रभावों को, यदि कोई है तो, दर्शाएँ।	• i) कंपनी के पास निम्नलिखित को छोडकर सू प्रौ सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए निम्नलिखित प्रणाली उपलब्ध है: • पुनर्बीमा व्यवसाय का कार्य एवं अचल परिसंपत्तियों में पूंजी के मूल्यह्रास की गणना एवं फ़ैक्टरिंग एवं वह दावे जिनका प्रसंस्करण किया जाना बाकी है के प्रावधानों की गणना। यद्यपि मैनुयल नियंत्रण उपलब्ध है परंतु ये पर्याप्त नहीं है अत: पुनर्बीमा अचल परिसंपत्तियों, फ़ैक्टरिंग एवं वह दावे जिनका प्रसंस्करण किया जाना बाकी है को भी एवं सिस्टम के माध्यम से शामिल किया जाना आवश्यक है। • निवेश सॉफ्टवेयर मुख्य सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत नहीं है एवं निवेश विभाग के मुख्य परीक्षण शेष समेकन को सू प्रौ प्रणाली में के लिए बनाए गए मुख्य परीक्षण शेष में मैनुअल रूप से शामिल किया जाता है ।

v. The dividend declared or paid during the year by the company is in compliance with section 123 of Companies Act, 2013.

vi. The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has extended the due date of Audit Trail applicability till 1st April 2023 under the provisions of the Companies Act, 2013 by amending by notifying the rules, i.e., Companies (Accounts) Second Amendment Rules, 2022 and hence this clause is not applicable.

With regards to the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India u/s 143(5) of the Companies Act, 2013, based on our audit, we report hereunder on the action taken and the financial impact on the accounts of the financial statements of the Company:

S. No.	DIRECTIONS	ANSWER
1	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	i) The Company has system in place to process all the accounting transactions through IT systems except for the following: • Working of Reinsurance Business, Depreciation Working of Fixed Assets, Factoring and calculation of provision of 'Yet to be processed' (YTBP) claims. Though manual controls are available, they may not suffice hence Reinsurance, Fixed Assets, Factoring and 'Yet to be processed' (YTBP) claims are also required to be routed through system. • Investment software is not integrated with the main IT system, and the final Trial Balance of Investment Department is manually incorporated in the main trial balance, maintained in

		यद्यपि कंपनी का मुख्य परीक्षण शेष को शामिल करने में नियंत्रण रखा गया है लेकिन यह भी पर्याप्त नही हैं एवं निवेश सॉफ्टवेयर का भी मुख्य सू प्रौ प्रणाली में विलय कर दिया जाना चाहिए।
2	क्या किसी वर्तमान ऋण पर कोई पुनर्गठन या कर्ज़ चुकाने के लिए कंपनी द्वारा ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण कंपनी द्वारा दिये गए ऋण/ ब्याज आदि के छूट/ बही खाते में डाले जाने के मामलें हैं? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभाव को दर्शाया जा सकता है। क्या इस प्रकार के मामलों को उचित रूप से दर्शाया गया है ? (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है, तब इस प्रकार के निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होंगे।	लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है न ही किसी अन्य कंपनी को ऋण प्रदान किया है।
3	क्या केंद्रीय / राजस्व एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशी (अनुदान/सब्सीडी) / प्राप्य का उनके कार्यकाल एवं शर्तों के अनुसार सही उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	हाँ, केंद्र सरकार से शेयर पूंजी के रूप में प्राप्त धनराशि का उसके कार्यकाल एवं शर्तों के अनुसार सही तरीके से निर्धारण/उपयोग किया गया ।

		IT system for consolidation. Though the Company has control at the time of incorporation of the Investment Trial Balance in the Main Trial Balance, it may not suffice hence Investment Software should also be merged with the main IT system.
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver / write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).	Not Applicable as the Company has not borrowed any money nor it has lent any money to other company.
3	Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	Yes, funds received from central government, in the form of share capital were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions.

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम निम्नानुसार कंपनी के लेखों के वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं :-

क्रम संख्या	अतिरिक्त निर्देश	उत्तर
1	भौतिक/ ड़ीमैट रूप से उपलब्ध सी जी एस/ एसजीएस / बॉन्डस / डिबैंचर आदि के संबंध में स्वामित्वों की संख्या तथा इनमें से उन मामलों की संख्या जो कंपनी के लेखा बहियों में दर्शायी गई राशी से मेल नहीं खाती हो, का सत्यापन किया जाए तथा यदि कोई विसंगति पायी जाए तो उसे रिपोर्ट किया जाए।	सीजीएस/ एसजीएस में सभी निवेश आर बी आई एस जी एल खाते में किए गएहैं एवं उनका रिकॉर्ड के साथ सत्यापन किया गया है तथा किसी प्रकार की विसंगति नही पायी गई है। सीजीएस की दो प्रतिभूतियों को द्वितीयक बाज़ार परिचालन तथा ट्रेप्स परिचालनों के लिए सीसीआईएल के पास रखा गया है केन्द्र सरकार की एक प्रतिभूति को नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज के पास इक्विटी परिचालन के लिए मार्जिन की आवश्यकता के रूप में रखा गया है जिसके लिए हमने आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रदान किए हैं। बॉन्डस/ डिबेंचरों को आई सी आई सी आई बैंक (संरक्षक) के पास डीमेंट रूप में रखा गया है। सभी प्रतिभूतियों को अंतर्निहित अभिलेखों के साथ सत्यापित किया गया है तथा किसी प्रकार की विसंगति नही पायी गई है।

प्रतिभूति का प्रकार	डीमेट प्रारूप में स्वामित्व अधिकारों की संख्या	भौतिक प्रारूप में स्वामित्व अधिकारों की संख्या
केंद्र सरकार प्रतिभूति	42	शून्य
राज्य सरकार प्रतिभूति	439	शून्य
बॉन्ड, डिबेंचर एवं अन्य प्रतिभूतियाँ	205	शून्य
इक्विटी शेयर	58	शून्य

With respect to additional directions issued by Comptroller and Auditor General of India u/s 143(5) of the Companies Act, 2013, based on our audit, we report hereunder on the action taken and the financial impact on the accounts of the financial statements of the Company:

S. No.	ADDITIONAL DIRECTIONS	ANSWER
1	Number of titles of ownership in respect of CGS/SGS/Bonds/ Debentures etc. available in physical/ DEMAT form and out of these number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported.	All the investments in CGS/SGS are held with RBISGL Account and have been verified with records and no discrepancies have been found. Two Central Government Securities have been kept with CCIL for secondary market operations of Government Securities and TREPS operations & further one Central Government Security is kept with National Stock Exchange, towards margin requirement against equity operations, for which we have obtained the necessary certificates. Bonds/Debentures are held in DEMAT account with the ICICI Bank (custodian). All securities have been verified with the underlying records and no discrepancies have been found.

Type of security	No. titles in DEMAT Form	No. of titles in Physical Form
Central Govt Securities	42	NIL
State Govt Securities	439	NIL
Bonds, debentures and other securities	205	NIL
Equity Shares	58	NIL

2	क्या निवेशों के संबंध में हानि रोकने की सीमा निर्धारित है? यदि हाँ तो क्या सीमाओं का पालन किया गया है? यदि नहीं तो विवरण प्रदान किया जाए।	कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, कंपनी के पास निदेशक मण्डल से अनुमोदित निवेश पॉलिसी, एस ओ पी एवं नीति है जिसमें निवेश पोर्टफोलियो के समीक्षा का तंत्र भी शामिल है। प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर कंपनी का सम्पूर्ण निवेश पोर्टफोलियो एच टी एम (हेल्ड टू मेच्योरिटी)/ ए एफ़ एस (बिक्री के लिए उपलब्ध) श्रेणी का है। कंपनी के पास ट्रेडिंग पोर्टफोलियो नहीं है। तदनुसार कंपनी के पास हानि को रोकने की पॉलिसी/ हानि को रोकने की सीमा नहीं हैं।

2	Whether Investment Policy exists and includes mechanism to review investment portfolios and also whether stop loss limits are prescribed? If yes, whether it was adhered to? If not in existence or not adhered to, details may be given.	As informed by the Management of the Company, the Company is having the Board approved Investment policy, SOP and Strategy which includes mechanism to review investment portfolio. Further, as informed by the Company, the Company does not have trading portfolio. Company's entire investment Portfolio is under HTM (Held-to-Maturity) / AFS (Available-for-Sale) category. Accordingly, Company is not having stop loss policy / stop loss limits.

कृते एसएनके एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 109176W

(अंकित डी दानावाला)
भागीदार
सदस्यता सं. 119972

स्थान : मुंबई
दिनांक : 04 मई 2023

यूडीआईएन :
23119972BGWTD04336

कृते एल एस नलवाया एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 115645W

(आशीष नलवाया)
भागीदार
सदस्यता सं. 110922

स्थान : मुंबई
दिनांक : 04 मई 2023

यूडीआईएन:
23110922BGWVDL7468

for SNK & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109176W

(Ankit D. Danawala)
Partner
Membership No. 119972

Place: Mumbai
Date: 4th May, 2023

UDIN:
23119972BGWTD04336

for L. S. Nalwaya & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 115645W

(Ashish Nalwaya)
Partner
Membership No. 110922

Place: Mumbai
Date: 4th May, 2023

UDIN:
23110922BGWVDL7468

एस एन के एवं कंपनी चार्टड अकाउंटेंट्स, 303, 3री मंजील, कोणार्क श्रम बिल्डिंग, 156, ताड़देव, मुंबई – 400 034	एल.एस. नलवाया एवं कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स'सेफरन', ए–605, क्रिस्टल प्लाजा, विपरीत इनफिनिटी मॉल, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई – 400053

स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र

(दिनांक 04 मई 2023 की हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अंश बनाने वाले अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के अधीन पैरा (ख) में संदर्भित)

प्रति,

ईसीजीसी लिमिटेड के सदस्य,

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. यह प्रमाण पत्र ईसीजीसी लिमिटेड (कंपनी) मुंबई के दिनांक 31.03.2023 तक के वित्तीय विवरणों के संबंध में विनियमों के विनियम 3 के साथ पढे जाने वाले बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) के विनियमों 2002,मके अधीन अनुसूची ग के पैराग्राफ 3 एवं 4 के प्रावधानों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है।

प्रबंधन का दायित्व

2. कंपनी का निदेशक मण्डल कंपनी अधिनियम 2013, बीमा अधिनियम 1938 यथा संशोधित बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 एवं बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों एवं लेखा परीक्षा के रिपोर्ट की तैयारी) विनियम 2002 (विनियम) एवं बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश / परिपत्रों , जिसमें लेखा खातों की तैयारी एवं रखरखाव तथा प्रबंधन रिपोर्ट शामिल है, के प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है। इसमें ऊपर उपरोक्त के अनुसार अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आकड़ों को एकत्र करना एवं सत्यापित करना एवं उनकी रूपरेखा का निर्धारण करना, आंतरिक नियंत्रणों को कार्यान्वित करना आदि शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

3. विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक आश्वासन प्राप्त कर खातों एवं रिकॉर्डों की जांच एवं लेखा परीक्षा के आधार पर राय बनाना कि कंपनी द्वारा विनियमों के विनियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले विनियमों की अनुसूची ग के पैरा 3 व 4 में उल्लिखित मदों का पूर्ण अनुपालन किया गया है अथवा नहीं।

SNK & Co. Chartered Accountants 303, 3rd Floor, Konark Shram Building, 156, Tardeo, Mumbai – 400034	L. S. Nalwaya & Co. Chartered Accountants 'Saffron', A-605, Crystal Plaza, Opp. Infiniti Mall, New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400053

INDEPENDENT AUDITORS' CERTIFICATE

(Referred to in paragraph (b) under "Report on other legal and regulatory requirements" forming part of our Independent Auditors' Report dated 4th May, 2023)

To,

The Members of ECGC Limited,

Report on other legal and regulatory requirements

1. This certificate is issued to comply with the provisions of paragraphs 3 and 4 of Schedule C to the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, read with regulation 3 of the Regulations in respect of financial statements as at 31.03.2023, of ECGC Ltd ("the Company"), Mumbai.

Management Responsibility

2. The Company's Board of Directors is responsible for complying with the provisions of Companies Act, 2013, Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 ("the Regulations") and orders/ circulars issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) which includes the preparation and maintenance of books of accounts and the Management Report. This includes collecting, collating and validating data and designing, implementing and monitoring of Internal Controls suitable for ensuring compliance as aforesaid.

Auditors' Responsibility

3. Pursuant to the requirements of the Regulations, it is our responsibility to obtain reasonable assurance and form an opinion based on our audit and examination of books and records as to whether the Company has complied with the matters contained in paragraphs 3 and 4 of Schedule C of the Regulations read with Regulation 3 of the Regulations.

4. हमने दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के तत्काल समाप्ति पर कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है एवं हमने दिनांक 4 मई 2023 को हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिये असंशोधित लेखा परीक्षा राय व्यक्त की है। हमने लेखा परीक्षा के मानकों एवं भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी अन्य प्राधिकृत निर्देशों के अनुसार ही इन वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अनुसार ही इस आश्वासन के साथ कि संबन्धित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण तथ्यों की गलत प्रस्तुति अथवा गलत प्रदर्शन नहीं किया गया है, के लिए हम लेखा परीक्षा की योजना बनाएं एवं उसे कार्यान्वित करें। हमने हमारी लेखा परीक्षा की योजना एवं निष्पादन उन संव्यवहारों के लिए नहीं किया जिसमें तृतीय पक्ष का कोई संभावित पक्ष का हित निहित हो।

5. आई सी ए आई द्वारा जारी विशेष उद्देश्यों के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्टों एवं प्रमाणपत्रों पर दिशानिर्देश नोट के अनुकरण में हमने अपनी जांच पूरी की। दिशा निर्देशों के नोट में यह अनिवार्य होता है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य आचार नीति का स्वतन्त्र रूप से अनुकरण करें।

6. हमने गुणवत्ता नियंत्रण (एस क्यू सी) – 1 के मानकों की लागू संगत आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन किया है, किसी भी फर्म के लिए गुणवत्ता नियंत्रण वह पद्धति होती है जिसके जरिये लेखा परीक्षा एवं एतिहासिक वित्तीय जानकारी एवं अन्य आश्वासन एवं संबन्धित सेवा सहभागिताओं को पूरा किया जाये।

राय

7. दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए हमें प्रदान जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर एवं हमारे उत्तम ज्ञान एवं विश्वास एवं ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा तैयार लेखा खातों एवं अन्य रिकॉर्डों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि:

क) हमने दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की एवं हमारी समीक्षा के आधार पर , प्रबंधन रिपोर्टों एवं स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गयी है।

ख) प्रबंधन प्रतिवेदनों पर एवं अनुपालन के लिए प्राधिकृत कंपनी के अधिकारियों द्वारा निदेशक मण्डल को प्रस्तुत अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर , हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जो आई आर डी ए आई द्वारा निर्धारित पंजीकरण निबंधनों एवं शर्तों के अनुकरण में न हो।

ग) हमने नकद शेष (सिवाय उन शाखाओं के जहां लेखा परीक्षा संबन्धित

4. We audited financial statements of the Company as of and financial year ended March 31, 2023 on which we issued an unmodified audit opinion vide our audit report dated May 4, 2023. Our audits of these financial statements were conducted in accordance with the Standards on Auditing and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. Our audits were not planned and performed in connection with any transactions to identify matters that may be of potential interest to third parties.

5. We conducted our examination in accordance with the Guidance Note on Audit Reports and Certificates for Special Purposes issued by the ICAI. The Guidance note requires that we comply with the independence and other ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.

6. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standards on Quality Control (SQC)-1, Quality control for Firms that performs audits and reviews of Historical Financial Information and Other Assurance and Related service engagements.

Opinion

7. In accordance with the information and explanations given to us and to the best of our knowledge and belief and based on our examination of the books of accounts and other records maintained by the ECGC Ltd., for the year ended March 31, 2023, we certify that:

a) We have reviewed the Management Report attached to the financial statements for the year ended March 31, 2023 and on the basis of our review, there are no apparent mistakes or material inconsistencies between the Management Report and the standalone financial statements.

b) Based on management representations and compliance certificates submitted to the Board of Directors by the officers of the Company charged with compliance and the same being noted by the Board, nothing has come to our attention that causes to believe that the Company has not complied with the terms and conditions of the registration stipulated by IRDA.

c) We have verified the cash balances (except of the branches where audits were conducted by the

शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है एवं संबन्धित नकद शेष का सत्यापन संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है तथा उन शाखाओं के जहां की लेखा परीक्षा पूरी नहीं की गयी हो एवं कंपनी द्वारा किए गए ऋणों व निवेशों की वास्तविक निरीक्षणों अथवा कंपनी द्वारा नियुक्त संरक्षक तथा /अथवा निक्षेपागार भागीदार अथवा अन्य दस्तावेजी प्रमाण पत्र / पुष्टिकरणों के प्रमाणों) को सत्यापित किया है।

घ) हमें प्रदान की गयी उत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकरण एवं कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर, बीमा अधिनियम एवं उसके विनियमों के प्रावधानों के अनुकरण पर निवेशों का मूल्यांकन किया गया है।

ङ) हमें प्रदान की गयी सर्वोत्तम जानकारी व स्पष्टीकरण एवं कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार कंपनी किसी न्यास की न्यासी नहीं है ;एवं

च) कंपनी ने पिछले तुलन पत्र के अनुसार मदों की प्रकृति के आधार पर शेयरधारकों एवं पॉलिसी धारकों की निधियों को वर्गीकृत किया है एवं तदनुसार आय को राजस्व खाते व लाभ व हानि खाते में वर्गीकृत किया गया है। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1बी) के अनुसार शेयरधारकों एवं पॉलिसीधारकों से संबन्धित अलग अलग खाते नहीं हैं एवं शाखाओं में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः उपलब्ध रिकोर्डों के अनुसार निधियों के उपयोग का सत्यापन नहीं किया गया है। लेखा खातों के सत्यापन के आधार पर एवं हमें प्रदान की गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर एवं उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर हमें ऐसे कोई मामले नहीं दिखे जहां पॉलिसी धारकों की आस्तियों के किसी भी अंश का, पॉलिसी धारकों की निधियों के उपयोग एवं निवेश के संबंध में बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के विपरीत प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोग किया गया हो।

concerned branch auditors and the cash balances were verified by the concerned auditors and securities relating to the loans and investments made by the company by actual inspection or by production of certificates/confirmations received from the Custodian and/or Depository Participants appointed by the Company or the other documentary evidences).

d) To the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Company, Investments have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act and its regulations;

e) To the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Company, the Company is not a trustee of any trust; and

f) The Company has bifurcated shareholders' funds and policyholders' funds based on the nature of items as per the last Balance Sheet and accordingly the income has been segregated in Revenue Account and Profit and Loss Account. Since no separate accounts relating to shareholders and policyholders have been maintained in terms of Section 11(1B) of the Insurance Act, 1938 and since such information is not available at the branches, the application of the funds is therefore not verifiable from the available records. Based on the verification of the books of the account and based on the information and explanation given to us and on a review of the available records, we have not come across with the cases where any part of the assets of the policyholders' funds have been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the policyholders' funds.

कृते एसएनके एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 109176W

(अंकित डी दानावाला)
भागीदार
सदस्यता सं. 119972

स्थान : मुंबई
दिनांक : 04 मई 2023

यूडीआईएन : 23119972BGWTD04336

कृते एल एस नलवाया एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 115645W

(आशीष नलवाया)
भागीदार
सदस्यता सं. 110922

स्थान : मुंबई
दिनांक : 04 मई 2023

यूडीआईएन: 23110922BGWVDL7468

for SNK & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109176W

(Ankit D. Danawala)
Partner
Membership No. 119972

Place: Mumbai
Date: 4th May, 2023

UDIN: 23119972BGWTD04336

for L. S. Nalwaya & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 115645W

(Ashish Nalwaya)
Partner
Membership No. 110922

Place: Mumbai
Date: 4th May, 2023

UDIN: 23110922BGWVDL7468

एस एन के एवं कंपनी	एल.एस. नलवाया एवं कंपनी
चार्टड अकाउंटेंट्स, 303, 3री मंजील, कोणार्क श्रम बिल्डिंग, 156, ताड़देव, मुंबई - 400 034	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स'सेफरन', ए-605, क्रिस्टल प्लाजा, विपरीत इनफिनिटी मॉल, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - 400053

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-क

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (ळ) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने ईसीजीसी लिमिटेड (कंपनी) के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का 31 मार्च, 2023 तक लेखा परीक्षा की गई है, जिसमें उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षा पर जारी मार्गदर्शन टिप्पण के अनुसार कंपनी का प्रबंधन आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को देखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी है।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन व रखरखाव जिसमे अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के साथ ही कंपनी की नीतियों का पालन करने, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने और रोकथाम करने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे हों, शामिल हैं।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (दिशानिर्देश लेख) एवं आई सी ए आई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित माने जाने वाले लेखा परीक्षण जो कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर लागू होते हैं एवं आई सी ए आई द्वारा जारी किए जाते हैं, के मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है। उन मानकों एवं

SNK & Co.	L. S. Nalwaya & Co.
Chartered Accountants 303, 3rd Floor, Konark Shram Building, 156, Tardeo, Mumbai – 400034	Chartered Accountants 'Saffron', A-605, Crystal Plaza, Opp. Infiniti Mall, New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400053

"Annexure-A" to the Independent Auditors' Report

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls of **ECGC Limited** ("the Company"), as of March 31, 2023 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI').

These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that

मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करने, योजना बनाने एवं इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करने कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं बनाए रखा गया था तथा इस प्रकार के नियंत्रण सभी तथ्यात्मक रूप से प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं अथवा नहीं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उनके परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को वित्तीय रिपोर्टिंग, जोखिम का मूल्यांकन करना कि कोई तथ्यात्मक कमी तो नहीं है, एवं मूल्यांकित जोखिम के आधार पर डिजाइन एवं परिचालन प्रभाविता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के अनुमानों पर इस बात पर निर्भर करती हैं कि धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के तथ्यों के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल हों।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों एवं प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो कि:–

(1) अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में, ये उचित प्रकार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन एवं निपटान को सही तथा निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं।

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन–देन को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अनुमति देने के लिए दर्ज किया जाता है एवं कंपनी की प्राप्ति तथा व्यय कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं एवं;

(3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान के बारे में समय पर पहचान अथवा रोकथाम जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है पर उचित आश्वासन प्रदान करते हों।

we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:-

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company and;

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की मिलीभगत अथवा अनुचित प्रबंधन की संभावना सहित, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण तथ्यात्मक गलतियाँ हो सकती हैं एवं पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की प्रभाविता अलग हो सकती है।

अन्य मामले

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक उत्पन्न लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आई बी एन आर) एवं उत्पन्न लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन ई आर) दावों तथा प्रीमियम की कमी के संबंध में देयता का बीमांकिक मूल्यांकन कंपनी के नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित है एवं दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अनुसार हमारे द्वारा इस पर विश्वास किया गया है। तदनुसार, पूर्वोक्त बीमांकिक मूल्यांकन के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मूल्यांकन एवं सटीकता पर प्रबंधन के आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय शामिल नहीं है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास, तथ्यात्मक रूप से, सभी वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण, आई सी ए आई द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वित्तीय रिपोर्ट की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रूप से प्रचालित की जा रही थी।

कृते एसएनके एवं कंपनी **सनदी लेखाकार** फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 109176W	**कृते एल एस नलवाया एवं कंपनी** **सनदी लेखाकार** फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 115645W
(अंकित डी दानावाला) **भागीदार** **सदस्यता सं. 119972**	**(आशीष नलवाया)** **भागीदार** **सदस्यता सं. 110922**
स्थान : मुंबई दिनांक : 04 मई 2023	स्थान : मुंबई दिनांक : 04 मई 2023
यूडीआईएन : **23119972BGWTD04336**	**यूडीआईएन:** **23110922BGWVDL7468**

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Other Matter

The actuarial valuation of liability in respect of Claims Incurred but not Reported (IBNR), Incurred But Not Enough Reported (IBNER) and Premium Deficiency as at March 31, 2023 is as certified by the Company's Appointed Actuary and has been relied upon by us as mentioned in our audit report on the financial statements for the year ended on March 31, 2023. Accordingly, our opinion on the internal financial controls over financial reporting does not include reporting on the operating effectiveness of the management's internal controls over the valuation and accuracy of the aforesaid actuarial valuation.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

for SNK & Co. **Chartered Accountants** Firm Registration No. 109176W	**for L. S. Nalwaya & Co.** **Chartered Accountants** Firm Registration No. 115645W
(Ankit D. Danawala) **Partner** **Membership No. 119972**	**(Ashish Nalwaya)** **Partner** **Membership No. 110922**
Place: Mumbai Date: 4th May, 2023	Place: Mumbai Date: 4th May, 2023
UDIN: **23119972BGWTD04336**	**UDIN:** **23110922BGWVDL7468**

सेवा तंत्र / SERVICE NETWORK

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ईमेल / E-mail
पंजीकृत कार्यालय **REGISTERED OFFICE** ईसीजीसी भवन, सीटीएस नंबर 393, 393/1 से 45, एम .वी. रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई–400069 ECGC Bhawan, CTS No.393,393/1 to 45, M.V Road Andheri East, Mumbai - 400069	(022) 66590500/510	webmaster@ecgc.in
विपणन विभाग **MARKETING DEPARTMENT** ईसीजीसी भवन, सीटीएस नंबर 393, 393/1 से 45, एम .वी. रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई–400069 ECGC Bhawan, CTS No.393,393/1 to 45, M.V Road Andheri East, Mumbai - 400069	(022) 66590500/510	marketing@ecgc.in
नरीमन पॉइंट शाखा, मुंबई **NARIMAN POINT BRANCH, MUMBAI** दलामल हाउस, दूसरी मंजिल, जे.बी. मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021 Dalamal House, 2nd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 66138800	narimanpoint@ecgc.in
बांद्रा शाखा, मुंबई **BANDRA BRANCH, MUMBAI** द मेट्रोपॉलिटन, 7 वीं मंजिल, प्लॉट नंबर सी –26 / 27, ई ब्लॉक, बांद्रा – कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई – 400 051 The Metropolitan, 7th Floor, Plot No. C-26/27, E Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8110/8181	bandra@ecgc.in
नई दिल्ली **NEW DELHI BRANCH** एनबीसीसी प्लेस, दक्षिण टावर, चौथी मंज़िल, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली – 110 003 NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhishma Pitamah Marg, New Delhi - 110 003	(011) 49284011	newdelhi@ecgc.in
पश्चिमी क्षेत्र / WESTERN REGION		
पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय **WESTERN REGIONAL OFFICE** 506, टाउन सेंटर I, मित्तल इंडस्ट्रियल इस्टेट के निकट, मरोल, अंधेरी पूर्व, मुंबई – 400 051 506, Town Centre I, Next to Mittal Indl. Estate, Marol, Andheri East, Mumbai-400059	(022) 28597614/ 0907/3856	wro@ecgc.in
ठाणे शाखा **THANE BRANCH** कुसुमांजलि, पहली मंजिल, गोखले रोड, नौपाड़ा, ठाणे (पश्चिम)– 400 602 Kusumanjali, 1st Floor, Gokhale Road, Naupada, Thane (West) - 400 602	(022) 25347807	thane@ecgc.in

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ईमेल / E-mail
अहमदाबाद शाखा **AHMEDABAD BRANCH** नागिनदास चैम्बर्स, प्रथम तल, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 014 Nagindas Chambers, 1st Floor, Usmanpura, Ashram Road, Ahmedabad - 380 014	(079) 27544932	ahmedabad@ecgc.in
पुणे शाखा **PUNE BRANCH** वास्तु चेंबर्स, पहली मंजिल, 1202/39, शिरोले रोड, शिवाजी नगर, पुणे - 411 004 Vastu Chambers, 1st Floor, 1202/39, Shirole Road, Shivaji Nagar, Pune - 411 004	(020) 29950241/0226	pune@ecgc.in
इंदौर शाखा **INDORE BRANCH** 408, चौथी मंजिल, सिटी सेंटर, 570, एम जी रोड, इंदौर - 452 001 408, 4th Floor, Citi Centre, 570, M. G. Road, Indore - 452 001	(0731) 2544215	indore@ecgc.in
राजकोट शाखा **RAJKOT BRANCH** निर्मल - दूसरी मंज़िल, रामकृष्ण नगर कॉर्नर, स्वामी विवेकानंद मार्ग, नगर आयुक्त के बंगले के सामने, राजकोट - 360 001 Nirmal - 2nd Floor, Ramkrishna Nagar Corner, Swami Vivekanand Marg, Opp. Municipal Commissioner's Bungalow, Rajkot - 360 001	(0281) 2465162/169	rajkot@ecgc.in
वडोदरा शाखा **VADODARA BRANCH** 504, कॉनकॉर्ड, 6 वीं मंजिल, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा - 390 007 504, Concord, 6th Floor, R.C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara - 390 007	(0265) 2353304/4728	vadodara@ecgc.in
नागपुर शाखा **NAGPUR BRANCH** प्लॉट न .317, दूसरी मंजिल, एम.जी. हाउस के पास, आर एन टैगोर मार्ग, सिविल लाइंस, नागपुर - 440 001 Plot No.317, 2nd Floor, Beside M.G. House, R N Tagore Marg, Civil Lines, Nagpur - 440 001	(0712) 2550504	nagpur@ecgc.in
सूरत शाखा **SURAT BRANCH** 503, 21 सेंचुरी बिज़ सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास, रिंग रोड, सूरत-395 002 503, 21st Century Biz. Centre, Next to World Trade Centre, Ring Road, Surat - 395 002	(0261) 2364074	surat@ecgc.in

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ईमेल / E-mail
गिफ्ट सिटी शाखा **GIFT CITY BRANCH** आईएफएससी बीमा कार्यालय, इकाई सं–304, तीसरा तल, हीरानन्दानी सिग्नेचर बिल्डिंग, ब्लॉक 13बी, ज़ोन 1, गांधीनगर– 382 355 IFSC Insurance Office, Unit No. 304, 3rd Floor, Hiranandani Signature Building, Block 13 B, Zone 1, Gandhinagar - 382 355	(079) 27545446/ 9051610949	giftcityiio@ecgc.in
पूर्वी क्षेत्र / EASTERN REGION		
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय **EASTERN REGIONAL OFFICE** एसी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंजिल, 1, शेक्सपियर सरानी, कोलकाता – 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 40884999	ero@ecgc.in
कोलकाता शाखा **KOLKATA BRANCH** एसी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंजिल, 1, शेक्सपियर सरानी, कोलकाता – 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 40884999	kolkata@ecgc.in
वाराणसी शाखा **VARANASI BRANCH** पीसीएफ प्लाजा, वाणिज्यिक परिसर, तीसरी मंजिल, यूनिट नंबर 1, नदेसर, वाराणसी – 221 002 PCF Plaza, Commercial Complex, 3rd Floor, Unit No.1, Nadesar, Varanasi - 221 002	(0542) 2507864	varanasi@ecgc.in
भुवनेशवर शाखा **BHUBANESHWAR BRANCH** प्लॉट नंबर 611, तीसरी मंजिल, शहीद नगर, भुवनेश्वर – 751 007 Plot No. 611, 3rd Floor, Saheed Nagar, Bhubaneshwar - 751 007	(0674) 2547772	bhubaneshwar@ecgc.in
रायपुर शाखा **RAIPUR BRANCH** तीसरी मंजिल, उद्योग भवन परिसर, रिंग रोड नंबर 1, तेलीबांधा, रायपुर – 492 006 3rd Floor, Udyog Bhawan Parisar, Ring Road No. 1, Telebandha, Raipur - 492 006	(0771) 4918826/28	raipur@ecgc.in
गुवाहटी उप कार्यालय **GUWAHATI SUB-OFFICE** रूम नं 304, तीसरी मंजिल, ट्यूलिप टॉवर, चांदमारी, गुवाहाटी – 781003 Room No. 304, 3rd Floor, Tulip Tower, Chandmari, Guwahati – 781 003	09681845169	guwahati@ecgc.in

दक्षिणी क्षेत्र / SOUTHERN REGION		
पता / Address	दूरभाष / Tel.	ईमेल / E-mail
दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय **SOUTHERN REGIONAL OFFICE** रहेजा टावर्स, 11वीं मंज़िल, वेस्ट विंग, 26 एम.जी.रोड, बेंगलुरू– 560 001 Raheja Towers, 11th Floor, West Wing, 26, M.G. Road, Bengaluru - 560 001	(080) 25591139/82575	sro@ecgc.in
बेंगलुरू शाखा **BANGALORE BRANCH** रहेजा टावर्स, 11वीं मंज़िल, ईस्ट विंग, 26 एम.जी.रोड, बेंगलुरू– 560 001 Raheja Towers, 11th Floor, East Wing, 26, M.G. Road, Bengaluru - 560 001	(080) 25585375/2578	bangalore@ecgc.in
कोची शाखा **KOCHI BRANCH** एचडीएफसी हाउस, दूसरी मंज़िल, रविपुरम जंक्शन, एम.जी.रोड, एर्नाकुलम, कोची–682 015 HDFC House, 2nd Floor, Ravi Puram Junction, M.G. Road, Ernakulam, Kochi - 682 015	(0484) 2359437/57	kochi@ecgc.in
कोल्लम शाखा **KOLLAM BRANCH** सेवेंथ डे चर्च के पास, रेसीडेंसी रोड, कड़प्पकड़ा, कोल्लम– 691 008 Near Seventh Day Church, Residency Road Kadappakada, Kollam - 691 008	(0474) 2748715	kollam@ecgc.in
हैदराबाद शाखा **HYDERABAD BRANCH** हाका भवन, दूसरी मंज़िल, पब्लिक गार्डन्स के सामने, हैदराबाद – 500 004 HACA Bhawan, 2nd Floor, Opp. Public Gardens, Hyderabad - 500 004	(040) 23234334/40833	hyderabad@ecgc.in
विशाखापट्टनम शाखा **VISAKHAPATNAM BRANCH** प्रथम तल, शंकर प्लाज़ा, शंकर मठम के सामने, शंकरमठम रोड, द्वारकानगर, विशाखट्टनम–530 016 1st Floor, Shankar Plaza, Opp Shankar Mattam Temple, Shankar Matham Road, Dwarkanagar, Visakhapatnam - 530 016	(0891) 2748653/54	visakhapatnam@ecgc.in
गुंटूर शाखा **GUNTUR BRANCH** कृष्णा प्लाज़ा, दूसरी मंज़िल, 26–21–22, नागारम पालेम, जी.टी.रोड, गुंटूर–522 004 Krishna Plaza, 2nd Floor, 26-21-22, Nagaram Palem, G T Road, Guntur - 522 004	(0863) 2337096	guntur@ecgc.in
मंगलूर शाखा **MANGALORE BRANCH** 1ली मंजिल, एस्सेल टॉवर्स, बंट्स हॉस्टल सर्कल, मंगलूर – 575 003. 1st floor, Essel Tower, Bunts Hostel Circle, Mangalore - 575003	(0824) 2444288/289, 8341626980	mangalore@ecgc.in

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ईमेल / E-mail
चैन्नई शाखा **CHENNAI BRANCH** ओवरसीज टावर्स, तीसरी मंजिल, 756-एल, अन्ना सलाई, चेन्नई - 600 002 Overseas Towers, 3rd Floor, L-756- Anna Salai, Chennai – 600 002	(044) 42284488-99	chennai@ecgc.in
चैन्नई दक्षिण शाखा **CHENNAI SOUTH BRANCH** 15, पहली मंज़िल,सरयू पार्क, दूसरी मेन रोड, न्यू कालोनी, क्रॉम्पेट, चेन्नई--600 044 15, First Floor, Sarayu Park, 2nd Main Road, New Colony, Chrompet, Chennai - 600 044	(044) 22413540/ 4540/ 5540	chennaisouth@ecgc.in
कोयंबटूर शाखा **COIMBATORE BRANCH** चेन्नई प्लाज़ा, दूसरी मंज़िल, 1090 त्रिची रोड, कोयंबटूर-641 018 Cheran Plaza, 2nd Floor, 1090 Trichy Road, Coimbatore - 641 018	(0422) 2304775/6/9	coimbatore@ecgc.in
मदुरै शाखा **MADURAI BRANCH** प्रथम तल, 69 पी.टी राजन सलाई, चोक्किकुलम, केंद्रीय विद्यालय के सामने, मदुरै- 625002 First Floor, 69 P.T. Rajan Salai, Chokkikulam, Opp. To Kendriya Vidyalaya, Madurai - 625 002	(0452) 2525521/0340	madurai@ecgc.in
सेलम शाखा **SALEM BRANCH** शांति प्लाज़ा, तीसरा तल, 1/5, वृन्दावन रोड, पोन्नुस्वामी गौंडर तिरुमना के सामने, मंडपम फेयर लैंड्स, सेलम - 636 004 Shanthi Plaza, 3rd Floor, 1/5, Brindavan Road, Opp. Ponnusamy Gounder Thirumana - Mandapam, Fair Lands, Salem - 636 004	(0427) 2442275	salem@ecgc.in
तिरुपुर शाखा **TIRUPUR BRANCH** 137/2, सीजी कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंज़िल, कुमारन रोड, तिरुपुर-641 601 137/2, C.G. Complex, 2nd Floor, Kumaran Road, Tirupur - 641 601	(0421) 2232812	tirupur@ecgc.in
तूतिकोरिन शाखा **TUTICORIN BRANCH** 209/ए- 1, वी ई रोड (पहली मंजिल), बैंक ऑफ बड़ौदा के उपर, सुगम होटल के समीप, तूतीकोरिन- 628 003 209/A-1, V E Road, (First Floor) Bank of Baroda Upstairs, Near Sugam Hotel, Tuticorin - 628 003.	(0461) 2324351	tuticorin@ecgc.in
करूर शाखा **KARUR BRANCH** तीसरी मंज़िल, केवीआर कॉम्प्लेक्स, 80 फीट रोड, सेंगुंथपुरम, करूर-639 002 3rd Floor, KVR Complex, 80 Feet Road, Sengunthapuram, Karur - 639 002	(04324) 233911/244910	karur@ecgc.in

उत्तरी क्षेत्र / NORTHERN REGION		
पता / Address	**दूरभाष / Tel.**	**ईमेल / E-mail**
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय **NORTHERN REGIONAL OFFICE** ब्लॉक 3, प्लेट ए, चौथी मंजिल, एनबीसीसी वाणिज्यिक परिसर, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली – 110 023 Block 3, Plate A, 4th Floor, NBCC Commercial Complex, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110 023	(011) 24346900	nro@ecgc.in
पश्चिम दिल्ली शाखा **WEST DELHI BRANCH** 305 – 306, के एल जे टॉवर (उत्तर), 3री मंज़िल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली – 110 034 305 - 306, KLJ Tower (North), 3rd Floor, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110 034	(011) 45638142/43/44	west.delhi@ecgc.in
गुरूग्राम शाखा **GURUGRAM BRANCH** प्लॉट नं. 470, उद्योग विहार, फेज़ 5, गुरुग्राम, हरियाणा– 122 016 Plot No. 470, Udyog Vihar, Phase 5, Gurugram, Haryana - 122 016	(0124) 4300603/04	gurgaon@ecgc.in
लुधियाना शाखा **LUDHIANA BRANCH** 92, सूर्यकिरण कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंज़िल दि मॉल रोड, पी.ओ. बॉक्स नं. 281, लुधियाना–141 001 92, Suryakiran Complex, 2nd Floor, The Mall Road, P.O. Box No. 281, Ludhiana - 141 001	(0161) 2441082/ 2405684	ludhiana@ecgc.in
जालंधर शाखा **JALANDHAR BRANCH** ऑफिस सं–1, भूतल, मिडलैंड फाइनेंशियल सेंटर, आईसीआईसीआई बैंक के समीप, 21–22 जी.टी. रोड, जालंधर, पंजाब–144001 Office No.1, Ground Floor, Midland Financial Centre, Adjoining ICICI Bank, 21-22 G.T. Road, Jalandhar, Punjab-144 001	(0181) 2233235	jalandhar@ecgc.in
कानपुर शाखा **KANPUR BRANCH** 14/147, स्काई लार्क कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंज़िल, चुन्नीगंज, कानपुर – 208 001 14/147, Sky Lark Complex, 3rd Floor, Chunniganj, Kanpur - 208 001	(0512) 2535855	kanpur@ecgc.in
मुरादाबाद शाखा **MORADABAD BRANCH** पंडित शंकरदत्त शर्मा मार्ग, सिविल लाइंस,मुरादाबाद – 244 001 Pundit Shankar Dutt Sharma Marg, Civil Lines, Moradabad - 244 001	(0591) 2415476/ 2435395	moradabad@ecgc.in

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ईमेल / E-mail
जयपुर शाखा **JAIPUR BRANCH** दूसरी मंज़िल आनंद भवन, संसार चंद्र रोड, जयपुर–302001 2nd Floor, Anand Bhavan, Sansar Chandra Road, Jaipur- 302 001	(0141) 2367292	jaipur@ecgc.in
आगरा शाखा **AGRA BRANCH** 4/एस–109/एस–211, दूसरी मंजिल, कॉर्पोरेट पार्क, अशोक कॉसमॉस मॉल के पीछे, संजय प्लेस, आगरा – 282002 (उ.प्र.) 4/S-109/S-211, 2nd Floor, Corporate Park, Behind Ashok Cosmos Mall, Sanjay Place, Agra-282 002 (U.P.)	(0562) 2520035	agra@ecgc.in
पानीपत शाखा **PANIPAT BRANCH** मलिक प्लाज़ा, 1ली मंज़िल, संजय चौक के पास, जी.टी. रोड, पानीपत–132 103 Malik Plaza, 1st Floor, Near Sanjay Chowk, G.T. Road, Panipat - 132 103	(0180) 2634933/3139	panipat@ecgc.in
जोधपुर शाखा **JODHPUR BRANCH** 178, नारायणम, दूसरी मंज़िल, अपर चोपसनी रोड, बॉम्बे मोटर सर्किल के समीप, जोधपुर–342 003 178, Narayanam, 2nd Floor, Upper Chopasani Road, Near Bombay Motor Circle, Jodhpur - 342 003	(0291) 2770302/03	jodhpur@ecgc.in
चंडीगढ़ शाखा **CHANDIGARH BRANCH** पी.एच.डी. चेम्बर्स हाउस, पहली मंज़िल, सेक्टर 31 ए, चंडीगढ़– 160 031 PHD Chambers House, 1st Floor, Sector 31 A, Chandigarh - 160 031	(0172) 5003628/27	chandigarh@ecgc.in
नोएडा शाखा **NOIDA BRANCH** 1121, 11वां तल, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर, सी–1, सेक्टर 16, नोएडा, उ.प्र.– 201 301 1121, 11th Floor, World Trade Tower (WTT), C-1, Sector 16, Noida, UP - 201 301	(0120) 4249186	noida@ecgc.in
फरीदाबाद शाखा **FARIDABAD BRANCH** एससीओ– 149 दूसरी मंज़िल, सेक्टर–21–सी, फरीदाबाद, हरियाणा–121 001 SCO-149, 2nd Floor, Sector-21-C, Faridabad, Haryana - 121 001	(0129) 4315114/ 115/116/117	faridabad@ecgc.in
श्रीनगर शाखा **SRINAGAR BRANCH** दूसरा तल, जे.के. बैंक बिल्डिंग, सफ़ीना प्लाज़ा के निकट, हरि सिंह हाइ स्ट्रीट, श्रीनगर– 190 001 2nd Floor, JK Bank Building, Near Safina Plaza, Hari Singh High Street, Srinagar - 190 001	0194-2477947	srinagar@ecgc.in

ई सी जी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: ईसीजीसी भवन, सीटीएस नं. 393, 393/1 से 45,
एम. वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400069, महाराष्ट्र, भारत
वेबसाइट: www.ecgc.in

ECGC Limited
(A Government of India Enterprise)

Regd. Office: ECGC Bhawan, CTS No. 393, 393/1 to 45,
M.V. Road, Andheri (East), Mumbai - 400069, Maharashtra, India.
Website: www.ecgc.in

IRDAI Regn. No. 124 | CIN No. U74999MH1957GOI010918 | @ecgclimited

आप निर्यात पर ध्यान केन्द्रित करें, हम जोखिम से रक्षा प्रदान करेंगे। You focus on exports. We cover the risks.